राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का दो सौ छब्बीसवां दिवस [संख्या: 29

गुरुवार,

22 सितम्बर 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री गुरदीप सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

चिरंजीवी महिलाओं को देय स्मार्ट फोन

505. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत एक वर्ष में सरकार द्वारा 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को चिरंजीवी परिवार के नाम से स्मार्ट फोन दिये जाने की बजटीय घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो स्मार्ट फोन खरीदने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चिरंजीवी परिवार के नाम से प्रदेश की महिलाओं को देय स्मार्ट फोन में एप्लीकेशन्स द्वारा प्रदेश की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को इन्स्टाल किया गया है? यदि हां, तो उक्त एप्लीकेशन से कितनी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्मार्ट फोन के लिए व्यय की जाने वाली राशि हेतु विभिन्न विभागों के पूर्व निर्धारित बजटीय प्रावधान में कटौती करने का नीतिगत निर्णय सरकार ने लिया है? यदि हां, तो कुल कितने विभागों के बजट में कितनी-कितनी कटौती की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): (1) कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस परियोजना के अंतर्गत 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्ट-फोन मय 3 साल के डाटा के वितरित किये जायेंगे। इस परियोजना की निविदा जारी की जा चुकी है, जिसकी अनुमानित राशि रुपये 12,000 करोड़ है। उक्त योजना तीन वर्ष की है। इस वर्ष 2022-2023 के लिए 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा चुका है तथा आवश्यक अतिरिक्त राशि रुपये 2,300 करोड़ प्रथम अनुपूरक अनुदान के प्रस्ताव में सम्मिलित किये गये हैं।

(2) इस परियोजना के अंतर्गत मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्ट फोन में इंस्टाल की जाएगी। उक्त मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की जा रही है।

(3) उक्त परियोजना के लिए पृथक बजट प्रावधान किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने खण्ड (1) में कहा कि 1 करोड़ 35 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को आप स्मार्ट फोन मय 3 साल के डाटा के साथ दे रहे हैं। यह आप 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से दे रहे हैं। आपने इसी उत्तर में कहा कि आपने 2022-23 के लिए मात्र 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आपको ध्यान में होगा कि आपने बजट में भी इसमें 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 1,200 करोड़ रुपये के हिसाब से कितने समय में आप 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन दे देंगे। आप खुद कह रहे हैं कि आपने निविदाएं आमंत्रित की हैं। कितने रुपये की आपने निविदाएं आमंत्रित की हैं? निविदा के आधार पर कितने का आदेश दिया है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कल ही इसी सदन में इसी कार्य के लिए 2,300 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान की मांगें स्वीकृत हो चुकी हैं। इस प्रकार 3,500 करोड़ रुपये इस साल के लिए और बाकी पैसा अगले दो सालों के लिए है। निविदाएं 16.05.2022 को आमंत्रित की गयीं। तकनीकी निविदा 17.08.2022 को, वित्तीय निविदा खोलने की तारीख 08 सितम्बर, 2022 थी। उम्मीद है कि इसी अक्टूबर महीने में मोबाइल का वितरण शुरू कर दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरा सवाल यह था कि 12 हजार करोड़ की आपकी तीन साल की योजना है। इस बार आप 3,500 करोड़ रुपये भी करते

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो तो कितने वर्षों में देंगे और इस वित्तीय वर्ष में कितनी महिलाओं को टेलीफोन दे देंगे। दूसरी बात, खण्ड-2 में आपने मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टाल करने की बात की है और आपने कहा है कि हम कर रहे हैं। यह कब कर देंगे? इसमें जो इंटरनेट का प्रति माह का बिल आयेगा, उस बिल का भुगतान महिला करेगी या सरकार करेगी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि 3,500 करोड़ रुपये इस साल रखे हैं। 12 हजार करोड़ रुपये का खर्चा तीन वर्ष में होगा तो इस साल 3,500 करोड़ रुपये, बाकी पैसा हम अगले दो वर्षों में खर्च करेंगे। 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मोबाइल वितरित किये जायेंगे। जहां तक एप्लीकेशंस का सवाल है, ई-मित्र, राज-सम्पर्क, ई-धरती, जन-सूचना आदि एप्स तो बने हुए हैं और बाकी एप्स बनते जाएंगे। जो तीन साल का खर्चा है, वह राज्य सरकार देगी।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह बजट घोषणा 2022-23 है। इसका पैरा 114 है, 'कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से मैं, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारम्भ करना प्रस्तावित करता हूं। इसके तहत लगभग 1 करोड़ 33 लाख', आपने बजट में 1 करोड़ 33 लाख लिखा है और आप क्वेश्चन के जवाब में 1 करोड़ 35 लाख बता रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने फिगर दे कर पूछा है, वैसा ही फिगर आपने यहां क्वेश्चन के जवाब में रिपीट किया है। आपकी भावना बजट के हिसाब से है या जो विधायक ने प्रश्न पूछा है, उसके हिसाब से जवाब दिया है? इन दोनों का तालमेल नहीं बैठा है। बजट घोषणा कुछ अलग कह रही है और आप कुछ अलग कह रहे हो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चिरंजीवी परिवार बढ़ते रहते हैं। कई बार कुछ लोग रजिस्ट्रेशन में देरी कर देते हैं। इसके कारण से फिगर में फर्क है। बाकी और कुछ नहीं है। जहां तक आपने बजट के बिन्दु संख्या 114 के बारे में बताया कि 2,500 करोड़ रुपये रखे गये थे। अब तो सदन के माध्यम से और करके अब 3,500 करोड़ रुपये रख दिये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने रुपयों के बारे में नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पूछा है। आपने बजट घोषणा में 1 करोड़ 33 लाख की संख्या तय की थी। अभी आप जो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, उसमें आप 1 करोड़ 35 लाख बता रहे हैं। चूंकि माननीय सदस्य ने भी 1.35 करोड़ लिखा है, इसलिए आपने उसके आधार में 1.35 करोड़ किया या आपने वेरिफाई किया कि हमको वास्तव में करना क्या है? दोनों में अंतर है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): कई बार आपने देखा होगा कि लोग रजिस्ट्रेशन में देरी कर देते हैं। अभी वर्तमान में यह संख्या 1 करोड़ 35 लाख हो गयी है। इसके लिए व्यवस्था की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: इनके कहने का उद्देश्य यह था कि बजट की घोषणा का फिगर अलग है, वह 1 करोड़ 33 लाख है। अब आप यह कहें कि बजट की घोषणा से संबंध नहीं है, जितने भी चिरंजीवी योजना में आयेंगे, उनको देंगे। वह उत्तर ज्यादा, बनिस्पत कि बजट के अनुसार देंगे तो वह संख्या आयेगी। उनका कहने का मतलब यह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कब देंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अगले तीन वर्षों में दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नरपत सिंह जी राजवी।

वेदाध्ययनरत विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति

506. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों में उपाध्याय, शास्त्री एवं आचार्य स्तर पर विद्यार्थियों ने वेदों का अध्ययन किया है? यदि हां, तो जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपाध्याय, शास्त्री एवं आचार्य स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं में किस-किस वेद की कौनसी-कौनसी शाखा का अध्यापन करवाया जा रहा है? विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में वेदाध्यापन के लिए शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वेदाध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

संस्कृत शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। विगत पांच वर्षों में वरिष्ठ उपाध्याय, शास्त्री एवं आचार्य स्तर पर वेदों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) निदेशालय संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत उपाध्याय, शास्त्री एवं आचार्य स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं में वेद शाखा के अन्तर्गत शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद का अध्यापन करवाया जा रहा है।

निदेशालय संस्कृत शिक्षा के अधीनस्थ विद्यालय, महाविद्यालय में वेद के अध्यापन के लिए शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

संस्कृत महाविद्यालय सेवा नियम प्रक्रियाधीन हैं। सेवा नियम जारी होने पर महाविद्यालय के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में संयुक्ताचार्य एवं आचार्य स्तर पर सभी वेदों ऋग्वेद (शाकल शाखा), यजुर्वेद (शुक्लयजुर्वेद, कृष्णयजुर्वेद) सामवेद (राणायनी शाखा, कौथुम शाखा) अथर्ववेद (शौनकीय शाखा) पौराहित्य विषय, वेद विज्ञान, वेद निरूक्त विषय पढ़ाये जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय में वेदों के अध्यापन हेतु स्थापित वेद विभाग में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	प्रोफेसर	01	0	01
2.	सह. प्रोफेसर	02	0	02
3.	सहा. प्रोफेसर	03	03	00
	योग	**06**	**03**	**03**

जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के रोस्टर रजिस्टर के अनुमोदन की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। रोस्टर रजिस्टर के अनुमोदन उपरान्त वेद अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव है।

(3) संस्कृत शिक्षा विभाग में वेदाध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट-1 में 2017-18 से लेकर 2021-22 तक अध्ययनरत छात्रों की संख्या दी है, निरन्तर घटते जा रहे हैं। निरन्तर इसलिए घटते जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी पद हैं, वे भी रिक्त हैं। आज की स्थिति में संस्कृत कालेजेज में मात्र 02 असिस्टेंट प्रोफेसर और संस्कृत विश्वविद्यालय में 03 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, जिनमें से एक को मंत्र प्रतिष्ठान के डायरेक्टर का चार्ज भी दिया हुआ है। बिना स्टाफ के, बिना एकेडमिक अध्ययन कराने वाले, आपने सारे वेदों का तो लिख दिया, लेकिन 16 अध्याय हैं, 16 में से 4 के प्रमुख ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सारे के सारे रिक्त पड़े हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप इसमें कांट्रेक्चुअल बेसिस पर या दूसरी व्यवस्था के आधार पर रखेंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई हो। दूसरी बात, उनको मानदेय कितना देंगे? अभी तक आप जो मानदेय दे रहे हैं, संस्कृत एकेडमी जो दे रही है, 26 वेद विद्यालयों में उनको आप 08 हजार रुपये प्रति माह दे रहे हैं। मिनिमम वेजेज से भी कम है। दूसरी ओर अगर देखें तो मदरसा में आप 3400 के, उसमें कितना दे रहे हैं। सिमिलर।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पर आएं, आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मानदेय तो बराबर करें, यह तो प्रयास करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों, असिस्टेंट लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, इन सबके लिए विद्या सम्बल योजना लागू की गयी है। इसमें लेक्चरर को 30 हजार रुपया मासिक, असिस्टेंट प्रोफेसर को 40 हजार रुपया मासिक व प्रोफेसर को 50 हजार रुपया मासिक दे रहे हैं।

माननीय सदस्य ने जो बताया है, वह मामला इस प्रश्न से अतिरिक्त है। ये बोल रहे हैं कि वेद-विद्यालय, जो संस्कृत एकेडमी चला रही है, उनके मानदेय के बारे में कह रहे हैं। वे एक्चुअली में पूर्णकालिक नहीं हैं। कुछ समय के लिए लोग जाते हैं। वहां पर शुक्ल यजुर्वेद, रूद्राष्टध्यायी वगैरह सीखते हैं। वह पूर्णकालिक नहीं है। मेन प्रश्न जो इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए पूछा है, उसमें हम विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत 30 हजार रुपये लेक्चरर को, 40 हजार असिस्टेंट प्रोफेसर को और 50 हजार रुपया प्रोफेसर को देते हैं।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जहां तक रिक्त पदों का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि एक महीने के अन्दर-अन्दर सेवा नियम जारी हो जाएंगे और रोस्टर, जो यूनिवर्सिटी में बनना था, वह भी करीब-करीब एक महीने के अन्दर तैयार करके रेगुलर भर्ती के लिए निर्देश दे दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी। एक मिनट, कटारिया जी। नरपत जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र में वैदिक अध्ययन बोर्ड के गठन की भी बात आयी थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, please be specific to this question. आप इससे बाहर जा रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): वेद ज्ञान...

श्री अध्यक्ष: नरपत जी, आप सीनियर आदमी हैं। Please be confined to this question. You have much information about this question but that cannot be confined to this question.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, वेद से सम्बन्धित शिक्षा राजस्थान में प्रभावी हो, यह सबकी इच्छा रहती है, परन्तु जो आपने परिशिष्ट-2 पर हमको एक चार्ट दिया है, उस चार्ट को देखने से लगता है कि इस यजुर्वेद में आपके जो 6 पद स्वीकृत हैं, उसमें से केवल और केवल आपके दो पद भरे हैं। आपका ऋग्वेद में पद ही एक स्वीकृत है। इन सारे कालेज में पद ही स्वीकृत नहीं हैं और वह एक भी खाली है। सामवेद में भी आपका स्वीकृत पद एक ही है, बाकी कालेज में पद स्वीकृत ही नहीं है और वह भी रिक्त है। इसी तरह से अथर्ववेद में भी आपका स्वीकृत एक ही पद है और वह एक भी खाली है। जब राजस्थान में आपके पास वेद पढ़ाने के लिए व्यक्ति ही नहीं है तो फिर आप जो ये आंकड़े दे रहे हैं 2017-18 से लेकर के, इसकी यह दुर्गति होना तो स्वाभाविक है। अध्यापक ही नहीं है तो बच्चा जाकर के, पढ़कर के क्या करेगा? इतना गम्भीर विषय जब ध्यान में आया तो आपने इसके लिए भविष्य की क्या रचना दिमाग में बनायी है कि इस महत्वपूर्ण विषय के लिए हमने आगे का यह प्लान बनाया है? और इतने महीने में इस प्लान को जमीन पर लाने की कोशिश करेंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सेवा नियम

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

इसके 1978 में बने थे। उसके बाद आज तक किसी ने देखा नहीं। मैंने आते ही इसको संभाला है और मैंने सदन को जिस तरह आश्वस्त किया कि 15 दिन में सेवा नियम जारी कर दिये जाएंगे और रोस्टर जो यूनिवर्सिटी में नहीं था, वह रोस्टर लगभग एक महीने में बना दिया जायेगा। उसके बाद हम भर्ती कर देंगे। जो रिक्त पद हैं, उनको विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत जैसा मैंने बताया था लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर को हम रखकर उनके माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं।

वेद निश्चित रूप से हमारे ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए हैं। 'वेदो बिना ब्राह्मणा' वेद नहीं जाने वो ब्राह्मण नहीं और कुल-मिलाकर वेद ही जो है, हमारी भारत की संसद के ऊपर भी यह लिखा है कि 'अयम निज: गणनां लघु चेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।' ये तेरा और मेरा भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति उदार चरित्र वाली है जिसमें पूरा संसार एक कुटुम्ब की तरह है। हम वेदों के प्रति खुद जागरूक हैं। आपके माध्यम से मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि ये नियम वगैरह बन जाएंगे तो यूनिवर्सिटी तो चूंकि आटोनोमस बॉडी है, लेकिन उनको भी हम हमारी तरफ से लिखेंगे कि जल्दी से जल्दी रिक्त पदों को भरा जाए और कालेजों में जो रिक्त पद हैं, उनको मैं आर.पी.एस.सी. के माध्यम से भरवाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): देखिए, आप इन्वाल्व हैं। मतलब इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारा भी कभी ध्यान नहीं गया। ईमानदारी से हम भी इतने साल से जन-प्रतिनिधि हैं, परंतु इतनी गहराई से ध्यान नहीं गया। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि राजस्थान में इस महत्वपूर्ण विषय को, जो भी विद्वान संस्कृत के काम में लगे हुए हैं, उनकी आंख कभी इस पर नहीं गिरी। इससे ज्यादा दु:ख राजस्थान के लिए और क्या हो सकता है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): वर्ष 1978 के बाद तो इनकी सरकार खूब रही। इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, कल्ला साहब ने इसकी ऑनरशिप ली है, उसके लिए धन्यवाद और कल्ला साहब जैसी भाषा कर रहे हैं, जो कल्ला साहब के मन में है, वह जो तीनों बताएं हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के, उनके पद, जो आपको विद्वान मिल सकें या विद्या सम्बल में लाये या किसी

(श्री अध्यक्ष)

को बुलाकर कीजिए, लेकिन कम से कम प्रोफेसर आने चाहिये, जिससे अच्छी क्वालिटी आफ एजुकेशन हायर एजुकेशन में हो सके। आपका कमिटमेंट के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि अगला जब क्वेश्चन आयेगा, तब तक ये पद भर जाएंगे। अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

कनिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पद

507. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कनिष्ठ विधि अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश की भर्तियों में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए कोई कोटा निर्धारित करने का प्रस्ताव लम्बित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कर्मचारियों के परिवीक्षा अवधि के दौरान उन्हें पूर्ण वेतन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) वर्तमान में कनिष्ठ विधि अधिकारी के 130 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विहित प्रक्रिया पूर्ण होने पर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये पद कब से खाली हैं? कोई तारीख, कोई वर्ष इनका होगा, कृपया बताएं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 237 पद स्वीकृत हैं। 237 पदों पर 150 आदमी आज भी काम कर रहे हैं, भरे हुए हैं। अब सवाल रह गया कि पदोन्नति से जो 87, जिनकी पदोन्नति हुई है वे और विभिन्न संस्थाओं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

के द्वारा जिसमें हाउसिंग बोर्ड भी है, जेडीए भी है, कई और भी हैं, उन्होंने भी कुल मिलाकर 43 पद और मांगे हैं। ये कुल मिलाकर 130 हो जाते हैं। इन 130 की प्रक्रिया फाइनेंस डिपार्टमेंट में मंजूरी के लिए हमने दे रखी है और मुझे उम्मीद है कि वहां से हो जायेगी, तब जाकर इनकी भर्ती हो पायेगी।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): साहब, मैंने आपसे निवेदन किया है कि कब से खाली हैं? यह पूछा है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कब से खाली हैं, टाइम-टाइम पर खाली हुए हैं। एक ही रोज में तो खाली नहीं होते।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संदीप कुमार।

तिजारा के औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण

508. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र तिजारा में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कम्पनियों से अत्यधिक वायु एवं कण प्रदूषण फैल रहा है, जिससे आस-पास के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? क्या सरकार वायु एवं कण प्रदूषण फ़ैलाने वाली इकाइयों पर नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यावरण मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अभिलेखों के अनुसार तिजारा क्षेत्र में 373 उद्योगों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981/जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सम्मति दी गयी है। इन उद्योगों की सूचना समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थिति व सम्मति की वैधता का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

राज्य सरकार उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जांच की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उद्योग से उत्सर्जित प्रदूषक तत्व निर्धारित मानकों के अन्तर्गत हों। उद्योग से उत्सर्जित प्रदूषक तत्व निर्धारित मानकों के अन्तर्गत नहीं पाये जाने पर दोषी उद्योगों के

(पर्यावरण मंत्री)

विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा गत पांच वर्षों में तिजारा क्षेत्र के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कम्पनियों द्वारा पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं किये जाने, उत्सर्जित प्रदूषक तत्व निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने एवं वायु अधिनियम 1981/जल अधिनियम 1974 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के कारण इस प्रकार के 83 प्रदूषणकारी इकाइयों के विरुद्ध वायु अधिनियम की धारा 31-ए व जल अधिनियम की धारा 33-ए में कार्यवाही की गयी। इन उद्योगों मे से 63 उद्योगों द्वारा आवश्यक सुधार कर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के समक्ष संचालन हेतु पुन: सम्मति आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नियमानुसार सत्यापन के पश्चात् उद्योगों को पुन: संचालन सम्मति जारी कर दी गयी है। वर्तमान में 63 उद्योग संचालित हैं तथा 20 वर्तमान में पूर्ण रूप से बन्द (Closed) हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री संदीप कुमार (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, जो डेटा है उसके विपरीत पोल्युशन इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें अपन और क्या ठोस कार्यवाही करेंगे? लगातार पोल्युशन इंडेक्स बढ़ रहा है, एशिया में दूसरे-तीसरे नम्बर पर भिवाड़ी का यह इंडेक्स लगातार चल रहा है। हम और अधिक क्या ठोस कार्यवाही करेंगे, इस कार्यवाही से वहां कुछ हल नहीं हो पाया, मेरा यह निवेदन है।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में आपको बताया कि जिन औद्योगिक इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण निवारण नियमों का पालन नहीं किया, उनमें खिलाफ कार्यवाही की गयी है। 63 उद्योगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है, उनमें से अभी भी 20 बंद पड़े हैं। उसके अलावा भी, जितने भी उद्योग हैं, उन सबकी सूची आपको दे दी है। उनकी स्थिति भी मैंने आपको इस सूची में दे दी है। उसके अलावा अगर किसी औद्योगिक इकाई के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है तो आप उसके बारे में अगर मुझे लिखकर दे देंगे तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा। जांच करवाने के बाद नियमानुसार उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। प्रदूषण फैलाने की किसी भी औद्योगिक इकाई को अनुमति नहीं दी जायेगी, किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, कोई पर्टिकुलर नहीं, मेरा तो यह निवेदन है कि इसमें दुबारा से जांच करके, जितनी भी औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण फैला रही हैं, क्योंकि इंडेक्स कम नहीं हो रहा है, पूरे एशिया में भिवाड़ी का प्रदूषण इंडेक्स टाप पर चल रहा है। लोगों का इस तरीके से जीवन दूभर हो जायेगा। दुबारा से इसकी जांच की जाये, या तो कोई कमेटी गठित की जाये, प्रदूषण कैसे कम हो, इस पर हम विचार करें। धन्यवाद।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): जैसा कि मैंने आपको कहा, वैसे तो 373 औद्योगिक इकाइयां वहां संचालित हैं, उनमें से जो दोषी पाई गयीं, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी, फिर उन्होंने वापस उसका समाधान कर दिया तो उनको पुन: सी.टी.ओ. जारी किया गया। अभी भी 20 बंद हैं। आप मुझे लिखकर दे दें, प्रदूषण से सम्बन्धित आपकी जो भी समस्या है, उसकी मैं विस्तृत जांच करवा लूंगा, कमेटी बनाकर जांच करवा लूंगा। उसके बाद जो भी नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, उसको करेंगे।

प्रश्न संख्या 509

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल (अनुपस्थित)।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

सहकारी समितियों में वेतन से वंचित कार्मिक

510. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितनी सहकारी समितियों में कितने कार्मिकों को कब से वेतन नहीं मिल रहा है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों में काश्तकारों द्वारा समय पर ऋण को जमा करने पर शीर्ष बैंक द्वारा सरकार से प्राप्त चार प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि में से दो प्रतिशत राशि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के बचत खाते में जमा की जाती है? यदि हां, तो वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में कितनी समितियों के बचत खातों में कितनी राशि जमा की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. (शीर्ष बैंक) से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में 13 केन्द्रीय

(सहकारिता मंत्री)

सहकारी बैंकों की 1,117 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 1,483 कार्मिकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय पर ऋण का चुकारा करने वाले कृषकों के ऋण के पेटे 4% ब्याज अनुदान राशि सीधे ही केन्द्रीय सहकारी बैंकों को जमा की जाती है। राज्य सरकार की ब्याज मुक्त फसली ऋण योजनान्तर्गत उक्त ब्याज अनुदान राशि में से केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 2% ब्याज अनुदान राशि सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के बचत खाते में जमा की जाती है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के खातों में 2% ब्याज राशि अनुदान पेटे जमा की गयी है। बैंकवार विवरण परिशिष्ट- 2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न था कि प्रदेश में कितनी सहकारी समितियों में कितने कार्मिकों को वेतन नहीं मिला। माननीय मंत्री महोदय ने संख्या का जवाब दिया, यह नहीं बताया कि उन्हें कब से और क्यों नहीं मिला। जिन अधिकारियों की वजह से इनको वेतन नहीं मिला, क्या सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेने का विचार रखती है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अनुदान की जो राशि दो परसेंट दी जाती है, वह सहकारी समितियों के पेटे दी जाती है, उसमें यह इंगित नहीं किया जाता है कि यह दो परसेंट अनुदान की राशि दी जा रही है, वह वेतन पेटे दी जा रही है। समितियों को मजबूत करने के लिए दी जाती है, वे अपनी आवश्यकता के अनुसार वह राशि खर्च करती हैं। अगर बैंक का कोई ओवर ड्यू है तो बैंक पहले अपना ओवर ड्यू रोक लेता है, उसके बाद जो दो परसेंट में से बचता है वह उनमें दी जाती है, उसके अनुसार यह संख्या दी गयी है। जो व्यवस्थापक हैं, उनके वेतन देने का काम कानून के अनुसार जी.एस.एस. का ही होता है, बोर्ड का ही होता है, उनकी नियुक्ति भी बोर्ड ही करता है, इसलिये उन्हीं को अपने संसाधन बढ़ाकर उनकी तनख्वाह देनी चाहिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न, जिन व्यक्तियों की वजह से उन कार्मिकों को वेतन नहीं मिला, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है? दूसरा प्रश्न,

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

माननीय मंत्री महोदय ने दूसरे प्रश्न के जवाब में दिया कि दो प्रतिशत राशि समितियों के बचत खाते में जमा कराई जाती है, तो मैं जानना चाहूंगा कि यह राशि सम्पूर्ण रूप से इनमें जमा करा दी गयी या आंशिक रूप से कराई गयी है? मंत्री जी अगर समितिवार सूचना दे पाएं तो बिलकुल दें। इन समितियों की बकाया बचत राशि है, अगर पूर्ण रूप से जमा नहीं हुई है तो सरकार कब तक पूर्ण रूप से देने का विचार रखती है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): दो परसेंट के अनुसार जितनी उनकी राशि बनती है, पूर्ण राशि जमा करा दी गयी है। कोई राशि दो परसेंट के हिसाब से बाकी नहीं है। समय पर जमा करा दी जाती है।

प्रश्न संख्या 511

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित)।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

रेवदर में बंद परिवहन सेवा

512. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर एवं माउन्ट आबू के लिए संचालित विभिन्न जिलों एवं राज्यों की परिवहन बस सेवाओं को गत तीन वर्षों के दौरान बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन जिलों व राज्यों से आने वाली परिवहन सेवा कब-कब व किन कारणों से बंद की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अवधि के दौरान बन्द की गयी प्रत्येक परिवहन बस सेवा एवं जयपुर से आबू रोड तथा आबू रोड से जयपुर के लिए वॉल्वो, सुपर डीलक्स बस सेवा को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विधान सभा क्षेत्र रेवदर एवं माउन्ट आबू के लिए संचालित सेवाओं, जिन्हें गत तीन वर्षों में बन्द किया गया है, का विवरण कारण सहित परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

रेवदर व माउन्ट आबू क्षेत्र में निजी बसों को जारी परमिट व परमिट सरेंडर की सूचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वर्ष	जारी परमिट	परमिट सरेंडर
1	रेवदर	2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	1	3
		2022-23	2	2
2	माउन्ट आबू	2019-20	0	0
		2020-21	0	1
		2021-22	1	2
		2022-23	0	0

जारी परमिट व परमिट सरेंडर का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण प्रश्नगत बस सेवाओं का पुन: संचालन किये जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब में स्पष्ट किया है कि आपने निगम की 34 बसें, पूरा शिड्यूल जो बन्द कर चुके हैं, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने 2019-20 के दौरान बस बंद कर दी, 2013 से 2018 के बीच जो संचालित थी, क्या यह भाजपा सरकार जाने के बाद, इस सरकार के आने के बाद, आपने संसाधनों का पर यात्री भार इसमें बताया है। मंत्री महोदय मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, संसाधनों को बन्द करने का बताया, जवाब गोल-मोल तथ्यों से परे दे रहे हो। मंत्री महोदय, 2019-20 के अन्दर अचानक संसाधनों की कमी कैसे आ गयी, आप मुझे यह स्पष्ट करें। 34 बसें, जो शिड्यूल्ड हैं, राजस्थान व राजस्थान से बाहर चल रही थीं, ये बंद कर रखी हैं। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि संसाधनों की जो कमी बताई गयी है, तो क्या उसमें गाड़ियां नहीं हैं या ड्राइवर नहीं हैं या डीजल नहीं है, किस कारण से ये बंद की गयी हैं? यह बताएं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मूल प्रश्न में कि क्यों बंद की गयी हैं, प्रत्येक बस के

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

लिए कारण सहित बता दिया है। फिर भी, आपने कहा है कि 2019-20 में क्यों की, तो इसमें एक कारण कोरोना का भी रहा है। कोरोना में हमारी आय कम हो गयी, बसों पर यात्री भार भी कम हो गया, फिर हमारे बेड़े में बसें भी कम हो गयीं। मैंने ये जो कारण दिये हैं, उनके बावजूद भी आपके विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अभी भी 58 बसें चल रही हैं और माउन्ट आबू में 29 बसें चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज हो गया। माननीय सदस्य, मैंने सुन लिया।

श्री जगसी राम (रेवदर): सर, मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: Please improve your क्वेश्चन पूछने की कला को। बैठें आप। श्रीमती मंजु देवी।

श्री जगसी राम (रेवदर): सर, मेरा दूसरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठें आप। मंजु देवी। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा। मदनजी, कोई प्रोब्लम है आपको? आप प्लीज, बैठें। आप बैठें। आप प्लीज, बैठें। (व्यवधान) आप क्यों अपने आपको शर्मिंदा कर रहे हैं? आप प्लीज, बैठें। अगला प्रश्न। अब आपने बताया, उन्होंने सुन लिया। अगला प्रश्न।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मंजु देवी। अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल भील। (व्यवधान) श्रीमती मीना कंवर, आप बोलें।

पदक विजेता खिलाड़ियों को देय सुविधाएं

513. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2019 से अगस्त, 2022 तक प्रदेश के

(श्रीमती मीना कंवर)

अन्तरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड हैं तथा विगत पांच वर्षों में किन-किनको दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विभिन्न खेलों के उत्थान हेतु प्रशिक्षक नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, कौन-कौनसे खेल प्रशिक्षक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) सरकार द्वारा प्रदेश के अन्तरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई गयीं:-

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से अब तक प्रदेश के अन्तरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 2016 के अनुसार अनुदान राशि दी गयी है, जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बाहर चैम्बर में बैठने की जगह है, हां पक्ष एवं ना पक्ष में।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): ...भारत सरकार की दरों के अनुसार पूर्व में ओलम्पिक खेल में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक जीतने पर क्रमश: 75 लाख, 50 लाख, 30 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब ओलम्पिक खेल में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक जीतने पर क्रमश: 3 करोड़, 2 करोड़ एवं 1 करोड़ तथा एशियन/कॉमनवैल्थ गेम्स में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक जीतने पर क्रमश: 1 करोड़, 60 लाख एवं 30 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया।

प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा पैरा ओलम्पिक में सुश्री अवनि लेखरा, शूटिंग में एक स्वर्ण एवं एक कांस्य पदक पर 4.00 करोड़ की राशि। श्री कृष्णा नागर, बैडमिन्टन में स्वर्ण पदक पर 3.00 करोड़। श्री देवेन्द्र झाझड़िया, जैवेलियन थ्रो रजत पदक 2.00 करोड़। श्री सुन्दर सिंह गुर्जर, जैवेलियन थ्रो, कांस्य पदक, 1.00 करोड़ की राशि प्रदान की गयी।

राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

नियमानुसार टीए डीए की राशि का भुगतान किया गया है, जिसकी सूचना परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 को सरलीकरण करते हुए संशोधित नियम 2020 के अन्तर्गत पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रवर्ग ए में 13 खिलाड़ी, प्रवर्ग बी में 21 खिलाड़ी एवं प्रवर्ग सी में 195 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गयी है। अब तक कुल 229 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गयी।

राज्य एवं राज्य से बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के दैनिक भत्तों में 600/- रुपये के स्थान पर 1000/- रुपये की बढ़ोतरी की गयी है।

राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति में 2 प्रतिशत आरक्षण सरलीकरण करके लगभग 344 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गयी है।

(2) जी हां। मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

विगत पांच वर्षों में खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है।

(3) जी हां। अब तक विभिन्न खेलों में सेवादाता द्वारा 493 अल्पकालीन प्रशिक्षक अनुबंध पर लगाए गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

वर्तमान में कुल 81 स्थायी प्रशिक्षक ग्रेड प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में लगे हुए हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-च पर संलग्न है।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि खेल विभाग में लगे प्रशिक्षकों में से कितने प्रशिक्षक प्रतिनियुक्ति पर हैं? इनकी प्रतिनियुक्ति कब तक निरस्त की जायेगी?

दूसरा, मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि जोधपुर में किस-किस जगह पर किस-किस खेल में कितने प्रशिक्षक लगाये जाएंगे?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में पार्ट टाइम में 49 कोचेज लगे हुए हैं, वह नामवाइज सूची मैं आपको दे दूंगा। 49 कोचेज की आप अगर चाहे तो मैं पूरी 49 कोचेज की

(श्री अशोक)

सूची पढ़कर भी सुना सकता हूं। चार सरकारी तारा चौधरी-साइकिलिंग, भरत गुर्जर- फुटबाल, शरद टांक- खेल अकादमी, प्रेम सिंह भाटी है, अतिरिक्त चार्ज। (व्यवधान) यह तो हो गयी आपके जोधपुर में, जो टेम्परेरी और परमानेंट लगे हुए हैं, मैं आपको यह सूची उपलब्ध करवा दूंगा। मैं इसके अन्दर माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि हर साल 500 कोच लगाने की बजट घोषणा है तो वह हर साल उनकी प्रतिनियुक्ति पूरी होती है और उनको हर साल वापस लगा लिया जाता है। जो टेंडर कम्पनी होती है, उनका टेंडर खतम होने से पहले ही उनका वापस री-टेंडर कर दिया जाता है। उसमें जो भी एल-1 पर आते हैं उनको दे दिया जाता है तो यह एक सतत प्रक्रिया है, इनको हर साल वापस प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मंजु देवी। प्रतापजी, आपका इसके बाद।

जायल उप खण्ड मुख्यालय पर अधिशासी अभियंता कार्यालय की स्थापना

514. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार उप खण्ड मुख्यालय जायल पर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): उप खण्ड मुख्यालय जायल पर नया अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने का प्रस्ताव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार के नये कार्यालय खोलने सम्बन्धी आदेश दिनांक 15.03.2018 के अनुरूप नहीं होने के कारण वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं।

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार के नये कार्यालय खोलने सम्बन्धी आदेश दिनांक 15.03.2018 के अनुरूप नहीं होने के कारण क्या हैं, एक तो वह स्पष्ट कीजिए।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल के अन्दर नया अधिशासी अभियंता कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा? यह भी स्पष्ट करें।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 मार्च, 2018 का ऊर्जा विभाग का जो रिस्ट्रक्चर आफिसेज का, पुनर्गठन के नोर्म्स तय किये गये हैं जिसमें एक्स.ईएन. आफिस के लिए 90 हजार उपभोक्ता अनिवार्य होने पर ही नवीन खण्ड कार्यालय खोले जाने की कार्यवाही की जाती है, स्वीकृति प्रदान की जाती है। माननीय विधायक महोदय के विधान सभा क्षेत्र जायल में तीन ए.ईएन. आफिस हैं, जायल, डेह तथा रोल, तीनों में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 65,989 हैं जो कि नोर्म्स के अनुसार काफी संख्या कम रहती है। हालांकि, माननीय विधायक महोदय ने जो प्रश्न उठाया है इनके तीन ए.ईएन. आफिस हैं, तीन में से दो ए.ईएन. आफिस डीडवाना खण्ड के एक्स.ईएन. आफिस के तहत आते हैं और एक नागौर एक्स.ईएन. आफिस के तहत आता है जो कि सुविधा के हिसाब से इनके लिए असुविधाजनक है इनके क्षेत्र के लोगों के लिए, लेकिन नोर्म्स के अनुसार, वर्तमान जो नोर्म्स हैं, उनमें जायल पर यह अधिशासी अभियंता, खण्ड मुख्यालय कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

आपने जो मांग उठायी है, उस पर भविष्य में आगे जो भी बजट घोषणा आदि में जब शिथिलता दी जायेगी तो इसको भेजा जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा के राजकीय महाविद्यालय में संचालित संकाय

515. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में राजकीय महाविद्यालय कब प्रारम्भ किया गया था? उक्त महाविद्यालय में वर्तमान में कौन-कौनसे संकाय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में अन्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री) (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा के स्थान पर): (1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में राजकीय महाविद्यालय वर्ष 2016-17 से प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय, गोगुन्दा में कला संकाय संचालित है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

(2) राजकीय महाविद्यालय, गोगुन्दा में अन्य संकाय खोले जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महाविद्यालय वर्ष 2016-17, लगभग पांच वर्ष से अधिक हो गये हैं और यहां पर दूसरी संकाय संचालित नहीं है। मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि यहां पर दूसरी संकाय, विज्ञान हो या कला हो या वाणिज्य हो, खोलने का विचार रखते हैं क्या? इसके अलावा इस महाविद्यालय में वर्तमान में 200 सीटें ही हैं और इस वर्ष लगभग 600 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, यहां सीटें बढ़ाने की मंशा रखते हैं क्या?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महाविद्यालय में वर्तमान में 544 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और इसमें अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिन्दी साहित्य, इतिहास, गृह विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और संस्कृत, ये विषय अभी चल रहे हैं और जहां तक गोगुन्दा का सवाल है, यह उदयपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। उदयपुर में अनेक कालेजों में साइंस है, जहां पर विद्यार्थी पढ़ते हैं और आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि साइंस में पढ़ने वाले विद्यार्थी राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, रावलिया कलां में मात्र दस विद्यार्थी ही पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में मात्र 35 विद्यार्थी ही पढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे विद्यार्थियों की संख्या आगे बढ़ेगी तो हम गुणावगुण के आधार पर आगे विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। स्थगित।

स्टम्प ड्यूटी पर गौ-संरक्षण हेतु स्वीकृत राशि

516. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार को दिसम्बर, 2018 से अगस्त, 2022 तक स्टाम्प ड्यूटी पर संरक्षण व आधारभूत ढांचा विकास में कितनी राशि प्राप्त हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त दोनों मदों की राशि में से कहां-कहां व्यय किया गया? राशि का मदवार आय-व्यय विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मनारायण जोशी का प्रश्न स्थगित है, पर यह प्रश्न अतारांकित के रूप में परिवर्तित करके आपको सूचना मिल जायेगी इसकी।

अगला प्रश्न। संख्या 517, श्रीमती मनीषा पंवार।

जोधपुर के सेवानिवृत्त शिक्षकों का एरियर

517. श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर के कई शिक्षकों का सेवानिवृत्ति पश्चात् सातवें वेतन आयोग का एरियर बकाया है? यदि हां, तो कितने सेवानिवृत्त शिक्षकों का? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त शिक्षकों के एरियर सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु कोई शिविर लगाकर निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जिला जोधपुर के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों में से, ऐसे 04 शिक्षक हैं जिनका सातवें वेतन आयोग का वेतन-एरियर बकाया चल रहा है, जिनकी शिक्षक नामवार विवरण-सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) प्रश्नोत्तर के खण्ड-1 में उल्लेखितानुसार केवल चार (04) प्रकरण ही बकाया हैं। अतः इस हेतु विशेष शिविर लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

विभाग उक्त प्रकरणों के त्वरित निस्तारणार्थ सतत प्रयासरत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी, इसके अलावा भी मेरे पास सूची है, जिनका सातवें वेतन आयोग का एरियर है। ऐसे कई शिक्षकगण हैं जो समय-समय पर हमारे पास आते हैं। उनकी सूची मैं आपको अवगत करवा दूंगी, लेकिन सातवें वेतन आयोग का लाभ जिनको नहीं मिला, वह केवल चार शिक्षक ही नहीं हैं, अन्य शिक्षक भी हैं। उनका कब तक एरियर चुकाया जा सकेगा? आपको गलत सूची प्रदान की गयी है। अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? जल्दी से जल्दी उनका बकाया एरियर दिलवाने की कृपा करें और जानकारी प्रदान करवायी जाए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हीराराम, अध्यापक 2017 में सेवानिवृत्त हुआ था। उसकी 20.09.2019 को मृत्यु हो

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

गयी। परिवारजनों के आश्रितों की सूची के अभाव में इनको नहीं दिया जा सका। ओमप्रकाश शर्मा 01.11.2017 को रिटायर हुआ। इनकी एन्युअल फिक्सेशन की कापी नहीं मिली थी, जिसके कारण इनका नहीं हुआ। अनुराधा भटनागर 31.01.2020 को रिटायर हुई थीं। इनका बिल ट्रेजरी में भेज दिया गया है। एक सप्ताह के अन्दर इनका पेमेन्ट हो जायेगा। श्रीमती भंवरी देवी 31.10.2017 को रिटायर हुई थीं। उसका आफिस ब्लाक एजुकेशन आफिसर से सी.बी.ई.ओ. आफिस बन गया, इस कारण पे मैनेजर आईडी डि-एक्टिव हो गयी थी, उसके कारण से इनको पेमेन्ट नहीं मिल सका था। बाकी पूरे राज्य में 12 अध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलना शेष है। इनमें से 4 न्यायालय में लम्बित हैं और इन चार केसेज को हम एक महीने के अन्दर-अन्दर कोशिश करके निपटा देंगे।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इसके अलावा भी सूची है। जैसे संजय कुमार भाटी है, नन्द लाल बैरवा है, विमला सोनगरा है, इनको भी एरियर नहीं मिला है। इनको भी इसमें सम्मिलित कर इनको एरियर दिलाये जाने की कृपा करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): यदि इसके अलावा कोई सूची देंगे और यदि उनका पेमेन्ट नहीं हुआ है तो मैं नियमानुसार पेमेन्ट करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही में प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान की उपलब्धियां

518. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जिला सिरोही में क्या उपलब्धियां रहीं व क्या-क्या कार्य शेष रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के किस-किस कस्बे में जोनल प्लान स्वीकृत किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत सिरोही जिले की उपलब्धियां एवं शेष रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) आबूरोड की पालिका व न्यास क्षेत्र का मास्टर प्लान में जोनल प्लान स्वीकृत होकर नोटिफाई हो चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आबूरोड सिरोही जिले की सबसे बड़ी नगरपालिका है। प्रशासन शहरों के संग अभियान की दो वर्ष अवधि में 69(ए) की 124 एप्लीकेशन आयीं, 84 पेंडिंग हैं। स्टेट ग्रान्ट की 340 एप्लीकेशन आयीं, 314 पेंडिंग हैं। पूर्व में जारी पट्टों के समर्पण के पश्चात् पुन: पट्टे जारी करने के 4 आवेदन आये, चारों पेंडिंग हैं। खांचा भूमि आबंटन के 31 आवेदन आये, 27 पेंडिंग हैं। भवन मानचित्र के 89 आवेदन आये, 58 पेंडिंग हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। डिटेल की जरूरत नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वही मैं पूछ रहा हूं। यह ध्यान में लाना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: आप बोलें। प्लीज ब्रीफ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नाम हस्तान्तरण के 265 आवेदन आये, 117 पेंडिंग हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के 2,986 आवेदन आये, 1,128 पेंडिंग हैं। भूमि आबंटन के 17 आवेदन हैं, 17 पूरे पेंडिंग हैं। पट्टों के आवेदन 468 आये, 402 पेंडिंग हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will not allow it. आप सीधी बात करें कि आबूरोड में यह बात है, इसका जवाब दें। उसकी डिटेल देकर पूछने की क्या जरूरत है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आबूरोड का ही पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन तो सुन लीजिए आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं, I will not allow you. दूसरों को भी रोकता हूं। आपको भी रोकूंगा। प्रश्न पूछें। क्या लिख रखा है, पढ़ें आप। प्रश्न क्या पूछा है आपने। प्रश्न पढ़ें पूरा। बात खतम हो गयी। Please, I will not allow you. माननीय मंत्रीजी, any specific reply?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, इनको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज माननीय सिंघवीजी। I will not allow it. आप सुन नहीं रहे हो क्या? आपको कुछ तकलीफ है क्या? मदनजी का असर आप में भी आ रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सर, मेरा निवेदन सुन लीजिए। आज भी.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको उत्तर नहीं सुनना क्या? बैठिए आप। माननीय मंत्रीजी, जवाब दें। बात हो गयी आपकी। बात खतम। आपने सिरोही का प्रश्न पूछा है। अब नहीं। मैं अगला प्रश्न अलाउ कर दूंगा। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इनके साथ में यही हाल है।

श्री अध्यक्ष: आपको प्रोब्लम है क्या? धारीवाल साहब को देखकर तकलीफ होती है क्या? लाल कपड़ा देखकर सांड को आता है, वैसे आपको होता है क्या? धारीवाल साहब के आते खड़े हो जाते हो। जिम्मेदार आदमी होकर, आप कितने साल से पब्लिक लाइफ में हैं? आप यह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, पब्लिक लाइफ में आदमी इस तरह आगे बढ़ता है। आपको रोज कहना पड़ता है। आप सीनियर आदमी हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न था कि जिला सिरोही में, जिला सिरोही का मतलब यह है सात नगरपालिकाएं, आप यदि पर्टिक्युलर एक ही नगरपालिका के लिए पूछते, तब तो बात भी थी, लेकिन सातों का अगर टोटल लगाते हैं तो उसकी परफारमेंस मैं आपको बता देता। हो सकता है कि सात में से एक कमजोर रही हो, लेकिन बाकी छह की परफारमेंस तो बहुत अच्छी है। मैं बता देता हूं। आप मेरी बात सुन लो। 19.02.2022 तक पट्टों के अभियान के दौरान कुल मिला कर 30,559 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें से 26,381 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। शेष सिर्फ 4,188 रहे हैं। ये सातों नगरपालिकाओं का टोटल है। आपने एक नगरपालिका को इंगित किया है। प्रश्न पूछा है आपने पूरे जिले का, तो जिले की परफारमेंस भी तो बताऊंगा मैं। यह बात सही है कि आबूरोड में वाकई आपने जो कहा, मैं मानता हूं इस बात को, कि आबूरोड की परफारमेंस नेग्लीजिबल है। बाकी छह की तो परफारमेंस अच्छी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी वहां अधिशासी अधिकारी का पद खाली है और दो साल में 16 अधिशासी अधिकारी बदले हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई प्रोब्लम है क्या? माननीय सदस्य खड़े हुए हैं। माननीय सदस्य, बैठिए आप। आपको भी अधिकार है प्रश्न पूछने का। बैठिए। माननीय मंत्रीजी, आप सीधा उत्तर दे दें कि माउण्ट आबू में आपका एचीवमेंट, वह सबसे पूअर है, उसको ठीक करने के लिए क्या निदेश देंगे। बात खतम हो जायेगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आबूरोड।

श्री अध्यक्ष: हां, आबूरोड।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आबूरोड भी है, माउण्ट आबू भी है।

श्री अध्यक्ष: इनका इन्ट्रेस्ट आबूरोड में है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां-जहां पर भी परफारमेंस कमजोर रही, जिन-जिन नगरपालिकाओं या नगर विकास न्यासों या प्राधिकरणों की, वहां पर स्पेशल टीम बनाकर भेजी जा रही है और वहां पर जितने भी पेंडिंग काम हैं, उनको निपटाने के लिए बाकायदा अभियान चलाया जाएगा। यह तय किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will not allow it. आपको जरूरी है इम्पोज करना हर चीज को। आप चेयर को नहीं मानना चाहते। Please, be seated. यह गलत बात है बिलकुल। No. Don’t impose your views on me. Don’t impose. I have to take an unpleasant decision. आप क्या उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हो? You want to impose everything. आप जो चाहे वह जवाब आ जाना चाहिए।

अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल नागर।

वन क्षेत्रों की भूमि पर अतिक्रमण

519. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में सरकार द्वारा वन क्षेत्र की भूमि पर अवैध अतिक्रमणों को चिन्हीकरण किया गया है? यदि हां, तो जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार वन भूमि से हटाये गये अतिक्रमियों का पुनर्वास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी हां। प्रदेश में वन क्षेत्र की

(वन मंत्री)

भूमि पर अतिक्रमणों का चिन्हीकरण किया गया है। जिलेवार संख्यात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) जी हां। वन क्षेत्र में किये गये अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 34 ए के प्रावधानों अनुसार नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरणों में निर्णय अनुसार अतिक्रमणों को हटाया जाता है।

(3) जी नहीं। क्योंकि इस प्रकार अतिक्रमियों को पुनर्वासित करने से वन क्षेत्र में अतिक्रमण को और बढ़ावा मिलने की सम्भावना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड 1 में बताया है कि 25 हजार 908 अतिक्रमण हैं। मंत्री महोदय, आपने जो प्रोविजन बताया है, यह भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 34(ए) इन दोनों में सिविल कारावास और दण्ड का प्रावधान है। एक तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि मैं केवल चार वर्ष की बात नहीं कह रहा हूं, नौ वर्षों में ऐसे कितने प्रकरणों में निस्तारण कर दिया गया? उसका क्या निर्णय रहा?

दूसरा, खण्ड 3 में मंत्रीजी ने कहा कि, जी नहीं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकारी रिकार्ड में वन भूमि दर्ज है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि कई जगह स्कूल हैं, खेल मैदान हैं, सरकारी अन्य भवन हैं और सौ-पचास साल से लोग रिहायशी मकान बनाकर रह रहे हैं। वहां वन भूमि का कहीं एक छोटा-सा पौधा भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कहना नहीं, प्रश्न पूछें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां वन भूमि नहीं है, रिकार्ड में दर्ज है और वस्तुस्थिति में वन भूमि नहीं है, क्या इनको पुनर्वास करने की आपके पास कोई योजना है या इनको बाहर निकालने की योजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी घर-घर टूंटी चल रही है, कई जगह पानी की टंकी बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ रहे हैं? हो गया, माननीय वन मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर आदमी हैं। आपने प्रश्न पूछ लिया। माननीय वन मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं माननीय सदस्य। कुछ चीजें बाहर भी रखो आप।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों में जो अतिक्रमण के मुकदमे दर्ज हैं, उनमें से 2019-20 में 3,013 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 27.20 लाख रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी और 2020-21 में 341 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 40 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गये और 2021-22 में 741 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 50 लाख 63 हजार का जुर्माना वसूला गया।

दूसरा, आपने कहा अतिक्रमियों के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत सज़ा का प्रावधान है। उसमें सिविल कारावास का भी प्रावधान है। तीन माह की सज़ा और आर्थिक शास्ति, जो लगान का 50 गुना तक है, उससे दंडित किये जाने का प्रावधान है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 34(ए) क्लाज 2 का उल्लंघन करने पर धारा 51(1) के तहत तीन वर्ष की सज़ा या 25 हजार जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। आपने, जो अतिक्रमी हैं, उनके पुनर्वास की बात कही। अब वन भूमि है, फोरेस्ट लैण्ड है, तो फोरेस्ट लैण्ड को हम पुनर्वास के लिए काम में नहीं ले सकते। यह भारत सरकार के स्तर से, राजस्थान सरकार के स्तर से सम्भव नहीं है, तो इसलिए इसमें पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ जो ट्राइबल एरिया है, जनजाति क्षेत्र है, उसमें वन अधिकार अधिनियम है, उसके तहत उनको जरूर पट्टे दिये जा रहे हैं। यह बात सही है वन भूमि पर बहुत सारी आबादियां बसी हुई हैं। सरकारी भवन भी बने हुए हैं, लेकिन वह भूमि अगर वन भूमि है, फोरेस्ट के नाम से दर्ज है तो उसको हम दूसरे काम में या आबादी के रूप में या दूसरे किसी काम में उसको नहीं ले सकते। उसको दूसरे काम में लेने की हम इजाजत नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, क्या विभाग के पास यह सर्वे है कि ऐसी कितनी भूमि पर आदमी बैठे हुए हैं जो वन भूमि में दर्ज है, पर वहां वन नहीं है। इसके एवज में राजस्व की भूमि देकर उनको वन भूमि में कन्वर्ट कर दें तो उनको लाभ हो सकता है। इस तरह की कोई व्यवस्था राजस्व विभाग और वन विभाग ने बैठकर की क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अभी मैंने आंकड़े दे दिये, जो अतिक्रमी हैं, उसमें वह भी शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हमारी बात आप सुनें। यह पूरे राजस्थान की समस्या है। आप एक मिनट बैठें। यह पूरे राजस्थान की समस्या है कि वहां पर आपके फोरेस्ट की जमीन राजस्व में दर्ज है और वहां फोरेस्ट नहीं है, जबकि लोग वहां पर बसे हुए हैं। जितनी भूमि पर इस तरह के आदमी बैठे हुए हैं, उनकी एवज में सरकार राजस्व भूमि को वन डिक्लेयर कर दे और वन भूमि को राजस्व डिक्लेयर कर दे। क्या इस तरह की व्यवस्था करने का सरकार सोचती है या भारत सरकार को लिखकर इस पर कार्यवाही करने का विचार है?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके डाइवर्जन के लिए केस बनाना पड़ेगा और केस बनकर हमारे पास आयेगा तो हम भारत सरकार को भेजेंगे। इस प्रकार का मामला जोधपुर में बेरी गंगा का आया। उसके डाइवर्जन के लिए हमने यहां से भारत सरकार को भेज दिया। मैंने धारीवाल साहब को भी कहा है, इनके कोटा में भी ऐसी समस्या है और भी बहुत सारे शहरों में यह समस्या है। इसके लिए यूजर एजेन्सी, जमीन कोई न कोई एप्लाई करेगा, और उसके लिए पैसा भी देना पड़ेगा तो अगर इस प्रकार का प्रस्ताव आयेगा तो उसको हम भारत सरकार को भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष: आप एक मिनट बैठें। यह सरकार को सोचना चाहिये कि जहां पर उद्योगपति हैं, जो आदमी माइंस लगा रहा है, वह तो वहां से डाइवर्जन करा लेता है। जो व्यक्तिगत आदमी उस वन भूमि पर बैठा हुआ है, उसका डाइवर्जन नहीं हो पा रहा है। आप मेरी पूरी बात सुनें, सरकारी स्तर पर पूरे राजस्थान के इस तरह के केसेज, इस तरह की जमीन है, उसके डाइवर्जन के लिए सरकार मूव करे, तब तो उसका हित प्रोटेक्ट होगा। आप व्यक्तिगत रखोगे तो व्यक्तिगत आदमी की तो एप्रोच ही नहीं हो पायेगी। इसलिए मैं तो खाली यह कहना चाहता हूं कि पहले राजस्व विभाग और वन विभाग बैठकर जमीन को आइडेंटिफाई करे कि कितने एरिये की जमीन ऐसी है कि फोरेस्ट में डिक्लेयर है और उस पर लोग बैठे हुए हैं और उसके एवज में कितनी जमीन राजस्व विभाग में आ सकती है। इसकी एक्सरसाइज कर लें, फिर सरकार उसको मूव करके भारत सरकार से डाइवर्जन करने की कोशिश करेगी, तब इसका रास्ता निकलेगा। इस बारे में विभाग को पहल करके कुछ सोच करनी चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको जोधपुर का बेरी गंगा का मामला बताया। अभी कायलाना में भी कोई सड़क बनी थी, मतलब व्यक्तिगत नहीं तो वहां की ग्राम पंचायत या नगर परिषद् या नगरपालिका, जेडीए, कोई न कोई तो आवेदन करेगा। यूज़र एजेन्सी को ही हम दे सकते हैं और इस प्रकार से मैंने धारीवाल साहब को, क्योंकि नगर परिषद् से सम्बन्धित सारे मामले इनके पास हैं, तो कोई भी प्रस्ताव . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं 1980 से एम.एल.ए. हूं। मेरे नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका में मैक्सिमम वन भूमि डिक्लेयर है और वहां पर सब आदमी बसे हुए हैं। सरकार से कोई परमिशन लेने जाते हैं तो परमिशन नहीं मिलती। यह मेरा अनुभव है और मैं 1980 से लगाकर 2022 तक, 40 साल तक बराबर इसकी कार्यवाही कर रहा हूं, क्योंकि उसकी आनरशिप नगरपालिका की नहीं है। सरकार स्तर पर जब तक इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बड़े पैमाने पर रिलीफ नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं कोई सवाल-जवाब नहीं कर रहा, पर वन विभाग को राजस्व विभाग के सचिवों को बैठकर जमीन आइडेंटिफाई करनी चाहिये और राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को मूव करेंगे तब इसका कोई रास्ता निकलेगा। इस बारे में सोचा जाना चाहिये। दैट्स आल।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): इसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरलाइज हो नहीं सकता, केस-टू-केस होगा। केस-टू-केस ...(व्यवधान) कर ही नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी हो गया। अगला प्रश्न। बाबुलाल।

झाड़ोल के क्षतिग्रस्त बांध

520. श्री बाबुलाल (झाड़ोल): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के कौन-कौनसे बांध क्षतिग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) विधान सभा

(जल संसाधन मंत्री)

क्षेत्र झाड़ोल में जल संसाधन विभाग के अधीन कुल 9 बांध स्थित हैं, जिनमें से कोई भी बांध वर्तमान में क्षतिग्रस्त नहीं है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित कोई भी बांध क्षतिग्रस्त नहीं होने से इनकी मरम्मत कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, विभाग ने जो जानकारी दी है, शायद उन्होंने फिजिकली देखा नहीं है। आपको मैं दो-तीन बांधों का जिक्र करना चाहूंगा। एक जोगीवाड़ बांध, जिसका गेट टूटने से पूरा का पूरा पानी निकल गया और अगर उसको बन्द नहीं किया तो वहां से पेयजल स्कीम भी है, वहां से पेयजल उपलब्ध नहीं हो पायेगा और सारा पानी निकल जायेगा। दूसरा, ऐसे ही इमली का नाका, जो हमारे यहां है, उसका वर्षों से गेट टूटा हुआ है और वहां लोग पानी को रोकने के लिए अपने टूटे हुए गूदड़े ले-जाकर गेट पर डालते हैं। मैंने जाकर देखा तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम गेट बन्द कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे गेट बन्द नहीं होगा। इसी प्रकार मामेर, जो बक्सा का डैम है, उस डैम की स्थिति यह थी कि डैम बने अभी दो साल ही पूर्ण हुए हैं, उसकी दीवारों के अन्दर खड्ढ़े पड़ गये और मिट्टी धंस गयी। मैंने उनके अधिकारियों से पूछा तो यह तो थोड़ा दबाव आयेगा तो ऐसा होगा, तो हो सकता है कभी यह टूट भी सकता है। यह जानकारी ठीक नहीं है, आप या तो जानकारी करिये और कितने बांध हैं, उनके नाम भी बता दो मुझे। उसके बाद कुछ कहना होगा तो कहूंगा।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 बांध हैं, हो सकता है माननीय सदस्य को जानकारी नहीं होगी कि 300 एम.सी.एफ.टी. के जो तालाब हैं, वह पंचायती राज को हस्तान्तरित हो चुके हैं। जो हमारे पास में हैं, ओगण बांध है, झाड़ोल है, कथरिया है, मामेर है, साबरमती प्रथम है, साबरमती द्वितीय है, बक्सा का नाका है और ओकड़दा है और जोगीवाड़ है। यही मात्र 9 बांध इर्रिगेशन के पास हैं, बाकी सभी जितने भी डैम हैं, वे पंचायती राज को हस्तान्तरित हो चुके हैं।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): जोगीवाड़ बांध का मैं कह रहा हूं न, उसका आप एक बार दिखवा लीजिये और बक्सा का नाका का मामेर बांध ही है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको दिखवा लेंगे। अगर मरम्मत करने की स्थिति होगी तो इसकी मरम्मत करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सारे डैम पंचायती राज को ट्रांसफर कर दिये और पंचायत समिति में इर्रिगेशन का कोई आदमी ही नहीं है। यह एक प्रैक्टिकल प्रोब्लम है। 73-74 वें अमेंडमेंट के बाद आपने इर्रिगेशन डिपार्टमेंट से पंचायत में ट्रांसफर कर दिये और पंचायत में इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रखा है। अब गांव वाले नहीं समझते कि इर्रिगेशन का बांध है या पंचायत का बांध है।

(समय : 12.00 बजे)

मैं समझता हूं कि पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठकर इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को मैनपावर वहां ट्रांसफर करना चाहिए, तब जाकर वहां पर इसका रास्ता निकलेगा और जहां पर बड़े पैमाने पर ज्यादा बरसात होती है वहां जब छोटे-छोटे डैम टूट जाते हैं, उसका खर्च न तो पंचायत समिति वहन करती है न इर्रिगेशन करता है। इस सम्बन्ध में एम्पावर जब ट्रांसफर किये अमेंडमेंड 73 और 74 में तो मैनपावर भी उसके साथ ट्रांसफर करने का काम नहीं हुआ, वह ट्रांसफर किया जाना चाहिए।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर में कृषकों के जले हुए ट्रांसफार्मर समय पर नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रशासन द्वारा धार्मिक भेदभाव करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में मूंग खरीद में टोकन व्यवस्था शीघ्र शुरू किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कृषि कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से जिला कलेक्टर, पाली द्वारा सभी उपखण्ड मुख्यालयों में पटाखों की बिक्री हेतु स्थान चिह्नित किये जाने से व्यापारियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में खासरा ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा की ग्राम पंचायत बरसनी व भादसी में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था से आमजन में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में लगातार बढ़ रहे अपराधों से आमजन में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में कोविड स्वास्थ्य सहायकों को पुन: सेवा में लिए जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री प्रताप सिंह, सदस्य एवं अन्य 13 सदस्यों की ओर से प्रदेश में मिड-डे मील योजनान्तर्गत राजफैड एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में की गयी अनियमितताओं एवं कथित भ्रष्टाचार की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(13) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र में अधिकांश पद खाली रह जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर में सीवरेज एवं पानी की पाइप लाइन बिछाने के बाद सड़कों के पुन: निर्माण व मरम्मत नहीं किये जाने से आमजन में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से जयसमन्द झील संघ समिति के साथ हुए समझौते की शीघ्र क्रियान्विति करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से सूरतगढ़ मण्डी क्षेत्र में नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा कथित मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(17) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(18) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से भादरा नोहर की नहरों में हरियाणा पंजाब द्वारा कम पानी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग के अरोलिया में चरागाह व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर हो रहे अवैध खनन से आमजन में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अविनाश, श्री समाराम गरासिया, श्री ज्ञानचंद पारख, श्री अमृतलाल मीणा, श्री रामप्रताप कासनियां एवं श्री बलवान पूनियां को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

कल लॉ एण्ड आर्डर पर भी चर्चा करेंगे। जो स्थगन प्रस्ताव आये हैं, उनको इसलिए नहीं लिया गया है कि कल लॉ एण्ड आर्डर पर चर्चा में वो भाग ले सकेंगे।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वन विभाग द्वारा 50 वर्षों से अधिक समय से खातेदारी अधिकार से काबिज काश्तकारों को अतिक्रमी मानकर परेशान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर के राजकीय स्वामित्व के समस्त हैरिटेज भवनों का जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से मुंडावर उप खण्ड में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय को अन्यत्र ले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों के कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री राजकुमार गौड़, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर में अतिवृष्टि के कारण आमजन को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से बहरोड़ अथवा नीमराना को नवीन जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा में अतिरिक्त बैलेंस का पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की सड़कों का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री जौहरीलाल मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से बाबा साहेब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर व शहीद विजय सिंह पथिक की प्रतिमा राजस्थान विधान सभा परिसर में स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन व बून्दी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में कृषि के लिए खाद, बीज एवं पानी की समुचित व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में डी.एम.एफ.टी. से स्वीकृत विकास कार्यों को पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज की कार्यवाही में परिवर्तन किया है। स्थगन प्रस्ताव, 295 के बाद पहले बिल लेंगे और बिल लेने के बाद बिजली पर चर्चा करेंगे।

श्री अविनाश।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पाली में पटाखा बिक्री स्थान परिवर्तन से व्यापारियों को परेशानी

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

मैं इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह सरकार बनने के बाद पाली जिले पर विशेष रूप से मेहरबान रही है। मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि पिछले दिनों जब गणेश चतुर्थी और बाबा रामदेवजी मेले जैसे हिन्दू त्यौहार थे, जिला प्रशासन ने एक आर्डर करके वहां पर डीजे को सम्पूर्ण बन्द कर दिया। जब डीजे बज रहे थे उनको बन्द किया, कोई बात नहीं लेकिन जो सड़कों पर बिना बजे हुए जा रहे थे, उनको भी सीज कर दिया, जो घरों के बाहर खड़े थे उनको भी सीज कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में 8 सितम्बर, 2022 को एक आर्डर ऐसा निकला कि दीपावली आ रही है और दीपावली से पहले हर दुकानदार पटाखे की बिक्री करता है। उस बिक्री में आज से पहले प्रत्येक दुकानदार मार्केट में अपनी दुकानों पर पटाखे बेचता था और वो पटाखा बिक्री से उनके जीवन का गुजारा चलता था। 8 सितम्बर, 2022 को जिला प्रशासन ने एक आम सूचना के माध्यम से आर्डर निकाला कि पूरे पाली जिले में, जितने भी विधान सभा क्षेत्र में उप खण्ड मुख्यालय हैं वहां दुकानों से छोड़कर पटाखे की दुकानों को खेल मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया है और एन.ओ.सी. के लिए 30 सितम्बर, 2022 की तारीख फिक्स की है कि 30 सितम्बर, 2022 तक एन.ओ.सी. के लिए एप्लीकेशन लगायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर स्कूलों में, खेल मैदान में खुले में पटाखे बिक्री होंगे तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी और

(श्री अविनाश)

उन्होंने कहा है कि आप टैंट लगायें, टैंट लगाने के बाद में उसका लॉकअप कैसे होगा? रात को किसी ने अगर बदमाशी कर दी और वो पटाखों में कोई चिंगारी भी डाल दी तो वो सारी की सारी दुकानें जल कर खास हो जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जिला प्रशासन पाली को ऐसा निर्देश दें कि आज से पहले जो आर्डर था, दुकानों पर जो व्यापारी थे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और वे वहीं दुकानों के अंदर अपने पटाखे बेच सकें, क्योंकि यह साल का बहुत बड़ा त्योहार दीवाली का है, हिन्दुओं का त्योहार है। इससे पहले भी प्रशासन ने हिन्दू विरोधी सरकार होने का जो ढोंग रचा है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर कार्यवाही करें और ये पटाखे पूर्व की भांति दुकानों पर बेचने का आदेश करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया।

खासरा ग्राम को राजस्व ग्राम का दर्जा

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने नियम 50 के अंतर्गत मुझे स्थगन पर बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत रामपुरा खारा है, जो अभी-अभी नयी बनी है। जो बसंतगढ़ खारा था, रामपुरा खारा बनी है। उसमें लगभग 3000 से अधिक आबादी है और 2500 मतदाता हैं। वैसे तो अलग पंचायत ही होती है पर उसको रामपुरा पंचायत बनाया है। डेढ़ भाग आता है तो आधा भाग जेके पुरम में है जबकि जेके पुरम तो एक उद्योग क्षेत्र है न कि आबादी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम इसको राजस्व में किया जाये और रामपुरा और जो अन्य जो भाग हैं वो कुल मिलाकर सबसे बड़ा ग्राम खासरा है, उसको राजस्व ग्राम में किया जाये, यह मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख

पाली शहर में सीवरेज निर्माण पश्चात् सड़कों का पुनर्निर्माण

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हमारी पूर्व यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने पाली शहर को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी, सीवरेज के साथ-साथ 24 X 7

(श्री ज्ञानचंद पारख)

योजना। लगभग 650 करोड़ रुपये की राशि इसके लिए प्रस्तावित की थी, प्रावधान किया था, स्वीकृत की थी। इस योजना का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया पर यह सीवरेज बिछाने के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें तोड़ी गयीं। कुछ हिस्सों में अभी सड़कों का पुनर्निर्माण होना बाकी है जो RUIDP को करना है, माननीय मंत्री महोदय। अब संकट यह आ गया कि RUIDP ने कहा कि पूरी राशि खर्च हो गयी और जो सम्बन्धित कम्पनी एल. एण्ड. टी. है वह अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पाली छोड़कर बाहर चली गयी और सड़कें वैसी की वैसी हैं। अब एल. एण्ड. टी. कहती है कि ये सड़कें नगर परिषद् बनाएगी और नगर परिषद् कहती है कि क्योंकि ये सड़कें RUIDP ने तोड़ी हैं और वापस उनको ही बनानी है, तो इन दोनों के झगड़ों के बीच में ये सड़कें लम्बे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं, टूटी हुई पड़ी हैं और इनको ठीक करने वाला कोई नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार RUIDP को अतिरिक्त राशि नहीं देगी तब तक यह काम पूरा नहीं होगा। मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जो भी राशि इन सड़कों के लिए चाहिए, मेहरबानी करके आप वह मंजूर कर दें ताकि जो क्षतिग्रस्त सड़कें RUIDP के काम से टूटी हैं उन सड़कों का पुनर्निर्माण हो, जनता को इससे दिक्कत नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली में आपने 24x7 की पेयजल योजना दे दी, उसमें लाखों नहीं, करोड़ों रुपये खर्च हुए। नई पाइपलाइन बिछी है, नये फिल्टर हाउस बने हैं, नये एसआर बने हैं लेकिन इसके लिए पानी का प्रावधान क्या किया? हमारे यहां पाली में पानी का एकमात्र अगर कोई पेयजल स्रोत है तो वह जवाई बांध है। इस बार जवाई बांध पूरा भरा भी है पर होता क्या है कि किसानों की आस रहती है कि जवाई बांध में पानी आये तो हमको ज्यादा मिले, कोई दिक्कत नहीं, किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए पर साथ में जिस योजना के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं, उस योजना के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी रह जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मेरा आग्रह रहेगा कि जो जवाई पुनर्भरण योजना है, जिसकी चर्चा लम्बे समय से चल रही है, डी.पी.आर. बन गयी है, अगर वह योजना जल्दी स्वीकृत होकर धरातल पर आ जाएगी तो सिंचाई के लिए भी पानी मिल जाएगा और....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, डोंट एन्क्रोच।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): जो आपने करोड़ों की पाइपलाइन बिछाई है उन पाइप लाइनों के जरिये जो पानी जनता को मिलना है उसकी उपलब्धता भी हो जायेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

जयसमन्द झील संघ समिति के साथ हुए समझौते की शीघ्र क्रियान्विति

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री जी को निर्देश दें कि जयसमन्द में 600 एमएम पाइप-लाइन 1995 में बिछाई थी और 900 एमएम की पाइप लाइन और बिछाने से वहां के किसान, जनता और उस एरिया के लोगों को 15.09.2022 को बहुत बड़ा आन्दोलन करना पड़ा। जयसमन्द विश्वविख्यात मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह जी ने किया है। उसके कैचमेंट की परिधि में 93 विलैज हैं उनको पानी नहीं मिलकर वहां से 70 किलोमीटर सोम कमला अम्बा से पानी पिलाने की योजना बनाई है, उसे निरस्त कर उसी जयसमन्द झील के परिधि वालों को उससे दिया जाये। 600 एमएम पाइप लाइन से उदयपुर को शुद्ध पेयजल 1995 में दिया, उसमें ले जाये तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन 900 एमएम की नई पाइप लाइन बिछा रहे हैं, उसे तुरन्त प्रभाव से रोकने का आप आदेश मंत्री महोदय को दें। उदयपुर कलेक्टर महोदय, सम्भागीय आयुक्त महोदय और जनजाति मंत्री भी उस मीटिंग में थे, सभी दल के जन-प्रतिनिधि के मौजूद होते हुए उस कार्य को एक महीने के लिए रोका गया है इसलिए आप इंटरफीयर करके 600 एमएम की पाइप लाइन तो जा रही है पर 900 एमएम की पाइप लाइन नहीं डले, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनियां।

सूरतगढ़ मण्डी क्षेत्र में नगरपालिका कर्मचारियों की व्यापारियों से मारपीट

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ नगरपालिका के अन्दर दिनांक 19 सितम्बर को सुबह-सुबह नगरपालिका के कर्मचारी आये और दुकानों के आगे जो नाला बना हुआ है उस नाले के ऊपर

(श्री रामप्रताप कासनियां)

व्यापारियों ने पट्टी लगाकर दुकान में घुसने का जो रास्ता बना रखा था उस रास्ते को बन्द करने के लिए वे सारी पट्टियां उठा दीं और दो व्यापारियों के साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की। इस घटना को लेकर पूरा शहर, पूरी कृषि मण्डी दो दिन बन्द रहे। चेयरमैन कहता है कि यह आदेश मैंने नहीं दिया, ई.ओ. जोधपुर गया हुआ था। अध्यक्ष महोदय, यह मानकर चलो कि बिना चेयरमैन, अधिकारी के आदेश के बिना कोई कर्मचारी जाकर इस तरह की कार्यवाही नहीं कर सकता। जैसे किसी चोर-डाकू के साथ सलूक किया जाता है इस तरह से व्यापारियों के साथ मारपीट की गयी है। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान फिर बार-बार आकर्षित करवाता हूं कि नाली के आगे या तो आप खुद जाली लगाओ और जाली नहीं लगाओगे तो नाले को फांद कर ग्राहक दुकान में कैसे जाएगा, कैसे व्यापारी जाएगा? यह आये दिन तलवार लटकती रहती है और साल के अन्दर एक बार हमला इस बहाने से जरूर होता है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्मचारी दोषी हैं उनका स्थानान्तरण ही नहीं, उनको निलम्बित करें और मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें ताकि व्यापारियों में जो रोष है वह शान्त हो सके। यही निवेदन करते हुए फिर, मंत्री महोदय, आपसे आग्रह करता हूं कि बहुत गम्भीर घटना है, इसको आप थोड़ा सीरियस लें।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

भादरा-नोहर की नहरों में हरियाणा-पंजाब से कम पानी की आपूर्ति

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, भादरा-नोहर की नहरों में पूरा पानी देने की मांग को लेकर मैंने नियम 50 के तहत यह स्थगन प्रस्ताव रखा है। हालांकि सरकार को मैंने बार-बार अवगत कराया है। सीपी 4 और सीपी 5 हमारे सम्पर्क बिन्दु हैं जो हरियाणा से अमरसिंह ब्रांच, सिद्धमुख नहर, नोहर फीडर में पिछले कई दिनों से डैम की स्थिति जोरदार है। हमारा शेयर 750 क्यूसेक्स है, उसके बावजूद हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, अन्तरराज्यीय जल समझौते का जिस तरीके से खुला उल्लंघन हरियाणा करता है, कभी झाड़-झंखाड़ के नाम पर, कभी सफाई के नाम पर, कभी मरम्मत के नाम पर हमारे किसानों की करोड़ों रुपये की फसल बरबाद हो गयी। नोहर फीडर में नोहर के क्षेत्र में और भादरा की सिद्धमुख नहर अमरसिंह ब्रांच में किसानों के आये दिन यह समस्या होने से रेगुलेशन पिट

(श्री बलवान पूनियां)

जाते हैं। आज हमारा 355 क्यूसेक्स शेयर सीपी 5 पर पिछले 15 दिन लगातार होना चाहिए था लेकिन कभी भी 310-315 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी नहीं मिला। हरियाणा ने बहाना कर लिया कि नहर में कचरा आ गया। अध्यक्ष महोदय, इतनी जोरदार नरमा-कपास की फसल थी जो बरबाद हो गयी। मेरी शासन से मांग है कि हरियाणा से बात करके इसका समाधान करे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह भी है कि हमारे यहां राजस्थान में घुसने के बाद पानी चोरी की भी एक समस्या खड़ी हो जाती है। हालांकि मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार का कि पिछले दिनों इन्होंने थाना खोला, लेकिन थाने से कोई समाधान नहीं हुआ। मेट-बेलदार की जो आज से 22 साल पहले व्यवस्था थी वह मेट-बेलदार वापस लगाये जाएं और उपभोक्ता संघ के चुनाव बन्द दिये जाएं। अध्यक्ष महोदय, जे.ईएन., जिसने जे.ईएन. की पढ़ाई की है वह रात को नहर पर गश्त करता है, यह टोटली रोंग है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे भादरा-नोहर के किसान का संरक्षण किया जाए, उसके हक का पानी दिलाया जाए और हमारे यहां मेट-बेलदार की नियुक्ति तीनों प्रोजेक्ट अमरसिंह ब्रांच, सिद्धमुख नहर, नोहर फीडर में की जाए और हरियाणा से पूरा पानी दिलाया जाए। थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। 295 श्री फूल सिंह मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

काबिज काश्तकारों की खातेदारी अधिकार से बेदखली

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वन विभाग द्वारा 50 वर्षों से अधिक समय से खातेदारी अधिकार से काबिज काश्तकारों को अतिक्रमी मानकर परेशान करने के संबंध में राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से खातेदारी अधिकार से काबिज जो किसान एवं गरीब काश्तकार गांव डाकनकोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में विगत तीन पीढ़ियों से खेती के माध्यम से मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें वन विभाग द्वारा अपने गलत नक्शे के आधार पर काश्तकारों की भूमि को नक्शे में वन क्षेत्र में आना बता कर परेशान किया जा रहा है जबकि काश्तकारों के खसरा नम्बर अलग हैं और वन विभाग के

(श्री फूल सिंह मीणा)

नाम वनखंड कालामगरा के जो नामांतरण खुले, उसके खसरा नम्बर अलग हैं। किसी भी काश्तकार ने वन विभाग के नाम दर्ज एक इंच भूमि पर भी अतिक्रमण नहीं कर रखा है परन्तु वन विभाग के नक्शे में सही रेखांकन नहीं होने की वजह से यह विवाद उत्त्पन हुआ है।

सरकार द्वारा इसकी जांच पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम गिर्वा, जिला कलेक्टर, उदयपुर, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, लखनऊ एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली की रिपोर्ट भी ग्रामवासियों के हक में है। अतः माननीय वन मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि गरीब काश्तकारों को न्याय दिलाने की कृपा करें। वन विभाग केवल मात्र अपने नक्शे में शुद्धिकरण कर खातेदारी भूमि एवं वन भूमि को लाइन द्वारा पृथक कर दे तो न तो वन विभाग की भूमि कम होगी और न ही खातेदारों की भूमि कम होगी तथा विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कृपया उचित दिशा-निर्देश वन विभाग के उच्चतम अधिकारियों को प्रदान कर गरीब काश्तकारों को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकांता व्यास (अनुपस्थित)। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

मुंडावर उपखण्ड में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय का अन्यत्र स्थानान्तरण

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंडावर उपखण्ड मुख्यालय पर वर्ष 2018 से राजकीय महाविद्यालय अस्थायी भवन में संचालित है। राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति पूर्व सरकार के समय माननीय विधायक स्व. श्री धर्मपाल चौधरी द्वारा करवायी गयी थी। उन्हीं के प्रयासों से अलीबक्श पैनोरमा के पास लगभग 8 बीघा भूमि आबंटित की जा चुकी है तथा वर्तमान सरकार में माननीय विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी के प्रयासों से राशि आबंटन हो चुकी है किन्तु सरकार की गलत मंशा के कारण उक्त कालेज को बाहर ले जाना चाहते हैं। उक्त भूमि का इन्द्राज जमाबंदी में राजकीय महाविद्यालय मुण्डावर के नाम अंकित हो चुका है लेकिन श्रीमान् जिला कलेक्टर, अलवर के पत्रांक 4109 दिनांक 30.06.2022 द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय को श्रीमान अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त अलवर की रिपोर्ट के आधार पर अन्यत्र भूमि आबंटन हेतु आदेशित किया गया है।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

श्रीमान् जी, पूर्व में आबंटित भूमि के पास ही राशि 3.00 करोड़ रु. लागत से अलीबक्श पैनोरमा पर्यटन स्थल बना हुआ है, साथ ही राजकीय अम्बेडकर बालक छात्रावास मुण्डावर का निर्माण कार्य 18 मार्च, 2022 से चल रहा है और कार्य डी.पी.सी. लेवल तक हो गया है तथा अलीबक्श पैनोरमा पर्यटन स्थल के पास ही डाक बंगला बना हुआ है व तहसील के लिए भी भूमि का आबंटन हो चुका है। आने वाले समय में तहसील कार्यालय बन जायेगा। जब उक्त भूमि पर ये सरकारी भवन बन सकते हैं तो आम छात्र-छात्राओं के लिए राजकीय महाविद्यालय का निर्माण क्यों नहीं हो सकता? पूर्व में बजट का हवाला देते हुए कालेज निर्माण निरस्ती के आदेश निकाले गये थे। इस जगह पर कालेज भवन निर्माण सहजता से हो सकता है तथा क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को अध्ययन हेतु उपखण्ड स्तर पर आने-जाने में सुविधाजनक है तथा सामाजिक दृष्टि से भी उपयुक्त है। यदि उपखण्ड मुख्यालय पर कालेज भवन निर्माण नहीं होता है तो मजबूरन गरीब छात्र-छात्राओं को शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि अलवर या अन्यत्र कहीं शिक्षा हेतु अधिक आर्थिक व्यय करना पड़ता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब माता-पिताओं के लिए सम्भव नहीं है।

अतः श्रीमान् जी, आबंटित भूमि को लेकर महाविद्यालय प्राचार्य व अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट तथ्यहीन है, जो गरीब छात्र-छात्राओं के हितों पर कुठाराघात है। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि रिपोर्ट की जांच कराकर पूर्व में आबंटित भूमि अलीबक्श पैनोरमा पर्यटन स्थल के पास ही राजकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण करवाये जाने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों के कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राजकीय कर्मचारियों के लिए नवीन पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने

(श्री निर्मल कुमावत)

का नीतिगत निर्णय गया, जो एक अति संवेदनशील एवं प्रशंसनीय कदम है, जिसका राज्य के समस्त कर्मचारियों ने स्वागत किया है एवं आभार व्यक्त किया है। वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के परिपत्र दिनांक 18.04.2022 द्वारा दिनांक 01.01.2004 के पश्चात् अस्तित्व में आये विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे राज्य के नवीन तीन कृषि विश्वविद्यालयों, जोबनेर, कोटा, जोधपुर के कर्मचारियों पर यह योजना लागू नहीं हो पा रही है।

महोदय, उक्त नवीन कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्तमान सरकार के पिछले कार्यकाल वर्ष 2013 में की गयी थी। विश्वविद्यालय MPAUT, उदयपुर एवं SKRAU, बीकानेर में स्थापित किये गये थे तथा इससे पूर्व ये विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर से पृथक् किये थे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राजकीय कार्मिकों के लिए नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गयी है।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा एवं कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कर्मचारियों के लिए, जो दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त हुए हैं, उनकी नवीन पेंशन योजना के स्थान पर बजट घोषणा के अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू करवाकर उक्त कर्मचारियों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार गौड़।

श्रीगंगानगर में अतिवृष्टि के कारण आमजन को नुकसान

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत इस वर्ष मानसून में श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण जनता को हुए नुकसान की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जुलाई माह में

(श्री राजकुमार गौड़)

श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र में बरसात ने पिछले 50 सालों का रिकार्ड तोड़ते हुए दो दिन में करीब 355 एम.एम. वर्षा हुई, जिसने भयंकर तबाही मचायी। लोगों के मकान टूट गये, घरों में पानी भरने के कारण उनका घरों व दुकानों में रखा हुआ सामान खराब हो गया। सरकार को बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा था। अनेकों परिवारों को घर छोड़कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी तथा घर में रखा हुआ सामान बरबाद हो गया। इसके साथ ही शहर की सड़कें बारिश का पानी भरा रहने के कारण टूट गईं।

अतः उक्त विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र का सर्वे के अनुसार जिन-जिन परिवारों का नुकसान हुआ है उसका उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए तथा आपदा राहत के अन्तर्गत विशेष पैकेज देकर जो शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत कराई जाए जिससे जनता को राहत मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

बहरोड़ अथवा नीमराना को नवीन जिले का दर्जा

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ व नीमराना में से किसी एक को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि बहरोड़ को जिला बनाये जाने के लिए क्षेत्र की जनता कई वर्षों से निरन्तर मांग करती आ रही है। बहरोड़, नीमराना, मुण्डावर, कोटपूतली, बानसूर, विराटनगर तहसीलों एवं इनके अधीन गांवों की अपने जिला मुख्यालयों से काफी दूरी पड़ती है, जिससे जनता को छोटी-छोटी जिला स्तर की समस्याओं के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त तहसीलों को मिलाकर बहरोड़ व नीमराना में से किसी एक को जिला बनाया जाता है तो लोगों को बहुत सुविधा मिल सकती है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि :

1. बहरोड़ में वर्तमान में 5 सरकारी एवं 11 प्राइवेट महाविद्यालय हैं, जिनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। बहरोड़ शिक्षा का हब है और हर क्षेत्र के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते हैं।

2. क्षेत्र में एक गैर सरकारी विख्यात विश्वविद्यालय संचालित है।

(श्री बलजीत यादव)

3. बहरोड़ में जिला स्तर का अस्पताल है।

4. यहां पर स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित है।

5. क्षेत्र में बहरोड़, नीमराना और घिलोट बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां पर बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं जिनसे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है तथा जिला बनने पर अधिकाधिक अन्तरराष्ट्रीय निवेश भी होगा और सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी।

6. क्षेत्र से डी.एम.आई.सी. भी गुजर रहा है, जिसका भी फायदा मिलेगा।

7. बहरोड़ जिला बनने के समस्त मापदण्ड भी पूरे करता है तथा यहां पर अधिकतर सरकारी कार्यालय भी स्थित हैं।

8. जयपुर और दिल्ली के मध्य में स्थित है।

बहरोड़ को जिला बनाने के लिए मैंने पूर्व में भी सदन में कई बार सरकार से मांग की है तथा मुख्य मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी निवेदन किया था। इसके अलावा लम्बे समय से क्षेत्र की जनता भी जिला बनाये जाने के लिए आन्दोलन कर रही है।

अतः पुनः आपसे प्रार्थना है कि बहरोड़, नीमराना, मुण्डावर, कोटपूतली, बानसूर और विराटनगर तहसीलों को मिलाकर बहरोड़ व नीमराना में से किसी एक को जिला बनाने की घोषणा करें ताकि उक्त समस्त तहसीलों की जनता को फायदा मिलेगा। आदर सहित।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश सिंह रावत।

पुष्कर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के सड़क कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने बाबत।

अध्यक्ष महोदय, उक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अत्यन्त खेद का विषय है कि पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व वाले पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में विगत साढ़े तीन वर्षों से सार्वजनिक निर्माण विभाग की लगभग 80 प्रतिशत सडकें पूर्णतः जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं,

(श्री सुरेश सिंह रावत)

इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इसके साथ ही प्रदेश के बजट सत्र 2022-23 में मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ की सड़कों के प्रस्तावित कार्यों की पूरे अजमेर जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों, मात्र पुष्कर विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर सभी के प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गयी हैं। केवल मात्र पूरे अजमेर जिले में पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के मेरे द्वारा प्रेषित सड़कों के प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृति अटकाना पूर्णतः द्वेषभाव से की गयी कार्यवाही स्वतः ही सिद्ध हैं।

अतः उपरोक्तानुसार पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री घोषणा के तहत 10 करोड़ की सड़कों के मेरे द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्तावों को रोककर एक ही प्रदेश एवं एक ही जिले में विकास कार्य स्वीकृत करने में किये गये भेदभाव के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या विकास कार्य स्वीकृत करने में भेदभाव एवं द्वेषतापूर्ण कार्यवाही करना न्याय संगत है? पूरे अजमेर जिले में केवल एक मात्र पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के उपरोक्तानुसार सड़कों के प्रस्तावों को लम्बित करने के लिए कौन जिम्मेदार हैं? पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के 10 करोड़ के मेरे द्वारा प्रेषित सड़कों के प्रस्तावित कार्यों को कब तक स्वीकृत किया जाएगा? विकास कार्य स्वीकृत करने में द्वेषतापूर्ण कार्यवाही के लिए जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमसंगत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए उक्त प्रस्ताव के माध्यम से मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करने की मांग करता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर और मेरे द्वारा प्रस्तावित समस्त सड़क कार्यों की भी वित्तीय स्वीकृति तुरन्त जारी कर जनता को राहत दिलायें। सधन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संतोष।

इंदिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा में अतिरिक्त बैलेंस का पानी छोड़ने की मांग

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई पानी को लेकर किसानों को बार-बार आंदोलन करना पड़ रहा है। खरीफ की फसल पकाव पर है और अच्छी पैदावार के लिए एक सिंचाई पानी जरूरी था लेकिन रेगुलेशन के नाम पर किसानों को समय पर पानी नहीं देकर टाला जा रहा है

(श्रीमती संतोष)

और सिंचाई पानी नहीं देने के कारण ऐसी स्थिति में किसानों की छह माह की मेहनत बेकार हो जायेगी। राजस्थान में इतिहास में पहली बार 15 दिन का रेगुलेशन जारी करना चिंता का विषय है। नये वरीयता क्रम के मुताबिक आई.जी.एन.पी. में 14 सितम्बर, 2022 से पहले तीन में से एक समूह का रेगुलेशन जारी था। जब 2 सितम्बर को 496 आरडी पर 10,000 क्यूसेक्स लगभग पानी पहुंच रहा था और उस समय 12,000 क्यूसेक्स का इण्डेंट किया गया था, उसी समय अतिरिक्त पानी लेकर अनूपगढ़ शाखा में बैलेंस का पानी दिया जा सकता था, लेकिन किसानों को बैलेंस का पानी नहीं दिया गया। वर्तमान पोंग डैम में लगभग 1,384 फीट पानी है। इस समय तापमान अधिक होने के कारण नरमा, ग्वार की फसलें आंखों के सामने पानी के अभाव में खतम हो रही हैं। रबी की फसल के बिजान को देखते हुए आगामी छह माह का रेगुलेशन चार में से दो समूह का जारी किया जाये।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि अनूपगढ़ शाखा में अतिरिक्त बैलेंस का पानी छोड़ा जाए। इसी माह में जन प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर छह माह के लिए चार में से दो समूह का रेगुलेशन जारी किया जाए। यदि अभी भी समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जन प्रतिनिधियों व किसानों को मजबूर होकर आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना होगा। नियम 295 के तहत आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान छह माह का रेगुलेशन और अनूपगढ शाखा में बैलेंस का पानी देने की ओर आकर्षित कर रही हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जगसी राम।

रेवदर की सड़कों का डामरीकरण

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के ज़रिये सरकार से आग्रह है कि जिला सिरोही में रेवदर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के रख-रखाव, नव निर्माण में पिछले 35 वर्ष के दौरान भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है। रेवदर विधान सभा क्षेत्र की अहम एवं लाइफ लाइन काम करने वाली सड़कें जिनका विवरण नीचे मौजूद है, बार-बार सरकार को अवगत कराने के बावजूद पिछले 35 वर्षों से क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई हैं। कुछ सड़कों की स्वीकृति जारी होने के बावजूद कार्य ही प्रारम्भ

(श्री जगसी राम)

नहीं किये गये तो कुछ सड़कों का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। उक्त अवधि में पेचवर्क से लेकर जो भी नये पुराने सड़क कार्य किये गये हैं, उनमें भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि निम्नांकित सड़कों के डामरीकरण, पुनः निर्माण, नव निर्माण कार्य तथा स्वीकृतशुदा कार्यों को अविलम्ब प्रारम्भ कराया जावें:-

1-भटाणा बोर्ड से मुनिजी की कुटिया स्वीकृत सड़क का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से आमजन में रोष है। 2-सम्पर्क सड़क आबूरोड से मकावल वाया रामपुरा महत्वपूर्ण माइनिंग सड़क, 3-सम्पर्क सड़क बासन पूर्णतया क्षतिग्रस्त पड़ी है 4-सम्पर्क सड़क पामेरा, 5-सम्पर्क सड़क गुन्दवाडा पूर्णतया क्षतिग्रस्त, 6-स्टेट हाईवे से मालगांव, 7-पामेरा नागाणी सड़क, 8-सम्पर्क सड़क जावल (मगरीवाडा), 9-सम्पर्क सड़क कोटडा (मगरीवाडा), 10-सम्पर्क सड़क जोलपुर वाया देरोल, 11-अनापुर निम्बज सड़क, 12-सम्पर्क सड़क पीथापुरा निमतलाई, 13-सम्पर्क सड़क सुलिवा, 14-सम्पर्क सड़क गोरेली, 15-होलागरा से हडमतीया सड़क, 16-रानाडी, बिकनवास सड़क, 17-सम्पर्क सड़क पीथापुरा एस, 18-गुलाबगंज से मालगांव वाया वाराई माता सड़क, 19-सम्पर्क सड़क सालोतरा, 20-गुलाबगंज हाईवे से अंजलीमाता मंदिर सड़क, 21-सनवाडा से अंतरखेड़ा सड़क, 22-मलावा जीरावल सड़क, 23-बांट से मोहब्बतपुरा सड़क, 24-कोटडा से धनिवाडा वाया स्टेट हाईवे, 25-तरतोली से मोरथला सड़क, 26-मुंगथला चनार सड़क से वरमाणिया महादेव सड़क, 27-मुख्य सड़क आबूरोड से धवली वाया दौलपुरा, 28-रायपुर से निम्बज सड़क, 29-रायपुर से हडमतिया सड़क, 30-मुख्य सड़क खाण, पादर ग्राम पंचायत से कातरावड़ी 5 किमी, भैरूगढ से आवाडा 3 किमी, आवाडा से मगरीवाड़ा 8 किमी, भैरूगढ से जावाल 8 किमी, भैरूगढ से बूटडी 5 किमी, भैरूगढ़ से कम्बोईयाखेडा 3 किमी, भटाणा से पावटी गुजरात बोर्डर 10 किमी सड़कों पर डामरीकरण कराया जावे। इन सड़कों के अतिरिक्त वासाडा से गुंदरी बोर्डर तक डामर सड़क का निर्माण कराया जावे। यह सड़क गुजरात से जोड़ने वाली, जैतावाडा से ग्रामीणों का आवागमन इसी मार्ग से रहता है।

अतः लोक महत्व में उक्त कार्य करवाकर रेवदर विधान सभा क्षेत्र में सड़क मार्गों पर सुचारु आवागमन के लिए सड़कों का विकास करवाने में प्राथमिकता से स्वीकृतियां, कार्य पूर्ण करवाने तथा अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जौहरीलाल मीना (अनुपस्थित)। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

राजस्थान विधान सभा परिसर में डाक्टर भीमराव अम्बेडकर व शहीद विजय सिंह पथिक की प्रतिमा की स्थापना

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व महान क्रांतिकारी शहीद विजय सिंह पथिक की प्रतिमा राजस्थान विधान सभा के परिसर में स्थापित करने के संबंध में निवेदन है कि भारतीय संविधान जनक डा. भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा राजस्थान विधान सभा के परिसर में स्थापित करने हेतु जनमानस की मांग कालांतर में उठती रही है। इस मांग का पूरा किया जाना संवैधानिक दायित्व का निर्वहन एवं बहुसंख्यक जनभावना के अनुरूप है। वर्तमान में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति राजस्थान विधान सभा के परिसर में विद्यमान नहीं है। यदि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति राजस्थान विधान सभा के परिसर में लगा दी जावेगी तो राजस्थान की गौरवमयी संस्था संविधान के अनुरूप युगों-युगों तक संविधान की भावना के अनुरूप जन कल्याणकारी एवं जन उपयोगी विधि के निर्माण में ही तत्पर रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकर जी को हमारे देश में एक महान व्यक्तित्व और नायक के रूप में माना जाता है तथा वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। उन्होंने अपने आपको उस समय का उच्चतम शिक्षित भारतीय नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया और भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना अहम योगदान दिया। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय, समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दिया। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन के परिसर में भी लगी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश में बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता शहीद विजय सिंह पथिक, जिन्होंने किसानों में स्वतंत्रता के प्रति अलख जगाने का कार्य प्रारम्भ किया, इन्हें राजस्थान केसरी की उपाधि भी प्राप्त है व इनकी कर्मस्थली राजस्थान प्रदेश ही रहा है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा इन्हें राजस्थान में शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

है। ऐसे महान क्रांतिकारी व राजस्थान केसरी की प्रतिमा भी राजस्थान विधान सभा के परिसर में लगवाई जानी अति आवश्यक है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान विधान सभा के परिसर में जन-जन की भावना के अनुरूप बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी व महान क्रांतिकारी शहीद विजय सिंह पथिक की प्रतिमा राजस्थान विधान सभा के परिसर में स्थापित करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन व बून्दी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत केशोरायपाटन, बून्दी विधान सभा क्षेत्र में स्थित समस्त क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने व स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में निवेदन है कि केशोरायपाटन, बून्दी विधान सभा क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कें व भारत माला 8 लेन निर्माण कार्य बरसात के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इन सड़कों का बरसात से पूर्व भी विभाग द्वारा भारत माला परियोजना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था व मरम्मत का एस्टिमेट भी विभाग को भिजवाया था, लेकिन उसमें कोई प्रगति नहीं हुई व अभी बरसात में और भी स्थिति खराब हो गयी है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता का पैदल, साइकिल, मोटर साइकिल, कार व बसों से चलना दुश्वार हो रहा है। प्रतिदिन निरन्तर दुर्घटनाएं होने के कारण क्षेत्र की जनता को प्रतिदिन चिकित्सालयों में भर्ती होना पड़ रहा है। साथ ही, अनेक विभाग की सड़कें स्वीकृत होने के उपरान्त भी संवेदकों द्वारा समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है। आधा-अधूरा कार्य भी जनता के लिए दुखदाई हो रहा है। इसीलिये क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है। उदाहरण के तौर पर खटकड़ से जैतपुर, इन्द्रगढ़ से करवर, उतराणा से मालियों की झोपड़ियां, अरणेठा से जैथल व लालसोट मेगा हाईवे रोड खराब हो चुके हैं।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उक्त समस्त क्षतिग्रस्त सडकों की रिपोर्ट मंगवाकर सड़कों का मरम्मत का कार्य कराने व स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के आदेश राज्य सरकार को प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री कालूराम।

डग में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

श्री कालूराम (डग): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में विगत माह हुई अतिवृष्टि से किसानों की सम्पूर्ण फसलें नष्ट हो गईं, जिसकी गिरदावरी अभी तक पूर्ण नहीं हो पायी। इसकी गिरदावरी राजस्व विभाग द्वारा करवाकर किसानों को फसल का उचित मुआवजा दिलवाया जाये व बीमा कम्पनी एसबीआई द्वारा मौके पर जाकर सर्वे नहीं किया गया। कुछ किसानों के ऑफलाइन फार्म भरे गये, जबकि पूरे क्षेत्र में नुकसान हुआ है। पूरे क्षेत्र के किसानों को बीमा क्लेम का लाभ मिलना चाहिए। कृषि विभाग द्वारा और बीमा कम्पनी द्वारा क्रोप कटिंग करके किसानों को बीमा क्लेम का फायदा दिलाया जाये। अतिवृष्टि के कारण कई किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों में मकान गिर गये, जिनको मकानों का उचित मुआवजा दिलवाया जाए व जिन व्यक्तियों का मकान गिरा, उनका प्रधानमंत्री आवास में नाम सूची में जोड़ा जाये। अतिवृष्टि के कारण क्षेत्र में कई पुलियां व सड़क क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसकी तुरंत मरम्मत करवाई जाये। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में निचली बस्तियों में हर वर्ष पानी भर जाता है। ऐसे व्यक्तियों को चयनित करके कोई दूसरी जगह पट्टे जारी करके उनको दूसरी जगह बसाया जाये।

अत: मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विभिन्न समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्रीगंगानगर में कृषि के लिए खाद, बीज एवं पानी की समुचित व्यवस्था

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि जिला श्रीगंगानगर एक कृषि प्रधान जिला है और कृषि के लिए खाद, बीज एवं पानी की महती आवश्यकता रहती है लेकिन आज श्रीगंगानगर जिले की जो हालत है, वह पूरी तरह खेती को बरबाद करने वाली है। अगर बात करें पानी की तो आई.जी.एन.पी. में सरकार केवल 15-15 दिन का रेगुलेशन जारी कर रही है, जो कि बिलकुल न्यायसंगत नहीं है। वर्तमान में पोंग डैम में पर्याप्त मात्रा में पानी है। डैम लेवल लगभग 1,383 फीट है।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, तुरन्त प्रभाव से रबी फसल की बिजाई से पकाव तक का रेगुलेशन जारी किया जावे ताकि हमारा किसान उसी हिसाब से बिजाई कर सके। दूसरी तरफ अभी सरसों बिजाई का वक्त चल रहा है, जिसके लिए डी.ए.पी. यूरिया खाद की सख्त जरूरत है तथा जिले में इसकी किल्लत लगातार बनी हुई है, किसानों को हर वक्त खाद के लिए लम्बी-लम्बी लाइनें लगानी पड़ती हैं, ऐसे में सरकार तुरन्त डी.ए.पी. यूरिया की व्यवस्था करवाये, ताकि किसान समय पर फसल की बिजाई कर सके।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मनारायण जोशी।

मावली में डी.एम.एफ.टी. से स्वीकृत विकास कार्यों में विलम्ब

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत मावली विधान सभा क्षेत्र में डी.एम.एफ.टी. से स्वीकृत विकास कार्यों के लम्बित होने व मावली विधान सभा क्षेत्र के साथ भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि उदयपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट का काम शिथिल व मनमाने ढग से संचालित किया जा रहा है। ट्रस्ट की बैठकें कभी समय से नहीं होती हैं। पहले बैठक की सूचना प्राप्त होती है तो दो दिन बाद ही बैठक स्थगित होने की सूचना आ जाती है। जैसे-तैसे तीन-चार बार दिनांक बदलने के बाद बैठक होती है तो बैठक में जो प्रस्ताव पारित होते हैं, वे क्रियान्वित नहीं होते हैं।

दिनांक 24 अक्टूबर, 2021 को हुई ट्रस्ट की गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में मावली विधान सभा के लिए 6 करोड़ रुपये के विकास प्रस्ताव स्वीकृत किये गये, लेकिन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए हैं। दिनांक 11 जुलाई, 2022 की बैठक में पारित हुए प्रस्तावों की तो अभी स्वीकृतियां भी जारी नहीं हुई हैं। 26 जून, 2021 को डी.एम.एफ.टी. से 1295.58 लाख रुपये के 7 कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गईं। छह कार्य वल्लभनगर विधान सभा के व एक कार्य खेरवाड़ा विधान सभा का था। दोनों क्षेत्रों में सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं। इन दोनों क्षेत्रों में विकास कार्यों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है मावली सहित जिले के भाजपा विधायकों वाले क्षेत्र में भी बिना भेदभाव के समान विकास कार्य किये जाएं।

मावली में राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए माननीय

(श्री धर्मनारायण जोशी)

मुख्य मंत्री जी ने अपने 2019-20 व 2020-21 के बजट में घोषणा की, कोई काम नहीं हुआ, अन्ततः यह कालेज भवन डी.एम.एफ.टी. से बनाने का फ़ैसला हुआ, लेकिन वर्ष भर में सरकार शिलान्यास तक नहीं करवा पायी। मेरा निवेदन है मावली में महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो, लम्बित कार्य शीघ्र पूर्ण हों।

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 31)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 31वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को मध्याह्न 4.30 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरुवार, दिनांक 22 सितम्बर 2022 को सदन में अग्रेतर लिए जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाये:

1. राज्य में बिजली की स्थिति पर चर्चा।

2. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार एवं पारण।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 31वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 31वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त (कर) विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (कर) विभाग की निम्नांकित 43 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-130 दिनांक 30.03.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट.V-152 दिनांक 30.03.2022 में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या: एफ.6(2)वित्त/कर/2019-131 दिनांक 28.03.2022 जिसके द्वारा 10,000 वर्गमीटर से अधिक रॉक फास्फेट धारित भूमि पर देय भूमिकर को कम किया गया है;

3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-132 दिनांक 31.03.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-133 दिनांक 31.03.2022 जिसके द्वारा ईंट भट्टों के लिए विशेष कम्पोजिशन स्कीम लागू की गयी है;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-134 दिनांक 31.03.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-166 दिनांक 07.03.2019 में संशोधन किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-135 दिनांक 31.03.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-167 दिनांक 07.03.2019 में संशोधन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-136 दिनांक 07.04.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-132 दिनांक 31.03.2022 का शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या: एफ.2(7)वित्त/कर/2021-01 दिनांक 12.04.2022 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान मध्यवर्ती दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में दी गयी रियायत के संबंध में जारी अधिसूचना की अवधि को बढ़ाया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

9. अधिसूचना संख्या: एफ.2(8)वित्त/कर/2021-02 दिनांक 26.04.2022 जिसके द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा RSPF तथा FSCL के पक्ष में तथा RSPF एवं FSCL द्वारा राजकीय उपक्रमों एवं निकायों के पक्ष में निष्पादित ऋण इकरारनामों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गयी है;

10. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2018-03 दिनांक 26.04.2022 जिसके द्वारा HUDCO द्वारा RUDSICO के पक्ष में रुपये 600/- करोड़ के ऋण अनुबंध से संबंधित दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गयी है;

11. अधिसूचना संख्या: एफ.2(42)वित्त/कर/2009-04 दिनांक 10.05.2022 जिसके द्वारा RVPNL/RRVVNL/DISCOM को आबंटित या उसके द्वारा क्रय की गयी भूमि पर देय स्टाम्प ड्यूटी को दिनांक 31.03.2024 तक छूट प्रदान की गयी है;

12. अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-05 दिनांक 03.06.2022 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधि. 1908 की धारा 5 के तहत जिलों व उप जिलों के गठन की घोषणा की गयी है;

13. अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-06 दिनांक 03.06.2022 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 6 के तहत उप जिलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-07 दिनांक 13.06.2022 जिसके द्वारा एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा धारित भूमि पर राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 18 के तहत 31.03.2030 तक भूमि कर में छूट प्रदान की गयी है;

15. अधिसूचना संख्या: एफ.2(18)वित्त/कर/2020-08 दिनांक 27.06.2022 जिसके द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021 के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित पचास हजार रुपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गयी है;

16. अधिसूचना संख्या: एफ.2(54)वित्त/कर/2007-09 दिनांक 04.07.2022 जिसके द्वारा आरएसआरटीसी डिपो, झुन्झुनूं के पक्ष में नगर परिषद् झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 04.03.2021 को निष्पादित पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गयी है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

17. अधिसूचना संख्या: एफ.2(7)वित्त/कर/2021-10 दिनांक 08.07.2022 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 के दौरान नगर विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार न्यासों द्वारा जारी किये गये पट्टा विलेखों को पंजीकृत करने हेतु ऐसे प्राधिकरणों एवं न्यासों में पदस्थापित तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है;

18. अधिसूचना संख्या: एफ.2(45)वित्त/कर/2009-11 दिनांक 15.07.2022 जिसके द्वारा मैट्रो एन्क्लेव, दुर्गापुरा, जयपुर की भूमि को जेएमआरसी से जेडीए के पक्ष में हस्तान्तरित करने संबंधी दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में कमी की गयी है;

19. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2018-12 दिनांक 22.07.2022 जिसके द्वारा अमृत स्मार्ट सिटी एवं विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान शहरी विकास कोष-II के तहत RUDSICO द्वारा विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों एवं नगरीय स्थानीय निकायों के पक्ष में निष्पादित ऋण दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गयी है;

20. अधिसूचना संख्या: एफ.2(3)वित्त/कर/2022-13 दिनांक 22.07.2022 जिसके द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कारपोरेशन लिमिटेड के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गयी है;

21. अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2022-14 दिनांक 02.08.2022 जिसके द्वारा दस्तावेज पंजीकरण के दौरान अधिक जमा या भुगतान की गयी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड करने हेतु कलेक्टर (स्टाम्प्स) को अधिकृत किया गया है;

22. अधिसूचना संख्या: एफ.5(13)वित्त/कर/2022-15 दिनांक 02.08.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क में कमी की गयी है;

23. अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)वित्त/कर/2018-16 दिनांक 02.08.2022 जिसके द्वारा बहुमंजिला भवनों में स्थित 50 लाख रुपये मूल्य तक के आवासीय इकाइयों/फ्लैटों पर स्टाम्प शुल्क में कमी की गयी है;

24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-16 दिनांक 30.05.2022 जिसके द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 का फार्म GSTR-4 प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिए दिनांक 01.05.2022 से 30.06.2022 तक की अवधि के लिए धारा 47 के तहत विलम्ब शुल्क माफ किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

25. अधिसूचना संख्या: एफ.2(20)वित्त/कर/2017-17 दिनांक 25.08.2022 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58(4) के तहत कृषि उपज मण्डी, चूरू की बाजार दरों में कमी की गयी है;

26. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-24 दिनांक 15.06.2022 जिसके द्वारा आई.टी.जी.आर.सी. की अनुशंसा के आधार पर कतिपय ई-कामर्स आपरेटरों के लिए ब्याज माफ किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-27 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए फार्म जी.एस.टी. सीएमपी-08 प्रस्तुत करने की नियत तिथि को दिनांक 31.07.2022 तक बढ़ाया गया है;

28. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-28 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए फार्म GSTR-4 प्रस्तुत करने के संबंध में विलम्ब शुल्क में छूट प्रदान की गयी है;

29. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-29 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा RGST अधिनियम की धारा 168A द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्दिष्ट अनुपालनाओं की तिथियों को बढ़ाया गया है;

30. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-30 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा आरजीएसटी नियम, 2017 (प्रथम संशोधन, 2022) में संशोधन किया गया है;

31. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-31 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

32. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-32 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

33. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-33 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-51 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

34. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-34 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

35. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-35 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

36. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-36 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-42 दिनांक 28.06.2017 में संशोधन किया गया है;

37. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-37 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-44 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

38. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-38 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-133 दिनांक 31.03.2022 में संशोधन किया गया है;

39. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-39 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56) वित्त/कर/2017-पार्ट-III-136 दिनांक 14.11.2017 राज्य कर (दर) को विखण्डित किया गया है:

40. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-40 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56) वित्त/कर/2017-पार्ट-III-166 दिनांक 07.03.2019 में संशोधन किया गया है;

41. अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2022-41 दिनांक 16.07.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56) वित्त/कर/2017-पार्ट-II-167 दिनांक 07.03.2019 में संशोधन किया गया है;

42. अधिसूचना संख्या: एफ.12(97)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-42 दिनांक 31.08.2022 जिसके द्वारा एमनेस्टी योजना-2022 को दिनांक 31.10.2022 तक बढ़ाया गया है;

43. अधिसूचना संख्या: एफ.12(97)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-43 दिनांक 31.08.2022 जिसके द्वारा जी.एस.टी. में सम्मिलित नहीं की गयी वस्तुओं के लिए एमनेस्टी योजना को दिनांक 31.10.2022 तक बढ़ाया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री शाले मोहम्मद।

उपनिवेशन विभाग

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित 01 अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

अधिसूचना संख्या: प.3(147)उप/2021 दिनांक 21.07.2022 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 9 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

परिवहन विभाग

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित 01 अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

अधिसूचना संख्या: प.9(253)परि/एसटीए/आरटीए/98-99/II/17145 दिनांक 27.07.2022 जिसके द्वारा राजस्थान ट्रांसपोर्टेशन आफ मरचेंटडाइज गुड्स इन स्टेट कैरिज एण्ड कान्ट्रेक्ट कैरिज बसेज स्कीम, 2022 को विरचित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 05 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 3;

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा) (वर्ष 2020-21)

2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

को समाप्त हुए वर्ष के लिए, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 1 (अनुपालन लेखापरीक्षा);

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

3. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2;

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्थान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राजस्थान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 5; एवं

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

5. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 4.

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

समिति प्रतिवेदन

याचिका समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 7)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से याचिका समिति, 2022-23 के सप्तम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मंजु देवी।

पर्यावरण संबंधी समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 3 से 5)

श्रीमती मंजु देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

(श्रीमती मंजु देवी)

पर्यावरण संबंधी समिति, 2022-23 के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022, श्री परसादी लाल मीणा।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। श्री बी.डी. कल्ला।

विधेयक पर विचार

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ये सदन राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से राजस्थान माल सेवा अधिनियम, 2017 की 16 अलग-अलग धाराओं में राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विधेयक, 2022 के माध्यम से सरकार संशोधन लेकर आयी है। जिन धाराओं में संशोधन लेकर आयी है, वह धाराएं 16, 29, 34, 37, 38, 39, 41, धारा 42, 43, 46-ए, 47, 48, 49, 50, 52 और 54 हैं। यानी इन 16 विभिन्न धाराओं में संशोधन के माध्यम से सरकार राजस्थान माल और कर सेवा के अन्दर व्यावहारिकी, सरलता, सुगमता और आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के मूल रूप से प्रस्ताव लेकर आयी है।

अध्यक्ष महोदय, ये बिलकुल सही है कि जी.एस.टी. कौंसिल की 47वीं बैठक जो केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई उसके अन्दर सी.जी.एस.टी. के अन्दर ये सारे संशोधन पूर्व में प्रस्तावित किये गये थे। यह भी सही है कि जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी., आई.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. इनके अलग-अलग स्लैब में समान रूप से दरें हैं। फीस जो अलग-अलग मामलों में ली जाती है, उनमें समानता है और रिटर्न भरने की तिथियों में एकरूपता है।

अध्यक्ष महोदय, एक देश, एक कर, एक कानून, एक प्रक्रिया, एक फीस मूल रूप से इसी अवधारणा के साथ ये संशोधन आप लेकर आये हैं, मंत्री महोदय, परंतु यह सदन जानना चाहता है कि इन संशोधनों के माध्यम से प्रदेश के व्यापारियों को, व्यावहारियों को, उपभोक्ताओं को, सरकार के खुद के राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? एस.जी.एस.टी. में राजस्व कितना बढ़ेगा, कर चोरी कितनी रुकेगी? ईज आफ डूइंग बिजनस के अन्दर क्या लाभ होगा? मैं समझता हूं कि जनता हमेशा अपेक्षा करती है कि इनके बारे में सदन के माध्यम से जनता के बीच में ये सारी बातें जाएं। ये जो जी.एस.टी. के अन्दर आप 16 संशोधन लेकर आये हैं, मोटे तौर पर जो जी.एस.टी., 2017 के सेक्शन 39(1) में जो संशोधन आया है उसमें व्यवहारी द्वारा जी.एस.टी. रिटर्न के अनुसार टैक्स जमा नहीं होने पर उसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। वह इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आवेदन ही नहीं कर पायेगा।

(समय: 12.53 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इसी तरह ये जी.एस.टी. एक्ट, 2017 के नियम 36(4) में जो आप संशोधन लेकर आये हैं, हर व्यवहारी को इनपुट क्रेडिट के लिए फार्म 2 भी भरना आवश्यक है और फार्म 2 अगर वह नहीं भरता है तो उसको इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे उसके पास अपने खरीद के ओरिजिनल बिल क्यों न हो?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक और प्रस्ताव है, जिस प्रस्ताव के माध्यम से वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह में जो क्लेम व्यवहारी सेल्फ परचेज में डेबिट नोट में, क्रेडिट नोट में प्राप्त कर सकता था, उसकी तिथि दो वर्ष बढ़ाकर अब नवम्बर की गयी है। इसी प्रकार एक जो प्रस्ताव है, जो हम तिमाही रिटर्न भरते हैं, वह 13 तारीख तक अगर तीसरे महीने की तिमाही में रिटर्न नहीं भरा जाता तो उसको फाइल करने का आप्शन समाप्त हो जायेगा। इसी तरह जी.एस.टी. सेक्शन 29 के अन्दर जी.एस.टी. रिटर्न अगर गत 6 माह की बाकी रहती है, लगातार कोई भी व्यवहारी अगर 6 महीने तक जी.एस.टी. रिटर्न नहीं भरता तो प्रोपर आफिसर को यह अधिकार होगा कि वह जी.एस.टी. नम्बर को सस्पेंड कर दे या कैंसिल कर दे।

सभापति महोदय, मैं इस जी.एस.टी. के दायरे में अपनी बात कहूं तो ये जी.एस.टी. वही है जिसको कभी देश के अन्दर गब्बर सिंह टैक्स के रूप में प्रचारित किया गया था। आज एक देश है, हम आज संशोधन लेकर आये हैं समानरूपता के लिए लेकर आये हैं। एक कर है, एक कानून है और ये फिस्कल फेडरलिज्म की जो बात चली, वित्तीय संघवाद की बात चली और इस फिस्कल फेडरलिज्म का अगर श्रेय किसी को जाता है तो मुझे कहने में संकोच नहीं और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय भी इसमें कंजूसी नहीं करेंगे अगर वित्तीय संघवाद, इसका श्रेय किसी को जाता है तो हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता, मैं विश्व का इसलिये कह रहा हूं, सभापति महोदय, सदन को जानकर यह प्रसन्नता होगी, सदन को इस बात की प्रसन्नता होगी कि अमरीका की एक मोर्निंग कंसल्ट कंपनी है, पूरे मुल्क, पूरे विश्व में उसने रेटिंग की अलग-अलग मुल्क के नेताओं की और उस मोर्निंग कंसल्ट ने यह माना कि इस विश्व में विश्व का सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी हैं।

मैं यह नहीं कहता कि इसके लिए उस समय प्रयास नहीं हुए। प्रयास 2005 से प्रारम्भ हुए थे जी.एस.टी. लागू करने के। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनमोहन सिंह जी को, उन्होंने अपने वित्त मंत्री काल में केन्द्रीय वित्त मंत्री के रूप में, प्रधान मंत्री के रूप में हमेशा इस बात की वकालत की कि हिन्दुस्तान में अप्रत्यक्ष करों का जो मकड़जाल है, उस मकड़जाल को एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आए, जी.एस.टी. लेकर जाए और इस वक्त निश्चित तौर पर स्वर्गीय अरुण जेटली जी, वित्त मंत्री, उन्होंने भी इस मामले में जो अपनी दृढ़ता दिखायी, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, आज हम जिस जी.एस.टी. बिल के अमेंडमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, 2005 के अन्दर वैट आया। राजस्थान में वैट को इंट्रोड्यूस करने की बात हो, 2017 के अन्दर जी.एस.टी. को इंट्रोड्यूस करने की बात हो, इन दोनों को राजस्थान में लागू करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को और उनकी सरकार को जाता है निश्चित तौर पर।

मैं निवेदन करना चाहूंगा इस जी.एस.टी. का प्रभाव हमारी इकोनोमी पर क्या पड़ रहा है? आज जो 16 संशोधन हम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर प्रक्रियात्मक है, सुधारात्मक है, प्रोसीजरल है, तो आप, मंत्री महोदय, ये बताएं तो सही कि इस सारे संशोधन के माध्यम से एस.जी.एस.टी. के अन्दर हमारा कितना इजाफा होगा? टैक्स इवेजन कितना कम होगा? क्योंकि निश्चित तौर पर आज जब हम देखते हैं हिन्दुस्तान के जी.एस.टी. कलेक्शन को, मैं वे आंकड़े लेकर आया हूं, सभापति महोदय, 2017 के अन्दर जब जी.एस.टी. इंट्रोड्यूस हुआ तो पूरे मुल्क में 7.19 लाख करोड़ का जी.एस.टी. का संग्रहण था। 2018-19 में बढ़कर हो गया 11.77 लाख करोड़, 2019-20 में हो गया 12 लाख 22 हजार करोड़ और 2020-21 में कोरोना की वैश्विक महामारी की छाया के कारण कुछ कम हुआ, 11 लाख 36 हजार करोड़ और 2021-22 में 14 लाख 79 हजार करोड़ का जी.एस.टी. का कलेक्शन है। ये मेरी बात नहीं है, ये प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी), नई दिल्ली के ताजा आंकड़ों के अनुसार मैंने अपनी बात को यहां पर रखा है। यह बात मैं यूं ही नहीं रख रहा, राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार का जी.एस.टी. का कलेक्शन, हिन्दुस्तान में निश्चित तौर पर वोल्यूम ज्यादा है, परंतु जो हमारी ग्रोथ है जी.एस.टी. की, हम अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं परंतु हम राजस्थान के अन्दर जी.एस.टी. की ग्रोथ में कहां खड़े हैं? इस मुल्क में जी.एस.टी. बढ़ रही है, उसके आनुपातिक रूप में हम क्यों नहीं बढ़ पाये? मंत्री महोदय, इस पर निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिये।

अब मैं बात करूं अगर 2022-23 की हर महीने हमारे हिन्दुस्तान की जी.एस.टी. ने डेढ़ लाख के आंकड़े को पार किया है। अप्रैल माह में 1 लाख 67 हजार 540 करोड़, मई महीने में 1 लाख 40 हजार 885 करोड़, जून में 1 लाख 44 हजार 616 करोड़, जुलाई में 1 लाख 48 हजार 995 करोड़ और अगस्त में 1 लाख 43 हजार 600 करोड़, निश्चित तौर पर आज जब हम बात करते हैं, राजस्थान के जी.एस.टी. की बात करते हैं, मंत्री महोदय, मैं आपका

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ध्यान आप ही के द्वारा दी गयी पुस्तक 'बजट एट ए ग्लांस, 2021-22 के पेज 10 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने कोशिश की थी मैं और आंकड़े ढूंढूं परंतु आपके अधिकृत आंकड़े इस राजस्थान का जी.एस.टी. का राजस्व, जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं सभापति महोदय, 2017-18 में था 12 हजार 137 करोड़ क्योंकि आखिरी सात महीने में जी.एस.टी. आया था, इससे पहले वैट की अम्ब्रेला के नीचे और अलग-अलग इन-डायरेक्ट टैक्सेज हम वसूल कर रहे थे और ये 2018-19 में बढ़कर हो गया 22 हजार 938, 2019-20 में 25 हजार 605

(समय: 13.00 बजे)

हो गया। 2020-21 में यह बढ़कर 28 हजार 250 हो गया। आप अब के बी.ई. लेकर आये हैं। 2021-22 में जो इनका प्रोजेक्शन है, जो इनका बजट एस्टीमेट है वह 37 हजार 662 करोड़ है। मैं अगर इसकी 2017-18 से तुलना करूं तो हमारी जी.एस.टी. की ग्रोथ है 2017-18 की तुलना में 164 परसेंट। देश की जी.एस.टी. की ग्रोथ 207 परसेंट। सी.जी.एस.टी., आई.जी.एस.टी. इसमें हमारा हिस्सा निश्चित है। मूल एक्ट जो 2017 का बना था उसमें इस बात को फार्मुलाइज किया गया था कि अलग-अलग प्रदेशों के अन्दर सी.जी.एस.टी. में हमारी हिस्सेदारी कितनी होगी, आई.जी.एस.टी. में हमारी हिस्सेदारी कितनी होगी। इन सबके बावजूद आज पूरे देश में जी.एस.टी. की जो ग्रोथ है, मंत्री महोदय हम प्रोसीजरल अमेण्डमेंट लेकर आ रहे हैं, आप इस बिल को पायलट कर रहे हैं। आपके वित्त सचिव ने तो शायद इस बात को आवश्यक भी नहीं समझा, प्रमुख शासन सचिव ने कि आपको असिस्ट करने के लिए दर्शक दीर्घा में आये, क्योंकि यह जो एड्होकिज्म हुआ है वित्त मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो, इसमें आज तक स्थायी मंत्री नहीं बनने का यह कारण रहा कि हमारे जो नौकरशाह है वह हमारे मालिक बन गये। विधान सभा के प्रति भी इनकी जिम्मेदारियां कम हो गईं। आज यहां प्रमुख शासन सचिव को आगे आकर बैठना चाहिये था।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): पाठक साहब बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जी.एस.टी. का सबसे बड़ा कम्पोनेंट फाइनेंस का है। पाठक साहब बैठे हैं, बिलकुल ठीक, बैठे होंगे पर जी.एस.टी. का कम्पानेंट राजस्थान की इकोनोमी का बड़ा कम्पानेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अन्दर जो जी.एस.टी. की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है, मैंने आंकड़ों से कहा, 2021-22 में 28 हजार 250 करोड़, मुझे अफसोस इस बात का है और मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पूछना चाहता हूं कि यह समान टैक्स, मानते हैं आप, आपने कहा था कि आप इस पर ज्यादा बहस मत करें। मैंने भी आपको कहा था 47वीं जी.एस.टी. काउंसिल बैठक निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें जो सिफ़ारिशें की गयी, उसके अनुसार जो संशोधन हुआ था उन्हीं संशोधनों के माध्यम से हम इस सदन के अन्दर संशोधन लेकर आये हैं।

मैं पूछना चाहता हूं प्रक्रियाएं समान है, टैक्स की दरें समान है, कलेक्शन का प्रोसीजर समान है, फिर क्या कारण है हमारी एस.जी.एस.टी. सी.जी.एस.टी. के आनुपातिक रूप से उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रही। इसका एक ही कारण है, मैं देख रहा था, आपने इस फाइनेंस बिल में लिख दिया कि, “The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2022 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the consolidated Fund of Rajasthan.” यह करके आपने इतिश्री कर ली। यानी जी.एस.टी. कलेक्शन के लिए आपने राजस्थान के अन्दर कोई नया इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, आपका कोई प्रयास नहीं है। आप यह समझते हैं कि यह बिल आ गया और बिल procedural है इसलिये इस बिल के orbit में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सबसे बड़ी बात है।

सभापति महोदय, दूसरी तरफ मुझे कहते हुए गर्व है यह जी.एस.टी. का कमाल है, देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। अभी ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट ने कहा कि हिन्दुस्तान की इकोनोमी ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया, हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गये।

सभापति महोदय, मुझे इस सदन में यह कहते हुए गर्व है कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में, उनकी नीतियों के कारण और जी.एस.टी. कलेक्शन के कारण आई.जी.एस.टी., जी.एस.टी. के कलेक्शन के कारण, क्योंकि सबसे बड़ा कम्पानेंट है। एक ओर आनुपातिक रूप में जी.एस.टी. बढ़ा नहीं पा रहे, हम बीमारू प्रदेश की श्रेणी में जा रहे हैं। आप हिन्दुस्तान को देखिये 2022-23 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में रूस को हरा दिया, रूस हमसे पीछे। इटली हमसे पीछे, ब्राजील हमसे पीछे और फ्रांस हमसे पीछे।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तानी के रूप में, मैं समझता हूं कि मेरी इस बात को सुनकर आपके चेहरे पर जो नूर अब आया है, सच्चे हिन्दुस्तानी के चेहरे पर आयेगा। यह कारण भी है। 2021 के अन्त में हमारी अर्थव्यवस्था

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

3.2 ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी हो गयी। हमारे से आगे इस दुनिया में चार ही देश रह गये, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी।

सभापति महोदय, अभी भारतीय स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा कि 2029 तक हमारी यह रफ्तार रही तो इस दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, यह जो जी.एस.टी. की आई है, इसके आंकडे जारी होते हैं हर तिमाही में। इस बार एन.एस.ओ. के ताजा आंकड़े 2022 के हैं जो तिमाही अप्रैल से जून की है, 13.5 परसेंट की रफ्तार से हिन्दुस्तान की जी.एस.टी. बढ़ रही है।

मंत्री महोदय, आप उत्तर दें तब बतायें, पाठक साहब बड़े ब्रिलियंट हैं मैं इनको जानता हूं, परन्तु वह नहीं है जिनके पास यह आंकड़े हैं जो अपने बस्ते में लेकर नहीं आये क्योंकि उन्होंने आपको इस लायक नहीं समझा। उनको बुलाइये। मुझे यह बताइये कि राजस्थान के अन्दर 2022 की पहली तिमाही में अप्रैल से जून तक हमारी जी.एस.टी. वृद्धि की रफ्तार क्या थी? हिन्दुस्तान की 13.5 परसेंट है। हम भी तो आनुपातिक रूप से क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में निश्चित तौर पर सोचना चाहिये।

सभापति महोदय, जी.एस.टी. स्टेट जी.एस.टी., हम उसके लिए 16 धाराओं में अमेण्डमेंट लाये है। मंत्री महोदय, आपके पूरे बजट का साइज कितना है आपको ध्यान होगा, लगभग ढाई लाख करोड़। इस बजट साइज के अन्दर हम वित्तीय पूर्ति इसकी कैसे करेंगे, हमारा आन टैक्स रेवेन्यू, हमारा टैक्स रेवेन्यू, हमारा नोन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में सबसे बड़ा कम्पोनेंट एस.जी.एस.टी.। एस.जी.एस.टी. के कलेक्शन में हम देश के पैमाने पर आगे नहीं है, आप इस पर विचार तो करो। हम बड़ा बजट साइज बनाकर, एक तरीके से यह हमारा पूरा टैक्स रेवेन्यू, वेतन, पेंशन और उसके साथ जो ब्याज हम देते हैं उसमें चला जाता है, हम किस ओर बढ़ रहे हैं? मैं समझता हूं कि सदन को इस पर चर्चा करनी चाहिये, विचार करना चाहिये। हम कर्जे के मकड़जाल में बढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय ...

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): आपको किसने बोला है (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अपन बजट पर थोड़े ही डिस्कशन कर रहे हैं, बिल पर डिस्कशन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। विराजिये। प्लीज, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, सहयोग करें, आप विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इनका कसूर नहीं है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। यह काम आसन का है, उसे अपना काम करने दें। आप बड़े विद्वान हैं, मुझे पता है आपको फाइनेंस का बड़ा ज्ञान है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर वक्त ज्ञान को बांटे। अभी आपका वक्त आयेगा, तब आप सारी बातें बोलना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इनका कोई कसूर नहीं है, काबिल पिता के +++ बेटे हैं। पिताजी के दिये हुए नोट्स के आधार पर बोलते हैं। मेरे पिताजी तो दिवंगत हो गये, मैं किससे, मैं तो आप जैसे किसी ज्ञानी से पूछता हूं वही बोलता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: प्लीज, आप विराजिये। सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, +++ शब्द अनपार्लियामेन्ट्री है।

श्री सभापति: विलोपित किया जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): लिफ़ाफ़ा देखकर मज़मून भांप लेते हैं हुजूर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप अभी वैल में से होकर आये थे, यह नियम में है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बीच में से नहीं जा सकते, इधर से तो जा सकते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नो, नो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वक्ता के और आसन के बीच से नहीं जा सकते, इधर से जा सकते हैं। वक्ता और आसन के बीच से नहीं जा सकते। मैं इसके बीच से नहीं गया हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप इनको समझा दो, क्या होता है।

श्री सभापति: मैं सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा, यह परम्पराओं के विपरीत है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष बिलकुल सही कह रहे हैं। हमने वह स्थापित परम्पराएं देखी भी हैं। स्थापित परम्परा यह रही है कि सदन के वैल में से कोई माननीय सदस्य नहीं गुजरे। माननीय सदस्य को यहां आना है तो वह बाहर से आये। स्थापित परम्परा यही है, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते तो आपको कौन सिखायेगा?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह मुख्य मंत्री जी को सलाह ऐसे ही देते हैं।

श्री सभापति: प्लीज, अपने स्थान पर नहीं बैठते, जहां बैठे वहां से बोलना शुरू कर दिया। कुछ परम्पराएं सीख लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। (व्यवधान) प्लीज सहयोग करें, विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं यह सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये, आज बिजली पर चर्चा है और मुझे यह लग रहा है कि इधर से, प्रतिपक्ष और पक्ष, दोनों तरफ से करीबन 60 लोग बोलेंगे तो आप इस बिल को निर्धारित समय पर पूरा करेंगे तो आप बोल पायेंगे अदरवाइज फिर मैं वही लास्ट में एक-एक, दो-दो मिनट बुलवाऊंगा और आप फिर कहेंगे कि बुलवा नहीं रहे हैं, बुलवा नहीं रहे हैं तो मेहरबानी करके बिल पर ही आप अपनी बात रखें और फर्मली इस पर कांस्टेंट करें कि बिल पर ही आपको बोलना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात जी.एस.टी. तक ही करूंगा तो मंत्री महोदय जो जी.एस.टी. का आपके 2021-22 के अन्दर जो आपने एस्टीमेट किया है और अब आज आप सुधारात्मक कदम लाकर इसको बढ़ाने की बात करोगे तो आपका एस्टीमेट है 2021-22 में 37,662 करोड़ और मैं आपका ध्यान एफ.आर.बी.एम. एक्ट, 2021-22, पेज-24 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसके अन्दर जो राज्य का कर्ज भार का भी आपने बता रखा है 4 लाख 97 हजार और उस पर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है वह है 28,360 करोड़ रुपये यानी, राज्य के कुल जी.एस.टी. में 37,662 करोड़ का जी.एस.टी. है और हम सिर्फ ब्याज, मैं कर्जे की बात नहीं कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं भारी मन से कह रहा हूं, सिर्फ ब्याज में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

28,360 करोड़ रुपये जा रहे हैं, यानी पूरी जी.एस.टी. का पूरा पैसा 75.3 परसेंट हम सिर्फ ब्याज में दे रहे हैं, यह बदहाली का सूचक है या नहीं है? अगर आपके पास केन्द्रीय करों में आपका हिस्सा, केन्द्र का अनुदान नहीं हो तो मैं यह समझता हूं कि निश्चित तौर पर हालत खराब हो जाएगी। इसका एक कारण भी है कि आप जो यह अभी से चुनाव के लिए रेवड़ी बांटने का उपक्रम जो कर रहे हो न कि कहीं 12 हजार करोड़ के स्मार्ट फोन और एप्लाइंसेज और उसके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी की रोज उसमें फोटो, टेलीफोन खोलते ही यह फोटो देखे, इसको कृपया, प्रशासनिक खर्चों को कम करो और बजट से इतर खर्चों को कम करो, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाओ, जी.एस.टी. को बढ़ाओ ताकि राजस्थान खुशहाली की ओर आगे बढ़े।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में ओवस्ड्यू होना एक आम बात हो गयी है। कभी ओवर-ड्यू नहीं हुआ करता था। राजस्थान के अन्दर राजस्थान के वित्त विभाग के कारण राजस्थान की आर्थिक साख टूटने के कारण आज जो संवेदक हैं, वे राजस्थान में सरकारी निविदाओं से दूर हटने लग गये, इस पर निश्चित तौर पर विचार करें।

मैं अपनी बात समाप्त करूं, उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा। मैं आपका ध्यान एफ.आर.बी.एम. एक्ट, 2021-22 के पेज-15 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें यह लिखा है कि राज्य का बकाया ऋण एवं जीएस.टी. का अनुपात 33.12 परसेंट से बढ़कर 42.72 परसेंट हो गया। कल मैंने रिजर्व बैंक की, आर.बी.आई. की एक रिपोर्ट के आधार पर यह कहा था कि हम हाई फिस्कल ट्रैप में फंस गये हैं। मैं समझता हूं कि आपको इस पर विचार करना पड़ेगा कि जी.एस.टी. के संग्रहण को बढ़ाकर एक तरफ तो आप यह करें और दूसरी तरफ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका 87 परसेंट वेतन-भत्ते, पेंशन, ब्याज में, प्रशासनिक खर्चों में इनमें जब तक मितव्ययता नहीं करोगे, सच्चाई से काम नहीं करोगे और वोट की फसल काटने के लिए थोथी योजनाओं को नहीं करेंगे, तब तक काम चलने वाला नहीं है। एक भी योजना धरती पर नहीं आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, तकलीफ मुझे इस बात की है इसलिए मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे यह कहा गया है कि मैं इसी आर्बिट में कहूं पर मैं यह जरूर कहूंगा कि जहां एक ओर इसी जीएस.टी. के बदौलत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गयी, वही हमारे जी.एस.टी. का कलेक्शन, हमारा टैक्स रेवेन्यू, हमारा लीकेज और हम यह जो कर्ज आधारित विकास का सपना देख रहे हैं, प्रशासनिक खर्चे बढ़ रहे हैं, वेतन बढ़ रहा है, पेंशन बढ़ रही है, ब्याज बढ़ रहा है, देश में विकास की राह ठप पड़ी है और मैं यह फिर कह रहा हूं कि हम ऐसे फिस्कल स्ट्रेस में आ गये हैं कि निश्चित तौर पर ओवर-ड्यू में जाना आम बात हो गयी।

आप यह जो प्रस्ताव लेकर आये हैं, निश्चित तौर पर इसका तो मैं समर्थन करता हूं पर जिस प्रकार का अर्थव्यवस्था को और जो आपने नौकरशाहों के हाथ में सब कुछ दे रखा है, ये बड़ी योजना बनाते हैं, 12 हजार करोड़ रुपये के टेलीफोन बांटने की योजना की घोषणा कर दी, इसको बंद करो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान गुड्स एंड सर्विस एक्ट, 2017 के आज इस संशोधन विधेयक में यह बात सही है कि माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि इस सी.जी.एस.टी. काउंसिल की सारी सिफारिशों को आज राजस्थान विधान सभा में हम हूबहू लेकर आये हैं लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि जब भी सीजी.एस.टी. काउंसिल की मीटिंग होती है तो क्या उस मीटिंग में राजस्थान के सात करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे राज्य के मंत्री या जो भी उस मीटिंग में भाग लेने गये, उन्होंने अपने सुझाव में राजस्थान के व्यापारियों के हितों की कोई बात रखी है क्या?

इसके सेक्शन-16 पर यदि बात हम करें तो इसमें लिखा है कि पूर्व में कोई भी व्यापारी सप्लायर से माल खरीदकर बिल के आधार पर जी.एस.टी. का इनपुट ले सकता था किंतु अब पक्के बिल का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि अब व्यापारी को इनपुट लेने के लिए सप्लायर पर निर्भर करना पड़ेगा और जब सप्लायर अपनी जी.एस.टी. की रिटर्न भरेगा तब उसके द्वारा इश्यू किये गये बिल में से चार्ज जी.एस.टी. का अमाउंट, जी.एस.टी. रिटर्न में दर्शाया जायेगा और खरीददार व्यापारी जी.एस.टी. का इनपुट ले सकता है। अत: व्यापार की वर्किंग कैपिटल पहले के मुकाबले बहुत अधिक उसकी इन्वॉल्व

(श्री अशोक लाहोटी)

होगी और इस चीज को, मेरा यह सुझाव है कि इसमें जी.एस.टी. का इनपुट अलाउ किया जाना चाहिए व एक निश्चित समय के अन्दर यह इनपुट जी.एस.टी. पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं करता तो उसको रिवर्स करना होगा, यह माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से यह सी.जी.एस.टी. काउंसिल में राजस्थान की सिफारिश जानी चाहिए थी।

माननीय सभापति महोदय, धारा-29 में इसमें एक कम्पोजीशन का आप्शन लाने वाले व्यवहारी रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि 3 माह के भीतर रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है या अन्य व्यवहारी एक निर्धारित अवधि में रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है तो रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जायेगा। यह एक ऐसा कड़ा प्रावधान है, निश्चित रूप से चाहे केन्द्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, इस तरह के कड़े प्रावधानों में रजिस्ट्रेशन निरस्त करने पर तो व्यापार ही बंद हो जायेगा। इस चीज की मांग राजस्थान की तरफ से सी.जी.एस.टी. काउंसिल में नहीं उठायी गयी कि यह रजिस्ट्रेशन निरस्त करना इसका कोई मापदंड नहीं है।

इसी प्रकार धारा-37 में यह संशोधन का प्रावधान किया है कि रिटर्न में गलती रह जाती है तो अगले वर्ष के नवम्बर माह तक सुधार करने की छूट होगी जो पहले सितम्बर तक थी। दिखने में तो बहुत अच्छा है कि पहले सितम्बर की छूट नवम्बर तक जाती है लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस माह की रिटर्न में गलती हुई है उसके आगे के वर्षों में रिटर्न सुधारने की छूट होने के कारण गलती को प्रैक्टिकली सुधारने में परेशानी आयेगी बल्कि इसकी जगह पर यह करें कि राज्य सरकार विशेषज्ञों से राय लेकर सी.जी.एस.टी. काउंसिल में यह बात पहुंचाती कि उस रिटर्न को रिवाइज्ड करने की अनुमति मिलती बजाय गलती सुधारने के लिए इसको रिवाइज्ड करने की अनुमति मिलती तो निश्चित रूप से इसका फायदा होता।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से यह धारा-38 में जी.एस.टी. इनपुट को लेने और देने वालों पर कण्ट्रोल अब स्वयं का रहा, सरकार का नहीं रहा, वह लेने और देने वालों पर हो गया इसलिए यह आटोमैटिक सिस्टम बनने जा रहा है, सप्लायर और बॉयर के बीच में, इसका मैकेनिज्म बन गया लेकिन इसमें जब तक सप्लायर रिटर्न के आधार पर बॉयर अपनी जी.एस.टी.

(श्री अशोक लाहोटी)

का इनपुट का क्लेम कर ले एवं सप्लायर जानबूझकर यदि अनजाने में या जानबूझकर गलती कर दे तो उसका खामियाजा बॉयर को भुगतना पड़ेगा। यह इतनी बड़ी डिमांड, यदि चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं उठायेंगे सी.जी.एस.टी. काउंसिल में तो राजस्थान के व्यापारियों के हितों की रक्षा कौन करेगा?

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार इसमें आप देखें कि धारा-49 में जो इनपुट क्रेडिट के लेजर के उपयोग पर कुछ पाबंदियां लगायी हैं, उससे तो चोरी कम होगी। यह स्वागत योग्य है।

इसी के साथ धारा-50 में बकाया राशि ब्याज की वसूली की जो रियायत है और धारा-2 में इलेक्ट्रोनिक कामर्स का है, इससे यदि वसूली करके मासिक रिटर्न प्रस्तुत करता है और यदि कोई गलती रह जाती है तो अगले वर्ष सितम्बर माह की रिटर्न के साथ वह करेगा लेकिन उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक करते तो इससे ज्यादा फायदा होता।

धारा-54 में रिफंड का अधिकार है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जब जी.एस.टी. की पूरी, सारे सेक्शंस में अमेंडमेंट है तो जो सबसे बड़े राजस्थान जिन चीजों को फेस कर रहा है, आज जी.एस.टी. में राजस्थान में पंजीयन की समस्त कार्यवाही को जयपुर केंद्रित कर दिया। जयपुर केंद्रित करने वाले, जैसे आप माननीय सीकर से आते हैं, बाकी लोग और जगह से आते हैं। वहां के व्यापारियों को छोटे-छोटे काम के लिए जहां पर सरकार का विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव था, उसको सेंट्रलाइज्ड करने के कारण इसमें पंजीयन प्रमाण-पत्र में बहुत ज्यादा देरी हो रही है। अव्यावहारिक आपत्तियों को वर्णित करते हुए नोटिस जारी किये जाते हैं। उन आपत्तियों का जवाब प्रस्तुत करने के बाद नई आपत्ति के साथ नोटिस जारी करने के बाद निरस्त किया जाता है। न ही उसमें नाम अंकित होता है और न ही सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क हो पाता है। इसका विकेंद्रीकरण जब तक नहीं होगा, जब तक इस प्रकार की जी.एस.टी. के सेक्शंस में दिक्कत आयेगी।

इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जैसे कहा है न कि प्रगतिशील राज्य में विकेंद्रीकरण और करदाता सुविधा यह है। कम्पोजिशन डीलर के लिए बहुत बड़ा इश्यू पिछले कई सालों से चल रहा है और पिछली बार के बिल में यह था कि जी.एस.टी.आर. 4 में प्रत्येक वर्ष की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यदि प्रत्येक वर्ष के लिए 10 हजार

(श्री अशोक लाहोटी)

रुपये का शुल्क विलम्ब के लिए इसमें आरोपित है। इसमें केन्द्र सरकार ने भी जब किया तो इसमें जो एमनेस्टी स्कीम लेकर आये थे, उस एमनेस्टी स्कीम में पिछले सालों में केवल 500 रुपये का था। मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि आप पुरानी एमनेस्टी स्कीम को बढ़ायें। इससे आपको टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जो माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हमारे कुल बजट साइज का जी.एस.टी. केवल 10 परसेंट ही ले पा रहे हैं। उस जी.एस.टी. को लेने में हमको और ज्यादा मदद मिलेगी। एमनेस्टी स्कीम को आप बढ़ायें। जो चार्जेज 10 हजार रुपये का है, जो देश में कहीं भी नहीं है, उसको कम करके आप 500 रुपये पर लायें।

इसी प्रकार से कम्पोजिशन डीलर के अलावा अन्य डीलर्स के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 2017-18 और 2021-22 तक एमनेस्टी स्कीम लागू की, इसको राजस्थान ने नहीं की। यह 2021-22 की एमनेस्टी स्कीम हमको भी लानी चाहिए और वर्तमान फीस को कम किया जाए। दूसरे डीलर्स की भी करें।

सभापति महोदय, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की बिजनस आडिट एन्फोर्समेंट विंग, बिजनस इंटेलिजेंस यूनिट केन्द्रीकृत करके जयपुर में रखने से टैक्स की चोरी भी बढ़ी है और ईमानदार करदाताओं के हितों पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा माननीय मंत्री महोदय, निश्चित रूप से इस बिल को तो आप पास करेंगे। यह केन्द्र सरकार का सी.जी.एस.टी. कौंसिल का बिल है। आप और हम सब मिलकर इसको पास करेंगे वरना राजस्थान का रेवेन्यू रुकेगा लेकिन जो सुझाव हम दे रहे हैं, इन सुझावों को जब तक हम सी.जी.एस.टी. कौंसिल में लेकर नहीं जायेंगे तो जो मैंने कहा कि बिजनस आडिट यूनिट को सभी क्षेत्रों से खतम करके... (व्यवधान)

माननीय सदस्य, हरेक समय बीच में नहीं बोलें आप। मेहरबानी करें आप। अभी-अभी आपको सभापति महोदय ने इतनी बातें कहीं। मुझे लगता कि आपसे, आपको कुछ दवाई लेनी पड़ेगी। मैं ही लेकर चलूंगा।

सभापति महोदय, सभी क्षेत्रीय स्तर से खतम करके जयपुर में केन्द्रीकृत करने का तर्कसंगत नहीं है। बिजनस आडिट में चयनित व्यापारियों को भारी-भरकम रिकार्ड लेकर जयपुर आना पड़ता है। मैं आपको एक प्रक्रिया बता रहा हूं कि राजस्थान में धारा 65 के तहत न्यूनतम पांच की आडिट यदि

(श्री अशोक लाहोटी)

प्रस्तावित होती है तो 25 हजार करदाताओं की आडिट करनी पड़ेगी। यदि इसमें न्यूनतम 10 हजार करदाताओं की भी आडिट की जाए और उन सब करदाताओं को जयपुर हैड आफिस पर आना पड़े तो आप सोच सकते हो कि 10 हजार लोगों का एक साल में जयपुर एक बार का यदि कोई छोटा-सा भी कोई आब्जेक्शन है तो पांच बार सर्वे में आना पड़ता है और यदि कोई विसंगति है तो दस से पन्द्रह बार विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखनी पड़ती है तो 10 हजार भी यदि आडिट केस हैं और उन लोगों को जयपुर आना पड़े तो मैं समझता हूं कि यह किसी राज्य की इस नीति के बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे राज्य की बहुत अच्छी नीति है। यह उल्टा व्यापारियों को परेशान करने की है।

इसी प्रकार सभापति महोदय, ई-वे बिल की बात इस प्रावधान में है। इसमें सबसे बड़ा, हमारे राज्य में कोई माल एक शहर में सप्लाई किया जाता है तो दो लाख रुपये तक के मूल्य के माल पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है परन्तु गुजरात में एक ही शहर के अन्दर कितना भी माल आप ट्रांजेक्शन करें उसमें कोई ई-वे बिल की जरूरत नहीं है तो क्यों हम इसको राजस्थान में भी कर सकते? हमारे व्यापारियों को हम क्यों परेशान कर रहे हैं? यदि ई-वे बिल की छूट लोकल सिटी में, एक ही सिटी में है तो उसकी जरूरत हम खतम कर दें तो हमको उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं समझता हूं इससे राजस्थान को फायदा होगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार जी.एस.टी. कानून में कुछ वस्तु विक्रेताओं को रिवर्स चार्ज करने पर भुगतान करना होता है। जैसे हमारे यहां रॉ-काटन, कपास और नरमा, इनके लिए व्यापारी शुरुआत में इस प्रावधान को समझ नहीं पाये, रिवर्स चार्ज को समझ नहीं पाये थे और उन्होंने रिवर्स चार्ज के तहत भुगतान कर दिया। अब सरकार 2017-18 से कर की वसूली के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दे रही है जबकि आपके प्रावधान में है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आप दें। व्यापारियों पर करोड़ों रुपये की डिमाण्ड निकाली जा रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि एक रेवेन्यू न्यूटल का प्रावधान है। सरकार को इसके लिए कोई रास्ता इसके माध्यम से निकालना चाहिए और उनको इनपुट क्रेडिट का कपास और नरमा जैसी अनेक चीजों से रिलेटेड राजस्थान के छोटे-छोटे व्यापारियों जो हैं, उनको इसमें राहत देनी चाहिए।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं इन्हीं सुझावों के साथ धन्यवाद देता हूं और मंत्रीजी आपसे उम्मीद करता हूं कि अगली सी.जी.एस.टी. की बैठक में राजस्थान के व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए राजस्थान के विशेषज्ञों से राय लेकर, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की राय नहीं, आप सी.जी.एस.टी. कौंसिल में अपनी बात जरूर रखें और राजस्थान के व्यापारियों के हितों की रक्षा करें। इन सुझावों के साथ धन्यवाद। इस बिल को पास किया जाए।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित)। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (अनुपस्थित)। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापतिजी, आर.जी.एस.टी. एमेंडमेंट बिल, 2022 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। 2017 के राजस्थान अधिनियम संख्या 9 का संशोधन सरकार लेकर आयी है और प्रस्तावित संशोधन विधेयक में धारा 16(4) में संशोधन द्वारा किसी भी करदाता को किसी वर्ष की खरीद पर चुकाये कर जी.एस.टी. को क्लेम करने का अधिकार आगामी वर्ष के सितम्बर माह की जगह नवम्बर माह की 30 तारीख तक बढ़ाया गया है।

महोदय, वित्त विभाग की एस.डी.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक 700 करोड़ का कर इन तिथि के बाद करदाताओं ने क्लेम किया जो अभी तक बकाया है और विभाग की धीमी कार्यवाही चल रही है।

दूसरा, यह अपेक्षा की जाती है कि व्यापारियों की खरीद पर कर को क्लेम करने में पूर्ण छूट हो क्योंकि किसी भी खरीद के कर पर प्रतिबन्ध का कारण नहीं। जो कर का पैसा खरीद पर चुकाया गया, उसे किसी भी समय सीमा में बांधा नहीं जाए।

तीसरा, ऐसी समय सीमा से विभाग के अधिकारियों का कार्य बहुत बढ़ेगा, वसूली भी नहीं होगी और लिटिगेशन भी होंगे। धारा 16(2) कहती है कि कोई भी करदाता अपनी सद्भावपूर्ण खरीद पर उतना ही कर जी.एस.टी. क्रेडिट के रूप में क्लेम कर पायेगा जो विक्रेताओं ने उस दिन तक अपनी रिटर्न में दर्शाया है। महोदय, बहुत से विक्रेता समय पर रिटर्न नहीं भरते हैं और यह संख्या बहुत ज्यादा है। अब कोई करदाता किसी दूसरे की गलती से अपना खुद का चुकाया कर भी क्लेम नहीं कर पाये तो यह तो अति होगी। यह

(श्री बिहारीलाल)

हमारी जिम्मेदारी है कि हम समय पर सभी से रिटर्न भरवायें। विभाग ने अभी तक सभी रिटर्न डिफाल्टर्स के खिलाफ कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। आज आठ लाख करदाताओं में से मुश्किल से 20 परसेंट करदाता समय पर रिटर्न नहीं भरते।

राजेन्द्र राठौड़ साहब ने सही कहा कि केन्द्र के जी.एस.टी. कलेक्शन की कितनी अच्छी प्रगति और गति है और हम कहां खड़े हैं, इस पर भी हमें आत्मावलोकन करना चाहिए। विभाग जी.एस.टी. का काम ही नहीं कर रहा है। आपकी सरकार तो वैट के बकाया मांगों को बिना वसूली ही एमनेस्टी स्कीम में रेवड़ियां बांटने में लगी हुई है। कर में 80 परसेंट की छूट देकर डिमाण्ड को खतम कर रहे हैं। जी.एस.टी. लागू हुए पांच वर्ष हो गये। पांच वर्ष में केन्द्र की गति क्या और हमारी गति क्या है, इसकी तुलना होनी चाहिए। रिटर्न डिफाल्टर्स के खिलाफ धारा 16(2) के तहत भी प्रभावी कार्यवाही विभाग नहीं कर पा रहा है।

सेक्शन 29, जैसाकि अभी अशोकजी ने कहा, पंजीकृत कम्पोजिशन के पंजीयन को उस स्थिति में निरस्त किया जायेगा, किसी वर्ष में तीन टैक्स पीरियड के रिटर्न नहीं भरेगा और यह सीमा नौ माह हो जाती है। ऐसे संशोधन की आवश्यकता क्यों आती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में पूर्व के पांच वर्ष में रिटर्न डिफाल्टर कम्पोजिशन करदाताओं के खिलाफ विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। ये करदाता पूर्णत: अनियंत्रित हैं क्योंकि ये लोग खरीद की क्रेडिट लेते नहीं हैं। कम टर्न ओवर सीमा के कारण विभाग ध्यान देता नहीं है। विभाग तो अभी वैट काल के कामों में उलझा हुआ है। कम्पोजिशन करदाता जानबूझ कर टर्न ओवर दो करोड़ में सीमा में रखता है ताकि विभाग की नजर में नहीं आये। दूसरी बात यदि वह रिटर्न ही न भरे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। अत: यह संशोधन हमारी कमी को ज्यादा उजागर करता है। विभाग में काम नहीं हो तो पोर्टल ही पंजीयन को निरस्त कर देगा। यह कितनी बड़ी नाइंसाफी उनके साथ होगी। हम इस संशोधन से करदाता को सुविधा दे रहे हैं। साथ ही विभाग की जिम्मेदारी है कि वह कानून की पालना सुनिश्चित करे। जितनी खरीद ज्यादा दिख रही है उसका जमा होने वाला कर भी ध्यान में रखे। लम्बे समय तक रिटर्न नहीं भर कर करदाता अचानक गायब हो जाते हैं। फेक पंजीयन भी बहुत ज्यादा हैं। अत सुविधाओं के साथ जिम्मेदारी के साथ विभाग को पालना के लिए सजग होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा।

(श्री बिहारीलाल)

धारा 37 में संशोधन से करदाता अपनी विवरणी में उतना ही कर क्लेम कर पायेगा जितना खरीद के आगे जी.एस.टी.आर. 2 बी में उस दिन तक दिखता है। यदि उसके खाते में खुद की खरीद को कम करके दिखा रहा है क्योंकि विक्रेता ने अपना रिटर्न नहीं भरा है, ऐसी परिस्थिति में करदाता को कैश जमा कराना होगा। यह एक तरह से दोहरा कर है। इस नियम की पालना जब भी सम्भव है, विभाग करदाताओं से समय पर रिटर्न भरवायें। रिटर्न जमा नहीं करने पर धारा 46 के तहत विभाग को कार्यवाही करनी होती है जो आज तक राजस्थान पर नगण्य हुई है। करदाता की क्या गलती है, जिसने सही खरीद की है। यह हमारी कमजोरी है और विभाग की कमजोरी है।

धारा 38 के प्रस्तावित समस्त प्रावधान इस बात पर केन्द्रित हैं कि करदाता को अपनी सद्भावनापूर्ण खरीद पर क्लेम करने हेतु नियंत्रित किया जाए। इसका सम्बन्ध यह है कि जो कर राजकोष में जमा नहीं हुआ हो, वह कर हम करदाता को नहीं दे सकते। बात सही भी है लेकिन राजकोष में कर जमा क्यों नहीं हुआ। यह किसकी कमी होती है? लोग अपना कर जमा नहीं कराये तो विभाग जिम्मेदार है कि प्रभावी नियंत्रण रखे और कर जमा का राये। कानून में सब प्रावधान है। अधिकारियों को इन कामों के लिए कानून में शक्तियां दी हुई हैं लेकिन सरकार जी.एस.टी. के काम में अभी बहुत पीछे है। यह प्रावधान क्यों आये। हजारों करोड़ का करदाताओं ने खरीद पर जो क्लेम किया, विक्रेताओं ने भरा ही नहीं, यह बहुत गम्भीर बात है। जो कर खरीद पंजिका में नहीं दिखता और वह राजकोष में नहीं जमा हुआ, उसका लाभ तो देना सम्भव नहीं है लेकिन विभाग इस बात से भलीभांति अवगत है कि कौनसा कर करदाता ने जमा नहीं कराया। यह सब रिकार्ड पर उपलब्ध है। आंकड़े उपलब्ध हैं। कोई कार्यवाही नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में वह करदाता भुगत रहा है जिसने सही खरीद की है। धारा 39, 42, 43, 45, 49, 50 के संशोधन भी इसी प्रकार हैं। मुद्दे की बात इतनी है महोदय कि कानून में संशोधन समय की मांग है लेकिन कानून की पालना नहीं हो रही है। सरकार की प्राथमिकता है व्यापारी को रिझाना। उसमें सबसे ज्यादा लाभ उन व्यापारियों को हो रहा है जो कानून की पालना नहीं करते हैं। सद्भावनापूर्ण व्यापारी ठगा महसूस करता है जब उसको न तो सही-सही क्रेडिट का लाभ मिलता है और न ही समय पर जमा कराने का पुरस्कार मिलता है। माननीय मंत्रीजी, जैसाकि अभी हमारे साथी ने कहा कि जयपुर में विभाग को सेंट्रलाइज

(श्री बिहारीलाल)

कर दिया गया तो अब विकेन्द्रीकरण करके सभी संभागों पर वह अधिकार पुन: दिये जायें जो पहले थे और यहां जयपुर में जो सेंट्रलाइज करें, उन सब अधिकारों को वापस विकेन्द्रीकृत किये जायें तभी विभाग में सही तरीके से काम हो जाएगा। माननीय मंत्रीजी कहें कि जी.एस.टी. कौंसिल का अमेंडमेंट है, हमें तो अक्षरश: लागू करना है तो हम इसमें क्या सुझाव दे रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, हमें तुलना करनी होगी कि कलेक्शन में सेंट्रल जी.एस.टी. की क्या स्पीड है और हमारी स्टेट जी.एस.टी. में कलेक्शन की क्या स्पीड है, क्या प्रतिशत है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना जनमत का प्रस्ताव वापस लेता हूं और इसे पारित किया जाये।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 के संबंध में चूरू, सांगानेर और नोखा से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो अपना वक्तव्य दिया है, उसमें मैं अपने आपको समाहित करता हूं।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, जी.एस.टी. के बारे में राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 लाये हैं, क्योंकि जी.एस.टी. कौंसिल बनी है, तभी लोगों की सहमति से उसके सभी राज्यों के प्रतिनिधि रहते हैं और उसमें समय-समय पर जहां भी कोई अमेंडमेंट करना हो, तो उनकी सबकी सहमति से अमेंडमेंट करने का प्रोविजन इसमें है। मैं सोचता हूं कि यह देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के सामने इस जी.एस.टी. कौंसिल ने जो-जो अमेंडमेंट प्रपोज किये थे, उन्हीं को केन्द्र की सरकार लेकर आयी और उसी के आधार पर हमने भी यहां इस बिल को पेश किया है। मैं सोचता हूं कि हमारी और केन्द्र की भावना एक ही है। जो संशोधन उन्होंने किये हैं, उन संशोधनों को हम अपने यहां पर करके, उनको अपन अपनी सहमति भेजें।

माननीय सभापति महोदय, मैं जो बात कहना चाहता हूं, जी.एस.टी. जब लागू हुआ तब सातवीं अनुसूची में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को करारोपण करने का अधिकार था। पहले तो अपना-अपना बनाते थे। देश में जी.एस.टी. लागू करने के लिए संविधान की धारा 101 और संविधान संशोधन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अगस्त, 2016 में दोनों सदनों में पारित हुआ। इस संशोधन के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 246(ए), 269(ए) और 279(ए) इसमें अंत:स्थापित की गयी। जब जी.एस.टी. को लागू करने के लिए अमेंडमेंट किया और अनुच्छेद 286 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 366 में माल और सेवा कर की परिभाषा में इसको सम्मिलित किया था और यह प्रक्रिया अपनाकर सम्पूर्ण देश में 'एक देश एक टैक्स' लगाने के लिए इस प्रक्रिया में आगे बढ़े। इस संशोधन के परिणाम एक समान मूल्यवर्धित प्रणाली 01 जुलाई, 2017 से लागू हुई।

केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक जी.एस.टी. परिषद् का गठन हुआ, जिसमें केन्द्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि हैं। वैसे सामान्यत: नियम यह है कि तीन-चौथाई मैजोरिटी से भी अगर कोई संशोधन स्वीकार करना चाहें तो भी किया जा सकता है। यह जी.एस.टी. कौंसिल को अधिकार है लेकिन देश का यह पहला मैं ऐसा अवसर समझता हूं अब तक जो भी निर्णय हुए हैं वह सर्वसम्मति से हुए। कोई एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं था, जिस पर वोट या डिवीजन हुआ हो। कभी-कभी सहमति नहीं बनी तो उसको आगे के लिए टाल दिया गया कि इसके बारे में और लोगों ने जो सुझाव दिया, उसको मिलाकर अगली बैठक में रखेंगे तो मैं समझता हूं कि इस जीएस.टी. को लागू करना और जी.एस.टी. को पांच साल बाद इस स्टेज पर लाने तक का, मैं सोचता हूं देश के सभी राज्यों की सरकारों का, उनके प्रतिनिधियों का एकमत के आधार पर आया। इसके कारण से पहले जब इसके बारे में बहुत कुछ भ्रम पैदा किये गये। यह प्रारम्भ में जब लागू हुआ तो निश्चित रूप से सभी के मन में एक शंका थी कि पता नहीं जी.एस.टी. से क्या-क्या तूफान होगा। जी.एस.टी. को जब लागू किया तो आशंका थी कि कानून जटिल है, व्यापारियों की कमर तोड़ देगा। यह सामान्यत: जिस समय लागू हुआ था तो सारे देश में विपक्ष ने भी इसके बारे में कहा कि यह गब्बर टैक्स है, यह टैक्स है, वह टैक्स है और ऐसा कहकर उसकी आलोचना की, लेकिन अब वास्तव में जी.एस.टी. विश्व की सबसे सफलतम कर प्रणाली के रूप में स्थापित है। भारत ने भी, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी ने भी इस ओर आगे बढ़ने के लिए निरन्तर प्रयास किया और उसके कारण से धीरे-धीरे आगे बढ़ते-बढ़ते इस सरकार ने 2017 की जुलाई में आकर इस कानून को पास किया। इसमें सभी को लाभ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं इसके जो संशोधन हैं वह तो 17-18 संशोधन हैं और वह सारे के सारे आपके कारणों और उद्देश्यों में बहुत

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्पष्ट दे रखा है। मैं सोचता हूं उसके अनुसार ही हमने भी अपना काम किया है। लगभग 18 संशोधन इसमें सारे के सारे इस बिल में किये हुए हैं। इसमें से चाहे तो मैं एक पढ़ सकता हूं। विधेयक का खण्ड2 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा (2) में एक नया खण्ड (ख क) अंत:स्थापित करते हुए संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, किसी प्रदाय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग केवल तभी किया जा सकेगा जब ऐसा प्रत्यय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को धारा 38 के अधीन संसूचित ब्यौरों में निर्बंधित नहीं किया गया हो। एक के बाद एक, हरेक को उसको थोड़ा आगे बढ़ाने का काम किया है।

मैं सोचता हूं इसमें प्रारम्भ में तो व्यापारी का बहुत विरोध था, क्योंकि नई व्यवस्था थी, समझने में भी दिक्कत थी और मन में भी कई प्रकार की शंकाएं थीं। आज मैं सोचता हूं कि इस देश में करप्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार हुआ है और स्वयं व्यापारी को भी अगर आप पूछेंगे तो वह भी महसूस करता है कि इंस्पेक्टर राज का जो डर और भय था, वह आज की तारीख में लगभग-लगभग खतम होते हुए दिख रहा है। छोटा-सा इंस्पेक्टर भी आता था तो गांव में बाजार में जैसे ही घुसता था तो सबके शटर डाउन हो जाते थे। एक दुकान पर वह जरूर जाता था, लेकिन सारा मार्केट उसके कारण से बन्द हो जाता था। एक छोटा-सा व्यक्ति भी जाकर बड़ी फैक्टरी में उसके कागज देखना शुरू करता और उसके बाद जो केस बनाता था तो वह केस लड़ते-लड़ते एक तरह से वह फैक्टरी वाला परेशान हो जाता था, लेकिन इसके बाद टैक्स का सारा काम आज की तारीख में ऑनलाइन हो गया। व्यापारी को सरकारी आफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ईमानदारी से अब पांच साल बाद महसूस करें तो वह राहत महसूस कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, जी.एस.टी. लागू होने के पहले 17 तरह से अलग-अलग कर थे। उनके बारे में उनके यहां तख्तियां ही लटकी रहती थीं कि किस प्रकार का लाइसेंस है। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाने के बाद एक समान और सरल प्रणाली, व्यापारी को पहले जहां कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब एक ही विभाग में काम हो जाता है। पंजीकरण, रिटर्न फाइल करना, असेसमेंट करना, प्रथम और द्वितीय अपील करना, सभी ऑनलाइन होने से सिस्टम आसान हो गया है। मैं आपको ईमानदारी से कह सकता हूं आज की तारीख में जिस आफिस में जाने के पहले ही एक तरह से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भय लगता था और जिस प्रकार से सी.ए. हो, चाहे कोई हो, उनको जिस प्रकार से लेनदेन का काम करना पड़ता था, इस नई प्रणाली के लागू होने के कारण से सौ प्रतिशत तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर अस्सी प्रतिशत जिस प्रकार की परेशानी और जिस प्रकार का लेनदेन होता था, वह सारा का सारा एक तरह से खतम हो गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुगम व्यवस्था से व्यापारी को लाभ हुआ। क्षेत्रीय असंतुलन दूर हुआ और अन्तराज्यीय अंतर भी कम हुआ है। माल व्यापारी को 40 लाख तक के वार्षिक टर्नओवर पर तथा सेवा क्षेत्र के 20 लाख के वार्षिक टर्नओवर पर पंजीयन में छूट मिली है। जी.एस.टी. कौंसिल में जैसे-जैसे प्रस्ताव आते गये, उसके अनुसार इसकी छूट को बढ़ाते चले गये। आज की तारीख में जी.एस.टी. में पहले केवल 75 लाख के टर्नओवर पर व्यापारी कम्पोजीशन स्कीम का हकदार था, जबकि अब जी.एस.टी. के अन्तर्गत 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए एक तरह से उसको छूट मिल गयी है। जी.एस.टी. के तहत कम्पोजीशन स्कीम के उत्पादन को भी शामिल किया गया है। MSME सैक्टर में भी भारी लाभ हुआ है। इस प्रकार देश में 84 प्रतिशत करदाता इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं, जबकि पहले केवल 25 प्रतिशत करदाता ही इसमें भाग लेते थे।

माननीय सभापति महोदय, आज एक व्यापारी की 2017 से अभी तक की बैलेंस शीट उठाकर देखें तो मालूम होगा कि वास्तव में उसका टर्नओवर किस प्रकार से था। इससे सरकार को भी लाभ हुआ। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिये। जितना टैक्स कलेक्शन केन्द्र का था और हमारा भी था, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। आज की तारीख में प्रत्येक महीने में लगभग डेढ़ लाख करोड़ से भी ऊपर क्रोस कर रहा है, जबकि हमारा पूरा का पूरा प्रारम्भ में अगर हम उसको देखें तो फीगर मुश्किल से सम्पूर्ण देश का प्रारम्भ में महीने का 60-70 हजार करोड़ तक जाता था, वह आज की तारीख में डेढ़ लाख करोड़ तक का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है और जब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तभी हम जनता के लिए जो सेवा के काम करना चाहे वह उसी में से करेंगे, हमारी आमदनी होती है उससे। अप्रैल, 2021 में जहां केन्द्र सरकार राजस्थान के बारे में आप जो कहते हैं, हमको इसमें लाभ नहीं मिला, अप्रैल, 2021 में टैक्स कलेक्शन 32,172 करोड़ रुपये था जो अगस्त, 2022 में 1,49,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। यह जो आज अपन कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान अब दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाकर खड़ा हुआ है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो उसमें बहुत बड़ा रोल अगर किसी का है तो इस जीएस.टी. व्यवस्था का है। जी.एस.टी. लागू होने के बाद देश में टैक्स कलेक्शन 50 प्रतिशत बढ़ा है और प्रदेश में 28 प्रतिशत बढ़ा है। राज्य सरकार के बारे में भी राजस्थान को भी अगर आप दो आंकड़ों की तुलना करें कि जून, 2021 में राजस्थान को जी.एस.टी. के कारण से कितना पैसा मिला था, 2,174 करोड़ रुपये और जून, 2022 में मिला है, 3,386 करोड़ रुपये अर्थात् 56 प्रतिशत, 2021 में जून में और 2022 के जून में राजस्थान को मिला है उसमें 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मैं सोचता हूं कि राजस्थान भी बड़े राज्यों में कम से कम तीसरेचौथे स्थान पर आ गया, अपने जी.एस.टी. की भरपाई वहां से हो रही है। राजस्थान सरकार को, मंत्री महोदय आप बताना, हमने देखा है कि गत पांच वर्षों में लगभग आपको 20 हजार करोड़ रुपया राजस्थान को जी.एस.टी. का मिला है, 20 हजार करोड़ रुपया जी.एस.टी. का तो मैं सोचता हूं कि एक तरह से सरकार को इसमें से जितना इसके बारे में कहा गया था उस प्रकार की स्थिति नहीं है। इसके साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ मिला है। केवल व्यापारी और सरकार को ही लाभ नहीं हुआ है। ईमानदारी से जीएस.टी. के कारण से उपभोक्ताओं का भी पूरा प्रोटेक्शन हुआ है। पहले कर पर कर लगता था। एक पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, अब आज की तारीख में एक ही जगह पर टैक्स लगता है। पूरे देश में समान कर होने से भी उपभोक्ताओं को लाभ मिला। जी.एस.टी. की पांच दरों, शून्य, पांच, बारह, अठारह और अट्ठाइस, केवल पांच ही स्लैब में लाकर कर दिया और उसमें भी जो जी.एस.टी. कौंसिल बैठती है और आप जो सोचते हो कि किसी पर 28 प्रतिशत बहुत ज्यादा है तो आप लोगों की आपसी चर्चा के बाद पहले कभी किसी में 28 था तो उसको 18 किया, 18 था तो उसमें से कहीं 5 किया, कई चीजों को उसमें और घटाने के लिए भी, अगर मान लो इसमें कोई तकलीफ महसूस करते हैं तो जी.एस.टी. कौंसिल में हमारा जो प्रतिनिधि जाता है वो हम सब लोगों की राय को लेकर उसमें जाये और अपने को अगर प्लीड करे तो मैं समझता हूं कि उसकी सहमति से केवल हमें ही नहीं लाभ मिलेगा, बाकी सारे राज्यों को भी लाभ मिलेगा।

एक जो बात आपने बार-बार कही, आंदोलन में भी कहा, गेहूं पर भी लग गया, आटे पर भी लग गया, इस पर भी लग गया, इस पर भी लग गया। फल पर भी लग गया। इतना भ्रमित तो मत करो। जो पैक्ड है, जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बिलकुल पैक्ड डिब्बों में आता है उसी पर टैक्स है। खुले में कहीं कोई जी.एस.टी. नहीं। आपने इसको ऐसा प्रचारित किया तो आपके गेहूं पर भी टैक्स लग गया, सब्जी पर भी टैक्स लग गया। जिसमें पैक्ड आइटम का कोई लेनदेन हो रहा है तो उस पर यह जी.एस.टी. का टैक्स जरूर है, बाकी कोई टैक्स नहीं। अब इसमें से आपने कहा कि दूध, लस्सी, मक्खन, पनीर आदि जो पैक किये हुए हैं लेबल लिए हुए हैं उन पर न्यूनतम 5 प्रतिशत का कर लगाया है, खुले एवं ताजा दूध उत्पादकों को कोई जी.एस.टी. नहीं है। मतलब कम से कम सच्चाई तो बोलना चाहिए। इसके बारे में आलोचना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि ईमानदारी से कोई स्वीकार करे तो आंदोलन या कोई विरोध करने की कोई स्थिति नहीं है। क्या आपको यह महसूस नहीं होता है कि राजस्थान में ये जो विभिन्न अलग-अलग स्थितियां हैं उनमें हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, इस पर हमें विचार जरूर करना चाहिए। केन्द्र का टैक्स कलेक्शन जिस गति से बढ़ा है, उस गति से हमारे यहां भी बढ़ा है। हमको दो ही दिये थे, वैट और एक्साइज, पेट्रोल और डीजल आपको दिये थे वैट के आधार पर, सभी राज्यों को दिया है। क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे अधिक वैट होने के कारण से गुजरात में हमारे से पेट्रोल 7 रुपये प्रति लीटर कम रेट पर बिकता है? इसी तरह से दिल्ली का देखें, हरियाणा का, हमारे बोर्डर का देखें। मैं आपसे कहता हूं कि आपको आमदनी कम नहीं होगी, क्योंकि आपकी सेल उस एरिये में जो बोर्डर पर हमारे पेट्रोल पम्प हैं उनकी सेल अपने आप ही कम होती है तो कहीं न कहीं आपकी उससे भरपाई तो हो ही रही है। अच्छा हो कि जनता को भी इससे राहत मिले। जो हमारी नेबरिंग स्टेट हैं, वहां पर जितना वैट है उस आधार पर अगर हम वैट लगायेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई घाटा नहीं होगा।

आप कहते हैं केन्द्र सरकार का, केन्द्र सरकार ने अगर एक्साइज लगा रखी है तो राजस्थान अकेले के लिए नहीं लगा रखी है, सम्पूर्ण देश के लिए लगा रखी है। उन्होंने जब प्रयत्न किये कम करने के तो कम भी किया है दो बार, यह सोचकर कि वास्तव में पेट्रोल और डीजल सामान्य व्यक्ति के यूज में आता है। उसको उन्होंने कम भी किया है लेकिन आप कम से कम इतनी तो कृपा करो कि हमारे नेबरिंग स्टेट में पेट्रोल और डीजल पर जो कुछ भी वैट है, जिसके कारण से हमारे तीस-तीस, चालीस-चालीस किलोमीटर के पेट्रोल पम्प बन्द हो गये हैं। वो तो किसी तरह से सर्वाइव करे और यह जो ब्लैक हो रहा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है, इस ब्लैक को भी इस तरह से रोका जा सकता है। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि राजेन्द्रजी ने इस पर पूरी बात रख दी है, लेकिन इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि हम वास्तव में आज की तारीख में कर्जे के भार में इतनी गहराई में जा रहे हैं।

मैं जब पहले भी बजट पर बोला था तो मैंने कहा था कि ये 5 लाख करोड़ रुपये, यह तो मैंने उस दिन कहा था, आज की तारीख में राजस्थान का कर्जा लगभग 5.5 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है। अगर इसका ब्याज भी जोड़ें जो 28 हजार करोड़ रुपये तो हमको केवल ब्याज में ही पड़ना है। हमारी जितनी आमदनी हो रही है, इस आमदनी की तुलना में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं? हमारे जो दूसरे खर्चे हैं, जिनके कारण से हमारे ऊपर ओवर बर्डन आ रहा है, इस पर बैठकर विचार करना चाहिए। अभी आपने लोगों को केवल खुश करने का काम किया है। मेरा दावा है कि अगली बार जब भी यह विधान सभा लगेगी तो आपने जितनी घोषणाएं की हैं, उनके लिए आपके पास साधन नहीं हैं। आपने जनता के लिए केवल हवाई पुल बना दिये, क्योंकि आमदनी कहां से आयेगी, इसका तो कोई अता पता ही नहीं लग रहा है। जैसे आपने सवेरे किसी प्रश्न के जवाब में कहा, आपने कह दिया कि 12 हजार करोड़ रुपये में हम सबको स्मार्ट फोन देंगे। कहां से देंगे? तीन साल में करेंगे, अभी तो अपने छह महीने तो निकल गये हैं, अभी तो हम धरती पर कहीं उतर ही नहीं पाये हैं। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि आपके फाइनेंस के जितने अधिकारी बैठे हैं, ये मेरे को केवल राजस्थान में आपकी सरकार, 2019 -20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, यह जो चौथा बजट पेश किया है, इनका एक भी काम राजस्थान में, एक भी काम, जो 25 करोड़ से अधिक का हो और उसका निर्माण होकर जनता को सुपुर्द कर दिया हो तो उसका नाम बता देंगे तो हमको बहुत संतोष मिलेगा कि वास्तव में आपने किया है। केवल और केवल ये जो राजनीति का अखाड़ा बन गया है, ये भी फ्री मिलेगा, वो भी फ्री मिलेगा, वो भी फ्री मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है इसके आधार पर कभी भी देश नहीं बनता है। देश बनेगा तो टैक्स बड़े आदमी से वसूल करो और छोटे की मदद करने का प्रयास करो ताकि उसको लाभ मिले।

मैं सोचता हूं कि जीएस.टी. ने वास्तव में सम्पूर्ण देश का कायाकल्प किया है इसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता और उसके कारण से हिन्दुस्तान आज पांचवें स्थान पर है दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं की दृष्टि से,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आने वाले दो साल में ये तीसरे स्थान को टच करने की स्थिति में बन रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं तो कृपा करके, इसके बारे में हमारा कोई विरोध नहीं है, इसके बारे में क्योंकि इसमें तो सबने मिलकर अमेंडमेंट किया है, जी.एस.टी. कौंसिल ने अमेंडमेंट किया है। उसमें हम भी अपने को उसमें सहभागी मानते हैं और उसका समर्थन करते हैं लेकिन हमारा स्टेट कहां खड़ा है, हम कहां हैं, हमें आगे बढ़ने में कहां-कहां इस टैक्स कलेक्शन में तकलीफ आ रही है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो तो उससे राजस्थान का भला होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल झाड़ोल।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष और उप नेता ने इसका वर्णन किया है और ये देश के विकास के लिए और राज्य के विकास के लिए नींव का पत्थर साबित होगा इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित)। श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित)। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022, राजस्थान माल और सेवा अधिनियम, 2017, जी.एस.टी. एक्ट, 2017 को संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 लाया गया है, जिसके तहत मूल अधिनियम जी.एस.टी. एक्ट 2017 की विभिन्न धाराएं, कुल 16 धाराओं में परिवर्तन किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन के पीछे मूल उद्देश्य राजस्थान सरकार का गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स या दोनों में राज्य के भीतर कर लगाकर कर का सरलता से संग्रहण कर सकें और व्यवस्थाओं में सरलीकरण करके संशोधनों के माध्यम से कुछ प्रकरणों के पूर्व निर्धारित तिथियों को बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार राजस्थान गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल, 2022 के माध्यम से जो संशोधन करने जा रही है, इन संशोधनों का आधार विगत जी.एस.टी. काउन्सिल की 47वीं बैठक जो केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में लिए गये

(श्री अभिनेश महर्षि)

सर्वसम्मत निर्णय हैं और उन्हीं निर्णयों को जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने जी.एस.टी. में प्रभावी कर दिया था वही संशोधन आज इस सदन के अन्दर लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, जी.एस.टी., सैण्ट्रल गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स और आई.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी., जिसमें मूल रूप से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा माल और सेवा करों पर लिए गये टैक्स का संग्रहण होता है, इन दोनों में समानता रहे और एक देश में एक कर, एक देश में एक कानून की अवधारणा और एक देश में एक झण्डे की जो बात है यही यह जी.एस.टी. है जो आज सदन में राजस्थान गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल के माध्यम से सरकार संशोधन लेकर आयी है, लेकिन, सभापति महोदय, प्रश्न तो यह उठता है कि जी.एस.टी. एक्ट, 2017 के मूल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में यह संशोधन किया क्यों जा रहा है, सरकार क्या चाहती है, सरकार का उद्देश्य क्या है? इसका राजस्थान के व्यापारी, उद्योगपति और उपभोक्ताओं पर, राजस्व में क्या लाभ होगा, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और राजस्थान की जनता और सदन राजस्थान की सरकार से इस बारे में जानना चाहता है कि इसके उद्देश्य और प्रभावों के कारण किस तरह से है और राजस्थान की सरकार का इसमें हेतुक क्या है?

माननीय सभापति महोदय, ये जो तीन सी.जी.एस.टी., आई.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. हैं, इन सभी की आय राज्य सरकारों को आनुपातिक रूप से मिलती है जिसका प्रावधान जी.एस.टी. एक्ट, 2017 के मूल एक्ट में किया गया है। इस देश के सम्मानित प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की दूरगामी सोच का परिणाम है कि यह देश अर्थव्यवस्था के अन्दर बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। जिस तरह से मेरे से पूर्व वक्ता माननीय नेता, प्रतिपक्ष और उप नेता, प्रतिपक्ष ने विस्तार से इस बारे में बताया है कि किस तरह से विभिन्न देशों के आगे भारत आज अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है इसका कारण देश के प्रधान मंत्री और भारत की सरकार है। इस टैक्स के बारे में तो हमारे विपक्षी मित्रों ने बहुत कुछ कहा था और यह गब्बर सिंह टैक्स के नाम से बहुत प्रचारित किया गया था, लेकिन आज पूरा देश मानता है, पूरे व्यापारी लोग मानते हैं। जिस तरह की भ्रान्तियां आप लोगों ने फैलाने की कोशिश की थीं वे सारी भ्रान्तियां निर्मूल साबित हुई हैं। आज यदि देश अर्थव्यवस्था के अन्दर मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो उसका परिणाम जी.एस.टी. लगाकर जिस तरह से एक टैक्स एक विधान और एक झण्डे की जो भावना थी वह

(श्री अभिनेश महर्षि)

परिकल्पना साकार रूप ले रही है तो इसके अन्दर जी.एस.टी. का मूल भाव भी है। माननीय सभापति महोदय, हम यदि इसकी तुलना प्रदेश के जी.एस.टी. संग्रहण से करें तो हमारी जी.डी.पी., विकास दर में यदि हम भारत की बात करें, एन.एस.ओ. के जो ताजा आंकड़े हैं उसके अन्दर भारत की जी.डी.पी. 13.5 परसेंट है वह बहुत तेजी के साथ में गति पकड़ी है और राजस्थान की मात्र 6.4 प्रतिशत रही है, यह हमारे लिए शोचनीय विषय है।

मैं बहुत लम्बी बात नहीं करूंगा लेकिन माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में वेतन, पेंशन और ब्याज, इन तीनों को मिलाकर जो बढ़ता बोझ है वह ब्याज चुकाई, पेंशन भार व वेतन खर्च कुल मिलाकर 1 लाख 22 हजार 227 करोड़ रुपये है जबकि हमारे पास में जो टोटल रेवेन्यू है वह 90 हजार 49 है। यह जो इतना बड़ा अन्तर है इसके बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। आने वाले समय के अन्दर हम देश के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, निश्चित रूप से भारत सरकार ने जी.एस.टी. की 47वीं बैठक थी उसमें जो निर्णय किये गये थे उन्हीं को आज सरकार यहां पर लेकर आयी है। मैं इन सबका समर्थन करता हूं और मेरा प्रस्ताव वापस लेता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैंने जो 20 हजार करोड़ रुपया 5 साल का बताया था वह केवल जो हमारे को टैक्स जो रही उस कमी की पूर्ति के अगेंस्ट में मिला है। टोटल तो हमारा टैक्स बहुत अधिक मिला है और यह तो केवल जी.एस.टी. कम्पोनेंट में जहां अपने को घाटा हुआ उसकी पूर्ति में मिला है। इसको उसमें क्लियर कर दें।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, जिस जी.एस.टी. बिल पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं वह जी.एस.टी. काउन्सिल की जो सिफारिशें हैं, जो उद्यमी के हित में हैं, व्यापारी के हित में हैं और कहीं कोई विसंगति थी, कहीं कोई कठिनाई थी तो उसको दूर करने का काम इस बिल के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से जी.एस.टी. काउन्सिल भी चाहती है और उसी क्रम में हम भी इस पर चर्चा में भाग ले रहे हैं।

सभापति महोदय, यह बिलकुल स्वागत योग्य कदम है। मैं इतना कह दूं कि जिस जी.एस.टी. को लेकर कांग्रेस के मुखिया ने गब्बर सिंह टैक्स के

(श्री ज्ञानचंद पारख)

नाम से देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया वह उनके उल्टा पड़ा। आज जी.एस.टी. को लेकर देश का व्यापारी वर्ग जितना खुश है क्योंकि मैं भी व्यापारी वर्ग से आता हूं और जब उनके बीच में बातचीत होती है तो वह एक बहुत बड़ा कदम देश की अर्थव्यवस्था में इस जी.एस.टी. का हमारी पार्टी का मानते हैं। यह जी.एस.टी. देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हुई है। माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। जिस ब्रिटेन के हम वर्षों तक गुलाम रहे, उस ब्रिटेन को भी अर्थव्यवस्था में हमने पछाड़ कर उसके ऊपर अपना नाम अंकित करवा दिया। यह कोई मामूली बात नहीं होती है, यह सारा जी.एस.टी. का कमाल है।

माननीय सभापति महोदय, एक देश एक टैक्स एक बाजार, यह देश को एकसूत्र में बांधने का काम भी करता है। वरना पहले क्या होता था कि किसी वस्तु पर गुजरात में कर कम लगता है, महाराष्ट्र में कर कम लगता है तो यहां का व्यक्ति वहां जाकर वह सामान क्रय करता था और अब जब पूरे देश में एक ही कर लग रहा है तो उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उसी दर में वही वस्तु उसको अपने खुद के शहर में मिल जायेगी तो उससे राजस्थान का व्यापार भी बढ़ा है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे उद्यमी हो, चाहे व्यापारी हो, कितने झंझटों से उसको इस जी.एस.टी. ने मुक्ति दिला दी है। अब मात्र एक शराब बचा होगा या पांच प्रकार के जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वे हैं। जो जी.एस.टी. के दायरे के बाहर हैं उनकी भी हालत क्या है वह पता है आपको? जो जी.एस.टी. के दायरे से बाहर हैं न, उनमें पूरे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ पर टैक्स है और जो हमारी महंगाई का सबसे बड़ा कारण है तो उसमें हमारे राजस्थान का नाम है। अगर यह भी जी.एस.टी. के दायरे में आता तो राजस्थान की जनता को भी गुजरात की तरह कम दर पर, हरियाणा की तरह कम दर पर, दिल्ली की तरह कम दर पर पेट्रोल-डीजल मिल जाता पर यह बाहर रहा तो उसका परिणाम राजस्थान की जनता को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, टैक्स चोरी नहीं हो उसके लिए यह जी.एस.टी. का प्रावधान किया, उसका परिणाम भी आया कि कितनी बड़ी संख्या में करदाता इस नये सिस्टम के लागू होने के बाद में देश में बढ़े हैं और

(श्री ज्ञानचंद पारख)

पहले से लगभग तीन गुना ज्यादा हुए हैं तथा आपका इंस्पेक्टर राज भी लगभग-लगभग खतम हो गया। माननीय सभापति महोदय, एक टैक्स करने के बाद में 48 परसेंट वस्तुओं पर 5 परसेंट से भी ज्यादा टैक्स की कमी से लागत में कमी आयी और उसका लाभ भी यहां के उपभोक्ता को मिल रहा है। 48 परसेंट वस्तुओं पर मिल रहा है यह कोई मामूली बात नहीं होती और यह सारा जी.एस.टी. का कमाल है।

(समय: 14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, जो जॉब वर्क करते हैं किसी और का माल तैयार करते हैं उनके लिए तो यह जी.एस.टी. वरदान बन कर लाटरी बनकर आयी है उनको लाखों रुपये का साल का जी.एस.टी. का रिटर्न मिल जाता है जो उनकी कमाई से भी ज्यादा होता है। यह कोई मामूली बात नहीं होती। अब माननीय सभापति महोदय, जी.एस.टी. काउन्सिल के दिमाग में या उनके समक्ष अन्य राज्यों से जो भी प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से कोई कठिनाई या विसंगति आयी तो खुले मन से जी.एस.टी. काउन्सिल ने उनको खतम करने का प्रयास किया और उसी क्रम में आज हम यह काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आज भी उद्यमी या व्यापारी के लिए कहीं न कहीं कोई परेशानी या कठिनाई का कारण बन रहे हैं तो मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे जो भी प्रतिनिधि जी.एस.टी. काउन्सिल की मीटिंग में जाते हैं दिल्ली, अगर वो अपने राज्य के व्यापारियों का, उद्यमियों का पक्ष वहां रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जी.एस.टी. काउन्सिल उन सारे सुझावों को मानकर कहां कोई कमी है, विसंगति है, कठिनाई है, उसको दूर करने का भी प्रयास करेगी।

माननीय सभापति महोदय, यदि किसी व्यापारी ने किसी अन्य व्यापारी से माल क्रय किया और उसने जी.एस.टी. का भुगतान कर दिया पर जिस व्यापारी को उसने जी.एस.टी. का भुगतान किया उसने यदि टैक्स नहीं जमा करवाया तो उसकी जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति पर अभी भी है जिसने जी.एस.टी. का भुगतान कर दिया है, उसको टैक्स भी देना पड़ता है, उसके साथ पैनल्टी भी लगती है। इस नाते मेरा आग्रह रहेगा जो हमारे प्रतिनिधि हैं यदि किसी व्यापारी ने जी.एस.टी. का भुगतान कर दिया, पर अगले व्यापारी ने उसका भुगतान या टैक्स जमा नहीं करवाया तो वह लायबिलिटी उसी के ऊपर निर्धारित होनी चाहिये न कि उस व्यापारी के ऊपर जिसने जी.एस.टी. चुका दी हो।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, अब इसमें होता क्या है कि करे कोई भरे कोई। वह भी बराबर का जिम्मेदार हो, यह ठीक नहीं है यह बात जी.एस.टी. काउन्सिल तक पहुंचनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, कुछ विसंगति ऐसी भी है किसी ने जी.एस.टी. का रिटर्न भर दिया, पर कई बार बाद में माल रिटर्न आ जाता है गुड्स रिटर्न आ जाता है और वह उसका टैक्स पहले ही जमा करा देता है अगर गुड्स रिटर्न आ गया तो उस रिटर्न गुड्स की भी जो जी.एस.टी. पहले जमा करा चुका है उसका इनपुट उसको मिल जाना चाहिये, उसका रिफंड उसको मिलना चाहिये। यह सुझाव भी हमको वहां देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, अनेक बार व्यापार में ऐसा होता है कि किसी व्यापारी ने किसी अन्य व्यापारी को माल बेचा और उस समय जी.एस.टी. उसने अंकित कर दी और पेमेन्ट की एक सीमा होती है कि तीन महीने बाद पेमेन्ट, चार महीने बाद पेमेन्ट, छह महीने बाद पेमेन्ट और अगला व्यापारी कई बार तत्काल पेमेन्ट देने के लिए कहता है कि आप मुझे डिस्काउन्ट दे दो मैं आपको तत्काल पेमेन्ट जमा करवा दूंगा। ऐसे कई ट्रांजेक्शन होते हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि जी.एस.टी. पहले कट चुकी है और उसने डिस्काउंट बाद में दिया तो उस डिस्काउंट पर जो जी.एस.टी. लग गयी उसका भी रिफंड मिल जायेगा तो यह वाकई में एक सही कदम होगा क्योंकि उसने कम दर पर माल बेचा पेमेन्ट जल्दी पाने के लिए तो उस पर टैक्स लेना वाजिब नहीं होता, वापस उसको रिफंड मिलना चाहिये और माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी समस्या बिल्डर के सामने आती है, बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, फ्लैट आज बुकिंग कर देता है, आज वह अपना फ्लैट बेच देता है, पर बनने में वक्त लगता है, वह किश्तों में बेचता है, पर जिस समय उसने फ्लैट बेच दिया, उस समय उसकी जी.एस.टी. आरोपित हो गयी, लग गयी और वह उसका कब्जा देता है वह तीन-चार साल बाद देता है और टैक्स उसको पहले चुकाना पड़ता है तो ऐसा प्रावधान आप करवाओ कि जितनी-जितनी किश्तें आयें, उन्हीं किश्तों के अनुसार उस पर जी.एस.टी. लगे, पहले एक साथ नहीं लगे ताकि उसका पैसा अनावश्यक रूप से जी.एस.टी. काउन्सिल में फंसा नहीं रहे। अगर यह सुझाव भी वहां पहुंचाकर वहां से मंगवा लेंगे न तो इस जी.एस.टी. का लाभ और भी यहां के जो व्यवहारी हैं व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उन सबको मिलेगा, बिल्डर्स को मिलेगा।

मैंने जो अपना जनमत जानने का प्रस्ताव भेजा है, उसको मैं वापस लेता हूं, यह स्वागत योग्य कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री बलवान पूनियां (अनुपस्थित)। श्री गोपीचंद मीणा (अनुपस्थित)। श्री गोपाल लाल शर्मा (अनुपस्थित)। श्री धर्मनारायण जोशी (अनुपस्थित)। श्री नरेन्द्र नागर (अनुपस्थित)। श्री कालू राम (अनुपस्थित)। श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित)। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पूरा बचपन रहीम, रसखान और सूरदास की श्रीकृष्ण के बाल जीवन पर लिखी हुई कविताएं पढ़ने में बीता। आज तक जुबान पर है 'मैया मैं नहीं माखन खायो' लेकिन आज हमारे बच्चे, श्रीकृष्ण तो गांव में कहीं भी जाकर के माखन खा लेते थे, दही खा लेते थे। आज हमारे बच्चे दही खाने के लिए जायेंगे तो उनको गब्बर सिंह टैक्स अदा करना पड़ेगा। वो पनीर खाना चाहेंगे तो उस पर भी गब्बर सिंह टैक्स अदा करना पड़ेगा और विश्व के जिस सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का जिक्र प्रतिपक्ष के उप नेता ने यहां पर किया सभापति महोदय, पूरे भारतवर्ष को याद है कि जब वो गुजरात के मुख्य मंत्री होते थे और तत्कालीन प्रधान मंत्री जी.एस.टी. की परिकल्पना लेकर के आये थे तो जी.एस.टी. के बारे में उनके क्या विचार थे। गैर कांग्रेस शासित मुख्य मंत्रियों को संगठित करके जी.एस.टी. का विरोध करने का काम उन्होंने किया था और जी.एस.टी. को अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला बताया था, लेकिन समय बदला, उन्हीं को संविधान में 101वां संशोधन करके अनुच्छेद 246ए अन्तःस्थापित करना पड़ा और इस जी.एस.टी. को लेकर के आना पड़ा। जी.एस.टी. काउन्सिल बनी।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुने, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि किस रूप में संघीय ढांचे को कमजोर करने की चेष्टा हो रही है। यह सारे प्रावधान किसलिये किये गये थे और नीति आयोग ने समय-समय पर जो बदलाव किये, वो किसलिये किये? राज्यों को सेन्टर की रेवेन्यू में 41 प्रतिशत 42 प्रतिशत शेयर देना तय किया लेकिन हम आकलन करें कि क्या भारत सरकार की रेवेन्यू में राज्य को 41 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जो पेट्रोल पर, डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई सैस लगाया वह लाखों करोड़ रुपया जो राज्यों की जनता अदा कर रही है, फूटी कौड़ी माननीय सभापति महोदय, राज्यों को हिस्से के रूप प्राप्त नहीं हो रही है। क्या आरोप लगाते थे प्रेस कांफ्रेंस करके कि दिल्ली की हुकूमत को देखो रुपया गिर रहा है, डालर के मुकाबले गिर रहा है। आज जब रुपया डालर के मुकाबले 80 से भी ऊपर चला गया तब हमें विचार नहीं आता कि रुपया गिर रहा है और मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करूंगा आपको, यह

(श्री संयम लोढ़ा)

सदन के सारे सदस्य सहमत होंगे कि पहले योजनाएं चलती थीं भारत सरकार और राज्य के बीच में तीस प्रतिशत और सत्तर प्रतिशत पर, दस प्रतिशत और नब्बे प्रतिशत पर। आज क्या कर दिया, आज शायद ही कोई योजना ऐसी होगी जो नब्बे-दस पर चल रही होगी या सत्तर-तीस पर चल रही होगी। चालीस-साठ पर ले आये, पचास-पचास पर ले आये। इन सब चीजों से माननीय सभापति महोदय, राज्य कमजोर हो गये। राज्यों की ताकत कमजोर हुई है। राज्य का विकास प्रभावित हुआ है और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आधी रात को जिस रूप में जी.एस.टी. लागू की गयी, जिस रूप में उसकी परिकल्पना की गयी, जितनी जल्दबाजी और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से लागू की, उसी का नतीजा था कि इतने सालों में कितने संशोधन इसके अन्दर करने पड़े। कभी तो टैक्स बढ़ा रहे हैं, कभी वापस टैक्स घटा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, क्या उम्मीद थी राज्यों से, क्या वादा किया था कि ईयर ओन ईयर यदि आपकी आमदनी जी.एस.टी. की 14 प्रतिशत हर साल नहीं बढ़ेगी तो हम आपको क्षतिपूर्ति देंगे। क्या राज्यों की 14 फीसदी आमदनी बढ़ी? क्या आज हम 2017-18 से ईयर ओन ईयर तुलना करें तो क्या राजस्थान उस जगह पर खड़ा है कि वह 14 प्रतिशत आमदनी बढ़ाने का आंकड़ा राजस्थान प्राप्त कर चुका है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के माननीय नेता को निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को 20 जनवरी, 2021 को, 4 मई, 2022 को और वित्त मंत्री को 10 मई, 2021 को, 4 अक्टूबर, 2021 को, 27 मई, 2022 को बराबर पत्र लिखे हैं कि यह 14 फीसदी क्षतिपूर्ति जो जून, 2022 में खतम हो गयी है, उसको बढ़ाकर 27 तक करें, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही है। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी की नहीं सुनी जा रही। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता राजस्थान के 25 सांसदों को लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलेंगे और जो अब मैं आंकड़े निवेदन कर रहा हूं, उन आंकड़ों के आधार पर राजस्थान का मजबूती से पक्ष रखेंगे।

माननीय सभापति महोदय, 2017-18 में जो बढ़ी हुई जी.एस.टी. बननी चाहिये थी 16724.51 करोड़ रुपये, वास्तव में 12,137.02 करोड़ की आमदनी हुई, मतलब 27.43 फीसदी कम। उसके बाद आप 14 फीसदी बढ़ाओ

(श्री संयम लोढ़ा)

तो जो 25,421.25 करोड़ होनी चाहिये थी, वह 22,938.33 करोड़ रुपये हुई। 2019-20 में 14 फीसदी बढ़ाकर जो आमदनी का लक्ष्य होना चाहिये था 28,980.23 करोड़ रुपये और जी.एस.टी. से आमदनी हुई 21,954.17 करोड़ रुपये, मतलब 24 फीसदी कम। 2020-21 में 14 फीसदी बढ़ाकर जी.एस.टी. का लक्ष्य होना चाहिये था 33,037.46 करोड़ रुपये, उसके विरुद्ध मिला 20,754.87 करोड़ रुपये, मतलब 37.18 फीसदी कम। 2021-22 में 37,662.70 करोड़ रुपया 14 फीसदी बढ़ोतरी के आधार आमदनी होनी चाहिये थी, उसके विरुद्ध 27501 करोड़ रुपये हुई, मतलब 26.98 फीसदी कम। अब किस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं? क्या भारत सरकार वन नेशन वन टैक्स की जो सोच लेकर आई थी, राजस्थान जैसे कमजोर राज्य में साढ़े सात करोड़ लोग हैं, जितना वापरेंगे उतना ही वापरेंगे, उतना ही टैक्स कलेक्शन होगा? हम कोई महाराष्ट्र के मुकाबले जाकर तो खड़े हो नहीं सकते कि जहां जी.एस.टी. की बढ़ोतरी एक मिसाल के रूप में है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, यह जो पांच साल के लिए 14 फीसदी से कम रेवेन्यू पर क्षतिपूर्ति का जो राजस्थान का दावा था, उसकी भी पूरी पूर्ति नहीं की गयी। माननीय सभापति महोदय, 2017 से 2022 के 3780 करोड़ रुपये उस वायदे के पेटे भी अभी तक बाकी हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय साथियों से विनती करूंगा कि वह इसमें राजस्थान की मदद करें। माननीय सभापति महोदय, जी.एस.टी. काउंसिल की जो बैठक होती है, उसमें ऐसा नहीं है कि राजस्थान ने जो सारे सुझाव दिये हों वह मान लिए गये हों, बहुत से सुझाव उन्होंने नहीं भी माने। जैसे 17.06.2022 को जो टैक्स उस पर इम्पोज हो रहा था, जी.एस.टी. काउंसिल में राजस्थान ने मना किया, नहीं माने। जी.एस.टी. काउंसिल की जो 47वीं बैठक हुई, उसमें जो कर बढ़ाने का निर्णय था, उसको भी एक साल के लिए स्थगित करने का राजस्थान ने कहा, लेकिन वह नहीं माने। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान को बहुत मदद की जरूरत है। राजस्थान की परिस्थितियां बहुत विषम हैं। कोरोना के दो साल जिस रूप में राजस्थान ने निकाले हैं और राजस्थान का राजस्व भी जिस रूप में प्रभावित हुआ है, यह अत्यन्त आवश्यक है और जो शेयर सेंटर रेवेन्यू में नीति आयोग ने राजस्थान का बढ़ाया था, वह भी इसी आधार पर बढ़ाया था लेकिन वास्तविकता में वह 29 परसेंट से ऊपर हमारा आंकड़ा नहीं जा रहा है, 41 परसेंट तो सिर्फ कागजों में दिखाने की बात

(श्री संयम लोढ़ा)

है। इसलिए आपके माध्यम से मैं विनती करूंगा कि इसमें प्रतिपक्ष के नेता राजस्थान की जनता के हित में सहयोग करें।

अभी जो इस माल और सेवा कर विधेयक में अमेंडमेंट लाये हैं, कुछ सेक्शन हटा रहे हैं, कुछ में अमेंडमेंट हैं, यह तो सारे ठीक हैं। वित्त मंत्रालय ने 01 अक्टूबर से इस सिफारिश को लागू करने का तय कर रखा है तो वैसे भी राजस्थान को इसको पारित करना ही था। माननीय सभापति महोदय, इसमें एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की समय सीमा का विस्तार किया है। सितम्बर माह की रिटर्न भरने की नियत तिथि की जगह उसको 30 नवम्बर तक बढ़ाना, इसमें प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को क्रेडिट नोट इश्यू करने की डेट में भी टाइम एक्सटेंशन किया है। एक जो यह जी.एस.टी.आर. अलग-अलग भर देते थे, इसको भी इन्होंने क्रमबद्ध किया है। इससे कुछ न कुछ सहूलियत बढ़ेगी। सबसे खास तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम में जो टैक्स लगता था, वह भी अगर टैक्स पेयर यूटिलाइज करेगा तो ही उस पर वह इंट्रेस्ट लगेगा और इंट्रेस्ट की रेट भी इन्होंने घटा दी और इस प्रोविजन को भी 2017 से लागू कर दिया। यह सारे फैसले तो टैक्स पेयर्स के इंट्रेस्ट में रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो यूनओ से आथोराइज्ड एजेंसीज हैं, जिनका जी.एस.टी. रिफंड होता है, उसमें भी जो पहले 6 महीने की अवधि थी, उसको बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। जो लगातार 6 माह तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उसमें जो इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रोविजन था, इसमें भी लिमिट बढ़ाने की स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि विवरणियों को भरने के क्रमबद्ध फाइल करने में भी इन्होंने अमेंडमेंट किया है। आपको जी.एस.टी.आर. 1 भरने के पश्चात् ही जी.एस.टी.आर. 3 भरना है। पहले आप जी.एस.टी.आर. 1 भरे बिना भी कर सकते थे। इससे कई तरह के काम्पलीकेशंस पैदा होते थे, वह भी मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से ठीक हो सकेंगे। दूसरा, आगत कर के क्लेम में भी यह विवरणिका फाइल करते हैं, उसमें भिन्नता है, उसमें भी जो अमेंडमेंट किया है, वह ठीक है। बाकी कुछ सेक्शन इन्होंने हटाये हैं, वह भी कोई काम के नहीं थे, हटाया है तो अच्छा ही किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक

(श्री संयम लोढ़ा)

निवेदन जरूर करूंगा कि जब आप जवाब दें तो इस बात का जरूर उल्लेख करें कि राजस्थान सरकार ने जी.एस.टी. काउंसिल में कौन-कौन सी बातें रखीं जो नहीं मानी गयी हैं, जिससे राजस्थान की जनता को पता चल सके कि किस रूप में राजस्थान के हितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और आने वाले वक्त में हम सब लोग इस दिशा में भारत सरकार से सहयोग प्राप्त कर सकें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 के बारे में अभी 9 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं इस संबंध में खास तौर से पहले तो यही कहना चाहता हूं कि संविधान के 101वें संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 246 में जोड़ी गयी धारा A के अंतर्गत केन्द्र सरकार केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में जो परिवर्तन करेगी, वह परिवर्तन राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम में वैसे के वैसे होंगे और जी.एस.टी. काउंसिल इसके लिए गठित की गयी। जी.एस.टी. काउंसिल की समय-समय पर कई मीटिंग होती हैं, उन मीटिंगों में राजस्थान सरकार और विभिन्न सरकारों के ग्रुप आफ मिनिस्टर्स भाग लेते हैं और ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में कई सुझाव दिये गये जो जी.एस.टी. काउंसिल ने माने। इस बारे में तो मैं जी.एस.टी. काउंसिल का और केन्द्रीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन जिन सुझावों को नहीं माना, उसका जिक्र भी मैं आगे आपके सामने करूंगा। खासतौर से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जी.एस.टी. काउंसिल के समक्ष जी.एस.टी. में विद्यमान समस्याओं एवं विसंगतियों के समाधान तथा प्रक्रियात्मक सुधार व जटिलताओं का निवारण करने हेतु जो सुझाव प्रस्तुत किये गये थे, वे उन्होंने कुछ माने और कुछ नहीं माने। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जैसे जी.एस.टी. में वक्त-वक्त पर जो सुझाव दिये। कई चीजों को भी आज हम विलोपित करने जा रहे हैं, वैसे ही उन सुझावों को भी यदि वे मान लें तो उद्यमियों को, व्यवहारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। यहां पर यह भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जीएस.टी. जब लागू हुआ था, उस समय केन्द्रीय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि आधार वर्ष, जो कि 2017 को माना गया है, उस समय जो राज्यों की इनकम थी, उसकी 14 परसेंट ग्रोथ हर वर्ष, यानी 2017 से अगले साल 14 परसेंट, फिर उस इनकम

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

का 14 परसेंट, फिर अगले साल उसकी इनकम का 14 परसेंट ग्रोथ यदि नहीं होगी तो उसका पुनर्भरण केन्द्रीय सरकार करेगी।

अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो अभी पुनर्भरण का जिक्र किया। आज भी राज्य सरकार का 3780 करोड़ रुपये बकाया है, जो कि हमें मिलने चाहिए, जो कि हमारा हक है। इसके लिए अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि इसको 2027 तक बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्त-वक्त पर चिट्ठियां लिखी हैं। वह मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा कि कौन-कौनसी हैं, मेरे पास वे तारीखें लिखी हुई हैं। दो-तीन बार उनको चिट्ठी लिखी। वित्त मंत्री जी को पत्र दिये, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं इस अवसर पर खास तौर से कोविड, आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति का जिक्र करना चाहूंगा। कोविड के कारण न केवल भारत सरकार, राजस्थान सरकार की आय में कमी आयी। मुद्रास्फीति के कारण महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और खासतौर से आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया। जो रोजगार मिलते, वे रोजगार लोगों को नहीं मिले। केन्द्र सरकार ने यह कहा था कि हम दो करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। दो करोड़ लोगों की जगह दो लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये आयेंगे, वे भी नहीं आये। किसान की इनकम दुगुनी करने की बात कही, वह दुगुनी नहीं हुई। इसके कारण आज प्रदेश में भी उसका एक असर पड़ा। खास तौर से राजस्थान में कोविड के कारण इनकम में जो अन्तर आया, वह अन्तर निश्चित रूप से पाटने की आवश्यकता है और उसके लिए इसको 2027 तक बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

मैं तो प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, जैसा कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हम सब मिलकर उनको यह याद दिलायें कि 14 परसेंट पुनर्भरण बेस ईयर की ग्रोथ के आधार पर दिया जायेगा। वह जब तक नहीं मिलेगा, तब तक निश्चित रूप से हमारे स्टेट की इकोनोमी को भारी नुकसान होगा, घाटा होगा। उसका पुनर्भरण 2027 तक आवश्यक रूप से होना ही चाहिए। इसके अलावा मुख्य रूप से हम लोगों ने उनसे कहा था कि एक तो पनुर्भरण की तारीख बढ़ायी जाये। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने छाछ, दही, पनीर और दैनिक उपभोग में काम

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

आने वाली वस्तुओं के ऊपर टैक्स लगाने की जो बात कही, उसमें हमने निश्चित रूप से उनको कहा था कि इस पर टैक्स नहीं लगाया जाये। ये खाने-पीने की चीजें हैं। इस पर आज तक कभी टैक्स नहीं लगा। मैं समझता हूं कि आटे पर राजाशाही से लेकर, प्रिंसली स्टेट से लेकर अब तक कभी टैक्स नहीं लगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: आप विराजिये। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, मैं वार्न करता हूं कि हर बात में आप नहीं टोकेंगे। बिलकुल नहीं। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। आपका नाम आयेगा तो मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमने विरोध नहीं किया। हमने विरोध किया। ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग 17.06.2022 को हुई। इसमें हमने असहमति प्रकट की, जिसे जी.एस.टी. काउंसिल ने नहीं माना। मैं गलत तथ्यों पर बोल रहा हूं। मुझे पता है कि मैं यहां गलत तथ्य दूंगा तो मेरे खिलाफ विशेषाधिकार का मामला आ सकता है। जी.एस.टी. काउंसिल में ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में हमने 17.06.2022 को असहमति प्रकट की कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाये। फिर जी.एस.टी. काउंसिल की 49वीं बैठक में कर भार बढ़ाने संबंधी निर्णयों का क्रियान्वयन एक वर्ष तक स्थगित करने के लिए भी हमने आग्रह किया, जिसको जी.एस.टी. काउंसिल ने नहीं माना। विपक्षी सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे राज्य के पक्ष को, जो मैं बता रहा हूं, उनको हमारे साथ मिलकर रखेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की इकोनोमी को मजबूत करने में उनका सहयोग रहेगा। राज्य सरकार द्वारा निरन्तर इस बात पर भी बल दिया गया है कि किसी प्रकार के कर भार के प्रस्तावों को विचार करने से पूर्व उसकी राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ मुद्रास्फीति एवं उद्यमों की स्थिति पर भी ध्यान रखा जाये, लेकिन इसके ऊपर भी कभी ध्यान नहीं दिया गया। आप अनुपस्थित थे, उस समय कुछ सुझावों को जी.एस.टी. काउंसिल ने माना व्यवहारियों के लिए। उसके लिए मैंने उनका आभार भी प्रकट किया, लेकिन मैंने ये जो बिन्दु बताये हैं, उसके बारे

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

में जी.एस.टी. काउंसिल ने कोई विचार नहीं किया। ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें कर्नाटक के जो मंत्री हैं, वे ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के अध्यक्ष हैं। उसमें हम जो विचार रखते हैं, वे ही जी.एस.टी. काउंसिल में जाते हैं और जी.एस.टी. काउंसिल उसमें किसको मंजूर करती है, किसको मंजूर नहीं करती है, इसके बारे में मैंने उल्लेख किया है।

एक देश, एक टैक्स की भावना अपने आप में नारा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिल्ली में 28.05.2021 को जो 43वीं बैठक हुई। 45वीं लखनऊ में 17.09.2021 को बैठक हुई। उसी की अनुशंसा के आधार पर जी.एस.टी. काउंसिल ने यह अमेंडमेंट्स किये हैं। पहले तो खासतौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की बनी हुई संस्था ने जो अमेंडमेंट्स किये हैं, उसके लिए आप कहते हैं कि जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। क्या मैं केन्द्रीय सरकार को आपके नाम भेजूं कि ये लोग आपके बिल का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप लोगों ने अपने प्रस्ताव वापस ले लिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रहा सवाल कि 2017 में जो संशोधन किये थे, उसी के अनुरूप यह बिल आया है। इस बिल में खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष में सितम्बर माह की रिटर्न अवधि जो 20.10.2022 तक निर्धारित थी, उसके स्थान पर 30.11.2022 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। यह अपने आप में व्यवहारियों के लिए ठीक है। इनपुट टैक्स, क्रेडिट लेने की जो व्यवस्था थी, उसमें भी सुधार किया गया है। क्रेडिट नोट जारी किये जाने की व्यवस्था की गयी है। करदाता द्वारा पेश की जाने वाली विवरणियां जी.एस.टी., जी.एस.टी.आर. (3), आर(1), जी.एस.टी. आर.बी. (3बी), जी.एस.टी.आर. (8) में सुधार का काम किया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा प्रस्तुत करने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किये जाने के उपरांत ही ब्याज देय होगा। करदाताओं द्वारा गलत तरीके से ली इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ब्याज की गणना 24 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट की गयी है, यह भी स्वागत योग्य है और 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है। यह निश्चित रूप से व्यवहारियों के लिए काफी अच्छा संशोधन है और इसके लिए हमारी राय भी थी। वर्तमान में सामान्य करदाता 6 माह तक निरन्तर यदि अपना रिटर्न नहीं भरता है तो उसका पंजीयन निरस्त कर दिया जाता है। इसके लिए राज्य सरकारों को इसकी अवधि बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा यूएनओ और उससे संबंधित रजिस्टर्ड संस्थाएं या उनकी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

मान्यता प्राप्त संस्थाओं को जो माल बेचा जाता था, उनका वापस क्लेम छह महीने तक ही दिया जाता था, उसकी अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष की गयी है। ये कुछ प्रमुख अमेंडमेंट्स किये गये हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। पहले क्रमबद्ध रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी। अब नवीन संशोधन के पश्चात् जी.एस.टी.आर. (1) को भरे जाने के पश्चात ही जी.एस.टी.आर. (3) को भरा जा सकेगा। नवीन संशोधन में दावों का दुरुपयोग-विभिन्न विवरणियों में विभिन्नता या विसंगति को रोकने का प्रावधान किया गया है।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने एक तो यह कहा कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगी, निश्चित रूप से जब भी जी.एस.टी. में कोई संशोधन होता है रेवेन्यू बढ़ती है, लेकिन 14 परसेंट जो आधार वर्ष था, उस आधार वर्ष के आधार पर जो 14 परसेंट ग्रोथ होनी चाहिये वह नहीं होगी। केन्द्र सरकार की भी आप खुद कह रहे थे 13.5 परसेंट ग्रोथ है।

मैं खासतौर से आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भारत सरकार को 2017-18 में 7.19 लाख करोड़ का टैक्स प्राप्त होता था। 2021-22 में 14.83 लाख करोड़ का मिला। राजस्थान सरकार को बेस ईयर में 12 हजार 137 करोड़ रुपये का टैक्स प्राप्त हुआ और अब 2021-22 में 27 हजार 501 करोड़ रुपये का टैक्स प्राप्त हुआ है। वह दुगुने से ज्यादा है। हमने कोई उपाय में कमी नहीं की। आपने कहा कि क्या उपाय किया? आपने टैक्स चोरी को रोका? हमने टैक्स चोरी को रोका, टैक्स इवेजन को रोका, हमने अपने सारे संसाधनों से राज्य सरकारी आय को भी करीब-करीब दुगुने से ज्यादा किया है। इसके साथ-साथ मैं खासतौर से यह बताना चाहता हूं कि गत वर्ष की तुलना में जी.एस.टी. राजस्व में 32.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो उल्लेखनीय है। मैंने पूर्व में भी जिक्र किया था कि केन्द्र सरकार ने हमारे टैक्स में 14 परसेंट की ग्रोथ के आधार पर जो घाटा हुआ था, उसका पुनर्भरण तो किया है, लेकिन अभी-भी 3 हजार 780 करोड़ रुपया हमारा बकाया है, जो उनको शीघ्रता से देना चाहिये।

इसके अलावा मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में ग्रोथ रेट है 24.31 परसेंट, उत्तर प्रदेश में है 29.87 परसेंट, आन्ध्र प्रदेश में है 30.06 परसेंट, हरियाणा में 30.74 परसेंट और राजस्थान में है 32.51 परसेंट की वृद्धि है। ये

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत की आप जादूगरी कहो या फाइनेंशियल अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के कारण से ये हुआ है और 32 परसेंट से ज्यादा ग्रोथ करना, मैं समझता हूं राजस्थान के लिए क्रेडिटेबल है।

इसके अलावा कई बिन्दु माननीय सदस्यों ने अलग-अलग उठाए। कई माननीय सदस्यों ने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा। गब्बर सिंह टैक्स इस रूप में है कि खाने-पीने की चीजों को, आप देखिए जब हम जाएंगे तो लोग कहेंगे छाछ पर टैक्स, दही पर टैक्स, पनीर पर टैक्स, आटे पर टैक्स, प्रतिपक्ष के नेता ठीक कह रहे थे कि डिब्बा बंद, डिब्बा बंद है तो भी है तो खाने-पीने के उपयोग की चीजें जिन पर कभी टैक्स नहीं लगा। उन पर टैक्स लगाना आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। हम मिलकर यदि इसको उठाएंगे नहीं तो निश्चित रूप से जनता हमको कोसेगी कि आपने आटे पर टैक्स लगा दिया, खाने-पीने की चीजों पर टैक्स लगा दिया। निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको निश्चित रूप से जी.एस.टी. कौंसिल में विचार करके वापस लेना चाहिये। नोखा से, रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य तो खड़े होकर केवल समर्थन करके बैठ गये।

हमारी और केन्द्र की भावना कुछ मामलों में एक जैसी है कि हम जी.एस.टी. के माध्यम से व्यवहारियों को लाभ दें। व्यवहारियों को लाभ देने के लिए ब्याज में जो छूट दी गयी है, विवरणियों के बारे में जो छूट दी गयी है, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। अब आपने डीजल और पेट्रोल का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल हमसे महंगा है, क्यों? आप कह रहे थे, वह भी हमारा पड़ोसी राज्य है। कुल-मिलाकर एक बात के बारे में तो हमको एकमत होना ही चाहिए कि अब से पहले केन्द्र सरकार डीजल और पेट्रोल पर जो भी एक्साइज लगाती थी, उसमें राज्यों को हिस्सा मिलता था लेकिन जब से केन्द्र सरकार ने एक्साइज पर अभिवृद्धि करके पूरा का पूरा पैसा खुद के यहां लेना शुरू किया है, उससे निश्चित रूप से राज्यों को नुकसान हुआ है, राज्य की इकोनोमी को नुकसान हुआ है।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि पहले राजस्थान को पेयजल के लिए डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स में 100 परसेंट मदद मिलती थी और सामान्य क्षेत्र में 90 परसेंट एड मिलती थी। आज उसको 45 परसेंट कर दिया। ओ एंड एम का खर्चा यदि गिनें तो हमारे को एड मिलती है 37 या

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

37.5 परसेंट, इसलिये इन सब मुद्दों के बारे में हम लोगों को विचार करना चाहिये कि भारत सरकार जो 100 परसेंट सहायता से योजनाएं चला रही थी, उसको आप 45 परसेंट में ले आए। जिन योजनाओं में 90 परसेंट पैसा देते थे उनको आप 45 परसेंट में ले आए। इन पर यदि हम विचार नहीं करेंगे तो राजस्थान की इकोनोमी को, राजस्थान के लोगों को बहुत भारी नुकसान होगा।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश एक ऐसा मेहनतकश प्रदेश है जहां लोगों की इनकम, एक तरह से स्टेट की जो जी.डी.पी. है, वह बहुत कम है और ये आय और उपभोग पर आधारित करती है। डिमांड और सप्लाई पर आधारित करती है। इनकम ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी और लोग खरीदेंगे ज्यादा तो उससे जी.एस.टी. वगैरह की इनकम बढ़ जाएगी। जहां आय कम होगी तो मांग कम होगी, पूर्ति कम होगी, इनकम कम होगी। बाजार में माल बिकेगा तभी तो इनकम होगी। ये सारा का सारा एक विसियस सर्किल है। इस इकोनोमी सर्किल को यदि हम नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से हमको नुकसान होगा। इसलिये प्रदेश के लोगों की इनकम बढ़ाने की आवश्यकता है। इसीलिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने शहरी बेरोजगारी योजना शुरू की है, उसके लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे शहर के लोगों की इनकम बढ़ेगी। लोग बाजार में खरीदेंगे, खरीदेंगे तो निश्चित रूप से स्टेट के टैक्स की इनकम भी बढ़ेगी। ऐसे उपाय केन्द्रीय सरकार को जो उन्होंने वायदे किये थे कि हम दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और दिया रोजगार अग्निचक्र के रूप में। (व्यवधान) आज एक व्यक्ति को चार वर्ष की नौकरी, चार वर्ष की नौकरी के बाद में छुट्टी फिर क्या करेगा? कुल-मिलाकर हमारा कहना यह है कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दो करोड़ किससे बोल रहे हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नहीं, दो करोड़ लोगों को यदि रोजगार मिलता तो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आज सभी स्टेट मालामाल हो जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कब कहा दो करोड़ का? कौनसी जगह लिखा है? कौनसी जगह लिखा है कि दो करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे? वह दिखाओ, मेनीफेस्टो दिखाओ, कोई कागज दिखाओ। हवा में बातें मत कीजिए। (व्यवधान) आप बिल पर उत्तर दे रहे हैं तो बिल पर उत्तर दीजिए आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): घोषणा पत्र में वादा किया था आपने कि दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपके सारे नेता कहते थे कि दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। (व्यवधान) 15 लाख खाते में आएंगे। किसान की इनकम दुगुनी करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): किसने कहा? कब कहा? (व्यवधान) किसको कह रहे हैं आप? ये कहां बोल रहे हैं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। बहुत वरिष्ठ हैं आप सहयोग कीजिए। मंत्री महोदय।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अभी माननीय सदस्यों ने ये कहा था कि 41 परसेंट हिस्सा जो है केन्द्र की इनकम का राज्यों को मिलेगा। 41 परसेंट नहीं मिल रहा है बल्कि उसमें काफी कमी आ गयी है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार अपने इस वादे को निभाये कि अपनी इनकम का, चाहे वह किसी भी रूप में करे, उसका 41 परसेंट राज्यों को मिलना चाहिये, नहीं तो राज्य कमजोर हो जाएंगे। राज्य कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा और देश कमजोर होगा तो निश्चित रूप से हमारा रुपया कमजोर होगा, रुपया कमजोर होगा तो आज डालर 80 रुपया पार कर गया है। ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए नुकसानबद्ध होगा।

मैं चाहता हूं कि स्टेट की इनकम बढ़े। हमने इनकम बढ़ाने का प्रयास किया है। आपको मैंने बता दिया कि हमारी इनकम बढ़ी है। अन्य राज्यों की तुलना में बढ़ी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स इवेजन को रोकें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश की इनकम हर तरीके से आगे बढ़े। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ऋण कम हो। मैंने कल ही विधान सभा में

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

बताया था कि हमारा ऋण जो है, वह पहले आपके राज में 6 पाइंट कुछ परसेंट था। अब 5 परसेंट की दर पर आ गया है।

अभी प्रतिपक्ष के नेता ने, मैं कल कहना भूल गया था, आप कह रहे हैं कि एक काम बताओ, बाड़मेर का मेडिकल कालेज लगभग 50 करोड़ से अधिक का बना है, उसका उद्घाटन हो चुका है। ऐसे कई और आपको मेडिकल कालेज बता सकता हूं जिनका उद्घाटन मुख्य मंत्री जी ने किया है। (व्यवधान) वह सब 25 करोड़ से ऊपर के हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप अपने बजट से बताइए। (व्यवधान) ये तो केन्द्र का पैसा है। आप अपने बजट से बताइए एक योजना भी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): स्टेट का भी इसमें बराबर हिस्सा है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): इसलिये कुल-मिलाकर, सभापति महोदय, जी.एस.टी. कौंसिल ने जो निर्णय लेकर के संशोधन किये हैं, उसी का अनुमोदन हमको करना है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 19, कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 19 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 19 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि अनुसूची एक व दो स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची एक व दो स्वीकार की गयीं।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिल को पारित किया जाए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, आज जो यह बिल पेश किया गया है यह अपनी जी.एस.टी. काउंसिल में पास हुआ, उसके ऊपर यह बिल था। चूरू से आने वाले विधायक बोल रहे थे कि मैं +++ हूं। बिलकुल, मैं +++ हूं, पहली बार आया हूं तो साहब आपके सामने +++ तो रहूंगा ही। बट, यह कहना चाहूंगा कि कल स्पीकर साहब ने कहा था कि अपन बिल पर डिस्कशन करते हैं, अपन बजट पर डिस्कशन नहीं करें। आपने जितनी बातें आज बोलीं, आपने एक बात भी बिल पर नहीं बोली। आपने जो डिस्कशन किया वह सिर्फ बजट पर डिस्कशन किया। मैं +++ हूं मैं मानता हूं पर इतना तो आप भी समझेंगे कि बजट पर डिस्कशन नहीं करना है, अपन को बिल पर डिस्कशन करना है। (व्यवधान) आपके मिथ्या भाषणों पर कहना चाहूंगा कि आपने आज सब मिथ्या बातें करी हैं। आपने सबसे पहला पाइंट उठाया कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। Are you aware, कि हमारे पास सेल्स टैक्स

(श्री रोहित बौहरा)

डिपार्टमेंट था, वह जी.एस.टी. डिपार्टमेंट में कन्वर्ट हो गया? वह इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है? आपको यह पता है कि राजस्थान में जितने ट्रेडर्स हैं, they have been divided into two parts. One has been given to Rajasthan Government to collect the taxes and other is with the Central Government. मैं +++ हूं, आप मेरे से बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। आप ऐसी बातें करेंगे तो हम जैसे फर्स्ट टाइमर्स पर क्या एग्जाम्पल आप सेट करेंगे, चूरू के मंत्री जी? क्या बात कही?

मैं तो सोचता था कि आप वुमन एम्पावरमेंट पर सबसे बड़ी बात करेंगे। पहली बार पता पड़ा कि आप तो नारी शक्ति के बिलकुल खिलाफ हैं। मैं तो सोचता था कि आप इतने बड़े विद्वान आदमी हैं जो नारी शक्ति के खिलाफ नहीं हैं। 50 परसेंट वोटर हैं और आपकी कांस्टीट्यूएंसी में भी 50 परसेंट वोटर हैं, यदि पता पड़ गया तो चूरू से आने वाले विधायक महोदय, आपको दिक्कत हो जायेगी। आप चाहते हैं 1 करोड़ 35 लाख को मोबाइल नहीं दें। आप क्या बात करते हैं फ्रीबीज की, आपको बात ही नहीं करनी चाहिये, बीजेपी वालों को तो बिलकुल नहीं करनी चाहिये। रेवड़ियां बांटने वाले आपके प्रधान मंत्री जी तो सबसे पहले रेवड़ियां बांटते थे। इलेक्शन से पहले आपने तो यह तक करा है जी.एस.टी. की काउंसिल बुला ली, गुजरात में इलेक्शन से पहले जी.एस.टी. के ऐसे-ऐसे रिफार्म टैक्सेज आपने कम कर दिये क्योंकि वहां पर आपके इलेक्शन थे। इतना दुरुपयोग कांस्टीट्यूशन का किसी ने किया है तो वह आपकी पार्टी ने किया है। आपकी पार्टी ने यह एक बार नहीं दसों बार किया है। किस चीज की बात कर रहे है आप? आपने तो डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाकर रख दीं। जहां आपका redistribution of tax पूरे स्टेट में बराबर होना चाहिये था, आपने क्या किया, साढ़े चार लाख करोड़ की इनकम सिर्फ केन्द्र सरकार ने रख ली। एक आपके वहां से आये महोदय कह रहे थे कि जी.एस.टी. में पेट्रोल और डीजल को इन्क्लूड कर दो, करो न, who has stopped you? आपके पास है करिये, किसने आपको बोला कि मत करिये। यह सब ऐसे, this is not....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपके घोषणा पत्र में आपने लिखा था ... (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप करिये, you are in power at the Centre. आपके ऊपर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रस्ताव रखवाओ न काउंसिल में। प्रस्ताव काउंसिल में रखवाओ।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप करिये। यह आपका है। हमारे प्रस्ताव से नहीं होगा। (व्यवधान) हमारे प्रस्ताव करने से कुछ नहीं होगा। आपके प्रस्ताव करने से होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): विधान सभा में ... (व्यवधान) ...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हमारे प्रस्ताव करने से कुछ नहीं होगा। आपके प्रस्ताव करने से होगा। (व्यवधान) आप जोर-जोर से बोलो इसका मतलब यह नहीं है ... (व्यवधान) आपको बहुत शान्ति से सुना है। प्रस्ताव हमारे करने से कुछ नहीं होगा, हमने तो यह भी प्रस्ताव किया था कि खाने की वस्तुओं पर आप टैक्स मत लीजिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। प्लीज, आप आसन की तरफ देखकर बात करें। आप उन्हें इनवाइट नहीं करें। आप आसन की तरफ देखकर बात करिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, हमने तो प्रस्ताव यह दिया था....

श्री सभापति: आप आसन की तरफ देखकर बोलें। आप सारी बातें आसन को बताइये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं आपकी ही तरफ देख रहा हूं। इन्होंने तो राजस्थान सरकार का यह भी प्रस्ताव नहीं माना कि दूध-छाछ जिसका गरीब आदमी रोज सेवन करता है उसके ऊपर भी टैक्स बन्द करिये, तो किस चीज की बात करते हो आप, आप करोगे क्या? हिम्मत है तो आप प्रस्ताव लो न, who stops you? आप लो जी.एस.टी. काउंसिल में। इन्होंने तो जी.एस.टी. काउंसिल का नाम ही बदल दिया साहब। इनकी तो जी.एस.टी. काउंसिल ही नहीं थी, इनकी तो सी.जी.एस.टी. काउंसिल थी, ऐसे विद्वान हैं, हम तो +++ हैं साहब। जी.एस.टी. काउंसिल कहते हैं उसको, सी.जी.एस.टी. काउंसिल नहीं कहते। हम तो +++ हैं, आप ही विद्वान हो इस पूरे उसमें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बार-बार हमारे प्रतिपक्ष के नेता एक चीज कहते हैं कि सेंट्रल ने दे दिया।

श्री सभापति: बिल पर कन्फाइन करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बिल पर ही कन्फाइन हो रहा हूं।

श्री सभापति: आप बिल पर कन्फाइन करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बिल पर ही कन्फाइन हो रहा है। सर, उन्होंने बिल पर कन्फाइन किया मैं भी बिल पर उतना ही कन्फाइन हूं। जो उन्होंने कहा मैं उसी का जवाब दे रहा हूं।

श्री सभापति: दीजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): उन्होंने एक चीज कही कि केन्द्र सरकार दे रहा है। केन्द्र सरकार टैक्सेज अपने आप से लेता है या राजस्थान सरकार से भी टैक्स लेता है, जो राजस्थान में आदमी रहते हैं उनसे टैक्स लेता है, किसी ने अहसान किया क्या? It is the Constitutional right that you have to devolve to the states. आप हमारे को कोई रेवड़ी नहीं दे रहे हैं। आप हम पर अहसान नहीं कर रहे हो, it is our right. यह आपके कांस्टीट्यूशन का पार्ट है। या तो यह कह दें कि हम कांस्टीट्यूशन को नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि हम कांस्टीट्यूशन को मानते हैं। कांस्टीट्यूशन को adhere करते हैं। हम वैसा नहीं करते कि डीजल और पेट्रोल पर हम सैस लगा दें और सब पैसा अपने पास ले लें, यह काम हम नहीं करते। कांग्रेस सरकार यह नहीं करती, यह बीजेपी की सरकार करती है।

आपने आज बात करी कि जी.एस.टी. काउंसिल में हमें 14 परसेंट बढ़ाकर पैसा मिलना चाहिये था, is it not our right? दो साल हुए, जब यह बात कही गयी कि कोविड का टाइम था कम मिला, तो मैं कहता हूं कि आप पांच साल मत बढ़ाओ, पर दो साल तो 14 परसेंट आप बढ़ाओ। आप इतनी तो मानवता रखो। आपको भी पता है। आपके टाइम तो ऐसे हुआ, economy during Covid time had a degrowth of minus 9 per cent. 70 साल में पहली बार हुआ कि इंडिया की इकोनोमी 9 परसेंट गिर गयी। फिर कितने खुश हुए कि इस साल 13.2 परसेंट जो फर्स्ट क्वार्टर में, तो इनके ऐसे लगने लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। आज एडीबी की नई रिपोर्ट आई है, the economy of India will only rise by 7 per cent, not 13 per cent. आप पढ़ लेना एडीबी की जो नई रिपोर्ट आई है।

साहब, दूसरी चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ा इश्यू यह क्यों बढ़ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है जी.एस.टी. क्यों बढ़ रहा है। जी.एस.टी.

(श्री रोहित बौहरा)

क्यों बढ़ रहा है, वह आपको समझना पड़ेगा। हमारे यहां inflation की आज क्या रेट है inflation has increased by 13.2 per cent. कंज्यूमर इंडेक्स में inflation 12.50 परसेंट से बढ़ा हुआ है। आज इश्यू यह है, यह बहुत खुश हैं कि जी.एस.टी. बढ़ रहा है। Without realizing the fact, कि जी.एस.टी. क्यों बढ़ रहा है। आपका inflation कहां से कहां पहुंच गया। खाने की चीजें, सीमेण्ट, लोहा, कहां से कहां पहुंच गया। आपका पर केपिटा कंजम्पशन सब इण्डस्ट्रीज का has fallen in last one year. वह तो आप बोलोगे नहीं न। बोलिये चूरू के विधायक, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बोलिये। साहब, इश्यू यह है कि आज पर केपिटा कंजम्पशन गिरा है और इस कंट्री में आने वाले टाइम में यह जरूर बढ़ेगा। जी.एस.टी. लगता है आन कंजम्पशन, जितनी बड़ी स्टेट होगी उतना बड़ा आप जी.एस.टी. कलेक्ट करोगे क्योंकि आप कंजम्पशन पर टैक्स लगा रहे हो। जहां 135 करोड़ की पापुलेशन है, वहां पर टैक्स ज्यादा बढ़ेगा ही। क्या कह रहे हैं? We are the fifth biggest economy of the Country. 135 करोड़ जनता है, पूरे यूरोप की आप काउंट कर लो तो उतनी ही उनकी पापुलेशन नहीं है, it is on consumption. मैं +++ हूं, मुझे बताइये कि कंजम्पशन बेस्ड है या नहीं है जी.एस.टी.? बताइये। यह तो बताया नहीं न, मेरे को किसी ने लिखकर तो नहीं भेजा तो इश्यू यह है साहब, it is a consumption based GST. आप बहुत ज्यादा खुश मत होइये। जितनी बड़ी पापुलेशन होगी, उतना बड़ा टैक्स बढ़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हिन्दुस्तान की इकोनोमी आज पांचवें स्थान पर चली गयी, यह आपको तकलीफ है न? (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेरे को तकलीफ नहीं है, मेरे को तकलीफ नहीं है। मेरे को तकलीफ यह है कि हम पांचवें नम्बर पर नहीं, हमें फर्स्ट नम्बर पर होना चाहिए। मुझे यह तकलीफ है कि आज पांचवें नम्बर पर हैं, हमें तो पहले नम्बर पर होना चाहिए था क्योंकि मोदीजी ने बोला था कि डॉलर चालीस रुपये से नीचे मैं ले आऊंगा, अब अस्सी रुपये का कर दिया। आज बैलेंस आफ पेमेंट की क्या प्रोब्लम है? वह देखी क्या आपने? Balance of Payments, it is the worst position which we are facing.

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बैलेंस आफ पेमेंट राजस्थान का भी देख लो, उसको भी हमें समझा दो। वह भी पढ़कर बता दो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): राजस्थान का बैलेंस आफ पेमेंट नहीं होता है। बैलेंस आफ पेमेंट का आप जानते हो कि क्या होता है? What is Balance of Payments (BoP)? It is exports minus imports. हम लोग बैलेंस आफ पेमेंट में नहीं, yes, this is what it is. मैं +++ हूं न इसलिए आपको समझा रहा हूं। बैलेंस आफ पेमेंट वह होता है। यह उनको दो जो समझते नहीं हो, यह रोहित बौहरा को मत देना, साहब।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बैलेंस आफ पेमेंट मेरे को मत बताना आप। बैलेंस आफ पेमेंट वह होता है, आज कंट्री की हालत देखो न, all your reserves are going. Where are they going? सब जो इम्पोर्ट्स आप कर रहे हो उसमें रिजर्व जा रहे हैं, एक्सपोर्ट आप कर ही नहीं पा रहे हो। आज इश्यू जो था वह तो इस कंट्री में इश्यू कोई कर ही नहीं रहा है, साहब। एक्सपोर्ट्स क्यों घट रहे हैं? हमारे को कंटेनर्स ही नहीं मिल रहे हैं। उसके ऊपर तो आज किसी ने कुछ करा नहीं, वित्त मंत्री ने आज तक नहीं बोला, इनके कामर्स मिनिस्टर ने नहीं बोला। आज जो एक कंटेनर इंडिया से पांच हजार डॉलर में यदि यू.एस. जाता था तो आज वह तीस हजार डॉलर में जा रहा है तो कहां से हम एक्सपोर्ट करेंगे? हमारी ग्रेनाइट इंडस्ट्री की हालत खराब है, मार्बल इंडस्ट्री की हालत खराब है, सबकी हालत खराब है, कोई बोलने वाला है क्या?

यह बजट भाषण नहीं था, मैंने आपको यही समझाने के लिए यह सब बोला कि हम भी बोलना जानते हैं यदि आप यह दुनिया को समझाना चाहते हो, यह बजट भाषण नहीं था, ये इस पर बोले तो नेक्स्ट टाइम से हम भी इसी पर बोलेंगे। राम-राम सा। धन्यवाद और मैं यह चाहता हूं कि यह बिल पास हो।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप बोलना चाहते हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ा उपयोगी वक्तव्य दिया है। उन्होंने वास्तव में बैलेंस आफ पेमेंट को, वास्तव में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर यह आधारित होता है, यह सदन का ज्ञान बढ़ाया है। मैं तो इकोनोमिक्स का विद्यार्थी हूं इसलिए मुझे यह पता है कि जिस देश के इम्पोर्ट कम होते हैं

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

और एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं तो उसका बैलेंस आफ पेमेंट उसके पक्ष में होता है और जिसके इम्पोर्ट ज्यादा हो यानी, आयात ज्यादा करे और निर्यात कम करे तो बैलेंस आफ पेमेंट नेगेटिव होता है।

सदन को प्रथम बार इन्होंने यह जानकारी दी, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और खास तौर से उन्होंने इंफ्लेशन के बारे में बताया, इंफ्लेशन क्या है, इसके बारे में मैं आपका बता देता हूं, inflation exists when money income is expending more than the income earning activities. तो इनकम अर्निंग एक्टीविटीज जो हैं वह हमारी कम हुई है, इसके कारण से उपभोग कम हुआ है, इसके कारण से टैक्स रेवेन्यू कम आ रही है तो मोटे तौर पर उन्होंने काफी अच्छे सुझाव दिये और खास तौर से उन्होंने यह भी बताया कि यह जो आपकी ग्रोथ रेट जो 13.7 परसेंट थी, वह आज की तारीख में 7 परसेंट होगी। क्यों? वह बढ़ी क्यों, उसका कारण भी उन्होंने बताया कि लोहा, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आने वाली चीजों के दाम बढ़ गये, उसके कारण से यह ग्रोथ आयी है, यह वास्तविक ग्रोथ नहीं है। वास्तविक ग्रोथ तो जब होगी जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, देश का उत्पादन बढ़ेगा और लोगों की जब आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तब ही जाकर लोग वस्तुएं खरीदेंगे और उससे जी.एस.टी. में वृद्धि होगी तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और कुल मिलाकर चूंकि जी.एस.टी. काउंसिल के ये प्रस्ताव हैं, जो एक तरीके से कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर आये हैं। जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में परिवर्तन होते हैं वैसे के वैसे राजस्थान माल और सेवा कर में, इसी अधिनियम में वैसे के वैसे परिवर्तन करने के लिए हम यह अमेंडमेंट लाये हैं।

मैं यह उम्मीद करता हूं कि सदन इसको ध्वनि मत से पारित करने में सहयोग करेगा। आप कृपया इसे पारित करायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया गया।

श्री भंवर सिंह भाटी।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं हमारे अध्यक्ष महोदय और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान की अभी सबसे ज्वलंत स्थिति जो है और सबसे बड़ी जो समस्या बिजली को लेकर आम आदमी परेशान है और इसके लिए आपने जो चर्चा रखी है, मैं समझता हूं कि पूरा हाउस इस बात पर चिंतित है और हर व्यक्ति इस पर चर्चा करना चाहता है। हमारी साइड से लगभग 35 लोगों ने अपना नाम दिया है और मैं यह समझता हूं कि लगभग पूरा हाउस इस चीज से काफी परेशान है कि राजस्थान में जहां हम कहते हैं कि सरप्लस एनर्जी है, जहां रिन्यूएबल एनर्जी और हमारी जो थर्मल एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, यह सब मिलाकर राजस्थान में लगभग 18 हजार मेगावाट बिजली है। हमारी अधिकतम जो खपत है, आज दिन तक जो खपत हुई वह 13 हजार मेगावाट है फिर भी आज गांवों में, छोटे कस्बों में, गांवों में तो यह हालत की दस घंटे से ज्यादा बिजली उपलब्ध नहीं है। शहरों में, छोटे कस्बों में यह हालत है कि बारह-पन्द्रह घंटे से ज्यादा बिजली उपलब्ध नहीं है और बड़े-बड़े जो शहर हैं, उनमें भी बिना कहे अघोषित बिजली की कटौती होती है, चार-पांच घंटे की बिजली की कटौती होती है मतलब, यह आपको जयपुर शहर में भी मिलेगी।

(समय: 14.57 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

इस हालत में, आज सत्तर साल आजादी के बाद में भी जब आज देश के प्रधान मंत्री ने दीनदयाल योजना के तहत और सौभाग्य योजना के तहत पूरे देश में हजारों-करोड़ रुपये खर्च करके आम जन को बिजली पहुंचाने का जो काम किया, हमने राजस्थान में दीनदयाल योजना के तहत और सौभाग्य योजना के तहत प्रत्येक ढाणी और मतलब उस जगह से जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि मुझे बिजली

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

उपलब्ध होगी, बिजली मिलेगी, उसको भी बिजली उपलब्ध करवाने का मौका मिला और हमने हमारे कार्यकाल में लगभग तीस से पैंतीस लाख कनेक्शन, डोमेस्टिक कनेक्शन हमने दिये हैं।

आज हालत यह है कि गांवों में बिजली नहीं है। एक टाइम यह था हमारे टाइम में जब 24 घंटे बिजली गांवों में उपलब्ध होती थी। किसानों को सात घंटे बिजली हम उपलब्ध करवाते थे, आज किसानों को मात्र चार घंटे ही बिजली मिल रही है और कई जगह उस पर भी इतनी ट्रिपिंग है कि किसान मजबूर है कि वह कितनी सिंचाई कर पायेगा या नहीं कर पायेगा।

जले हुए जो ट्रांसफार्मर्स हैं वे महीने-महीने तक चेंज नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति जो टी.एस.पी. एरिया से आता हो, मेरा भी एरिया टी.एस.पी. क्षेत्र में है, 2019 में जिन लोगों ने अपना डिमांड भरा है, आज 2022 में भी उनको कनेक्शन उपलब्ध नहीं हुआ है। जो आपके प्रायोरिटी कनेक्शन हैं जो आपके फार्म हाउस कनेक्शन हैं या ड्रिप इर्रिगेशन हैं, स्प्रिंकलर कनेक्शन हैं, डेढ़-डेढ़ साल हो गया, लोगों ने डिमांड, पूरी कोस्ट पे कर रखी है, डेढ़-डेढ़ लाख रुपये डिमांड जमा करवा दी है, उनको भी आज कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहा है।

सरकार ने गत बजट में इस सदन में हम सबको गुमराह करने की कोशिश की पर हमारे कई ऐसे विधायक हैं जो पांचवीं-छठी बार जीतकर आये हैं, हमें सबको मालूम था कि यह घोषणा है, कभी धरातल पर पूरी होगी नहीं। पूरे राजस्थान में, मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा सदन में 31 मार्च, 2022 तक जितने भी एग्रीकल्चर कनेक्शन पेंडिंग है, हम सबको कनेक्शन दे देंगे। 2015 तक, आपके 2013 से लेकर 2015 तक जितने भी आपके डिमांड थे, सबको इश्यू हो गये, लोगों ने डिमांड भी जमा कर दी है, मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो जनरल केटेगरी के कनेक्शन हैं, आपने एक को भी कनेक्शन अभी तक दिया या नहीं दिया?

(समय: 15.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सुनिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आपने एक को भी कनेक्शन दे दिया हो। विभाग आधे कनेक्शन तो सी.एल.आर.सी. पर देने जा रहा है और आधे कनेक्शन टर्नकी बेस पर देने जा रहा है। टेण्डर आपने इनवाइट कर दिये और जो टेण्डर खुले हैं, उसका प्रीमियम 80 परसेंट एबव आया है। सी.एल.आर.सी.

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

पर जो काम हो रहा था, छोटे-छोटे वेण्डर जो सौ पचास कनेक्शन से अपना घर परिवार चलाता था या दो सौ कनेक्शन करते थे, जो रजिस्टर्ड ठेकेदार थे, डी क्लास के थे, आज आपने उन सबका काम बन्द कर दिया। आप धीरे-धीरे सी.एल.आर.सी. से टर्नकी के आधार पर लेकर जा रहे हो। वही 10-15 लोग पूरे राजस्थान का टेण्डर उठायेंगे और 80 परसेंट प्रीमियम पर टेण्डर नेगोशिएट हो रहा है। अगर आप इसको 40 परसेंट पर कर दोगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान कर देंगे। आज पूरे राजस्थान में 2022 के अगर कनेक्शन दोगे तो समस्या आने वाली है। आज अजमेर डिस्काम में लगभग एक-डेढ़ लाख से ऊपर कनेक्शन पेंडिंग हैं, जोधपुर में चार लाख से ऊपर कनेक्शन पेंडिंग हैं और जयपुर डिस्काम के लगभग चार लाख कनेक्शन पेंडिंग हैं। आपके पास सवा साल बचा है और अभी तक आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। जो जले हुए ट्रांसफार्मर्स हैं या जिसने डिमाण्ड जो जमा किया है, जिस किसान ने ओवर प्रायोरिटी में अपना कनेक्शन लिया है, फार्म हाउस कनेक्शन लिया है या ड्रिप में लिया या स्प्रिंकलर में लिया है या टीएसपी एरिया में, यानी प्रायोरिटी कनेक्शन है या एससी ने अपना डिमाण्ड जमा किया है, वह आदमी डेढ़ साल से बैठा है, इन्तजार में है कि सरकार हमको कनेक्शन देगी। जले हुए ट्रांसफार्मर भी चेन्ज नहीं हो रहे।

आपके पास सप्लाई क्या है? मात्र चार घंटे। मुझे खुशी है कि इस बार पूरे राजस्थान में अच्छा मानसून हुआ है। सभी 33 जिलों में अच्छा मानसून हुआ है। इस कारण से हमारे काश्तकार सिंचाई भी ज्यादा करेंगे। आपको बिजली की आवश्यकता भी ज्यादा पड़ेगी। हमें 18 हजार मेगावाट बिजली के सोलर में, रिन्युअल में, विण्ड में और थर्मल गैस से, हाइडल पावर से है फिर भी बिजली हमको चार घंटे मिल रही है। आज राजस्थान में किसानों को सात घंटे बिजली क्यों नहीं मिल रही है? मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार के आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि तंत्रों के बारे में ध्यान रखने का कोई इच्छुक ही नहीं है। मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको 100 परसेंट गारन्टी के साथ कह रहा हूं कि हम बहुत जल्दी वहां बैठेंगे और आप सबको यहां आकर बैठना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। बिजली और पानी आम आदमी की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस आवश्यकता को 70 साल के बाद भी पूरी नहीं कर पायेंगे तो जनता कभी हमको माफ करने वाली नहीं है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं थर्मल के बारे में बात करना चाहूंगा, कोर्डिनेशन भी नहीं है। न तो उत्पादन में कोई कोर्डिनेशन है, हमने ऊर्जा विकास निगम बनाया था, इसको कोर्डिनेट करने के लिए, डिस्काम और उत्पादन को कोर्डिनेट करके हमको कितनी बिजली की आवश्यकता होगी आने वाले समय में और हम कैसे आम जनता को सस्ती बिजली उपलब्ध करवा सकें, यह ऊर्जा विकास निगम का काम था। वह कोर्डिनेशन है नहीं। आज की तारीख में 2021 और अप्रैल, 2022 तक लगभग 1450 मेगावाट बिजली जनरेटर बन्द पड़े हैं। कई यंत्र तो आपके 2021 से बन्द हैं, तीसरे महीने से। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्योंकि आने वाला समय रबी का सीजन है, निश्चित रूप से आप बिजली खरीदोगे। पिछले डेढ़ साल से आप बिजली खरीदते आये हैं। आप 18-19 रुपये में बिजली खरीदोगे। आपने पहले भी खरीदी है। हजारों करोड़ रुपये की बिजली आपने 18-19 रुपये में खरीद ली। अचानक आप खरीदोगे। आपकी लोंग टर्म प्लानिंग है ही नहीं। जनवरी के लिए बिजली यदि आप अभी से खरीदना शुरू करो तो इस समय आपको बहुत सस्ती उपलब्ध होगी, पर एन वक्त पर आप बिजली खरीदेंगे, कल के लिए यदि आज बिजली खरीदेंगे तो 19-20 रुपये में मिलेगी। जनवरी में पीक टाइम है, उस समय की आवश्यकता के लिए यदि आज खरीदोगे तो वही बिजली आपको 5 रुपये, 6 रुपये में मिल सकती है, लेकिन आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नहीं होने के कारण राजस्थान में हजारों करोड़ों रुपये की बिजली आपने मजबूरी में खरीद ली और आज हालत यह है कि जो डिस्काम को उदय योजना के तहत तत्कालीन सरकार 62 हजार करोड़ रुपये अपने खाते में दिये और तीनों डिस्काम पर मात्र 25 हजार करोड़ का जो ड्यू था, आज उस डिस्काम पर 90 हजार करोड़ का ड्यू आलरेडी हो गया है। केन्द्र सरकार की जो योजना है आरडीएस स्कीम, उसमें राजस्थान की सरकार ने 18 हजार करोड़ का जो प्रस्ताव भेजा है, वह अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है। उसमें कमी है। राजस्थान एक मात्र प्रदेश है जिसने आज तक टेण्डरिंग भी नहीं की है। दूसरे प्रदेशों में टेण्डर होने के बाद काम भी प्रारम्भ हो गया है। आरडीएस स्कीम में नये जीएसएस बनने हैं, इलेवन्थ केवी फीडर को और मजबूत करना है, केबलिंग करनी है, एलटी फीडर्स की केबलिंग करनी है ताकि लोसेज को आप रोक सकें। बजट के टाइम पर भी मैंने आपको कहा था कि आपकी आरडीएस स्कीम अभी तक कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुई। मुझे खुशी है कि आपकी केबिनेट ने अप्रूव तो कर दी लेकिन केन्द्र की सरकार ने मंजूर अभी

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

तक इसलिए नहीं की, क्योंकि आपने उसको कम्प्लीट नहीं किया है। कई स्टेट में तो कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है, इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप सात से आठ लाख कनेक्शन देने जाओगे तो यह तो होगा कि आपको 33 केवी कहां बनाने पड़ेंगे, 132 केवी कहां बनाना पड़ेगा, 132 से 220 कहां करना पड़ेगा, 220 से 400 केवी कहां करना पड़ेगा। अगर आप इस योजना का फायदा नहीं उठाओगे तो मैं आज आपको विश्वास से कह सकता हूं कि आपकी यह जो स्कीम है, आप किसानों को बिजली उपलब्ध नहीं करवा पाओगे और त्राहि-त्राहि मचेगी। बहुत जल्दी लोग धरने और प्रदर्शन करेंगे। यह मैं आपको कहना चाहूंगा।

मैं आपको सौभाग्य योजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सैकण्ड फेज का पैसा राजस्थान में 1250 करोड़ रुपया आया था तीनों डिस्काम का मिलाकर। जयपुर डिस्काम के लिए 390 करोड़, अजमेर डिस्काम के लिए 380 करोड़ और 440 करोड़ रुपये जोधपुर डिस्काम के लिए आये। 2020 में आपके पास पैसा आ गया। आपने उसके टेण्डर किये ही नहीं। जो व्यक्ति ढाणी में बैठा है, उसके पास सिंगल फेज डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं है। सौभाग्य योजना के तहत उसको बिजली उपलब्ध करवाना या फोरेस्ट में जो व्यक्ति बसा हुआ है, उसको सोलर से जोड़ कर कनेक्शन दिया जाए। आपने साल दो साल तक उसका टेण्डर नहीं किया। वह पैसा आपको केन्द्र सरकार को लौटाना पड़ा। उसमें 75 परसेंट सब्सिडी थी। आपको 75 परसेंट सब्सिडी पर पैसा मिला था। आपको तो मात्र 25 परसेंट पैसा ही डालना था। आज दिन तक ढाणी में बिजली उपलब्ध नहीं हुई, वहां आप बिजली उपलब्ध करवा सकते थे। सौभाग्य योजना के तहत हमने जो काम किया है, उसके बाद में कोई काम ही नहीं हुआ है। आपके पास ऐसी कोई पालिसी नहीं है। आज सेल्फ फाइनेंस वापस स्टार्ट हो गया। आज अगर किसी व्यक्ति को कनेक्शन चाहिए तो पूरा का पूरा पैसा डेढ़ लाख रुपये, सवा लाख रुपये खुद जमा करवाता है, तब जाकर उसका घरेलू कनेक्शन हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अधिकारियों से पूछें कि सौभाग्य योजना का टेण्डर क्यों नहीं हुआ। आपका टेण्डर हुआ तो डेट चली गयी। आपको केन्द्र की सरकार ने तीन बार वार्निंग दी कि इस पैसे को खर्च करो। टेण्डर किया, वर्क आर्डर दे दिया और टाइम आ गया कि आप 15 दिन में आप कम्प्लीट करो तो लोगों ने एल.ओ.आई. नहीं दी और आपका वह पैसा वापस चला गया।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है रूफ टाप सोलर के बारे में। मैं समझता हूं कि राजस्थान में इससे महंगी बिजली कहीं उपलब्ध नहीं होगी। जो व्यक्ति 500 यूनिट से ज्यादा जलाता है, उसको आठ, साढ़े आठ रुपये प्रति यूनिट बिजली का भुगतान उसको करना पड़ता है। इससे महंगी बिजली आपको पूरे हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। आज इण्डस्ट्रियल कनेक्शन साढ़े नौ रुपये में है। एस.आई.पी. कनेक्शन साढ़े सात, आठ रुपये में कनेक्शन है। राजस्थान और आसपास के जो कनेक्शन हैं, वहां पांच रुपये में आपको कनेक्शन मिल रहा है। छह रुपये में प्रति यूनिट बिजली मिल रही है इण्डस्ट्रियल को। आज मैं यह कहना चाहता हूं रूफटाप के लिए लोगों ने सोचा कि 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार घरों के बिजली के बिल आने लगे तो लोगों ने रूफ-टाप लगाया। उन्होंने नेट फिटिंग की। नेट फिटिंग के बाद में आपने यह कहा कि अगर आप एक्सेस बिजली ग्रिड को दोगे तो हम आपको 3 रुपये 14 पैसे देंगे। आज अखबारों में आप देख रहे हैं, कई टाइम से चल रहा है।

श्री सभापति: प्लीज कन्क्लूड।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आज आपने उसको 2 रुपये कर दिया। उस व्यक्ति की क्या गलती, जिसने आज लाखों रुपये इन्वेस्ट करके रूफ-टाप लगाया। उसने यह सोचा कि मैं मेरी बिजली खपत कर लूं और जो एक्सेस बिजली होगी, उसका मुझे 3 रुपये 14 पैसे मिलेगा, आपने कल-परसों आर्डर निकालकर उसको 2 रुपये कर दिया। इसमें जनता का क्या कसूर है? जनता तो रिन्युएबल में आना चाहती है और यह हमारे एनवायर्नमेंट के लिए भी अच्छा है कि हम रिन्युएबल में जाएं। कोयले का कोई भरोसा नहीं है। देखिये, आज डोमेस्टिक कनेक्शन हैं, हमारे पूर्व मंत्रीजी भी विराजे हैं, डोमेस्टिक कनेक्शन में सिक्योरिटी अमाउंट कभी भी किसी उपभोक्ता से नहीं लेते थे। आपने अभी नया राइडर लगा दिया और प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता से आपने सिक्योरिटी अमाउंट वसूलना स्टार्ट कर दिया। आपने 16-16 हजार, 20-20 हजार के सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराने के नोटिस भेज दिये, नहीं तो कनेक्शन काट देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज दिन तक कभी भी डोमेस्टिक में हम सिक्योरिटी अमाउंट लेते नहीं थे और आप सिक्योरिटी अमाउंट लेकर आपका फाइनेंशियल बर्डन जनता से आप वसूल करना चाहते हो।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, आपको यह बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज कोयले की मैं बात करूं। एमओ.एफ. की जो गाइडलाइन है, उसमें यह कहते हैं कि आपके जितने भी सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स हैं या जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं, कम से कम 30 से 40 दिन का कोयला आपके पास उपलब्ध होना चाहिये। आज सूरतगढ़ थर्मल स्टेशन में खाली 10 दिन का कोयला है, सुपर क्रिटिकल सूरतगढ़ के पास 7 दिन का कोयला है, काली सिंध के पास खाली 3-4 दिन का कोयला है, कोटा थर्मल में खाली 2-3 दिन का कोयला है, छबड़ा थर्मल पावर में खाली 2 दिन का कोयला है और छबड़ा सुपर क्रिटिकल के पास मात्र एक दिन का कोयला उपलब्ध है। यह तो आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है।

श्री सभापति: थैंक यू। विराजें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में यह हालत सर्दियों में होगी, जहां किसान अपनी खेती की बुवाई करने जा रहा है। मंत्रीजी, आपको इस स्थिति को सम्भालना पड़ेगा और बिजली को कैसे हम आम आदमी तक पहुंचा सकें, इसको देखना चाहिये।

श्री सभापति: एक मिनट में कन्क्लूड कर दें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे पास जो थर्मल प्लांट्स हैं, हमारा पारसा और कान्ता बेसिन से हमें ब्लाक आबंटन हुए हैं। हमको तीन ब्लाक आबंटित हुए हैं। पारसा ईस्ट् कान्ता बेसिन 15 मिलियन टन का, पारसा से हमको 7 मिलियन टन का, कान्ता से हमको 5 मिलियन टन का आंवटित हुआ है। आपको हमारी सरकार के समय में सब क्लियरेंस मिल गयी। आज आपके 762 हैक्टेयर जमीन, जिसमें कोयला उत्पादन हो रहा था, वह बन्द हो गया है। 1162 हैक्टेयर की आपको क्लियरेंस मिल गयी, एनवायरमेंट की क्लियरेंस मिल गयी। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियरेंस मिल गयी, पर आपका काम इसलिए नहीं चल रहा, क्योंकि वहां लोकल एजिटेशन है। आप राजस्थान तक यह कोयला कैसे पहुंचाओगे? अगर राजस्थान में यह कोयला नहीं पहुंचेगा तो आपके लगभग 4 से 5 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन बन्द हो जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार है, यहां पर भी आपकी सरकार है, वहां लोकल ग्रीवेंसेज जो भी हैं, उन लोकल ग्रीवेंसेज को आप सॉल्व करें ताकि

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

जनता और किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करा सकें। यही बात आज मैं रखना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डॉ. जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज बिजली पर चर्चा हो रही है। आज बिजली लाइफ लाइन है। मेडिकल, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक लाइफ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, साइंस, हर जगह बिजली की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, 1949 में जब राजस्थान स्वतन्त्र रूप में आया, उस समय जनरेशन 13.5 मेगावाट था। It was limited up to princely states. जहां पर उनके महल जगमगाते रहते थे। आज 2022 में 23 हजार 452 मेगावाट जनरेशन हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2009 में इससे पूर्व कांग्रेस सरकार बनी, उस समय टोटल जनरेशन 6 हजार मेगावाट था, जो पूरा 50 साल का था। उस समय माननीय मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत जी सूरतगढ़ और छबड़ा में सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशंस लाये और माननीय सभापति महोदय, अलग से, Rajasthan is the only state जिसके पास अपनी कोल माइंस हैं। सौभाग्य से मुझे ऊर्जा मंत्री बनने का उस समय मौका मिला। It took one year. पूरे इंडिया में सिर्फ राजस्थान ऐसी स्टेट है जिसके पास अपनी कोयले की खानें हैं। परसा कांटे हमारी छत्तीसगढ़ में माइंस है और उससे हमारे सुपर क्रिटिकल कारखाने थे, उनको कोल मिल रहा था। बिजली सफिशिएंट आ रही थी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे वर्तमान में राजस्थान के अंदर दो सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशंस आलरेडी सूरतगढ़ में हैं, उससे 1500 मेगावाट जनरेशन हो रहा है। 1320 अलग से उनका जनरेशन है सूरतगढ़ में, छबड़ा में 2 सुपर क्रिटिकल हैं और अलग से हमारे RAPP में 1180 मेगावाट हैं।

माननीय सभापति महोदय, a day will come soon when there will be no coal, no gas and no petrol. उस समय सिर्फ जो डिफेंड करेगा दुनिया को, वह करेगा सोलर जनरेशन। नवादा, अमेरिका के बाद में सैकण्ड जो concentration of sun’s rays है 5.2 square feet, वह है जैसलमेर में। अकेला जैसलमेर पूरे भारत को बिजली दे सकता है। A day will come like this. सब खत्म हो जाएगा। सोलर में आज जो हमारा भडला सोलर पार्क है, जिसका अपना जनरेशन अनुमानत: 2,245 मेगावाट है। यह

(श्री जितेन्द्र सिंह)

वर्ल्ड में सबसे बड़ा सोलर पार्क है। फलौदी में, जोधपुर में हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार तरीके से बन रहे हैं और सोलर में हमारा जनरेशन है और करीब 19 हजार मेगावाट का इंस्टालेशन सोलर के अंदर हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सोलर जनरेशन में कंट्री में राजस्थान नम्बर वन है और विंड के अंदर हमारा जनरेशन करीब साढ़े 4 हजार मेगावाट है। इसमें हम तीसरे नम्बर पर आते हैं। वर्ल्ड में ओवर आल जो जनरेशन आफ पावर है, America is number one and China is on number two और रशिया के बाद इंडिया का नम्बर आता है। जनरेशन सैक्टर के अंदर राजस्थान, जब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो डवलप हुआ, माननीय सभापति महोदय, सोलर पालिसी उसी वक्त आयी थी और सोलर पालिसी में आज इतना बूम किया है जो कल्पना के बाहर है। 2009 में विंड पालिसी आयी थी और उसी समय राजस्थान सिरमौर बना।

माननीय सभापति महोदय, बिजली को हम तीन सब्जैक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, that is generation, number one, जिसके बारे में मैंने आपको कहा है। उसके लिए मैंने आपको विस्तार से बताया। Number two, is transmission. यह बिजली को तैयार करके, चाहे हमारे सोलर प्लांट्स हों, चाहे विंड हों, वहां पर हमको ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिये। माननीय सभापति महोदय, 2009 में 765 KVA के जी.एस.एस. राजस्थान में दो बने। उसके बाद एक भी नहीं बना। अब राजस्थान के अंदर तीसरा स्टार्ट हो रहा है। 400 KVA के राजस्थान के अंदर 15 जी.एस.एस., 220 KVA के 132 हैं। हमारे 132 KVA के करीब साढ़े 400 हैं। माननीय सभापति महोदय, यह ट्रांसमिशन सिस्टम इंडिया में स्ट्रोंगेस्ट राजस्थान में हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम जो पूरी कंट्री में है, वह सबसे स्ट्रांग ट्रांसमिशन सिस्टम, माननीय सभापति महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर 2009 से बनना शुरू हुआ और आज तक उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। 765 KVA का एक जी.एस.एस. और बन रहा है। एक स्वयं मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 765 KVA बन रहा है तो यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस बिजली को, आज बिजली जो भी सोलर से पैदा हो रही है या हमारे विंड से हो रही है उसका ट्रांसमिशन, और पूरे कंट्री में, माननीय सभापति महोदय, यहां इंवेस्टर्स आ रहे हैं, सारे के सारे राजस्थान को बिजली मिल रही है और अन्य राज्यों को भी वह बिजली जा रही है।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, डिस्ट्रिब्यूशन में राजस्थान में उस समय, 2009 से 2013 के बीच में कम से कम तीन हजार 33 केवी के जीएसएस बने, that is the system of generation, transmission and distribution. जो गांव-गांव के अंदर हर पंचायत के अंदर, माननीय सभापति महोदय, आपके पिलानी में भी बहुत बने हुए होंगे, एक-एक विधान सभा क्षेत्र में बने, मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक-एक विधान सभा क्षेत्र को कम से कम 15 जीएसएस 33 केवी के उस वक्त दिये, 3000 बने 2009 से 2013 के बीच। आज 6000 से अधिक 33 केवी के जीएसएस, उससे निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रोंग हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में सबसे पहले स्टाफ चाहिए। 2009 से 2013 के बीच में 25 हजार टेक्नीकल हैल्पर्स की भर्ती होनी थी, जो आज तक नहीं हुई, 25 हजार, एईएन, जेईएन, एक्सईएन, एसई, आफिसेज खुले, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्मूथ बना और मुझे दुःख है कि बीच के अंदर उन्हीं जीएसएस के लिए जिन बच्चों को भर्ती किया गया था, वो जीएसएस ठेके पर दे दिये गये। आज दुर्घटना होती है, जो नये ठेकेदार के एम्प्लॉयीज आते हैं, उनको पता ही नहीं है कि बिजली कहां खोलनी चाहिए, क्या करना चाहिए। रोज आप देखते हैं कि दुर्घटनाएं हो रही हैं, यह बड़ा गम्भीर विषय है। ये जो भी 33 केवी जीएसएस हैं, they should be given to the employees. जो हमारे डिपार्टमेंट की टीम है, उसको देने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में लास्ट टाइम में हमारे जीएसएस पर हमारे इनके बिकने की नौबत आ रही थी, हमारे जो पावर प्लांट्स थे, बहुत चेतावनी वाली स्थिति थी। सूरतगढ़ सहित कइयों की बोलियां लगने की स्थिति पैदा हो गयी थी लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी डिसिजन हुए वे नहीं लिये गये और आज वो सरकार की मिल्कियत है।

माननीय सभापति महोदय, बिजली का 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है, क्योंकि किसान बेनिफिशियरी है, पानी नहीं है माननीय सभापति महोदय, खतम हो गया है राजस्थान से और आज सबसे बड़ी समस्या हो गयी है बिजली के बिल की, 90 हजार करोड़ रुपये का हमारे विद्युत विभाग पर कर्ज है। किसानों को लाभ देने में मुख्य मंत्रीजी ने कोई कमी नहीं रखी। मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक किसान को बिजली, माननीय सभापति महोदय, बिजली जनरेट होती है 3 रुपये 10 पैसे में कारखानों से और किसान को सोनियाजी

(श्री जितेन्द्र सिंह)

आयी थीं तब डिक्लेयर किया था, पूर्व सरकार भी जो हमारी थी और इस सरकार में भी 90 पैसे पर-यूनिट एग्रीकल्चर का हमारा टैरिफ है। वह बरकरार मुख्य मंत्रीजी ने रखी और हर बिल में जो हमारे एग्रीकल्चर कंज्यूमर हैं, 15 लाख हैं, हमारे 1 करोड़ 20 लाख हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर, जो 15 लाख एग्रीकल्चर के कंज्यूमर हैं, माननीय सभापति महोदय, उनको, हरेक के बिल में साल के 12 हजार रुपये सरकार डालती है और हर महीने 01 हजार डालती है। 15 हजार करोड़ का भार माननीय सभापति महोदय, सरकार किसानों के लिए उठा रही है। डोमेस्टिक के लिए, माननीय सभापति महोदय, उन्होंने 50 यूनिट तक का बिल फ्री कर दिया। 150 से ऊपर जिनका बिल है, उनको 3 रुपये की छूट दे दी, जिनका 300 यूनिट तक का आता है, उनको 2 रुपये की छूट दे दी, सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। हमारे गो शालाओं के लिए अलग से 50 प्रतिशत टैरिफ बिल सरकार जमा करवा रही है।

माननीय सभापति महोदय, जो महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि जिस तरह से आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, ये कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं, इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, ऊर्जा उसी तरह से, क्योंकि कंट्री का डवलपमेंट बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता तो इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जो 90 हजार करोड़ का कर्ज राज्य सरकार नहीं भर सकती। यह जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है कि वह कोयला उपलब्ध कराये और जो 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है वह स्टेट गवर्नमेंट से आशा नहीं करे चुकाने का। गरीब किसान अपनी जेब से नहीं भर सकता, हमारी जो गृहणियां हैं वे अपनी जेब से 90 हजार करोड़ का कर्ज पूरा नहीं कर सकतीं, और न ही कोई राज्य सरकार कर सकती है। मेरा आग्रह है केन्द्र सरकार से, माननीय लीडर आफ अपोजिशन नहीं बैठे हैं यहां पर, मेरा आग्रह है कि जो 90 हजार करोड़ का कर्ज है, वह भारत सरकार स्वयं वहन करे।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को इतनी बड़ी सौगातें दी हैं, मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जो हमारे कोल, आज बिजली, माननीय सभापति महोदय, 14 हजार मेगावाट राजस्थान का जनरेशन है, 23 हजार मेगावाट, कुछ तो चला जाता है बाहर, 14 हजार मेगावाट हमारा उपभोग है, वह 14 हजार मेगावाट की पूर्ति करने के लिए अगर कोयला नहीं होगा, because wind and solar is uncer-

(श्री जितेन्द्र सिंह)

tain. रात को सूर्य नहीं चमकता है, हवा नहीं चलती है, जनरेशन एकदम डाउन हो जाता है। सिर्फ कोयला ही एक ऐसा है या न्यूक्लियर पावर ही ऐसी है, nuclear power is also a challenge. Chernobyl accident हो गया रशिया के अंदर, सारी दुनिया में आज कह रहे हैं कि कोयले की हमारी जो जा रही है perforation of the ozone layer हो रहा है, कोयले के हमारे जो थर्मल प्लांट्स हैं उनको बंद करें। मैंने तो स्वयं इजराइल में देखा, उन्होंने अपना थर्मल प्लांट बन्द कर दिया, लेकिन यह इस तरह के गरीब मुल्कों में पोसिबिलिटी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपसे आग्रह है कि कोयले की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है कि स्टेट को मुहैया कराये। स्टेट जाकर लड़ नहीं सकता। आज छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं आ रहा है। एक माइन खतम हो गयी और उसका कोयला मैं मंजूर कराकर लाया था। दूसरी माइन को खोदने नहीं दे रहे हैं वहां पर, सब लोगों ने आब्जेक्शन कर रखा है। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि स्टेट्स को डिफेंड करे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जो मैं बहस कर सकता था, मैंने की, धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, आज विद्युत पर चर्चा हो रही है और काफी विषय हमारे वक्ता रखने वाले हैं और रख भी चुके हैं। मैं कुछ बिन्दु पूरे सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं कि आम व्यक्ति को हम डोमेस्टिक कनेक्शन देंगे चाहे वह कृषि भूमि में बसा हो, चाहे गांव या ढाणी में बसा हुआ हो। इसी के सम्बन्ध में आपका एक परिपत्र 27 फरवरी, 2021 को जारी हुआ था। शायद सभी माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी होगी। इसमें साफ लिखा हुआ है कि घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु निगम द्वारा स्थापित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से 300 मीटर तक तो एलटी लाइन का पैसा लेंगे और 500 मीटर से ज्यादा में अगर कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है और किसी भी उपभोक्ता को वह कनेक्शन चाहिए तो ट्रांसफार्मर की कीमत तो विभाग वहन करेगा और उसकी लाइन की कीमत, यदि वह एलटी में है, तो एलटी की रेट अलग है और एचटी में है तो एचटी की रेट अलग है, वह वहन करेगा। मैं दुर्भाग्य से बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, आप इस

(श्री निर्मल कुमावत)

विभाग की मॉनिटरिंग भी करें, जब कोई भी किसान या आम आदमी इसमें आवेदन करता है तो आपका विभाग लगातार, मैं प्रमाण दूंगा, पांच-पांच बार फाइलें रिजेक्ट कर देता है। किसानों को, जब इस स्कीम में फाइल लगाते हैं तो डिपार्टमेंट के लोग उनको कोई जानकारी नहीं देते और या तो उसको डिमांड सेल्फ फाइनेंस स्कीम वाली पकड़ा देते हैं या हम जैसा कोई आदमी, जन प्रतिनिधि बोलता है तो सींधा-सीधा विधायक कोष से जमा कराने के लिए हमें फरमान जारी करते हैं जो बिलकुल गलत है। अगर सरकार की मंशा है कि निगम के खर्च के ऊपर होगा तो इसको आप एग्जामिन कीजिये, मैं जेपीडीसी की, जयपुर जिले की बात कर रहा हूं, प्रमाणित रूप से आपको दूंगा। इसी के साथ जो कृषि के हमारे कनेक्शन हैं, आपने दो साल पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय से बड़ी सारी घोषणाएं करवा दीं कि 2022 तक की, इस साल भी घोषणा करवा दी, मैं 2021 में डेढ़-डेढ़, दो-दो लाख रुपये के डिमांड जमा हैं उनको आज तक कनेक्शन नहीं मिला है, मैं इन कनेक्शनों की सूची आपको बनाकर दूंगा, जिनमें डेढ़-डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा एक-एक किसान से ले चुके हैं तो क्या डिपार्टमेंट ब्याज ले रहा है उसका? गरीब किसान से पैसा ले रहे हैं डेढ़-डेढ़ लाख रुपये लाइन का और बिजली कनेक्शन का और आज तक बिजली कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, जैसे ही विधान सभा में ध्यानाकर्षण लगाया तो कुछ सामान वहां पहुंचा है तो इसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से हो रही है, इसको आपको और हम सबको देखने की बात है। इसी के साथ शहरों में आपके पुराने पोल हैं नगरपालिका क्षेत्रों में, हमारे जन प्रतिनिधि चाहे नगरपालिका वाले हों या और हों, हमें बार-बार कहते हैं कि बिजली के आपके जो लोहे के खम्भे हैं, वे कभी भी गिर सकते हैं, जर्जर हैं, टूट सकते हैं, एचटी लाइन यदि कोई हटानी है, हर चीज का डिमांड आप भेजते हैं, बिना डिमांड के बिजली बोर्ड कोई काम करता है तो वह भी आप बता दें कि यह अपने खर्च पर डिपार्टमेंट यह काम करता है तो फिर यह 90 हजार करोड़ रुपये का खर्चा किस बात का हो रहा है। हमारे पूर्व मंत्रीजी ने कहा कि इतना घाटा है। छोटे से छोटे किसी भी काम के लिए बोलेंगे तो तुरन्त आपको फरमान मिलता है कि आप जमा कराइये। हम कर देंगे तो बिना जमा कराये आपने कौनसा काम किया है, यह भी बताने की आप कृपा करें।

वी.सी.आर. के बारे में तो पूरा सदन, आप लोग जानते हैं कि आपके ठेकेदार वी.सी.आर. का सेटलमेंट कराते हैं। आपकी गाड़ी के जो ड्राइवर हैं, वे

(श्री निर्मल कुमावत)

सेटलमेंट कराते हैं। कहते हैं कि या तो आप हमारे से सेटलमेंट कर लीजिये नहीं तो हम पूरा का पूरा वी.सी.आर. करेंगे तो यह पिक एण्ड चूज नहीं होना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल आधार पर या नीचे कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो आपके पास इसको रोकने का मैकेनिज्म नहीं है और मैं मानता हूं, आपकी बात को कि यह करना आसान भी नहीं है, मगर इसके लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है। जिस किसी से भी 10-20 हजार रुपये ले लिए, उसको छोड़ दिया और फिर लगातार उससे चोरी करवा रहे हैं और किसी से नहीं मिला तो उसका आप 50 हजार का निकलवा कर भेजते हैं तथा फिर वह डिपार्टमेंट के चारों तरफ चक्कर ही काटता रहता है, इसलिए यह भी हमें देखने की बात है।

एक जो लोड शैडिंग आपकी होती है। बिजली की कमी है और अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कोयले की और कई तरह की प्रोब्लम आ रही है, पर जिस प्रकार तेजी से हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें बिजली की डिमांड तो बढ़ने वाली है। आप प्रोडक्शन को आगे से आगे बढ़ाने की तैयारी करते हैं और उससे ज्यादा आपकी डिमांड आ जाती है। डैली लोड शैडिंग होता है तो यह गांव की जनता पर ही सारा लोड शैडिंग होता है। आप माननीय सदस्य बता दीजिये कि शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक किसी भी माननीय सदस्य का फोन बजने से रह जाए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग ही हों। इसलिए आपको इसको करना है तो मैनेजमेंट से शहरों पर भी थोड़ा-बहु त लोड लीजिये। गांव वाला, किसान, मजदूर आदमी दिनभर का परेशान होकर, थककर घर पर आता है, ग्रामीण एरिया में बच्चे पढ़ाई करते हैं। शहरों में तो बिल्कुल लोड शैडिंग नहीं होती और गांवों में आप चाहे जब काट देते हैं तो यह मैनेजमेंट तो आप देखिये और उनको भी दीजिये। आप इण्डस्ट्री पर लोड शैडिंग लाइये और घंटे-दो घंटे देकर फिर वापस ले लीजिये मगर लगातार 5-5 घंटे का कर रहे हैं तो इस मिस-मैनेजमेंट को आपको देखने की बात है। आपके अधिकारी तो आईएएस से भी बड़े हैं और किसी का फोन ही नहीं उठाते। कोई जन-प्रतिनिधि फोन करता है तो रात को जवाब ही नहीं देते। कहीं आग लग जाए और बिजली की जरूरत हो कि दस-पांच मिनट पानी के लिए बिजली चालू करनी है तो भी कोई जवाब नहीं आयेगा। छोटे-मोटे जन-प्रतिनिधि की बात तो छोड़ो, एमएलए, एमपी का भी फोन नहीं उठाते।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2021-22 के बजट में कहा था कि खेती हेतु बिजली उपलब्ध कराने, बिजली खरीद में पारदर्शिता लाने और अच्छे

(श्री निर्मल कुमावत)

वित्तीय प्रबन्धन के लिए नई कृषि विद्युत वितरण कम्पनी बनाने की घोषणा करता हूं। कहां है यह कम्पनी? बन गयी तो आप बताइये कि इसने क्या काम किया, खेती के लिए क्या सुधार किया? मैं समझता हूं कि ये जो तमाम बातें हैं, वे आज की सार्थक चर्चा में होंगी। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अधिकारियों को निर्देश दें कि छोटे-मोटे काम के लिए आम जनता को चक्कर कटाना बन्द करें। विशेष तौर से जो एलटी लाइनें हैं, कोई छोटे गरीब आदमी की लाइनें हैं, उनको तो आप हटवायें, क्योंकि वे पोल जर्जर हैं। पोल टूट जाता है, वह नहीं हटता और एक काम के लिए 50 बार बोलना पड़ता है। नगर निकाय हो या ग्राम पंचायत हो, आप सबको डिमांड नोटिस थमाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस डिपार्टमेंट की बेहतर मॉन्टिरिंग करेंगे ताकि आने वाले समय में लोगों को बिजली की सही व्यवस्था मिले। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, आपने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से दो-चार बातें बोलूंगा, बाकी मेरे से पूर्व हमारे वक्ता डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी ने सारी बात सदन के सामने रख दी है। पहली बार राजस्थान में 2018 के बाद में बिजली का जो उत्पादन हुआ है वह ऐतिहासिक उत्पादन किया गया है और आज 23 हजार मेगावाट के आस-पास उत्पादन हम लोग कर रहे हैं जो एक ऐतिहासिक परिवर्तन राजस्थान की सरकार ने किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, बिजली मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि राजस्थान की मांग को देखते हुए आपने बिजली के उत्पादन में जो काम किया है, वह ऐतिहासिक काम किया है। एक बहुत बड़ी मानवाधिकार कार्यकर्ता ने एक बात कही थी जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट के दौरान भी कही थी - "Give light and people will find the way" निश्चित तौर पर आज बिजली की जरूरत है और डे बाई डे उसकी जरूरत बढ़ भी रही है तथा सरकार उसमें प्रयास भी कर रही है कि लोगों को पर्याप्त बिजली मिले। मुझे इस बात की खुशी है कि 2013 से 2018 तक का जो राजस्थान सरकार का टाइम था उसमें जब बिजली का उत्पादन करने की जरूरत थी, तब हमारे सूरतगढ़ के थर्मल पावर

(श्री जगदीश चन्द्र)

प्लांट को बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी। जिस सूरतगढ़ के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर की माननीय प्रधान मंत्री जी ने, देश के बड़े-बड़े नेताओं ने उसकी शुरुआत की, वह इस आशा और विश्वास के साथ शुरू की थी कि राजस्थान बिजली में सक्षम होगा, इस पूरे जोन में जो बिजली की खपत बढ़ रही है, उसकी पूरी प्राप्ति करेंगे, परन्तु आपने थर्मल प्लांट बेचने की कोशिश की। यह तो जनता का धन्यवाद कि जनता का प्रेशर था और उसको बेच नहीं पाये। सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद कि दो यूनिट छठी, सातवीं और आठवीं, एक व्यावसायिक यूनिट और एक वाणिज्यिक यूनिट, दोनों हमने शुरू कर दीं और उसमें 650 मेगावाट की बिजली की शुरुआत हो चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सौर ऊर्जा के मामले में हिन्दुस्तान का पहला प्रदेश बन गया है जो ऐतिहासिक बिजली पैदा कर रहा है। 2019 में जो बिजली नीति की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने बजट में की थी, उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आज राजस्थान में सरकार ने लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में बदलाव करके बाहर के निवेशकों को आकर्षित किया, लोग आ रहे हैं और सौर ऊर्जा के हमारे प्लांट लग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका सेंट-परसेंट इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। दिसम्बर, 2021 तक 43,201 गांवों का विद्युतीकरण राजस्थान सरकार ने अब तक कर दिया है, यह बड़ी खुशी की बात है। इतना बड़ा प्रदेश है, 11,500 ग्राम पंचायतें इस प्रदेश के अन्दर हैं उसके बावजूद भी पूरा प्रदेश आज करीब-करीब इलेक्ट्रिफाइड हो गया है और जो बाकी बचे हुए हैं, वे भी आने वाले साल-डेढ़ साल में हो जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय ने एम.एन.आई.आर. के आकलन के अनुसार 142 गीगावाट बिजली राजस्थान में स्थापित की जा सकती है, यह भारत सरकार की रिपोर्ट है। आज हरित ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान हिन्दुस्तान में एक अग्रणी प्रदेश बन चुका है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमें सरकार मिली थी, तब राजस्थान के क्या आर्थिक हालात थे, राजस्थान सरकार के खजाने की क्या स्थिति थी और जो बिजली बोर्ड का डेफिसिट था, वह भी सबके सामने सदन में था, जिसकी चर्चा पहले भी बाकी लोग कर चुके

(श्री जगदीश चन्द्र)

हैं और मैं नहीं करना चाहूंगा। जिस हालत में राजस्थान सरकार का खजाना हमें मिला था, उसके बावजूद किसानों की पीड़ा जानने के लिए मुख्य मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया और 12 हजार रुपये साल की सब्सिडी किसान को दी गयी, ताकि किसान को थोड़ा बहुत सम्बल प्रदान किया जाये। एक तो राजस्थान सरकार बिजली में किसानों को सम्बल प्रदान करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ भारत सरकार 2022 में आमदनी दुगुनी करने की बात कर रही थी। उसने किसानों की हैसियत को पूरे साल के 6 हजार रुपये माना। इस देश के अन्दर जो किसान की स्थिति है, उसमें राजस्थान के किसान की स्थिति ठीक नहीं है। हमने कोशिश की है कि बिजली उसकी जरूरत है और 6 घंटे, 8 घंटे बिजली हमने तय की और उसको एक सम्बल प्रदान करने की कोशिश की है। राजस्थान सरकार ने कुल लगभग 12 लाख 76 हजार किसानों को 1 हजार 324 करोड़ 96 लाख रुपये की सब्सिडी राजस्थान के किसानों को दी है, जिससे 7 लाख 49 हजार किसानों का बिजली का बिल भी जीरो आया है, यह कितनी बड़ी बात है। जो किसान हजार-हजार, पांच सौ रुपये भी नहीं भर पाया था, उसको इतना बड़ा सम्बल प्रदान करना और जिसकी बिजली के माध्यम से रोजी-रोटी चलती थी, उसको बिजली का बिल जीरो आया, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने किसानों का पूरा ख्याल रखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में यह भी घोषणा की है कि 2023 से पहले-पहले सारे के सारे बिजली के ट्यूबवैल के कनेक्शन दे देंगे। ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि 15 लाख कनेक्शन पेण्डिंग थे जिनमें आधे कनेक्शन सरकार ने जारी कर चुके हैं और बाकी प्रोसेस में हैं जो आने वाले दिनों में जारी हो जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि घरेलू बिजली की बात अगर मैं करूं तो घरेलू बिजली में आये दिन चर्चा इस बात की होती थी कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कोरोना काल के अन्दर दो साल का जो लॉकडाउन था, मार्च, 2020 और 2021 का, उस कोरोना काल के अन्दर लोगों की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो गयी थी तो राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जी ने मानवता के आधार पर जो फैसला किया है, जो सब्सिडी देने का फैसला किया है, उसमें 50 यूनिट तक फ्री में बिजली, 150 यूनिट तक और 150 से 300 यूनिट तक दो रुपये और तीन रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी है, जो सरकार ने आम उपभोक्ता

(श्री जगदीश चन्द्र)

को सम्बल प्रदान करने की कोशिश की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माह अगस्त, 2022 तक कुल एक करोड़ 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 2,174 करोड़ 39 लाख का अनुदान दिया जा चुका है। उक्त घरेलू उपभोक्ताओं में से 37 लाख 97 हजार जो डोमेस्टिक बिजली के कनेक्शन हैं, उनका जीरो बिल आया है। यह कितनी बड़ी बात है, जीरो बिल आना। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां बिजली का बिल जीरो का आ रहा है। ऐसी सिर्फ बात ही करते हैं सारे सूबों में, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने वह साबित करके दिखाया है कि बिजली का जीरो बिल आया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जनरेशन के मामले में जब सरकार मिली, तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? राजस्थान में मुझे लगता है जनरेशन के मामले में हम इण्डिया में करीब-करीब दूसरे-तीसरे नम्बर पर आ चुके हैं।

सभापति महोदय, प्रसारण के मामले में जब सरकार मिली थी, तब क्या स्थिति थी? आज राजस्थान में 765 केवी ग्रिड का सब स्टेशन जोधपुर में हमने स्थापित करने हेतु 2,741 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है। विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 400 केवी का एक ग्रिड सब स्टेशन, 220 केवी के 5 ग्रिड सब स्टेशन, 132 केवी के 23 ग्रिड सब स्टेशन, 33 केवी के 555 सब स्टेशन स्थापित किये गये हैं। हमने कर दिये हैं। यह बजट की घोषणा थी, हमने चालू भी कर दिये हैं और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु 10,463 मेगावाट, 6,081 मेगावाट सोलर रूफ टोप सहित सौर ऊर्जा संयंत्र 27 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र हमने स्थापित किये हैं।

सभापति महोदय, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमने तो गायों का भी ख्याल रखा है, जिनके वोट नहीं होते। कल लम्पी पर चर्चा हुई। सरकार ने खुल कर अपना पक्ष रखा, जो बार-बार गायों की बात कर रहे हैं, हमने उनका भी ख्याल रखा। गोशालाओं के लिए पचास प्रतिशत का अनुदान दिया है, ताकि उन पशुओं को भी दिक्कत नहीं हो। उनकी भी लाइट को जो इस्तेमाल कर सकते हैं वे करें। यह राजस्थान सरकार ही कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार ने कोयले की जो बंदिश लगा रखी है भारत

(श्री जगदीश चन्द्र)

सरकार की एक चिट्ठी राजस्थान सरकार को मिली है, भारत सरकार के कोयला संकट के बारे में। 7.12.2021 को जो इम्पोर्टेड कोयला है, उसके लिए केन्द्र सरकार ने बाउंडेड कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको कम से कम दस प्रतिशत कोयला खरीदना पड़ेगा। अगर आप कोयला नहीं खरीदोगे तो हम आपकी पन्द्रह प्रतिशत की कटौती कर देंगे। इम्पोर्टेड कोयले की बात कर रहे हो, जब आपके पास में कोयला है माइनिंग आपके पास में है, स्टेट की अपनी माइनिंग है, राजस्थान सरकार पर क्यों बंदिश लगा रहे हैं? लेकिन सवाल इस बात का है कि रेल है केन्द्र सरकार के पास में, माइनिंग के आधे राइट्स केन्द्र सरकार के पास में हैं और बार-बार राजस्थान में जो कोयले की दिक्कत आ रही है, उसमें केन्द्र सरकार की मंशा साफ नहीं झलक रही है मुझे लग रहा है। कहीं न कहीं इस बात में दुराचार की बात केन्द्र सरकार कर रही है कि हमारी माइनिंग है और आप ऐसी कंडीशन लगा रहे हो कि आपने अगर दस प्रतिशत कोयले का मिश्रण नहीं किया अपने इम्पोर्टेड कोयले में तो आपकी पन्द्रह प्रतिशत की कटौती की जायेगी। यह सरकार पर सीधा-सीधा एक आरोप थोपने की बात है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे से पहले, इस बिल से पहले चर्चा हो रही थी जी.एस.टी. के बारे में। अब हमारे काफी साथियों ने जी.एस.टी. की चर्चा की। केन्द्र सरकार की जिस तरीके की टैक्स की जो पालिसी थी, यह हमारे साथी भूल गये थे कि केन्द्र सरकार ने तो कफन पर भी टैक्स लगा दिया था, जिसकी चर्चा ही नहीं की इस हाउस में। केन्द्र सरकार ने कफन पर टैक्स लगा दिया, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? यह चर्चा किसी ने नहीं की। सारे लोगों ने इस बात को दबा दिया। इस तरह के देश के हालात हैं। अगर आज किसी चीज की रेट बढ़ी है तो किस वजह से रेट बढ़ी? 33 प्रतिशत रेट हर चीज की बढ़ गयी है जिससे आपकी पानी की योजनाएं ठप हो गयी हैं, आपकी बिजली की योजनाओं में दिक्कत आ गयी है, आपके ठेकेदार भाग गये हैं, इसके पीछे कोई नहीं जाना चाहता। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में विचार करें आप कि जिस तरह से जो रेट बढ़ गये हैं, हमको एस्कलेशन से जो रेट का फर्क है उस पर कोई न कोई विचार करके उसका समाधान निकालना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की जो कोयले की नीति है, वह नीति ठीक नहीं है, उस नीति में परिवर्तन की जरूरत है। वह हम ठीक नहीं कर सकते, इसलिये ठीक नहीं कर सकते कि यह स्टेट का अपना हिसाब-किताब

(श्री जगदीश चन्द्र)

है, केन्द्र सरकार का अपना हिसाब-किताब है। यह केन्द्र का जो सब्जैक्ट है, उसमें केन्द्र सरकार के अधीन जो चीजें आ रही हैं वह बार-बार राजस्थान की हर चीज में रोड़ें अटकाने की कोशिश कर रही है। चाहे बिजली के कनेक्शन की बात हो, चाहे दूसरी पानी के कनेक्शन की बात हो, केन्द्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है। पहले तो सरकार गिराने की कोशिश की, उसमें कामयाब नहीं हो पाये, फिर फाइनेंशियली जो कंडीशन है, उस पर बार-बार केन्द्र सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है सरकार पर ताकि राजस्थान में विकास के जो काम हैं, वे प्रभावित हो, जनकल्याणकारी नीतियां प्रभावित हों। केन्द्र सरकार की नीति इस पर ठीक नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को पत्र भी लिखें। केन्द्र सरकार से आग्रह भी किया जाये कि जो लोक कल्याण के काम हैं, वह न बीजेपी की बात है न कांग्रेस की बात है, वह आम जनता के लिए है। आज राजस्थान का जो ग्रामीण है वह इस बात से प्रभावित हो रहा है कि बिजली नहीं है। कहीं 6 घंटे बिजली आ रही है, कहीं 7 घंटे बिजली आ रही है। हमारी कोशिश है, हमारा कमिटमेंट है हमारी सरकार का हम चाहेंगे कि किसान को चौबीस घंटे बिजली मिले। एक कमिटमेंट भी है सरकार का कि डोमेस्टिक बिजली चौबीस घंटे मिले और सरकार की कोशिश रहेगी कि 2023 से पहले हम किसान को भी चौबीस घंटे बिजली देने का प्रयास करेंगे, सब्जैक्ट टू केन्द्र सरकार मदद करे, उसमें मदद करने के नाम पर केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उस पर केन्द्र सरकार का योगदान है।

भारत सरकार की जो एन.टी.पी.सी. की गाइडलाइंस हैं, एक ग्रिड नोर्दन ग्रिड ठप होता है तो पूरे प्रदेश में लाइट चली जाती है और धरने प्रदर्शन करते हैं। पिछली बार 13 जिलों में लाइट नहीं थी। 13 जिलों में लाइट नहीं थी, एक चिट्ठी किसी केन्द्रीय मंत्री की, राजस्थान से जो केन्द्रीय मंत्री जाते हैं, राजस्थान से पच्चीस सांसद जाते हैं, एक चिट्ठी केन्द्र सरकार को नहीं लिखी कि नोर्दन ग्रिड को ठीक करके राजस्थान में बिजली की सप्लाई को ठीक किया जाये। लोग संकट में थे, लागत बढ़ गयी थी। आज लागत बढ़ गयी, हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, फिर भी मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उस संकट के बावजूद भी हमने लोगों को बिजली देने की कोशिश की है। बिजली का संकट क्यों आया, इस बात को सारा सदन जानता है। किस तरीके से 2013 से 2018 के बीच में हमने किस हिसाब से बाहर से प्रति यूनिट बिजली खरीदी थी, महंगी

(श्री जगदीश चन्द्र)

बिजली खरीदी गयी थी। वह इसलिये खरीदी गयी थी कि जिन लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे थे उसके कारण से सरकार को चूना लगे, इस बात से कोई लेना -देना नहीं था। सवाल इस बात का था कि अपने मित्र दोस्तों से महंगी बिजली सरकार के माध्यम से खरीदकर उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात की थी, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने कल्याणकारी योजनाओं के एक मानवता के आधार पर जो बिजली के बारे में फैसले किये, निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को इसका आने वाले समय में फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी विराजमान हैं, जो हमारा जोधपुर डिस्काम है, सबसे ज्यादा गंगानगर जिले के हम लोग सबसे पहले बिल भरते हैं और सबसे पहले बिल भरते हैं और सबसे ज्यादा कमी हमारे यहां आ रही है। कहीं बिजली का तार नहीं है, कहीं खम्भे नहीं हैं, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है। इस तरीके से क्यों भेदभाव हो रहा है?

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, दो जीएसएस के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया था, एक खाट लबाना का, एक बेरामपुरा भोजला का, जो नवाज शरीफ का गांव है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री का गांव है, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी, और बहुत बड़ा गांव है। 132 केवी जीएसएस का, मैं निवेदन करना चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ कि उस पर ध्यान रखें। प्राथमिकता के आधार पर उसको सोर्ट आउट किया जाये। गंगानगर बोर्डर का डिस्ट्रिक्ट है। पाकिस्तान के नजदीक है पंजाब के नजदीक है। हमारे यहां तीन जंक्शन हैं, सभापति महोदय, आप तो कलेक्टर रह चुके हैं। आपको तो पता ही है तीन जंक्शन हैं, हरियाणा का भी, पंजाब का भी और पाकिस्तान का भी और जिले की हमारी स्थिति है जो सूरतगढ़ का जो थर्मल पावर बना था, वो इस आधार पर बनाया गया था कि इस जिले में लाइट की आपूर्ति पूरी करेंगे, लेकिन जब लाइट की कमी होती है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): जब लाइट की कमी होती है तो सबसे ज्यादा कट गंगानगर में लगते हैं और उसकी वजह से जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारा रीको का जो क्षेत्र है जो इन्वेस्टमेंट करने बाहर से बिजनसमेन आना चाह रहे हैं वे आ नहीं पाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस मांग पर विचार करें और निश्चित तौर पर आने वाले समय में राजस्थान सरकार द्वारा बिजली के बारे में जो फैसले लिए गये हैं, उनसे राजस्थान की जनता को फायदा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, बिजली पर चर्चा हो रही है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार हम सक्षम बने हैं बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की जो हालत है वर्तमान में वह हम सभी के सामने है, कोई आरोप और प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है। राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों में विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाये रखने के लिए आपने समूचे विद्युत वितरण तंत्र स्थापित करने के लिए निरन्तर वृद्धि इसमें की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को हम उच्च क्वालिटी की विद्युत उपलब्धता करवा सकें और उसी के निमित्त आज हम देख रहे हैं कि सम्माननीय पुष्पेन्द्र सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री महोदय ने भी इस बात को रखा कि किस तरह से राजस्थान के हालात हैं, राजस्थान में कितनी ही इकाइयां हमारी बिजली उत्पादन कर रही हों, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटा-सा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। राजस्थान उत्पादन निगम लिमिटेड की कुल उत्पादन क्षमता अगर हम देखेंगे तो 8,180 मेगावाट है और आज के दिन अगर हम बात करेंगे तो यह जो हम उत्पादन ले रहे हैं, यह मात्र 4,545 मेगावाट बिजली हम लोग उत्पादित कर पा रहे हैं। आखिर में इसके पीछे कारण क्या रहा और उन कारणों की ओर आज तक हमारा ध्यान क्यों नहीं जा पा रहा है इसकी गहनता में हमें जाने की आवश्यकता है। हम बात करें सूरतगढ़ ओ. एंड एम. की तो एक यूनिट जो नम्बर-1 है वह मात्र 250 मेगावाट की बिजली ले पा रही है, उसकी भी एक यूनिट बंद है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की जो एक यूनिट है, वह 666 मेगावाट की बिजली ले पाती थी, उसमें भी एक इकाई हमारी बंद है। कोटा की हम बात करें तो एक यूनिट जो 3 नम्बर है, वह हमारी बंद पड़ी है। छबड़ा की हम बात करेंगे तो 4 नम्बर की यूनिट से मात्र 250 मेगावाट एएसपी गिरने की वजह से छह महीने से वह पूरी यूनिट हमारी बंद पड़ी हुई है। इसी प्रकार हम पूरे जितने भी हमारे उत्पादन निगम लिमिटेड के स्रोत हैं, आज की तारीख में हम ओनली पचास प्रतिशत बिजली उत्पादन कर पा रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि सभी विधायक इस बात को बोल रहे हैं कि जिस तरह से अघोषित बिजली कटौती के नाम से, लोड शैडिंग के नाम से चाहे रात हो, चाहे दिन हो, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिये से आती हूं जहां पर 4-5 नदियां हैं, कालीसिंध, चम्बल, मेज, कुरेल नदी है और हम एक महीने से बाढ़ से इतने परेशान रहे और वहां पर बिजली

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

उपलब्ध न होना, निश्चित तौर पर हम सोच सकते हैं कि जिन 18 गांवों के मकान गिर कर धराशायी हो गये, वहां किस तरह से बिना बिजली के उन लोगों ने सड़क पर, खेतों में रात बिताई होगी, इस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। आज हम इस बात को भी जानते हैं कि बिजली हमें मिलेगी तो हमारा किसान सक्षम बनेगा। हमारा हाड़ौती क्षेत्र सिंचित एरिया है, लेकिन असिंचित एरिये में बिना बिजली के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि हमारे जनरल के कनेक्शनों को आप कब से लेकर बैठे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे? मुझे पता लगा, सरकार के यहां से दो-चार दिन पहले ही आर्डर निकला होगा, कल ही हमारे जिला हैड क्वार्टर पर पहुंचा और पता लगा कि अब जाकर यह डिसाइड हो पाया है कि आपका विभाग इस काम को करेगा। उन्हें सारे कनेक्शन के सामान देगा या ठेकेदार के मार्फत करवाये जायेंगे। अब जाकर यह डिसीजन हमने लिया है। निश्चित तौर पर अगर यही डिसीजन हम पहले लेते तो शायद आज जो हमारे जनरल के कनेक्शन बकाया चल रहे थे, वे हो जाते और रबी की फसल में हमारे किसानों को जो 2013 से इंतजार कर रहे थे, उन्हें कहीं न कहीं लाभ मिल पाता। इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये।

अभी हमारे पूर्व मंत्री महोदय पुष्पेन्द्र जी बता रहे थे कि किस तरह से हम सौभाग्य योजना में क्या कर पाये, यह आप सबको मालूम है। सौभाग्य योजना में हम लोगों की गलती की वजह से हमारी पूरी राशि रिटर्न हो जाना और मुझे लगता है कि 18.58 करोड़ रुपये इसमें खर्च किये हैं, वह भी शायद पहले के पड़े होंगे, उन्हीं को खर्च किया है। निश्चित तौर पर ऐसी योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को हमें बिजली विभाग के मार्फत दिलाना चाहिये।

हमारा जो फीडर सुधार कार्यक्रम चलता था, मैंने आपका 2021-22 का प्रगति प्रतिवेदन देखा तो उसी से मुझे जानकारी मिली कि हम गत वर्ष 2021-22 में कुछ कर नहीं पाये। निश्चित तौर पर इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पोल लटके हुए रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं। जब भी हाड़ौती में बाढ़ आती है तो कृषि एवं घरेलू कनेक्शन भी हमारे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। इसके लिए भी हम कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान के किसान को फायदा होगा।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान सरकार ने इस बात की कुछ जिलों में घोषणा की कि दो फीडर में कृषि के लिए दिन में बिजली जायेगी। यह सभी जिलों में चालू कर दी गयी, लेकिन मेरे बूंदी जिले में डेढ़ विधान सभा में तो पूरी बिजली दिन में मिल रही है, लेकिन मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में रात को ही बिजली दी जाती है। मेरा निवेदन है कि मेरा करवर एरिया, मेरा इंद्रगढ़ एरिया जो असिंचित क्षेत्र है, उसमें सरकार की घोषणा अनुरूप तुरंत प्रभाव से दिन में बिजली दी जाये। साथ ही साथ जो हमारा करवर एरिया है, जहां हमारे नैनवां से बिजली आती है, ज्यादा लोड होने की वजह से हमको बिजली नहीं मिल पाती। हमारे 132 केवी जीएसएस के पांच प्रस्ताव आये हुए हैं, उसमें जरखोदा का है, दो केशोरायपाटन के हैं, इंद्रगढ़ का है, लाखेरी ग्रामीण का है। चूंकि बाढ़ की वजह से हमारे 15 दिन तक बिजली बन्द रही, हमारे ये सारे 132 केवी के जीएसएस सैंक्शन किये जायें और मेरी विधान सभा की 33 केवी लाइन के लिए जो भी प्रस्ताव अधिकारियों के द्वारा भेजे गये हैं, उन्हें भी सैंक्शन किया जाये। साथ ही साथ मैं इतना सा निवेदन करना चाहूंगी कि बाढ़ग्रस्त इलाके में इस तरह की व्यवस्था हो, चम्बल नदी के पार से लाइट आ रही है तो हम वहीं 132 केवी जीएसएस बनाकर उन गांवों को लाइट दें। लगातार तीन साल से मैं देख रही हूं कि बिजली की व्यवस्था हम नहीं कर पाते। हम इन नदियों को क्रास कर सकें, टावर लगाकर इतनी सी व्यवस्था आप लोग कर दें।

साथ ही साथ केडीएल कोटा में बहुत बड़ी प्रोब्लम बना हुआ है। हमारे कोटा के अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करवायी है। बारिश आ जाये और 8-8 घंटे तक बिजली बन्द रह जाये। सभापति महोदय, मैं फिर बोलूंगी कि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन असत्य बात को असत्य बोलना पड़ेगा।

श्री सभापति: थेंक यू। आपका टाइम हो गया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): इतना सा निवेदन है कि ईमानदारी से वह काम करें। जहां बिजली चोरी होती है, बिजली चोरी कौन करता है और किन गरीबों से वह राशि वसूली जा रही है, कहीं न कहीं हमारा केडीएल पर अंकुश होना चाहिये। इस केडीएल को कोटा से निकालकर फेंकना चाहिये। यह प्राइवेट सेक्टर में देने के बाद हमारे पास लम्बी लाइनें लगी रहती

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हैं। मैं कोटा की विधायक रही हूं, लेकिन उसके बावजूद भी रोज 10-15 केसेज मेरे पास आते हैं, इस बात की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्या।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): नगर निगम की लाइटों की भी उन्होंने फर्जी रीडिंग भर दी, करोड़ों रुपये वसूल लिए। इस पर भी कहीं न कहीं अंकुश लगे। आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ऊर्जा पर चर्चा हो रही है। ऊर्जा एक ऐसा विषय है जिसकी झोंपड़ी में रहने वाले से लेकर उद्योगपति, व्यापारी, किसान, सभी को बिजली की आवश्यकता रहती है। इसके लिए आज सदन में चर्चा हो रही है और सभी वक्ता अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार और लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने इन चार सालों में और जैसा कि बताया गया, जब भारत आजाद हुआ उस समय सिर्फ 13 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था और आज हम कहां तक पहुंच गये हैं किस तरह से हमने इस विद्युत उत्पादन में कामयाबी हासिल की है। मैं कहना चाहूंगा कि समस्याएं जरूर हैं लेकिन हम उपलब्धियों की ओर देखें तो आज राजस्थान में 33 केवी के 555 सब स्टेशन हैं। 289600 नये कृषि कनेक्शन इस कार्यकाल में दिये हैं। कृषि कनेक्शनों के लिए फीडर स्थापित करने के लिए 1,534 फीडरों का काम पूर्ण हो चुका है। 1943000 घरेलू कनेक्शन जारी किये हैं। 213524 बीपील कनेक्शन जारी किये हैं। पंजीकृत गौशालाओं के लिए आधी दर लागू की गयी। सौर ऊर्जा में राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पर है। 13076 मेगावाट सौर ऊर्जा में उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा पवन ऊर्जा में 4338 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है। सोलर और विंड उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम कुसुम योजना में 42 मेगावाट कर के देश में प्रथम स्थान पर है। सोलर में 814 मेगावाट के साथ देश में तीसरे नम्बर पर है। इस प्रकार सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर हम मूल समस्या पर जाएं तो वह कोयले की समस्या है और वह कोयला भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार समय पर कोयले की सप्लाई राजस्थान सरकार को नहीं दे रही है, इस वजह से यह समस्या आ रही है। बिजली की सारी समस्या की

(श्री मेवाराम जैन)

जड़ भारत सरकार है। अभी जो यह बातें कर रहे हैं, यह समय पर कोयले की सप्लाई के लिए आगे बातें करें और राजस्थान सरकार को पूरी सप्लाई कराये तो बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी। इस बारे में इनको समझना चाहिये और आगे कहना भी चाहिये।

(समय: 16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने किसानों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए छूट दी है अब मैं किसानों के लिए कहना चाहूंगा कि बजट 2021-22 में किसान मित्र योजना में 1 हजार प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रुपये तक की राशि बिल में समायोजित करने की घोषणा की गयी, जिससे लगभग 12 लाख 76 हजार किसानों को 1 हजार 324 करोड़ 46 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान देना और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 यूनिट तक फ्री, उसके ऊपर जिस तरह से अनुदान दिया है। अगस्त, 2022 तक 1 करोड़ 20 लाख घरेलू कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को 2 हजार 174 करोड़ 39 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। 37 लाख 39 हजार घरेलू कनेक्शन, जिनका बिल शून्य। जिस तरह से बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए चाहे छबड़ा सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट हो, उसके अन्दर कैपेसिटी बढ़ायी गयी। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल परियोजना हो, चाहे प्रसारण निगम जोधपुर में सब-स्टेशन, 765 केवी के लिए 741 करोड़ रुपये लगाकर योजना स्वीकृत की और विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 400 केवी का ग्रिड सब-स्टेशन, 220 केवी पांच सब-ग्रिड स्टेशन, 132 केवी के 23 ग्रिड-सब स्टेशन और 33 केवी के 555 सब स्टेशन स्थापित किये हैं, ताकि बिजली लोगों को अच्छी मिले और बिजली की समस्या का समाधान हो।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना काल भी रहा, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर 2174 करोड़ रुपये का अनुदान घरेलू कनेक्शन में दिया गया। कुल मिलाकर 37 लाख 97 हजार 424 कनेक्शनों का बिल जीरो हुआ। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से राजस्थान के अन्दर भारतीय जनता पार्टी ने पांच साल में 2 लाख 68 हजार

(श्री मेवाराम जैन)

522 कृषि कनेक्शन दिये थे और इस समय चार साल में 2 करोड़ 92 लाख 471 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

श्री सभापति: थैंक यू वैरी मच। थैंक यू। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आने वाले पूरे पांच साल के कार्यकाल में आप देखेंगे तो 5 लाख तक कनेक्शन हो जाएंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। कहने का उद्देश्य यह है कि जिस तरह से आप जो बातें कर रहे हो, समय पर बिजली देने की बात, आप कोयला सप्लाई करें। इस तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है और किसानों को हर तरह से, किस तरह से लाभ हो, उनको समय पर बिजली मिले। उपभोक्ताओं को 24 घंटे कैसे बिजली मिले, इसके लिए जिस तरह से राजस्थान की सरकार बिजली के तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मैं खड़ा हो गया हूं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): एक मिनट में खतम कर रहा हूं। मैं बाड़मेर की बात करना चाह रहा हूं कि इस तंत्र को किस तरह से मजबूत किया जाये? एफआरटी, जो कि ऊपर लगे हुए हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लेबर लगी हुई है, वह समय पर नहीं जा रही है। ठेकेदार उनको टाइम पर पैसे नहीं देता या गाड़ी की समस्या की वजह से समस्या आ रही है, उसको कैसे ठीक किया जाये, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं कहना चाहूंगा कि पूरे बाड़मेर में 50 हजार कनेक्शन अभी भी बाकी हैं, घरेलू कनेक्शन हम कैसे दें, इसके लिए केंन्द्र सरकार ने तो पहले कई घोषणाएं कीं, पर वह तो खाली घोषणाएं ही कर रही है, उनको हम विद्युतीकरण से कैसे जोड़ें, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। बिजली के वोल्टेज की समस्या है, वहां 132 केवी के जीएसएस के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बाड़मेर के हरसानी फांटा में लगे। 220 केवी का जीएसएस जो कि स्वीकृत है, शिव में जोहरा नाडा में, उसका काम कैसे जल्दी शुरू हो?

श्री सभापति: आप मंत्री महोदय को नोट करवा देना। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं खतम ही करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार बिजली के मामले में इतनी गम्भीर है कि किसानों को समय पर बिजली मिले और सस्ती मिले। पांच साल बिजली की दर नहीं बढ़ाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। इनको तो कहो कि कोयला दिलाओ, यह बिजली का तंत्र कैसे ठीक हो, यह असत्य बातें करने से और असत्य वादे करने से कुछ नहीं होगा।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, 20 साल से अधिक समय हो गया, जब इसी पवित्र सदन ने निर्णय किया था कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भंग करके उसकी पांच कम्पनियां बनायी जायें। वे कम्पनियां बनीं। बनाते समय भी यह लक्ष्य तय किया गया था कि 20 साल बाद हम पुनर्विचार करेंगे कि यह प्रयोग सफल रहा या नहीं रहा। मैं समझता हूं कि यह पुनर्विचार करने का समय आ गया है। उस समय इससे हमने जो लाभ सोचे थे कि अलग-अलग पांच कम्पनियां होने से क्या फायदा होगा, जनता को क्या लाभ मिलेगा, वह लाभ जनता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में हम सफल हुए या नहीं, इस बारे में विचार करने का समय आ गया है। इस सदन को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए।

जिस समय विघटन किया गया, उस समय इन तीन डिस्काम कम्पनियों का घाटा 600 करोड़ रुपये का था। बाद में वह बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसके बहुत सारे कारण थे। उसमें ट्रांसमिशन लोसेज बड़ा कारण था। बिजली चोरी भी बड़ा कारण था। रिकवरी नहीं होना भी बड़ा कारण था। ये तीन बड़े कारण थे। अब जाकर उसमें बहुत कुछ सुधार आ गया है। अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य बात कर रहे थे कि हमारी सरकार ने यह कर दिया, वह कर दिया। मैं याद दिला दूं कि पांच साल इन कम्पनियों का घाटा 80 हजार करोड़ तक पहुंच गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय वसुन्धरा राजे जी मुख्य मंत्री थीं। उन्होंने 80 हजार करोड़ में से 60 हजार करोड़ रुपये का सरकारी खजाने से इन कम्पनियों को भुगतान करके उस घाटे को ठीक करने की कोशिश की थी और घाटे से उबारने का प्रयास किया था। अब फिर पांच साल बाद वह घाटा फिर से 80 हजार करोड़ से बाहर निकल गया है। अब आपका दायित्व बनता है, अब आप

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

दीजिये 80 हजार करोड़ रुपये। अब आगे चुनावी वर्ष आने वाला है तो अब तो बहुत सारे लालीपाप देने पड़ेंगे, ये फ्री, वह फ्री करने पड़ेंगे, उसके लिए भी आपको अभी से व्यवस्था करनी चाहिए। यह 80 हजार करोड़ रुपये का घाटा सरकारी खजाने से पूरा करने की व्यवस्था तुरन्त राजस्थान सरकार को करनी चाहिए।

एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि पहले बिजली की दरें भी कम थीं, वसूली भी कम होती थी, ट्रांसमिशन लोसेज भी ज्यादा थे, इसलिए घाटा होता था। आज की तारीख में आपकी दरें क्या हैं? आपकी खरीद की दर मुश्किल से ढाई रुपये से लेकर चार रुपये यूनिट तक लग रही है हाईएस्ट। आप जनता को 7 रुपये से लेकर 15 रुपये तक दे रहे हैं। घरेलू उपभोक्ता को भी आप सात रुपये के आसपास देने लग गये। आप उद्योग वालों को 15 रुपये प्रति यूनिट की दर से दे रहे हो। आपके ट्रांसमिशन लोसेज कवर हो गये। आपने चोरी भी काफी हद तक कवर कर ली है। वसूली लगभग 100 परसेंट पहुंच गयी है, फिर भी घाटा तो यह चौथा फैक्टर कौनसा है? ट्रांसमिशन लोस, रिकवरी और चोरी, इन तीन के अलावा चौथा फैक्टर कौनसा है, यह जवाब इन ट्रेजरी बैंच को देना है। कहीं घोटाले में तो पैसे नहीं जा रहे? गबन में तो नहीं जा रहे? कहीं इसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? मुझे डर लग रहा है कि इसके कारण से आपका घाटा बढ़ रहा है। इसके बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिस समय कम्पनी का विघटन किया था, उस समय हमने और भी कुछ बातें की थीं। इंटर डिस्काम ट्रांसफर, उस समय सबसे आप्शन लेकर कर दिये थे। अब उस बात को 20-22 साल हो गये। कई सारी नयी स्थितियां ऐसी पैदा हो गयी हैं कि इंटर डिस्काम ट्रांसफर फिर खोलने की आवश्यकता महसूस हो रही है। कोटा का कोई एईएन, जेईएन जैसलमेर में लग गया है तो उसको वापस कोटा पहुंचने के लिए हमको अवसर देना चाहिये। ये एक बार फिर खोलना चाहिये। मेरा सुझाव है सरकार को।

ओल्ड पेंशन स्कीम आपने सारे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों पर लगाकर वाहवाही खूब लूट ली। जहां भी जाते हैं मुख्य मंत्री जी भाषण देते हैं सारे मंत्री-विधायक भाषण देते हैं, तो डिस्काम ने क्या बिगाड़ा है आपका? वहां भी यह स्कीम लागू होनी चाहिये। आर.जी.एच.एस. का लाभ आप सारी दुनिया को दे रहे हैं, सारे कर्मचारियों को दे रहे हैं, डिस्काम वालों को नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर भी सोचना चाहिये।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

अब मैं जनता को जो समस्या आ रही है, दो मिनट वह बात करूंगा। एक तो किसानों को दिन में बिजली देने का आपने बढ़-चढ़कर वादा किया था, वह पूरा नहीं कर पाये हैं अभी तक। उसके लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए, वह करिये। अघोषित रूप से जो बिजली कटौती हो रही है गांवों में, चार-चार घंटे, छह-छह घंटे बिना कारण बताये बिजली काट ली जाती है और समय पर आती नहीं है। गर्मी के मौसम में लोगों को मच्छर काटते हैं। बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, वह पढ़ नहीं सकते। यह जो सारी स्थिति बनी है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसका मिस-मैनेजमेंट, अव्यवस्था के लिए सरकार जिम्मेदार है। पूरी तरह से हम विद्युत आपूर्ति करने में असफल रहे हैं।

बड़े गर्व से मुख्य मंत्री जी ने पहला जो भाषण यहां खड़े होकर दिया था, तब कहा था कि राजस्थान विद्युत उत्पादन में सरप्लस है। जब सरप्लस था तो बिजली कहां गयी? उसके बाद तो उत्पादन आपका और बढ़ा है, फिर वह बिजली कहां गयी? क्यों नहीं आप जनता को दे पा रहे हैं? उपभोक्ताओं को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इससे बड़ी समस्या हो रही है।

72 घंटे में हम किसानों के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बदल कर देंगे, वह 72 घंटे की जगह 72 दिन हो गया। पिछले तीन-चार महीनों में स्थिति बद से बदतर हो गयी है। जो ट्रांसफार्मर किसान के खेत से उतरकर जोधपुर डिस्काम का जोधपुर ठीक होने के लिए जाता है, वह जाने में 15 दिन लग रहे हैं और आने में तो डेढ़ महीना, दो महीना लग रहा है। वहां रिपेयरिंग हो ही नहीं रही, रिपेयरिंग करने वाली कंपनी, ठेकेदार भाग गये या सो गये या मर गये, भगवान जाने, परंतु ट्रांसफार्मर रिपेयर होकर वापस नहीं आ रहा है। जोधपुर, मुख्य मंत्री की नाक के नीचे ये हो रहा है कि किसान का ट्रांसफार्मर जाता है, ठीक होकर नहीं आता है। वहां अम्बार लगे पड़े हैं ट्रांसफार्मर्स के। जालौर एस.ई. आफिस में अम्बार लगे पड़े हैं, जोधपुर में अम्बार लगे पड़े हैं और वे ठीक होकर वापस नहीं आ रहे हैं।

काश्तकार को अपने खेत से जला हुआ ट्रांसफार्मर उठाकर भी पहुंचाना पड़ता है अपने खर्चे से, वापस ले जाना भी अपने खर्चे से पड़ता है और ठेकेदार उसका पेमेंट उठा रहे हैं। ठेकेदार उसका पेमेंट उठा लेते हैं कि वह ट्रांसफार्मर हम लाए, ठीक कराया और वापस पहुंचाया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) काश्तकार अपनी जेब से पैसा दे रहा है। या तो ठेकेदार को पेमेंट बंद कीजिए या वह पैसा काश्तकार के बिल में प्लस करिये। दोनों में से एक बात तो

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कीजिए या फिर असत्य वादा बंद कीजिए कि काश्तकार को लाना पड़ेगा, हमको कुछ नहीं करना है। अपनी जिम्मेदारी से भाग जाइए। तीन में से एक बात तो आपको करनी पड़ेगी। इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा।

अंत में मैं फिर निवेदन करता हूं कि काश्तकारों के लिए बुआई का सीजन आने वाला है। महीने भर में राईड़े की और अन्य फसलों की बुआई शुरू हो जायेगी। उस समय हम यदि उनको समय पर ट्रांसफार्मर नहीं दे पाए, समय पर हम बिजली आपूर्ति नहीं कर पाए और उस सर्दी की रात में माइनस 3 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस में उसको खेत में खड़ा होना पड़ा तो उसके लिए सरकार पाप की भागीदार होगी। इसके लिए अभी से सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिये। उस काश्तकार के लिए सुविधा जुटाने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिये। मन से तैयार होकर करिये। केवल भाषणबाजी से नहीं, नारेबाजी से नहीं, जुमलेबाजी से नहीं, असत्य वादों से नहीं, वास्तव में काम करके तैयार होइए और काश्तकार को सुविधा दीजिए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा हो रही है। जो प्रदेश कृषि प्रधान है और कृषि के अन्दर किसानों की जो जीवन रेखा है, वह विद्युत है। विद्युत के बारे में अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बात बताई। मैं उसी बात पर आना चाहूंगा, 19 जुलाई, 2000, उससे पहले प्रदेश के अन्दर आरएसईबी बोर्ड बना हुआ था। 19 जुलाई, 2000 को जब पांच कंपनियां बनायीं तब जनता को यह बताया गया था कि अच्छी गुणवत्ता की लाइट मिलेगी, जनता को अच्छी सेवा मिलेगी और कंपनी या बोर्ड के जो लोसेज है, वे कम होंगे। बोर्ड का, निगम का जो घाटा है, वह कम होगा लेकिन आज की स्थिति में जब 19 जुलाई, 2000 को पांच कंपनियां बनीं तब बोर्ड पर जो कर्जा था, वह 8 हजार करोड़ था, 2018 के अन्दर ये कर्जा 80 हजार करोड़ हो गया और उस 80 हजार करोड़ में से, हमारे पूर्व माननीय सदस्यों ने जैसा बताया कि 60 हजार करोड़ सरकार ने टेक ओवर करके इन कम्पनियों को बचाया। लेकिन अभी-भी वापस पांचों कम्पनियों के ऊपर इतना कर्जा हो गया है कि सरकार को वापस इंटरफियर करना पड़ सकता है। जब कंपनियां बनाने के बाद भी यह स्थिति है, लोसेज कम नहीं हो रहा है, घाटा कम नहीं हो रहा है, लोगों को, उपभोक्ताओं को

(श्री पुखराज)

अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है तो, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार और मंत्री जी से निवेदन है कि इन कम्पनियों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिये और अच्छी सुविधा जनता को कैसे मिले, उसके बारे में विचार करना चाहिये।

अभी बजट घोषणा के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि हम 2022 तक के जो कनेक्शन हैं, दस साल के, वह हम इन दो साल के अन्दर देंगे। लेकिन जो निगम का इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की तारीख में, बजट घोषणा मार्च के अन्दर हुई थी, आज सितम्बर के अन्दर भी यह स्थिति है कि जो बंद ट्रांसफार्मर हैं, जले हुए जो ट्रांसफार्मर हैं वह 15-20 दिन के अन्दर चेंज हो रहे हैं, बदले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छोड़िए आप, 33 केवी के जीएसएस, जब कनेक्शन देने हैं तो 33 केवी के जीएसएस, 132 केवी के जीएसएस, 220 केवी के जीएसएस ये बढ़ाने पड़ेंगे। आज की तारीख में जो स्ट्रक्चर है, वह इन दस सालों के जो कृषि कनेक्शन बकाया हैं, उनका लोड लेने की क्षमता उनमें नहीं है लेकिन उसके बारे में किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, कोई प्लानिंग नहीं हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जोधपुर डिस्काम के एक काम का उदाहरण देता हूं आपको। माननीय मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। चार साल पहले एक 33 केवी का जीएसएस सेंक्शन होता है मेरी विधान सभा के अन्दर। देगडा गांव है। चार साल पहले जीएसएस सेंक्शन होता है 33 केवी का, 2019 के अन्दर विभागीय नियमानुसार उसको फेज प्रोग्राम में लेते हैं और जब मैंने अभी मार्च में सत्र के अन्दर नियम 295 में उसके निर्माण का मुद्दा उठाया तब विभाग ने सत्र चल रहा था इसलिये आनन-फानन में उस ठेकेदार को सामान देकर काम शुरू करवाया। जैसे ही सत्र बंद हुआ, वह काम बंद हो गया। आज भी अधूरा पड़ा है। मतलब काम करने की नीयत नहीं है। सत्र चल रहा है, वहां पर कोई बात नहीं उठ जाए इसलिये उस बात को दबाने के लिए थोड़ा-बहुत काम करवा दीजिए।

इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अभी जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, उस घोषणा में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के अन्दर एक मुकदमा लगा हुआ है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अन्दर एक रिट लगायी है, जिसके अन्दर हमारे जोधपुर

(श्री पुखराज)

डिस्काम के चार जिले इफेक्टेड हो रहे हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, आधा जोधपुर और बीकानेर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि, "respondents not to permit installation of overhead power lines and also not permit further construction of windmills and installation of solar infra-structure in priority." जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोक लग गयी है इन चार जिलों के अन्दर तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की इस रिट को निपटायें, उसकी ढंग से पैरवी करें, तब जाकर आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। उसके बाद आप यह जो दस साल के कनेक्शन हैं वह कर पाओगे। यह कल्पना है, दो साल में यह इन्फ्रास्ट्रक्चर कर पायेंगे और ना सुप्रीम कोर्ट का यह केस निपटा पायेंगे। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: प्लीज, कन्क्लूड करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): मैं मेरे विधान सभा की बात करता हूं। मेरे 33 केवी सब स्टेशन के अन्दर 20 ऐसे सब स्टेशन हैं जिसमें एडिशनल पावर ट्रान्सफार्मर स्वीकृत हो रखे हैं लेकिन आज तक एक भी नहीं लग पाया। 132 केवी मेरी विधान सभा भोपालगढ़ के अन्दर ट्रान्सफार्मर जल गया था, जले हुए ट्रान्सफार्मर को रिप्लेस करने में इनको दो महीने लगे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अधिकारियों की क्या इच्छा शक्ति है, वह क्या चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं। इन्होंने भगवान भरोसे जनता को छोड़ रखा है।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): आज की तारीख में भोपालगढ़ विधान सभा में 4 से 5 घंटे विद्युत सप्लाई मिल रही है। सिंगल फेज सप्लाई 10-12 घंटे मिल रही है। उसका भी कोई समय नहीं है। टेलीफोन करने पर कोई भी अधिकारी यह नहीं बता पाता है कि कितने बजे तक कटौती होगी या किस कारण से हुई है।

श्री सभापति: प्लीज, कन्क्लूड।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि जो सप्लाई दी जानी है उसके लिए मानिटरिंग होनी चाहिये। जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहिये, उस पर ध्यान दें। सुप्रीम कोर्ट की रिट को जल्दी से जल्दी निपटायें, यह मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री पदमाराम जी।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, आज ऊर्जा पर चर्चा हो रही है। ऊर्जा ऐसा तंत्र है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, हर किसान को मजबूती देने के लिए और गरीब के घर रोशनी पैदा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। पिछले चार साल से राजस्थान में लोकप्रिय मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फ़ैसले किये। उन फ़ैसलों के आधार पर आज राजस्थान का ऊर्जा का तंत्र मजबूत है। कैसा भी संकट आये, बरसात हो, कैसी भी स्थिति हो, उसके उपरान्त भी किसानों को समय पर बिजली मिल रही है। घरेलू कनेक्शनों में समय पर बिजली मिल रही है। बिजली को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए गये।

अभी हमारे प्रतिपक्ष के साथी कह रहे थे कि हमने पहले सरकार से पैसे माफ करा दिये और आज 80 हजार करोड़ का बिजली कम्पनियों पर ऋण हो गया। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली का स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए धन की जरूरत होती है। 2008 से 2013 तक गहलोत साहब ने बिजली के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो महत्वपूर्ण फ़ैसले किये, उसी आधार पर 2013 से 2018 तक, अभी पूर्व मंत्री जी ने इनकी सरकार की प्रशंसा की, उसका मेन उद्देश्य वह था। हमने काम चालू किया, बिजली का उत्पादन इनके समय हुआ, इस कारण से वह वाहवाही लूट रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके समय आपने कृषि कनेक्शन कितने दिये ...(व्यवधान) वह तो आपको ध्यान रखना चाहिये, आपने पीएचडी की हुई है न इस मामले में। सत्य नाम की चीज ही नहीं है। (व्यवधान) आगे तो बढ़ रहे हैं आपको मालूम है।

श्री सभापति: आपस में बात नहीं। माननीय सदस्य, You please address me.

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने किसान को मजबूती देने के लिए किसान मित्र योजना लागू की। घरेलू कनेक्शन के अन्दर गरीब को मजबूती देने के लिए 50 यूनिट तक जो बिजली खर्च करेगा उसको पूरा बिल माफ। एक गरीब को सम्बल देने का काम किया है। आज हज़ारों किसानों के जीरो बिल आ रहे हैं। हमारे साइड के हज़ारों किसान हैं, कृषि कनेक्शन के अन्दर उनका जीरो बिल आ रहा है। वह माननीय गहलोत साहब को साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे

(श्री पदमाराम)

हैं कि ऐसी महान शख़्सियत जिन्होंने गरीब के लिए सोचा, किसान के लिए सोचा, लघु किसान को मजबूती प्रदान करने के, सम्बल देने के लिए लिए शानदार योजना लागू की है। (व्यवधान) दिल्ली जाना चाहते हो, दिल्ली का नाम लिया तभी तो मीठे-मीठे बोलते हो। दिल्ली ऐसी है जो एक हवा दिखा रही है। दिल्ली के ही लोग आपको यह हवा दिखा रहे हैं कि ऐसे बोलो, क्योंकि आपको वहां खड़ा रहना है, इसलिये आप वाहवाही लूट रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। आपके दिल में आप ही सोच रहे हो कि दिल्ली कितनी मेहरबान है। दिल्ली की मेहरबानी से राजस्थान का हित तो सोचो। राजस्थान के बारे में तो सोचो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप इधर मेरी तरफ देखकर बोलिये न, उधर क्यों बोल रहे हैं?

श्री पदमाराम (चौहटन): राजस्थान में घरेलू कनेक्शन की बात आई ... (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज।

श्री पदमाराम (चौहटन): इन्होंने कहा कि हमने इतने करोड़ रुपये दे दिये और राजस्थान सरकार ने खर्च नहीं किये। हमारे जी.एस.टी. के हिस्से का पैसा आप 6-6 महीने, 7-7 महीने नहीं दे रहे हो। आप यह पैसे देने की बात कर रहे हो। राजस्थान के हिस्से का पैसा है, वह भी आप 6-6 महीने, 7-7 महीने नहीं दे रहे हो। जानबूझकर नहीं दे रहे हो कि राजस्थान का विकास नहीं हो, राजस्थान के अन्दर लोग परेशान हो और वापस हमारे साथ आ जाये। अभी बात हो रही थी कि आप बिजली में इतनी मंहगाई कर रहे हो, हम इस साइड से उस साइड चले जाएंगे। आना-जाना किसी के बस का रोग नहीं है। राजस्थान की सात करोड़ जनता फैसला करेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जीएसएस है वह ठेके पर दिये हुए हैं। ठेके के कर्मचारियों को ठेकेदार लोग समय पर पेमेंट नहीं देते हैं। उनको 4-5 हजार पेमेंट देते हैं, वह भी समय पर नहीं चुकाने के कारण वह लोग सही काम नहीं करते हैं, उस कारण से किसानों को समय पर बिजली सप्लाई की समस्या रहती है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो ठेकेदार लोग हैं, जीएसएस का तंत्र सम्भालने वाले लोग हैं, उन पर आप लगाम कसो।

(श्री पदमाराम)

दूसरा, बीजेपी के राज में एफआरटी योजना छोड़कर चले गये। वह योजना ऐसी है कि एक सब डिविजन पर उनको एक महीने के दो लाख रुपये दे रहे हैं। वह पैसे कहां खर्च कर रहे हैं, कौन खर्च कर रहा है, कहां हो रहा है? किसानों का फोन आयेगा, योजना तो यह थी कि फोन पर बात करोगे और फटाफट घर आकर काम कर देंगे।

श्री सभापति: कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री पदमाराम (चौहटन): वह काम नहीं हो रहा है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि एफआरटी वाले लोगों का पैसा, आप सरकारी तंत्र के अन्दर दूसरे आदमी लगाकर उसको मजबूती दें तो आम आदमियों को, किसान को मिलेगा।

तीसरा मेरा निवेदन है कि ट्रान्सफार्मर जल रहे हैं। पहले सब एईएन मुख्यालय पर इसकी रिपेयरिंग हो रही थी, समय पर किसानों को ट्रान्सफार्मर मिल रहे थे। 24 घंटों में मिल रहा था। अब ट्रान्सफार्मर जल जाता है, उसको लेकर एसई आफिस में आते हैं, फिर एमडी आफिस में जाते हैं, ठेकेदार समय पर उसकी रिपेयरिंग नहीं करते हैं। किसानों को कई दिनों तक इसका इंतजार करना पड़ता है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरा निवेदन है कि इस तंत्र को मजबूत करें।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद जी पारख।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय गहलोत साहब ने किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए जो योजना लागू की है वह सराहनीय है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, आप पाली शहर को एमबीसी मॉडल पर निजीकरण करने जा रहे हो, आप एक बार वापस विचार करना। आपने कोई मापदंड तय कर रखे हैं निजीकरण के कि कहीं पर विद्युत चोरी ज्यादा हो, कहीं पर आपकी विद्युत छीजत ज्यादा हो या राजस्व वसूली बराबर नहीं हो रही हो। भारत सरकार यदि किसी क्षेत्र में निजीकरण करती है तो आपके नेता कैसे-कैसे आरोप लगाते हैं और यहां पर आप खुद निजीकरण करने जा रहे हो, ऐसी जगह पर जहां राजस्व वसूली शत-प्रतिशत है, कोई कमी नहीं और बिजली की हानि भी है न, जो आपने तय कर रखी है कि 15 परसेंट

(श्री ज्ञानचंद पारख)

तक बिजली सहन योग्य है, जो छीजत हो जाती है तो पाली शहर में तो मात्र 6.74 परसेंट, जो कि आधी से भी कम है।

(समय: 16.30 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

पाली में आपके कर्मचारियों और जनता का सौहार्द भी बहुत अच्छा है, कहीं पर कोई शिकवा नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं है। न कभी जनता ने धरना दिया, न कभी प्रदर्शन किया बिजली विभाग के विरुद्ध फिर यह नयी व्यवस्था क्या करने वाली है?

माननीय मंत्री महोदय, आपको यदि कहीं निजीकरण करना है तो जहां पर बिजली हानि ज्यादा हो वहां पर करो पहले। कहीं पर राजस्व वसूली बराबर नहीं है तो वहां पर आप पहले करें। आप एक मैरिट बना दो कि जहां-जहां पर आपकी बिजली चोरी ज्यादा है, राजस्व हानि ज्यादा है, उसी क्रम में आप करोगे तो कभी कोई आपके ऊपर अंगुली खड़ी नहीं करेगा पर जहां आपका काम अच्छा है, वहां आप उसको निजीकरण में करने जा रहे हो तो यह हमारे साथ अन्याय होगा।

माननीय मंत्री महोदय, अब होगा क्या? टेंडर की शर्तें कैसी हैं आपकी कि जिस कम्पनी ने पिछले पांच वर्षों में एक लाख मीटर का उत्पादन किया हो, वह ही कम्पनी इस टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकती है। मतलब, बड़ी कम्पनियां आएंगी और पूरे पाली के जितने भी उपभोक्ता हैं उनके मीटर आप चेंज करेंगे। अभी जो मीटर लगे हुए हैं उनको बदलकर आप स्मार्ट मीटर लगाने वाले हो, वह कम्पनी लगायेगी। स्मार्ट मीटर के बारे में भास्कर ने पहले एक स्टिंग आपरेशन किया था और आपको पता है कि पेपर में यह छपा भी था कि जो विद्युत खपत होती है उसका लगभग दस परसेंट ज्यादा आपका स्मार्ट मीटर गलत खपत बताकर दस परसेंट अतिरिक्त वसूली कर रहा है उपभोक्ता से, तो कम से कम पाली पर आप रहम करो। जो पाली अच्छा है, जहां पर अच्छा काम आपका चल रहा है, उसको अलग करके आपका काम जहां ठीक नहीं है, जहां पर आपकी चोरी ज्यादा है, छीजत ज्यादा है, वहां पर आप करो, कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय मंत्री महोदय, पता नहीं आप कहते कुछ हो और करते कुछ और हो, इस पर चलना चालू कर दिया। आपका यह वादा था प्रदेश की जनता

(श्री ज्ञानचंद पारख)

के साथ कि हम बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे पर आपने फ्यूल चार्ज के नाम से जो दरें बढ़ाई हैं, पहले की तुलना में यदि आप बिल उठाकर देखेंगे तो आज से चार साल पहले के बिल कितने और आज का बिल कितना, तो उसी उपभोक्ता का बिल लगभग-लगभग दो गुना से ज्यादा हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो सिक्योरिटी मनी के नाम से आप पांच हजार रुपये से लेकर बीस हजार रुपये की अतिरिक्त वसूली राजस्थान के प्रत्येक उपभोक्ता से कर रहे हैं, यदि आपका घाटा ज्यादा है तो आप अपने सिस्टम को दुरुस्त करके उस घाटे को कम करो पर आप जनता से वसूल कर रहे हो। पांच हजार रुपये से बीस हजार रुपये, यह कोई मामूली रकम नहीं होती है और मजबूरी उसकी है कि अगर वह राशि जमा नहीं करवायेगा तो आपकी धमकी है कि कनेक्शन काट देंगे। पहले ही आपका राजस्थान का जो उपभोक्ता है आपकी दरों की वजह से इतना ज्यादा आर्थिक बोझ से दब गया है, उसके बाद में आप उसका और गला घोंटने जा रहे हो और माननीय मंत्री महोदय, आडिट के नाम पर भी जो अवैध वसूली का काम हो रहा है, चार साल पुरानी आडिट, पांच साल पुरानी आडिट कि पहले कम ले लिया तो पांच साल तक क्या कर रहा था आपका विभाग? यदि उस समय आपके विभाग के कर्मचारी ने गलत बिल बनाया तो उसकी जिम्मेदारी तय करो आप। अब आप पांच साल बाद उस उपभोक्ता से कि आपका आडिट आब्जेक्शन आया है, आडिट करने वाले भी आपके कर्मचारी हैं और उसमें से यदि किसी की एप्रोच है और जाकर वह अधिकारी से बात करता है तो उसकी राशि वापस आप कम कर देते हो और जिसकी एप्रोच नहीं है उसको वही धमकी कि पैसा नहीं भरोगे तो कनेक्शन काट देंगे, तो आप यह मेहरबानी करो कि यह जो आडिट की पुरानी वसूली है, इसको आप रोको और जनता को इसमें राहत दो।

माननीय मंत्री महोदय, आपको तो गांवों के हालात पता हैं, आप भी गांव से आते हो। ऐसी दुर्दशा पहले कभी नहीं हुई जो गांव की अब बनी हुई है। मुश्किल से दस या बारह घंटे बिजली ही आपकी आती है, बाकी सारी अघोषित कटौती है। पता नहीं कब बिजली आयेगी और कब जायेगी। यह अघोषित कटौती है। जब आप कह रहे हो कि बिजली हमारे पास सरप्लस है, कोई बिजली की कमी नहीं है।

श्री सभापतिः एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एक मिनट में। तो आप वहां अपने सिस्टम को, अपने अधिकारियों को थोड़ा देखें और उनको यह कहो कि अनावश्यक बिजली नहीं कटे और एक बार आपका फाल्ट आता है तो आपके पास टैक्निकल कर्मचारियों की भी कमी है। आपने एफ.आर.टी. में दिया है पर उसके पास भी पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। फाल्ट आता है तो घंटों नहीं, कई बार तो दूरदराज के गांवों में एक दिन, दो दिन, तीन दिन लग जाते हैं उस फाल्ट को ठीक करने में और पूरा का पूरा गांव अंधेरे में रहता है और आज के जमाने में बिजली कितनी आवश्यक हो गयी? बिजली की इतनी मजबूरी हो गयी कि बिजली के बिना काम नहीं हो सकता, तो मेहरबानी करके जहां पर भी यह फाल्ट आता है, एक समय सीमा आप तय कर लो कि फाल्ट की पहली कम्प्लेंट आते ही इतने घंटे में वह फाल्ट ठीक होगा ही, चाहे आपने निजी क्षेत्र को वह काम दे रखा है एफ.आर.टी. को, तो उसको पाबंद करो और उसके कटौती का प्रावधान आप कर दोगे तो निश्चित रूप से जो एफ.आर.टी. कम्पनी आपकी फाल्ट ठीक करने के लिए आप उसको बड़ी राशि देते हो, वह समय पर आपका फाल्ट ठीक कर देगा।

मेरा यही आग्रह रहेगा कि आपके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा है जो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपने सिस्टम को थोड़ा और टाइट कर दोगे, दुरुस्त कर दोगे तो यह जनता जो दु:खी है, चाहे अघोषित कटौती को लेकर, चाहे आपकी आडिट के नाम पर अवैध वसूली को लेकर और चाहे आपके यह सिक्योरिटी मनी के नाम से जबरन वसूली को लेकर और यह एक पाली शहर, थोड़ी मेहरबानी करके आप पाली शहर को निजीकरण से अलग कर दो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): इतना ही आपसे आग्रह है, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती इन्दिरा देवी बावरी।

सूचना

कुड़छी (खींवसर) में तीन लोगों की निर्मम हत्या

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): माननीय सभापति महोदय, खींवसर विधान सभा क्षेत्र में कुड़छी गांव में ऐसी घटना हुई है उसमें तीन मर्डर हो गये

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

और पुलिस थाने में एप्लीकेशन भी दी हुई थी तो भी उन लोगों का मर्डर हो गया। तीन मर्डर हो गये। एक घायल भी है, तो मैं आपसे यह निवेदन करती हूं कि चाहे दोषी कोई भी हो, वह बचना नहीं चाहिए क्योंकि गरीबों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि पुलिस-प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बाकी बात आपको नारायणजी बता देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि खींवसर विधान सभा क्षेत्र में पुलिस की नैग्लिजेंसी के कारण कल तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गयी। अभी बहुत सारे लोग वहां पर जाम लगाये बैठे हैं, धरना दिये हुए बैठे हैं। इस मामले में जो आरोपी है, इसके खिलाफ 307 का प्रकरण 15 दिन पहले दर्ज हो गया और जो परिवादी है, वे बार-बार पुलिस को सूचना देते रहे, उसके बावजूद उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और उसी का यह नतीजा रहा कि कल उसी आरोपी ने एक ही परिवार के तीन जनों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी।

नागौर जिले के अन्दर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मामले में शीघ्र ही संवेदनशील रुख अख्तियार करके ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजें ताकि बावरी समाज जो बिलकुल गरीब है और इस गांव के सारे बावरी नशे से बहुत दूर और पढ़ेलिखे लोग हैं, ऐसे में ऐसी घटना होना हम सबके लिए चिंता का विषय है।

श्री सभापति: विराजिये। श्री गणेश घोघरा।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि इस मामले को तत्परता से दिखायें।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे ऊर्जा पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी का धन्यवाद करना

(श्री गणेश घोघरा)

चाहूंगा कि इन्होंने भले ही शिक्षा के क्षेत्र में हो, भले ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, भले ही बिजली के क्षेत्र में हो, इन्होंने जो ऐसा काम किया है, वह इतिहास में आज तक किसी ने भी नहीं किया।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पचास यूनिट प्रति माह बिजली नि:शुल्क कर दी, जीरो आ रही है। टी.एस.पी. एरिया में, आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र में पहले लोग चिमनी जलाकर रहते थे, लालटेन में रहते थे और कभी-कभी शीशी में कोई धागा डालकर अपना जीवनयापन करते थे लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने, जब-जब कांग्रेस की सरकार आयी, भले ही केन्द्र में हो, राज्य में हो, आज टी.एस.पी. में हर घर में लाइट है। बोलने दो, हमको भी बोलने दो, पहली बार आये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपनी बात कहें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): अशोक गहलोतजी ने जो राजस्थान में काम किया है, ऐसा किसी ने नहीं किया है। वहां पर पहाड़ हैं, नदी है, जंगल हैं लेकिन जिस तरह से आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, किसी भी गांव में चले जाओ, तारों की तरह हर घर में लाइट दिखाई देती है। ऐसा काम किया है। कांग्रेस सरकार ने किया है, अशोक गहलोतजी ने किया है और हमारे ऊर्जा मंत्री भाटी साहब ने किया है।

गहलोत साहब ने किसान ऊर्जा मित्र योजना के माध्यम से प्रति माह एक हजार रुपये का अनुदान दिया है। जिले में कुल 37 हजार 500 कृषि उपभोक्ता हैं, जिसमें से 35 हजार 500 के बिल जीरो आ रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वहां पर लोग बिलकुल गरीब हैं। दिहाड़ी करने जाते हैं और उनका जब 500 रुपये महीने का बिल आता है, उसको पहले उधार लेकर भरते थे। महीने दो महीने में एक बार बिल आता था लेकिन आज गहलोत साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने उस बिल को जीरो किया है। इससे आज खुशी की लहर है। उनका 500 रुपया 600 रुपया जो बचा है, उससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

इसके अलावा सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं का 150 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट एवं 300 यूनिट तक 3 रुपये यूनिट अनुदान भी दिया जा रहा है। ऐसे 2 लाख 80 हजार उपभोक्ता हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में देवल और दोवड़ा में सहायक अभियन्ता कार्यालय खुले। मैं गहलोत साहब को बहुत-

(श्री गणेश घोघरा)

बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 40 किलोमीटर तक दूर पैदल चलकर लोग बिल जमा कराने जाते थे। दो-दो, तीन-तीन गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं। इसके लिए मैं गहलोत साहब और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे क्षेत्र की समस्या को सुना और उसका तुरन्त समाधान किया। पांच नये 33 केवी जीएसएस भी स्वीकृत किये गये, जिसमें कार्य शुरू किया जा रहा है। दो हजार नये कृषि कनेक्शन की स्वीकृति जारी कर दी गयी है। जल्दी ही उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले राजीव गांधी कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत सभी घर जो बीपीएल में थे, उनके नि:शुल्क कनेक्शन हुए हैं लेकिन जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति। नाम किसका था और काम किसका था? राजीव गांधी के नाम से था। इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया। हमारी सरकार ने हर पंचायत में राजीव गांधी भवन बनाये थे और जब इनकी सरकार आयी, ये दो कलर लाये और उसको अटल बिहारी वाजपेयी भवन कर दिया। ये केवल यही काम करना जानते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। जो भी काम देश में और राजस्थान में हुआ है, वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। ऐसा काम कोई और नहीं कर सकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में आज गरीब, आदिवासी, सभी के लिए, 36 कौम के लिए आपने जो काम किये हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। चर्चा करने से कुछ होने वाला नहीं है। यह सरकार का चौथा वर्ष है।

श्री सभापति: आप तो अपना समय बचायें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मेरा समय बचा रहा हूं, साहब। मेरे ऊपर रहम करो।

श्री सभापति: जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों चर्चा कर रहे हो?

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): रहम करो रहम। मैं यह निवेदन

(श्री रामप्रताप कासनियां)

कर रहा हूं कि चार वर्ष के अन्दर लाइट की जो समस्या है, चाहे कांग्रेसी विधायक है, चाहे अपोजीशन का है, सब बराबर रो रहे हैं। इक्के-दुक्के जो बोल रहे हैं, मेरे जैसे पढ़े-लिखे लोगों ने इनको लिखकर दे दिया कि गहलोत साहब ने यह कर दिया, वह कर दिया। कुछ नहीं किया।

सभापति महोदय, सूरतगढ़ थर्मल पावर की आठ इकाई हैं और वह हमेशा बन्द रहती हैं। अब मैंने उनमें धुआं देखा है। सरकार कहती है कि कोयला नहीं मिलता। कोयल कैसे मिले, आप फूटी कौड़ी कम्पनियों को दिखाते नहीं, पैसे के बिना कोयला कोई देगा नहीं। हालात यह हैं कि आये दिन काश्तकारों की मोटरें जलती हैं। एकदम 350 वोल्टेज लाइट है और वह अचानक 250 हो जाती है। मेरे सरदारगढ़ जीएसएस पर काश्तकारों की 70 मोटर एक साथ जली हैं। निरवाणा, मान्यावाला, कीकरवाली जोड़, फरीदसर में 70 मोटरें एकदम जली हैं। यही हालत टीबा क्षेत्र के अन्दर लगातार वोल्टेज की कमी है। आये दिन लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, पर सरकार के जूं तक नहीं रेंगी अभी तक इस बात से। कुल मिलाकर मेरा सरकार से यह कहना है कि वोल्टेज में सुधार करो।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजाणा गांव में एक जीएसएस बनाया। दो वर्ष पहले चालू हुआ। उस जीएसएस के अन्दर नकली इंसुलेटर लगा दिये, जिसके कारण वह जीएसएस फेल है। लगातार चार बार इंसुलेटर बदल दिये। वह इंसुलेटर फिर जल गये। मैं आपको विशेष करके यह निवेदन करता हूं कि आप इसकी तरफ ध्यान दें।

सूरतगढ़ के अन्दर प्रभात नगर में 132 केवी जीएसएस का निर्माण पिछली सरकार के समय मंजूर हुआ था, आज तक वह अधर में लटक रहा है। जल्दी से जल्दी 132 केवी जीएसएस का निर्माण करवाया जाए। इसके अलावा 33 केवी जीएसएस के जितने भी सब स्टेशन बनने हैं, उनका भी निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करवायें ताकि काश्तकारों को राहत मिले।

मंत्री महोदय, अब तो हालत बहुत ही दयनीय है। मेरे मन में बारम्बार आता है कि इस्तीफा दे दूं। इतने फोन आते हैं। बिजली और पेयजल के कारण से हम लोग दुःखी हैं। यह मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं। (व्यवधान) आप क्यों भटक रहे हो? मैं तैयारी कर रहा हूं, आपने दे ही दिया।

सभापति महोदय, मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि आपके

(श्री रामप्रताप कासनियां)

पास बिजली सरप्लस है तो वह गयी कहां? कौन खा गया उसको? कहां चोरी हो रही है? पकड़ो। चोरी तो हो रही है। यह मानते हो आप दबी जबान। चोरी हो रही है तो कहां हो रही है? पकड़ो तो सही। हर गांव में एक ट्रांसफार्मर है 15 का और उस पर सौ कनेक्शन हैं। ज्यादा लोड होते ही वह ट्रांसफार्मर काम करना बन्द कर देता है। दीये की तरह बल्ब जलता है, क्योंकि 150 आदमियों ने कुण्डी डाल ली। कुण्डी के बारे में आपके विभाग से कोई छुपा हुआ नहीं है। और भी है। मुझे किसानों के बारे में बोलना नहीं चाहिए, पर हम भी छोड़ते नहीं हैं। यदि टू फेज मिल जाए तो पुर्जा लगाकर ट्यूबवैल चला लेते हैं। इस तरह की घटना भी होती है। आपको रोकथाम लगानी चाहिए। बार-बार कहने के बावजूद, गांव के अन्दर यदि कोई बड़ा फाल्ट हो जाए तो सरकारी फोरमैन तो करता नहीं है, लाइनमैन वगैरह कहते हैं कि ठेके वाले आयेंगे, वह करेंगे, ठेके वाले दस दिन तक नहीं आते। यानी दस-दस दिन तक इन्तजार करते हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): यहां आप कहते हो कि 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल देंगे। काश्तकारों के 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं। काश्तकार खुद जला हुआ ट्रांसफार्मर लेकर शहर में जाता है और बाद में नया आने पर काश्तकार खुद के खर्चे से ट्रांसफार्मर खेत में लाता है। सरकार जब इसका पैसा वसूल करती है, काश्तकार के ऊपर डबल मार हो रही है। काश्तकार को निजी वाहन से ट्रांसफार्मर पहुंचाना पड़ता है और बाद में नया आने पर ले जाने में भी खर्चा करना पड़ता है, तो काश्तकार की दोहरी लूट हो रही है। मंत्री महोदय, आप भी किसान हो, समझते हो। आप सारे कारखानों की लाइट बन्द कर दो, कुछ भी कर दो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): किसानों को पूरे 6 घंटे लाइट देने का काम करेगी सरकार तो बचेगी अन्यथा, माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का सर्वनाश होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अगर बिजली के मामले में आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, क्योंकि अब बिजाई का समय है, किसान आन्दोलित हो उठेंगे। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री राजकुमार गौड़ (अनुपस्थित)। श्री गिरधारीलाल। आप एक मिनट विराजिये। समय बढ़ा रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मेरे खातिर ही समय बढ़ा रहे हैं।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपकी खातिर ही बढ़ा रहा हूं, दो मिनट विराज जाओ।

श्री सभापति: एक मिनट विराजें। श्री महेन्द्र चौधरी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटा बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय दो घंटा बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटा बढ़ाया गया।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल जी।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 32)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2022 को सदन में अग्रेतर लिए जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए:-

1. राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर विचार एवं पारण।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

2.   राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री गिरधारीलाल। (व्यवधान)

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, कभी तो रहम कर दो।

श्री सभापति: विराजिये, प्लीज सहयोग करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मेरा संयोग ही ऐसा है कि आप आ जाते हो मेरे टाइम पर। पता नहीं पिछले जन्म का कोई बैर है या क्या है, यह तो मेरी समझ में नहीं आया।

श्री सभापति: विराजिये। श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आज बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस साल में जो मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया कि कृषि बिजली पर कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से अपने इरादों पर खरे उतरे। इसके साथ ही में केन्द्र सरकार द्वारा 2022 में बिजली पर बिल आया है, उस बिजली बिल में सब्सिडी खतम करने की योजना केन्द्र सरकार द्वारा लायी जा रही है। इनके खिलाफ पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहा है। जब बिजली पर चर्चा हो रही है तो निश्चित रूप से सच्चाई सामने आनी चाहिए। राजस्थान के अंदर मुख्य मंत्री महोदय ने 2022 तक कनेक्शन करने का वादा किया, वह स्वागत योग्य है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही लगातार कट-आफ रेट घोषित करने के बाद मैं सरकार से उम्मीद करता हूं, निश्चित रूप से 2022

(श्री गिरधारीलाल)

तक के कनेक्शन आने वाले समय में जल्दी से करने की सरकार कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर पुष्पेन्द्र सिंहजी ऊर्जा मंत्री थे। बूंद बूंद कनेक्शन के लिए आन्दोलन 2000 में चला था, उस टाइम हमने कहा था कि इसको सामान्य में करो, रेटें कम करो, परंतु बूंद-बूंद कनेक्शन की रेटें कम नहीं कीं। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बूंद-बूंद के कनेक्शन की रेट आज भी वही है, उस पर भी विचार किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर पहली बार मुख्य मंत्रीजी द्वारा घरेलू कनेक्शनों में छूट दी गयी, वह स्वागत योग्य है। इसके साथ ही कुसुम योजना के तहत जो कनेक्शन होने थे ढाणियों में, उस वक्त जितने होने थे, फील्ड में एक भी नजर नहीं आ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही गौशालाओं में जो कनेक्शन थे, घोषणा-पत्र के अनुसार, उनमें पचास प्रतिशत तो किये हैं, यह भी स्वागत योग्य हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य समस्याएं राजस्थान के अंदर बिजली की हैं, विशेषकर बीकानेर जिले में। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, बार-बार जो कटौती की जा रही है, उस कटौती पर सरकार अंकुश लगाये और वर्तमान में जो डिमांड नोटिस भरे हुए हैं राजस्थान में, विशेषकर बीकानेर जिले में, डिमांड नोटिस भरे हुए किसानों के, उन किसानों को कनेक्शन दिये जायें और जो जले हुए ट्रांसफार्मर हैं, कई बार समस्या आ जाती है तो निश्चित रूप से 72 घंटे में बदलने की समय सीमा है, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि 72 घंटे की समय सीमा में बदलने की व्यवस्था करें। विशेषकर आने वाले समय में सर्दी के मौसम में जब बिजली की अत्यन्त आवश्यकता रहेगी, उस समय सरकार पहले से ही बिजली की व्यवस्था करे।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, अभी ट्यूबवैल पम्प योजना, जो बीजेपी के राज में चली थी, उस योजना में हमने भी लगातार मांग की थी। अभी हमारे क्षेत्र से ही बिजली मंत्री हैं, वह मांग करने में भी हमारे साथ थे। ट्यूबवैल पम्प योजना में एक कनेक्शन, दो कनेक्शन दिया जाये। उस समय पुष्पेन्द्र सिंहजी मंत्री थे और भाजपा की सरकार थी। वह

(श्री गिरधारीलाल)

योजना आज तक लागू नहीं हुई, वह योजना भी लागू की जाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, बहुत ही गम्भीर और आवश्यक विषय पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, यह बिजली का मामला आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित होता है तो चाहे वह गांव में रहने वाला है, चाहे कोई शहर में रहने वाला है, वह किसान वर्ग है। किसान के साथ में जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने पहले दिन से धोखा करने की योजना बनाई। किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफी की बात करने के बाद सरकार मुकर गयी और यह कह दिया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा केन्द्र सरकार माफ करे। हर बात केन्द्र के ऊपर डालने वाली यह सरकार आज एल.टी. के नाम पर शाम 5.00 बजे के बाद में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से, मैं दावे के साथ में कहता हूं, बिजली विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं प्रत्येक व्यक्ति के फोन के ऊपर 40-50 फोन आते हैं कि अब यह एल.टी. क्या बला होती है? गांव का आदमी नहीं समझता है। अघोषित बिजली काट दी जाती है। अघोषित बिजली कटौती करने के कारण सम्पूर्ण व्यक्ति, चाहे वह गांव का है, शहर का है, किसान है, आम व्यक्ति है, वह इस बात से दु:खी है। चाहे गृहिणियां हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, सब लोग इस बात से परेशान हैं।

माननीय सभापति महोदय, वोल्टेज के हालात तो ऐसे हैं कि कम वोल्टेज के कारण किसान की लाखों रुपये की मशीनें जलकर खाक हो जाती हैं। वह किसान कर्ज लेकर मोटर लगाता है और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण से, कम वोल्टेज के कारण से उसकी मोटर जल जाती है और वह किसान कर्जे के अंदर दब जाता है। वह कर्जे से दबा हुआ किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। इसके लिए यदि कोई दोषी है तो बिजली विभाग है और बिजली विभाग के अधिकारी हैं।

माननीय सभापति महोदय, गांवों के अंदर एक ऐसा खेल चल रहा है, जहां बिजली की छीजत है, माननीय मंत्रीजी, बिजली की छीजत का तो पता लगता है न, आपके उपक्रम लगे हुए हैं, उसके ऊपर आता है कि इस डिपार्टमेंट की बिजली छीजत इस क्षेत्र के अंदर इतने प्रतिशत है। क्या कारण है

(श्री अभिनेश महर्षि)

(समय: 17.00 बजे)

कि 90 प्रतिशत बिजली छीजत होने के बावजूद उस क्षेत्र के अंदर फिर वैसी ही बिजली की छीजत होती है और जो किसान ईमानदारी से काम करना चाहता है, ये बिजली के माफिया, ये दलाल, मैं बहुत मजबूती के साथ में और बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि जो उन लोगों की जेबें नहीं भरता है उसको वी.सी.आर. के नाम पर परेशान करने का काम किया जाता है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। ट्रांसफार्मर खराब हो गया, किसान का ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद दो-दो महीने तक यदि किसान का ट्रांसफार्मर नहीं आयेगा तो वह किसान क्या करेगा? वह रोयेगा आपके नाम पर, उसकी फसल बरबाद हो जाती है, बिजली विभाग के अधिकारी एयर कंडीशन के अंदर रहते हैं। हम बार-बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन माननीय मंत्री महोदय, जूं भी नहीं रेंग रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खराब ट्रांसफार्मर का खेल बन्द कर दीजिये। ऐसी व्यवस्था कीजिये की चार दिन के अन्दर, पांच दिन के अन्दर वो ट्रांसफार्मर ठीक हो जाये जिससे वह किसान बच जाये। डिमांड नोटिस भरे हुए लोगों को डेढ़-डेढ़ साल हो गया है, बिजली विभाग यह तय कर ले कि दो साल वो किसान, वो उपभोक्ता कर्जा लेकर डिमांड नोटिस जारी होने के बाद में वो पैसा जमा करवाता है। दो साल के बाद भी आप डिमांड नोटिस का पैसा जमा करने के बाद बिजली कनेक्शन नहीं देते हैं। उसका ब्याज लगता है और वह किसान ब्याज के कर्ज में डूब कर आत्महत्या करता है। यह जिम्मेदारी बिजली विभाग की है।

मैं बहुत गम्भीरता के साथ में कह रहा हूं आप लोग और सत्ता पक्ष में बहुत कम लोग बैठे हैं मेरे सामने, आप लोग अभी कह रहे थे न कि गांव में जाओगे तो कपड़े फाड़ेंगे लोग, बिजली के नाम पर ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं, मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अन्दर गरीब के घर के अन्दर रोशनी नहीं देखना चाहते आप लोग, आपको नाम पसन्द नहीं था तो आप नाम बदल देते लेकिन उस गरीब के घर के अन्दर रोशनी तो देते। आप बड़ी-बड़ी बातें करते हो और बिजली विभाग के अधिकारियों को आगाह करना चाहता हूं कि आप यह खेल बन्द कर दीजिये। कोई भी आपका अधिकारी जाता है और सीधा कहता है कि एमएलए साहब से एमएलए लैड से कोटे में पैसा ले आओ। आपने इसको खेल

(श्री अभिनेश महर्षि)

बना दिया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जो गांवों के अन्दर, ढाणियों के अन्दर जो पैसा देते थे, क्यों बन्द कर दिया? राजस्थान की सरकार कहती है, घोषणा पत्र के अन्दर कहती है, मुख्य मंत्री कहते हैं कि 24 घण्टे बिजली देंगे, कहां गया 24 घण्टे बिजली देने का? किसान को 8 घण्टे बिजली देने के घोषणा करने वाली यह नालायक सरकार, 6 घण्टे बिजली नहीं देती है, आज बिजली के हालात इतने खराब हैं, ये रोष मेरा अपना नहीं है, ये गांव के अन्दर रहने वाले उस किसान का है, भाटी साहब। मैं आपको कहता हूं आप भोले-भाले सच्चे इंसान हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी जो खेल कर रहे हैं वो आपकी समझ से परे है। आज कोयले की कमी है, साहब, हमको कोयला दे दीजिये। भाई, कोयला तो, एक तरफ तो जितेन्द्र सिंहजी कहते हैं कि कोयले के अन्दर हमारी खानें हैं, जब कोयले की आपकी अपनी खानें हैं, आप व्यवस्था कोयले की समय पर कर नहीं सकते हैं तो फिर आप केन्द्र सरकार को दोष क्यों देते हैं, यह मैनेजमेंट किसका है? हमारी भारतीय जनता पार्टी के राज के अन्दर बिजली की आपूर्ति सुचारु रूप से होती थी और आज हालात इतने खराब हैं बिजली के अन्दर, मैं आज आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि जितने आज आप सामने मेरे बैठे हैं संख्या के अन्दर, इतनी संख्या में अगली बार इससे ज्यादा इधर नहीं बैठ पाओगे, आप गिन लो कितने बैठे हो, इससे ज्यादा नहीं आने वाले हो। (व्यवधान) ढाई रुपये से चार रुपये, सात रुपये से पन्द्रह रुपये, ये खेल कब तक चलता रहेगा? ये चान्दी कूटने का काम कब तक करते रहोगे आप लोग?

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ये ठेकेदार के आदमियों के बारे में अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि ठेकेदार के आदमी हैं और ठेकेदार के आदमियों को तनख्वाह नहीं मिलती है, उसके लिए भी केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। वाह भाई वाह। ठेकेदार के आदमी को समय पर पैसा मिले, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? मैं करूंगा या बिजली विभाग के अधिकारी करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बिजली विभाग के अधिकारी ध्यान से सुनें इस बात को, जेगणिया बिदावतान गांव के अन्दर आपके बिजली विभाग के अधिकारी, एईएन, राजलदेसर, बिजली माफियाओं के साथ मिलकर पूरे ट्रांसफार्मर को बदल दिया, दूसरी जगह ले

(श्री अभिनेश महर्षि)

गये, प्राइवेट लोग और खम्भे उखाड़कर ले गये, जेईएन वहां पर पहुंचा, जेईएन ने कहा कि यह गलत हो गया, हम इसकी एफ.आई.आर. करायेंगे, आपका एईएन, विधायक से बात करने के बाद में कहता है कि मेरी 27 साल की नौकरी हो गयी, ये ऐसे ही चलेगा। बिजली माफियाओं से मिलकर पोल उखाड़कर ले गये, आपके ट्रांसफार्मर उखाड़कर ले गये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, समाप्त करता हूं। मुझे दो मिनट का समय दीजिये।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): एईएन, राजलदेसर ने आज दिन तक उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। एस्टीमेट कमेटी के अन्दर सभापति महोदय, आप तो स्वयं विराजमान थे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा के अन्दर जो जीएसएस लगने वाले थे, मैंने प्रिंसिपल सैक्रेटरी से पूछा कि मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अन्दर कितने जीएसएस लग गये, सात सौ और कुछ की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि चार सौ और कुछ लग गये। मैंने पूछा कि बाकी का क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, आप गवाह है इस बात के। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्रीजी घोषणा थी, फिजिबल नहीं हुए। मैंने पूछा कि मुख्य मंत्री बिना फिजिबिलिटी चैक कराये घोषणा कर देते हैं क्या? अब क्या किया, बोले डिनाइल। ये हालात हैं बिजली विभाग के अधिकारियों के कि मुख्य मंत्री की योजना को बिजली विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी डिनाइल कर देते हैं, यह सरकार की साख पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। श्री हाकम अली खां।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में मेरी बात खतम कर रहा हूं।

ट्यूबवैल की घोषणा कर दी, बजट घोषणा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पी.एच.ई.डी. को, ...(व्यवधान) हाकम भाई, दो मिनट, बैठ ज्या।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, अब विराजिये आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान) पी.एच.ई.डी. कनेक्शन नहीं देता है, पानी पीने का मिलता नहीं है लोगों को, बिजली विभाग सरकारी ट्यूबवैल को भी बिजली नहीं देते हैं,

(श्री अभिनेश महर्षि)

छीजत है। ऐसी स्थिति में मैं आपको कहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, बातें तो बहुत थीं, सिक्योरिटी राशि के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी। ऐसी स्थिति में कालीसिन्ध थर्मल प्लांट में कोयले की कमी, नियामक आयोग का ऐसा तुगलकी आदेश, बढ़ने लगी खपत और अघोषित बिजली, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह अखबारों के अन्दर छपी हुई बिजली विभाग की नाकामयाबी की कहानियां हैं।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, लानत है बिजली विभाग के ऊपर, समझ जाइये, चेत जाइये और चान्दी कूटने का काम बन्द करें। सीधे-सादे मंत्रीजी हैं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): रतनगढ़ मं तो चौबीस घण्टा बिजली आव भाईजी, मं तीन-चार दिन रहर आयो हूं गैल नं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज। आप अपनी बात कहें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली जैसे मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज विधान सभा में बिजली जैसे बहुत ही जरूरी एवं गम्भीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जब हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री 2022-23 का बजट बना रहे थे तो उससे पहले उन्होंने सबसे सुझाव मांगे और हमारे सभी कांग्रेस और साथी विधायकों से भी सुझाव मांगे, तो उन सुझावों में मैंने भी एक सुझाव दिया था कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय किसानों की बिजली के बिल तो आपने नहीं बढ़ाये लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली का बहुत भार पड़ रहा है तो उसमें कुछ कमी की जाये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस सुझाव को माना और घरेलू उपभोक्ताओं के ऊपर जो बिजली का बिल ज्यादा आता था उसको कम किया। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। घरेलू उपभोक्ताओं में बहुत ही खुशी का माहौल है। (व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): तो नाचो।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): गांवों में लोग नाच रहे हैं। बिजली का बिल शून्य हो गया। (व्यवधान) लोग नाच रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज, बीच में इंटरवीन न करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): अभिनेश भाई जी, अभिनेश भाई जी, गया नहीं। जांदवो और ढांढण सार-सार है और माननीय चूरू से आण वाला राजेन्द्रजी राठौड़ साहब जाणे, बैठ्या हो नं? (व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय हाकम भाई, गांवों में जाकर देखो। (व्यवधान)

श्री सभापति: मुझे बाध्य मत कीजिये, अन्यथा मुझे मंत्री को रिप्लाई के लिए बुलाना पड़ेगा।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, इस योजना के तहत राजस्थान के 1 करोड़ 20 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है, जिसका खर्च 2,174.39 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिया जा चुका है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने 2 लाख 89 हजार 690 कृषि कनेक्शन जारी किये हैं। कृषि कनेक्शनों के लिए अलग से 1534 फीडर का कार्य पूर्ण किया जिससे किसानों को बिजली दी जा सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारा राज्य राजस्थान देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नम्बर पर अग्रणी राज्य है। सौर ऊर्जा पर आधारित राज्य में बड़े प्लांटों की क्षमता 13,074 मेगावाट के साथ राज्य देश में प्रथम क्रमांक पर है। इसके अलावा पवन ऊर्जा में 4,338 स्थापित क्षमता के साथ राज्य देश में पांचवें क्रमांक पर है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं सामने बैठे साथियों से कहना चाहूंगा, आप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दीजिये कि उन्होंने किसान मित्र योजना लागू की बजट 2021-22 में। सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 01 हजार रुपये, प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रुपये तक की राशि विद्युत बिलों में समायोजन के माध्यम से दिये जाने की घोषणा की गयी। उक्त अनुदान कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिये जा रहे हैं।

ट्रैफिक अनुदान के अतिरिक्त विद्युत वितरण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के बिल अगस्त, 2022 तक कुल लगभग 12 लाख 76 हजार किसानों को 1,324 करोड़ 46 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है, जिससे कि 7 लाख 49 हजार किसानों को

(श्री हाकम अली खां)

शून्य राशि के बिल जारी किये गये हैं। ये न तो यूपी के हैं, न बिहार के हैं और न ही पंजाब के हैं। ये राजस्थान के हैं।

माननीय मंत्री महोदय, सौर ऊर्जा में हमारा राज्य अग्रणी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन फिर भी एक सर्वे में सामने आया है कि 2028 तक देश में थर्मल पावर प्लांट्स के उपयोग में आने वाला कोयला लगभग खतम हो जायेगा। इसके विकल्प हेतु सरकार को सोलर सिस्टम को और बढ़ावा देना चाहिये। सोलर पैनल लगाने वाली जी.एस.टी. वर्तमान में 12 परसेंट है। उसे घटाकर मिनिमम कर देना चाहिये, ताकि यह सोलर सिस्टम आम आदमी की पहुंच में आ जाये। भविष्य में सोलर के जगह-जगह पार्क्स स्थापित करने चाहिये।

जिस सरकारी पावर हाउस में जमीन उपलब्ध हो, वहां सोलर जीएसएस स्थापित करने चाहिये। सोलर के अलावा पवन ऊर्जा, पवन बिजलीघर बनाने की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। उच्च तकनीकी पदों पर ब्यूरोक्रैट्स के स्थान पर स्थायी रूप से टेक्नोक्रैट्स की पोस्टिंग रखनी चाहिये। आज पूरे देश में जब कोयले की कमी आती है, तब जाकर कोयला पूर्ति हेतु ट्रेन्स को ग्रीन कोरिडोर उपलब्ध कराया जाता है। यह ठीक उसी तरह है, जैसे कोविड के दौरान एन वक्त पर आक्सीजन हेतु ट्रेन्स को एक राज्य से दूसरे राज्यों में भेजा गया। इसका मतलब कहीं न कहीं व्यवस्था में लेट-लतीफी जरूर है, इसलिये इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नगरपालिकाएं हैं- एक रामगढ़ और एक फतेहपुर। दोनों नगरपालिकाओं में पुराने शहर हैं और लाइनें बहुत पुरानी हैं, इसलिये या तो नयी लाइनें डाली जाएं या भूमिगत लाइनें डाली जाएं। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार सहायक अभियन्ता कार्यालय हैं। लगभग 72 हजार उपभोक्ता हैं। इसके अलावा कृषि उपभोक्ता भी बहुत ज्यादा हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक एक्सईएन आफिस यदि खोल दिया जाये तो उपभोक्ताओं को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और उससे काफी लाभ मिलेगा। अभी हमारे लक्ष्मणगढ़ में एक्सईएन आफिस है। रामगढ़ से तकरीबन 50 किलोमीटर पड़ता है। और भी

(श्री हाकम अली खां)

आगे चूरू की तरफ थैलासर और इसके नजदीक जो गांव हैं, उन्हें दूर जाना पड़ता है, इसलिये एक एक्सईएन आफिस बना दिया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा (अनुपस्थित)। श्री पब्बाराम विश्नोई।

श्री पब्बाराम (फलौदी): आदरणीय सभापति महोदय, धन्यवाद। सौभाग्य कहूं अथवा दुर्भाग्य, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब है। लगभग 2 लाख बीघा में सौर ऊर्जा का वहां उत्पादन होता है और ट्रांसमिशन के जरिये बाहर जाता है, परन्तु उसका मेरे क्षेत्र को क्या लाभ हुआ, उसके बारे में मैं वर्णन करना चाहूंगा। पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हमारे धोरा क्षेत्र में, जहां पर एक धोरे की तलहटी में दो-तीन ढाणियां हुआ करती थीं, चाहे 50 खम्भे लगें, चाहे 100 खम्भे लगें, वहां बिजली पहुंचायी गयी।

आज ये कहते हैं न, पहाड़ों पर बिजली लगी है, ये सब दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचायी गयी उस समय, परन्तु दुर्भाग्य से सरकार बदलने के बाद उस योजना को बन्द कर दिया गया। हर पंचायत में 200 से 250 कनेक्शंस अब भी बाकी हैं। जब सौभाग्य योजना आयी, उसका प्रचार-प्रसार नहीं करने के कारण उसका पैसा भी वापस चला गया और घरेलू बिजली वाले वंचित रह गये। घरेलू बिजली का 2018 का बिल देख लीजिये और आज का बिल देख लीजिये, अपने आप डिफरेंस पता लग जायेगा। मैं कृषकों के दर्द को इस विधान सभा में रखना चाहता हूं। बहुत लोकलुभावन घोषणा कि 12 हजार रुपये सब्सिडी के रूप में किसानों को दिये जाएंगे।

जिस समय पिछली वसुन्धरा जी की सरकार थी, उस समय 10 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। आपने उसे तीन साल के लिए बन्द कर दिया और फिर दो साल से अभी चालू कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है, अगर पांच साल वह चलती तो 50 हजार रुपये का लाभ उस कृषक को होता। अगर इन्होंने 2 साल के लिए दी तो इन्होंने 24 हजार दिये। 26 हजार रुपये प्रति किसान यह सरकार डकार गयी। डकार भी नहीं रही, हजम कर गयी। क्या इस गणित को कोई बताता है? सभी टेबल्स बजा रहे हैं।

आज के दिन जो जीएसएस की स्थिति है, जो बिजली सप्लाई की

(श्री पब्बाराम)

स्थिति है, उसके बारे में हर जगह धरना चल रहा है। आप यहां पर टेबल्स पीट रहे हैं, आप क्षेत्र में जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हालत है। जहां पर भी उप-खण्ड कार्यालय हैं, पंचायत समिति कार्यालय हैं, वहां धरने चल रहे हैं, वहां बिजली समय पर मिलती नहीं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप हमारे पड़ोसी हैं। मैंने वीसी के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन भी किया था 33 केवी के कुछ जीएसएस के लिए। वे जीएसएस आप मेरे कहने से मत दीजिये, पर आपका विभाग जो कह रहा है, जिन्हें जरूरत है, उन्हें सैंक्शन कर दीजिये।

एक 132 का जीएसएस, जो आपके रिश्तेदार हैं, शेखासर और राणेरी की सरहद के बीच में एक 132 का अगर जीएसएस देंगे तो वहां की विद्युत आपूर्ति को हम ठीक कर पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, अभी 12 हजार की बात हो रही है, परन्तु आप 2017-18 का बिल देख लीजिये, 5,600 से लेकर 6,000 तक आता था और वही बिल 7,500 से 8,000 तक आ रहा है, यानी 2,000 रुपये आपने बढ़ा दिये और 2,000 रुपये आपने माफ कर दिये। 26 हजार हमारे खा लिए और 2-2 हजार के हिसाब से कुछ नहीं दिया। वे 24 हजार भी नहीं दिये, यानी आपने दिया-लिया कुछ नहीं। वास्तव में यह जादूगर की सरकार है और मात्र यहां पर जूझने वाली है। यह चुनावी वर्ष है। जब क्षेत्र में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि वहां पर क्या स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र है, अंडरग्राउंड पानी का दोहन करता है। लगातार बरसात के कारण तीन महीने तक आपकी बिजली की बचत हुई, परन्तु जब आसोज माह में, आपको तो पता नहीं है, जो कृषक है, उसे पता है कि झोला क्या होता है, पछुआ हवाएं जब चलती हैं और जब अनाज आता है, उस समय पछुआ हवाएं, जिन्हें झोला कहते हैं, वह जब लगता है तो दाना आधे से भी कम रह जाता है।

इस समय बिजली की अति आवश्यकता रहती है और इस समय में आपकी बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। इसीलिये किसान खून के आंसू रो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस समय में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। पहले 6 घण्टे दिन में और सात घण्टे रात को मिलती थी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अब 5 घंटे भी नहीं मिलती, 4 घंटे भी नहीं

(श्री पब्बाराम)

मिलती और उसकी गुणवत्ता है वह कभी 250 वॉट आते हैं तो कभी 350 वॉट आते हैं जिससे लोगों के ट्रांसफार्मर जल जाते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री आलोक बेनीवाल।

श्री पब्बाराम (फलौदी): ट्रांसफार्मर की बदली जो 72 घंटे में होनी थी वह 72 घंटे वाली आज 72 दिन में हो जाए तो भी बड़ी बात होगी। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस स्थिति को सुधारिये अन्यथा इस सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ऊर्जा पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। काफी माननीय सदस्य और काफी सीनियर लोगों ने इस ऊर्जा पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब के इस लगभग चार साल के कार्यकाल में जो उपलब्धियां रहीं, थोड़ा-बहुत उनका भी जिक्र कर देते तो ठीक रहता। जो आम आदमी को, किसान को सम्बल देने का काम आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया, दो सैकण्ड उसके ऊपर भी कह देते तो शायद आपका कुछ बिगड़ता नहीं। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं, बोलूंगा, आप चिन्ता नहीं करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): आप तो 15 के ट्रांसफार्मर पर 100 का कनेक्शन बता सकते हैं जो कभी विद्युत विभाग में आता नहीं है 15 का ट्रांसफार्मर, उसकी भी चर्चा आप कर सकते हैं तो मैं सोच सकता हूं आप इस विषय पर चर्चा को कहां तक ले जा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने आने के बाद जो प्रदेश की विद्युत की मांग है और हर बार देखा गया है कि जब भी आदरणीय मुख्य मंत्री जी सरकार में आये हैं, विद्युत के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी और मंत्री जी का भी इसके लिए आभार प्रकट करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जब सरकार आयी उस समय 20978 मेगावाट का उत्पादन हमारे

(श्री आलोक बेनीवाल)

यहां होता था और आज 23459 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं। लगभग 2491 मेगावाट की हमने वृद्धि की है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का और मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान) बीच में नहीं बोलें। आप वरिष्ठ हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान) मैं भी बैठे-बैठे आप सबकी बात सुन रहा था और मैंने आपको बीच में टोका नहीं है।

श्री सभापति: प्लीज। माननीय सदस्य, आप अपनी बात जारी रखें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): बन्द है, उसकी चिन्ता भी मुख्य मंत्री जी को है और मंत्री जी को भी है। आपने भी अख़बार के माध्यम से पढ़ा होगा, मैं भी मीडिया के माध्यम से पढ़ता हूं लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है और केन्द्र सरकार की भी बनती है। जनता सबको चुनकर भेजती है चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो और मदद करने का सबका जिम्मा है। समय 2024 में आपका भी आयेगा लोक सभा में तब आप भी जवाब देना कि आपने किस जिम्मेदारी से जनता का भला किया। (व्यवधान) 2023 तो अलग बात है, मैं 2024 की बात कर रहा हूं आपसे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें, विराजिये। आप विराजिये।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): आप विराजें। ये बीच-बीच में टोकते हैं यह ठीक नहीं है।

श्री सभापति: इनको मना करो, यह हर बात में खड़ा हो जाता है। (व्यवधान)

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, जो व्यक्ति काम नहीं करता है वही बीच में टोकता है।

श्री सभापति: आप अपनी बात जारी रखें, उनको गम्भीरता से न लें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय मुख्य मंत्री जी ने किस क्षेत्र में काम नहीं किया? इस बिजली के क्षेत्र में भी किसान के बिल को बढ़ाने का काम नहीं किया। आपके घरेलू उपभोक्ताओं को जो राहत पहुंचाई मैं उसके फीगर में जाना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता कि 50 यूनिट, 50 से 100, 100 से 150 वाले में राहत देने का जो काम किया है उससे निश्चित रूप से

(श्री आलोक बेनीवाल)

आम आदमी लाभान्वित हुआ है और खुश है। हम गांवों में जाते हैं। अभी कह रहे थे कि गांवों में जाना तो हम रोज गांव में जाते हैं, सारे दिन जयपुर नहीं रहते हैं। आज विधान सभा चल रही है तब यहां हैं, नहीं तो गांवों में ही रहते हैं। हमें लोगों के बीच में खुशी है कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने एग्रीकल्चर के अन्दर एक हजार रुपये की हर बिल में सब्सिडी दी है और उसमें साल के 12 हजार रुपये दिये हैं, वे भी उनकी नजर में हैं और जो घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी है, उस माननीय मुख्य मंत्री जी की योजना का सबको पता है चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करूंगा और आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो विद्युत तंत्र है उसको निश्चित रूप से सुदृढ़ करना चाहिए। एक मांग बहुत लम्बे समय से इस प्रदेश में चलती आयी है और किसान सर्दी के सीजन में दिन में बिजली देने की मांग करते आये हैं उसमें मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको सुना और समझा, लेकिन जब पांच साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब उन्होंने इसको नहीं सुना। आज 16 जिलों में यह व्यवस्था हो चुकी है कि सर्दी के सीजन में किसान को दिन में बिजली मिलेगी और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी वह व्यवस्था लागू हो चुकी है। मुझे खुशी है इस बात की कि किसान के दर्द को माननीय मुख्य मंत्री जी ने हरदम समझा है। चाहे कर्जा माफी का मामला हो, चाहे बिजली के अन्दर राहत देने का मामला हो, मुख्य मंत्री जी ने किसान को हरदम सर्वोपरि रखा है और उसकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही इस बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किये हैं, उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप इतना तो ध्यान रखें कि 15 की डीपी नहीं आती है, 16 की डीपी आती है चाहे सिंगल फेज की हो चाहे थ्री फेज की हो और जब 15 की डीपी होती ही नहीं है तो उसमें 100 कनेक्शन कहां से होंगे? यह माननीय कासनियां जी जो बात कह रहे थे उनको मैं दुरुस्त करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वे बहुत वरिष्ठ हमारे साथी हैं लेकिन जो किसान वर्ग से आता है वह किसान की बात जरूर करें।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): जो तकलीफ है उसकी बात जरूर करें और उस तकलीफ को माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी समझते हैं।

आपने पावर कट की बात की कि 6-6 घंटे पावर कट हो रहा है। मेरे इलाके में भी होता है लेकिन इतना पावर कट नहीं है जितनी आप बात कर रहे हैं।

श्री सभापतिः समाप्त करें। श्री वासुदेव देवनानी।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सत्य है उसको यहां विधान सभा में बोलें और जो प्रगति की रफ्तार है, जो आम आदमी की सुविधा के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने काम किया है उस बात को भी आप रखें।

श्री सभापतिः समाप्त करें। प्लीज, सहयोग करें आप।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): पुन: मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बिजली की समस्या पर सदन में चर्चा हो रही है और इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, मेरा नाम था।

श्री सभापतिः आपका नाम आपके नेता ने आगे कर दिया।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): प्रदेश में बिजली की समस्या गम्भीर बनी हुई है और इससे विपक्ष ही परेशान नहीं है, सत्ता पक्ष के लोग भी परेशान हैं। गांवों में इनको भी जाना पड़ता है और 4-4, 5-5 घंटे बिजली की कटौती होती है लेकिन सरकार के अन्दर होने के नाते वे खुलकर बोल नहीं सकते हैं, यह इनकी समस्या है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब बिजली के उत्पादन के मामले में राजस्थान में 21770 मेगावाट बिजली हर साल पैदा होती है फिर बिजली की समस्या क्यों हो रही है? राजस्थान में छोटे-बड़े उद्योगों को लेकर जिस प्रकार से बिजली की जो डिमांड है वह 14100 मेगावाट है और हमारी अभी वर्तमान में सप्लाई 11595 मेगावाट है जिसमें 2505 मेगावाट बिजली की कमी चल रही है और इस कमी को पूरा करने की

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

आवश्यकता है। जब बिजली सरप्लस पैदा हो रही है तो बिजली जा कहां रही है? जब सरकार के पास बिजली है, बिजली दे नहीं रही है और बिजली नहीं देने का क्या कारण है, यह हमारी समझ में नहीं आता है इसलिए मंत्री जी इस बात का जवाब देंगे।

अभी ब्लाकवार बिजली खरीदी जा रही है। साढ़े तीन रुपये से लगाकर 12 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से यह बिजली हम खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं जबकि हमारे पास सरप्लस बिजली है। राजस्थान में यह बिजली खरीदने का खेल चल रहा है, यह चांदी कूटने का खेल चल रहा है। हमारे राजस्थान के कारखाने जो बिजली पैदा करते हैं वे 6-6 कारखानें बन्द हैं। सूरतगढ़ का बन्द है, सुपर क्रिटिकल बन्द है, कालीसिन्ध का बन्द है, कोटा थर्मल बन्द है, छबड़ा बन्द है तो बिजली का संकट आ रहा है। लोग कह रहे हैं, अखबारों में पढ़ते हैं हम जब मुख्य मंत्री बार-बार कहते हैं कि कोयले की कमी है। कोयले की कमी है तो कोयला कहां से आयेगा? जब राजस्थान सरकार ने छत्तीसगढ़ में कोयले की खानें खरीद रखी हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की सरकार है तो चाहे जितना कोयला लेकर आयें, कौन मना कर रहा है? लेकिन बिजली कम्पनियां को छत्तीसगढ़ का जो 1800 करोड़ रुपया चुकाना है, वह चुका नहीं पा रही हैं। इसलिए, आपको कोयला नहीं मिल रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 24 घंटे घरेलू बिजली आती थी। 7 से 8 घंटे तक किसानों को बिजली मिलती थी। लेकिन, आज क्या हो गया है, 5-6 घंटे घरेलू बिजली की कटौती हो रही है। जिस समय खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, उस समय बिजली गायब हो जाती है। लोग क्या सोचते हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा राजस्थान कह रहा है।

आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आलोक जी आप कह रहे थे, हमारे क्षेत्र में बिजली अच्छी आती है। हम गांवों के अन्दर जाते हैं, बिजली की समस्या से तो आप भी पीड़ित हैं, ऐसा नहीं है। मैं सदन को निवेदन करना चाहूंगा, जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा, गांवों के अन्दर आप बिजली कटौती करते हो, शहरों के अन्दर बिजली की कटौती नहीं होती है। क्यों? गांव के अन्दर इंसान नहीं रहता है? इंसान शहर में रहता है, गांव में रहता है, गांव के लोग तो अंधेरे में रोटी खायेंगे और शहर के लोग उजाले में रोटी खायेंगे। यह क्या समस्या है? गांव को क्यों अलग कर रखा है और शहर को क्यों अलग कर

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

रखा है? मेरा आग्रह है, जितने भी समय बिजली की कटौती करनी है तो गांव में भी बराबर करिये और शहर में भी बराबर करिये, तीन दिन में आपको हालात का पता चल जायेगा कि शहर के लोग किस प्रकार से आपके कपड़े फाड़ने को तैयार होते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा बिजली की ट्रिपिंग इतनी होती है। कृषि कनेक्शन को तो तीन-चार घंटे ही बिजली मिल रही है, कृषि काश्तकार परेशान हो रहे हैं। आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में घोषणा की थी। आप कांग्रेस का घोषणा पत्र पढें। 24 घंटे घरेलू बिजली मिलेगी और 8 घंटे तक कृषि किसानों को बिजली मिलेगी। क्या आज उन किसानों को बिजली मिल रही है? बार-बार ट्रिपिंग वाली बिजली, इधर स्टार्टर के पास बैठा रहे या खेत में दौड़कर पाणत करने के लिए जाये। ऐसी परिस्थिति इस सरकार के अन्दर हो रही है। जिन्होंने कृषि कनेक्शन के लिए डिमाण्ड जमा करा दी, दो-दो, ढाई-ढाई साल से लोगों को कृषि कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। जो तुरन्त कनेक्शन लेना चाहते हैं, उनको भी एक-एक साल हो गया। ऐसी स्थिति बनी हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक बहुत ही जोरदार उदाहरण है।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सर, निवेदन है अभी तो तीन मिनट ही हुए हैं। मैंने मेरा पूरा समय देखा था। मैं निवेदन करना चाहूंगा तुरन्त कनेक्शन मिलना चाहिए और बून्द-बून्द कृषि कनेक्शन वालों को बराबर बिजली मिले, तब जाकर यह सारा काम ठीक होगा। ये ट्रांसफार्मर बदलने का खेल, दो-दो, तीन-तीन महीने में ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे हैं जबकि हमारी सरकार में 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदले जाते थे। वी.सी.आर. बनाने का खेल तो आपने अलग ही कर रखा है। एक्स.ईएन, ए.ईएन., जे.ईएन इन सबको वी.सी.आर. भरने का टारगेट दे रखा है। चाहे सच्ची वी.सी.आर. भरो, चाहे झूठी वी.सी.आर. भरो। आपने वी.सी.आर. भरने और राज का खजाना, बिजली विभाग का खजाना भरने की बात कह रखी है। इस प्रकार से कई लोग परेशान हैं। किसी के 40 हजार का वी.सी.आर., किसी के 01 लाख का, किसी के 02 लाख का, एक गांव में रहने वाला आदमी कितनी बिजली जला सकता है? उनको इतना परेशान करने का काम किया जा रहा है।

मुझे याद है। एक गोपाल जी मून्दड़ा हैं, जो दस साल से शहर के

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

अन्दर रहने लगे, मकान बन्द है। उनके 40 हजार का वी.सी.आर. भर दिया। मैंने हस्तक्षेप किया, तब जाकर उनको लगा कि यह गलत भर दी और उनको जीरो करना पड़ा।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री मदन प्रजापत।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। अन्त में, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बिजली की कटौती को आप रोकने का काम करें। जो अघोषित बिजली कटौती गांवों के अन्दर हो रही है, गांव के अन्दर बिजली की कटौती को रोक देंगे और ये वी.सी.आर. भरने का खेल कम कर देंगे। जो बीजेपी के लोग हैं, उनकी वी.सी.आर. भरी जा रही है। जो कांग्रेस के हैं, उनकी वी.सी.आर. नहीं भरी जा रही है। आप इस प्रकार का द्वेषतापूर्ण काम करेंगे। जब गांव के अन्दर आप जायेंगे, तब आपको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप याद रखिये। उस घोषणा पत्र के अनुसार आपने काम किया तो आपका भला भी हो सकता है, लेकिन, आने वाले समय में जिस प्रकार से आपने जनता को लूटने का काम किया और बिजली कटौती के अन्दर आपने महारत हासिल की है। जनता आपको माफ नहीं कर सकती।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री मदन प्रजापत।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात को ध्यान में रखते हुए जनता की परेशानी को समझें और गांवों के अन्दर बराबर बिजली देने का काम करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत, श्री बलवान पूनियां, श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं संक्षिप्त में मेरी बात रखूंगा। सर्वप्रथम, माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन 12 लाख 76 हजार किसानों की तरफ से जिनका बिजली का बिल शून्य आया है। साथ ही, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा 8 लाख घरेलू उपभोक्ता की तरफ से कि उनका बिल भी शून्य आया है। इसके अतिरिक्त जो अनुदान मुख्य मंत्री जी ने दिया, किसी ने कल्पना नहीं की थी, प्रतिपक्ष के साथियों ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से बजट में बिजली के बिल में इतना अनुदान दिया जायेगा। मैं मेरी बात को ज्यादा लम्बी नहीं करते हुए, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी बिजली कटौती होती है तो गांवों को ही अंधकार में रखा जाता है।

(श्री खुशवीरसिंह)

सभापति महोदय, एक जमाना था। मेरे गांव में 1965 में बिजली आई। जब मेरे पिताश्री विधायक थे और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उस जमाने में गांव शत-प्रतिशत बिना बिजली के निर्भर थे। उनको बिजली की आवश्यकता नहीं थी। चाहे बिजली रहे, नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभापति महोदय, लेकिन अब वह जमाना आ गया है। एक छोटी सी छोटी ढाणी है, वह भी शत-प्रतिशत बिजली पर निर्भर है। ऐसी परिस्थिति में जब कटौती आती है तो उस समय गांवों में ही कटौती क्यों? क्यों नहीं शहरों में की जाये? सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कटौती सब जगह समान रूप से हो, कटौती के लिए गांवों को ही टारगेट नहीं किया जाये।

सभापति महोदय, उसके साथ ही मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर निवेदन करना चाहूंगा। 2019-20 में स्पेशल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के कृषि कनेक्शन की, जिन्होंने डिमांड राशि मेरे क्षेत्र में जमा की है, सामान के अभाव में वहां पर कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाये हैं। जब भी गांवों में जाते हैं। अब किसानों की फसल का समय आ गया है। हालांकि, मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर आपके सामान की जो भी कमी है, हम पूर्ति कर देंगे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछेक समस्याएं हैं। वहां पर तहसील का आधा क्षेत्र, जो विधान सभा क्षेत्र में है। वहां पर विद्युत आपूर्ति सही होती है और आधे में सही नहीं होती है। मैंने मंत्री महोदय को प्रस्ताव दिया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 132 केवी जीएसएस की आवश्यकता है और बोपारी में उसके लिए प्रस्ताव भी बनाकर भेजा गया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय आप 132 केवी जीएसएस का निर्माण जल्दी करवायें।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 33 केवी जीएसएस की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। उसके साथ ही, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा गांव बहुत बड़ा है क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु है और वहां पर ए.ईएन कार्यालय का अभाव है। जोजावर गांव में ए.ईएन कार्यालय विद्युत विभाग का हो, ताकि उपभोक्ता को 50 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। वहां पर 132 केवी जीएसएस और 33 केवी जीएसएस दोनों हैं।

इसके साथ ही, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि एफआरटी,

(श्री खुशवीरसिंह)

एफआरटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब भी किसान की बिजली गुल हो जाती है, बन्द हो जाती है खराब हो जाती है तो जो वहां पर विभाग के लाइनमैन, सीसीए हैं। उन्होंने हाथ खड़े कर दिये कि साहब अब तो एफआरटी आकर ही करेगी। आपको टेलीफोन करना पड़ेगा और उस टेलीफोन के नम्बर मुझे भी मालूम नहीं है। मैं चाहूंगा, विभाग से एफआरटी के बहाने में आप उन गांवों को या उस क्षेत्र को अंधेरे में नहीं रखें। आपके लाइनमैन और सीसीए हैं, उनको निर्देशित किया जाए कि आप सीधा जाकर पूर्व की भांति आप लाइन ठीक करेंगे। वे उस नाम से जाते भी नहीं हैं और चार-चार, पांच-पांच दिन तक कई जगह लाइट गुल रह जाती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि पिछले दो-तीन माह में मेरे कार्य बहुत ही सुचारु रूप से शुरू हुए लेकिन आपने जो आज मुझे आश्वासन दिया है कि आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निस्तारण 15-20 दिन के अन्दर-अन्दर कर लिया जायेगा ताकि किसानों को आने वाले समय में रबी की फसल में फसल बोने की और पानी पिलाने की सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बिजली की समस्या पर बोलने का अवसर दिया आपका आभार। मेरे डूंगरपुर से आने वाले युवा साथी अभी बोल रहे थे कि पहाड़ों पर लाइट गयी और अनेक प्रशंसा कर रहे थे तो हमारे क्षेत्र का एक वाकया याद है जो हर जगह चर्चा का विषय है। 1976 में तत्कालीन कांग्रेस के मुख्य मंत्री हमारे लूणकरणसर के कालू कस्बे में आये तो जब मुख्य मंत्री किसी कस्बे में आते हैं तो ग्रामवासी उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ हमें मिलेगा तो उन्होंने मांग रखी, मुख्य मंत्री जी हमें लाइट दो, इस कस्बे में हम बिजली देखना चाहते हैं तो मुख्य मंत्री जी का वहां स्टेज से जवाब था कि बिजली तो आसमान में देख लो, आपको बिजली मिल जायेगी। ऐसी इनकी प्रवृत्ति रही है 1976 हो, चाहे आज हो, वो ही इनकी कार्यशैली रही है, वो ही कार्यप्रणाली आज राजस्थान देख रहा है। वह देख इसलिये रहा है कि मैं बीकानेर जिले से आता हूं, दीया तले अन्धेरा, दो-दो मंत्री हमारे बीकानेर जिले से ऊर्जा मंत्री बने हैं, पर हाल क्या है? उन्हें कहूंगा कि पुष्पेन्द्र सिंह जी से सीखकर आते कि कैसे ऊर्जा मंत्रालय चलाया जाता है।

(श्री सुमित गोदारा)

हमारे लूणकरणसर में दो एईएन आफिस कांग्रेस सरकार ने आते ही बंद कर दिये नौरंगदेसर व महाजन। अब आप यह देखिये कि लूणकरणसर में लूणकरणसर तहसील है जिसमें 110 गांव हैं, वहां सिर्फ एक एईएन और तीन जेईएन हैं। आते ही अधिकारी इन्होंने हटाये और जीएसएस की बड़ी प्रशंसा कांग्रेस के साथी कर रहे थे, चार साल इस सरकार को हो रहे हैं। मैंने जैसे पूर्व में बताया कि ऊर्जा मंत्री दो-दो हमारे बीकानेर जिले के रहे हैं। उम्मीद थी काम होगा, लूणकरणसर में तीन-चार जीएसएस की घोषणा हुई पर माननीय सभापति जी, एक भी जीएसएस का काम नहीं हुआ। एक भी खम्भा कहीं नहीं लगा कि लोग कहें कि हां जीएसएस का काम हुआ। लोग यही कह रहे हैं कि यह कांग्रेस सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है, चार साल हो गये, सरकार जब बीजेपी की आयेगी तभी यह काम होंगे। माननीय मंत्री जी चक जोहड़ में दो वर्ष हो गये घोषणा किये हुए 33 केवी के जीएसएस की। रोजा, धीरधां, तींतेरा, लाडेरा, हिमेरा, सींथल सैकंड यह अभी कागजी घोषणाएं आपने की हैं पर एक भी खम्भा और तार आपने नहीं लगाया है। अब साथ ही किसान साथियों को जब पता चला कि आज बिजली पर चर्चा है तो उन्होंने फोन करके कहा कि आप भी मांग रखिये। मैंने कहा कि पुरानी चीजें ही नहीं हो रही हैं तो उन्होंने कहा कि मांग तो रखो क्योंकि सरकार अपनी आयेगी तो अपन कह तो सकें तो मैं कहने के लिए मंत्री जी आपसे रख रहा हूं। युवा मंत्री हो, पर बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि कार्य आपने कुछ भी नहीं किया। लूणकरणसर के साथ नये जीएसएस की मांग रावासर, राजपुरा, उड़ान, खोडाला, बंबलो, काकड़वाला, लूणकरणसर शहर, नोडा चक में आपके पास समय-समय पर अनेक ग्रामवासियों ने दी है। बंबलो ग्रामवासियों ने तो आपका घेराव भी किया पर मेरे को लगता है कि आपको अभी तक कोई ऊर्जा आयी नहीं है उससे। मेरा निवेदन है आपसे कि सूई व कतरियासर में 32 केवी जीएसएस का निर्माण करायें।

माननीय सभापति जी, इसी 31 अगस्त को हमने बीकानेर मुख्य अभियन्ता का घेराव किया। हजारों की संख्या में किसान पहुंचे और उनकी समस्या है 63 एचपी का ट्रांसफार्मर, यहां हमारे कई साथी जो रोहित बोहरा जी जैसे बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे, सरकार की हालत यह है कि 63 एचपी का जो बेसिक ट्रांसफार्मर जो किसान को चाहिये वह मिल ही नहीं रहे हैं चार-चार महीने से। किसी को बिजली का तार दे दिया, पोल दे दिये पर 63 एचपी के

(श्री सुमित गोदारा)

ट्रांसफार्मर जिले में नहीं आ रहे हैं और 63 एचपी का ट्रांसफार्मर जल गया तो एक-दो महीने तक किसान बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, बिजली मंत्री बीकानेर जिले के हैं यह हालत है तो आप राजस्थान का देखिये क्या होगा और एक साल से ऊपर उस गरीब किसान को डिमाण्ड भरे हुए हो गये कि मुझे ट्यूबवैल का कनेक्शन मिलेगा, सामान मिलेगा, पर अभी तक उसको मिला? ये किसान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं पर जब हकीकत में किसान को जरूरत है जिसने डिमाण्ड जमा करायी हुई है उसने ट्यूबवैल खुदवा दिया और वह कर्ज के नीचे दबा हुआ है। क्या इस सरकार को दया नहीं आ रही है कि हम उसे सामान दें कि वह अपना ट्यूबवैल शुरू कर सके, पर अभी तक किसी को सामान नहीं दिया। घोषणा बजट में लम्बी-लम्बी करते हैं और यह सिंगल एजी फीडर है उसमें सिंगल फेज जो ढाणी में किसान रहता है उसको बीकानेर जिले में सुबह चार से दोपहर एक बजे तक लूणकरणसर क्षेत्र में लाइट नहीं दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हो सकता है अपने कोलायत क्षेत्र में दे रहे होंगे पर लूणकरणसर में सिंगल फेज लाइट नहीं मिल रही है। समुचित वोल्टेज के बारे में तो सभी साथी बोल चुके हैं वोल्टेज तो मिल ही नहीं रहा। ट्यूबवैल हैं मोटरें जल रही हैं हजारों का नुकसान किसानों को हो रहा है। ये सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए जीएसएस पर आप किसानों को कनेक्शन दे रहे हो पर यदि आप फीडर नये नहीं बनाओगे तो कहां से व्यवस्था सुधरेगी।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): कहां से व्यवस्था सुधरेगी, उसमें एजी फीडर ओवरलोड हो रहे हैं। आपके अभी 2012 के ही कनेक्शन बाकी हैं तो 2013, 2014, 2015 के आप दोगे तो फीडर का क्या हाल होगा और सिस्टम इम्प्रूवमेंट में एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर आप कहीं दे नहीं रहे हो तो आप सिर्फ कागजी घोषणाएं कर रहे हो और जो बातें सभी साथियों ने रखीं कि आप 6 घंटे किसान को लाइट की बात कर रहे हो माननीय मंत्री महोदय, चार घंटे से ज्यादा किसान को लाइट मिल नहीं रही है और चार घंटे भी इसलिये मिली।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री रफीक खान।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, सिर्फ एक मिनट। एक मिनट, रफीक जी।

(श्री सुमित गोदारा)

माननीय सभापति जी, लेबर कांट्रेक्ट के बारे में निवेदन है कि 01 अप्रैल, 2022 के बाद जो किसान ने भरा है उसमें सरकार ने निगम को दे दिया कि आप प्राइवेट कांट्रेक्टर से काम कराओ जिसमें लेबर वर्क 35 प्रतिशत ऊपर से प्राइवेट कांट्रेक्टर दे रहा है और सामान परचेज मैटेरियल निगम रेट से 51 प्रतिशत से ऊपर पर बीकानेर में हो रहा है। एक तरफ तो निगम कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ इन प्राइवेट ठेकेदारों को इतनी सुविधा दे रहा है। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने दिया, मैं आपसे इतना ही निवेदन करते हुए समाप्त करता हूं कि कांग्रेस सरकार रूपी जब अन्धेरा छंटेगा, बीजेपी सरकार रूपी कमल खिलेगा तब ये किसानों के लिए सूरज निकलेगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ...(व्यवधान) सरकार आ गयी तो बिक जायेगी सारी यूनिटें।

सभापति महोदय, आपने मुझे आज बिजली जैसे मुद्दे पर बोलने का मौका दिया और मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब भी इस सदन में किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा होती है तो बीजेपी का जयपुर शहर का एक भी विधायक यहां बैठा नहीं होता है। एक आदमी सीट पर नहीं होता है इससे इनकी सीरियसनैस का अन्दाजा लगा सकते हो। जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है और जयपुर का इनका एक भी विधायक किसी चर्चा में शामिल नहीं होता है। ये कितने रेस्पोंसिबल हैं इससे पता लग सकता है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): शहरों में बिजली कटौती है ही नहीं। शहरों में बिजली नहीं कटती है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इसलिये नहीं है क्या? मतलब वो सहमत हैं, वो राज़ी हैं इस बात से। आप मोहर लगा रहे हो इस बात पर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आप भी राज़ी हो।

श्री सभापति: प्लीज। माननीय सदस्य, अपनी बात रखें आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): प्राचीन काल से लेकर अब तक, आजादी से लेकर अब तक बिजली की डिमाण्ड और सप्लाई का बहुत बड़ा हमेशा से अन्तर रहा है। चिराग़ों के टाइम से दुनिया शुरू हुई और फिर मोमबत्ती, लैम्प, ट्यूबलाइट और इससे आज होते हुए इस मॉडर्न जमाने में

(श्री रफीक खान)

हमने क्या-क्या नहीं हासिल किया इन पिछले 75 सालों में कि आज हम इन मॉडर्न सुविधाओं का सारी सुविधाओं का वहन कर रहे हैं और हर जरूरी चीज हमारे पास मुहैया है। मुझे खुशी है यह बताते हुए सदन को कि रिकार्ड नम्बर आफ उत्पादन पिछले 75 सालों में अगर राजस्थान किसी साल रिकार्ड नम्बर आफ उत्पादन पर हम पहुंचे तो वह इस साल पहुंचे और 23 हजार मेगावाट बिजली हमने उत्पादन की। हमारी जरूरत के टारगेट से ज्यादा 14 हजार हमारी रेगुलर खपत है और हम 23 हजार आज की तारीख में उत्पादन कर रहे हैं, इससे बड़ा अचीवमेंट राजस्थान सरकार का और कुछ नहीं कर सकती।

मुझे खुशी है सदन को यह बताते हुए और मुझे वह समय भी याद है जब 1990 से लेकर 1998 तक बीजेपी का राज था राजस्थान के अन्दर और बिजली कटौती होने लग गयी थी। पूरे राजस्थान में त्राहि-त्राहि थी, किसान आन्दोलन के लिए तैयार थे। उस समय 1998 में अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्य मंत्री बने और उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की। सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि जब तक मैं मुख्य मंत्री हूं किसानों के ऊपर एक रुपये का एडिशनल भार नहीं पड़ने दूंगा और आज तीसरा टेन्योर है, इसमें भी उन्होंने सरकार बनते ही सबसे पहले इस बात का आह्वान किया कि हम पूरे टेन्योर में एक रुपया बिजली का किसानों के ऊपर नहीं बढ़ायेंगे।

मैं ज्यादा आंकड़ों की बात नहीं करता। सदन के सारे नेताओं ने अलग-अलग समय में अलग-अलग बातें बोलीं और अलग-अलग आंकड़े बोले। दो-चार बातें बताऊंगा, पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य था जब किसानों ने बिजली मांगी तो आपकी पार्टी के लोगों ने गोलियों से सामना किया उसका। जमाना बख्शेगा नहीं आप लोगों को और आज राजस्थान में स्पेशली जयपुर में जब नयी कालोनियां डवलप होती हैं, लोगों से पूछता हूं बाहर से अधिकारी यहां आकर के रहते हैं, सर्विस करते हैं, रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं कि राजस्थान में ही रहेंगे जयपुर में ही। क्यों? क्योंकि यूपी में बिजली नहीं मिलती है, बिहार में बिजली नहीं मिलती है, हरियाणा में नहीं मिलती है, दिल्ली में नहीं मिलती है। राजस्थान को ही चुनते हैं, क्योंकि राजस्थान बिजली उत्पादन में नम्बर-1 है, तब इनको जगह नहीं मिलती है दूसरी और जब सुविधा झेलने की बात आती है तब सभी यह कहते हैं कि जयपुर एक ऐसी जगह है जहां बिजली हमें चौबीस घंटे मिलती है। जब हम दूसरे स्टेट्स के इलेक्शन में जाते हैं वहां बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि आपके यहां पावर कट नहीं होता क्या, तो मैंने

(श्री रफीक खान)

कहा कि पावर कट हमारे यहां बिलकुल भी नहीं होता है, तो उनको इस बात का भरोसा नहीं होता है और जो यहां माइग्रेशन हो रहा है जयपुर शहर के अन्दर, वो इस बात का द्योतक है कि आम आदमी की बाहर के आदमी की भी यह मंशा है कि मैं जयपुर में आकर बसूं। मुख्य मंत्री जी ने जब चार्ज सम्भाला तो उनके लिए एक शेर भी कहता हूं,

'कह दो इन अन्धेरों से कहीं और घर बना ले,
मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आने वाला है।'

इस विचारधारा के साथ में मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान में काम शुरू किया। अभी हमारे सभी साथियों ने यहां चर्चा की, मुझे बड़ा अफसोस हुआ मंत्री महोदय, आपने हर बिल में 750 रुपये कम कर दिये और 35 लाख परिवारों के तो जीरो बिल कर दिये। आपने क्या इन बीजेपी वालों के किसी के 750 रुपये कम नहीं किये? मेरे को तो यह ज्ञान है कि भी इस बात को सुन रहा है और जो भी यहां सदन में बैठा है और जो बाहर सुन रहा है, हर आदमी के परिवार में 750 रुपये कम हुए हैं। इनके एक आदमी के मुंह से जुबान नहीं निकल रही। एक आदमी धन्यवाद नहीं दे रहा। जिसकी खाओ, कम से कम उसकी गाओ तो सही, बोलो तो सही कि 750 रुपये हर आदमी के कम किये।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, कोविड जैसी महामारी आई और कोविड की महामारी में लोगों ने कहा कि हमें दो महीने का रिलेक्सेशन दे दो, एक महीने का रिलेक्सेशन दे दो। जैसे ही मुख्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया, एक-दो महीने का संज्ञान नहीं लिया, 750 रुपये हर महीने कम कर दिये और लगातार कम कर दिये, एक दिन की बात नहीं की। इन सबको भी फायदा मिला, हर आदमी का 750 रुपये का बिल कम होकर आ रहा है। सभापति महोदय, राजस्थान की पालिसी के बारे में पूरे हिन्दुस्तान में मैसेज है।

एग्रीकल्चर कनेक्शन में साढ़े सात लाख लोगों का जीरो बिल आ रहा है, एक रुपया नहीं देना पड़ रहा है और 12 लाख लोगों को हजार रुपये प्रति माह की सब्सिडी मिल रही है। पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान एक मात्र स्टेट है और अभी आपके सदस्य बोल रहे थे कि हमने सब्सिडी दी। आपने सिर्फ

(श्री रफीक खान)

घोषणा की, दी नहीं। सब्सिडी हमने दी और भुगतान हमने किया, आपने एक रुपये की सब्सिडी नहीं दी, उसका भुगतान भी हमें करना पड़ा।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री सुभाष पूनिया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक बात मैं मेरी और कह देता हूं, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कुछ अधिकारी भी यहां बैठे हैं। एक जरूरी बात यह है कि इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्रीयल कनेक्शन में कई जगह कमर्शियल चार्ज कर लेते हैं। एक उदाहरण दे देता हूं कि जैसे सिलाई की बड़ी फैक्ट्री है, उसको हम इंडस्ट्रीयल कनेक्शन देते हैं, एसआईपी कनेक्शन दे देते हैं और जो छोटा आदमी सिलाई की दुकान लेकर बैठा है, उसको हम कमर्शियल चार्ज कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा रेशलाइज कर लें तो आम आदमी को, स्पेशली छोटी इंडस्ट्री को फायदा होगा। यह आप करेंगे तो आने वाले बजट में यह बात लेकर हम सदन में जायेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुभाष पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमारे विद्वान जन प्रतिनिधियों ने अपने-अपने तर्क दिये हैं। मैं मानता हूं कि इस प्रदेश में वर्षों से एक ही बात कही जा रही है कि हम बिजली का इतना उत्पादन कर देंगे कि हमारे पास सरप्लस बिजली होगी और हम अन्य प्रदेशों में बिजली बेचेंगे, लेकिन आज भी जो स्थिति है, वह डिबेट में साफ-साफ आ रही है और इस प्रदेश में आप देख भी रहे हैं।

मैं आंकड़ों के मायाजाल में नहीं फंस कर सीधी सी बात पर आता हूं। सभापति महोदय, आप और हम जिस क्षेत्र से आते हैं, अपने यहां बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। किसानों से बूंद-बूंद सिंचाई कृषि कनेक्शनों में डेढ़-दो लाख रुपया जमा करवाया था, उसको डेढ़-डेढ़ साल हो गया, उनको सामान के अभाव में आज तक कनेक्शन नहीं दिये गये। सिर्फ खम्भे दे देते हैं, उसके बाद न तो इनके पास केबल होती है, न ट्रांसफार्मर होते हैं। उन किसानों पर आज क्या गुजर रही होगी जिन्होंने ब्याज पर पैसा उठाकर इतनी भारी भरकम रकम लगाई है। दूसरा, इन कनेक्शनों में जो प्रति यूनिट रेट है, वह भी तर्क संगत नहीं है। इसलिए अगर यह कनेक्शन हो जायेंगे उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि किसान वह पैसा वहन कर पायेगा और बिल चुका पायेगा।

(श्री सुभाष पूनिया)

तीसरा, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे सूरजगढ़ में सहायक अभियंता कार्यालय के नीचे 35 हजार कनेक्शन हैं और 35 हजार कनेक्शन पर मैं समझता हूं कि वहां एक सहायक अभियंता कार्यालय की और जरूरत है क्योंकि नियम यह है कि 15 हजार से ऊपर दूसरा कार्यालय होना चाहिये। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक दूसरा सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाये। मैं मानता हूं कि कुछ भी रहा होगा लेकिन मंत्री जी किसान पुत्र हैं, निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान देंगे।

सीएम बजट घोषणा में सामान्य श्रेणी के सभी कृषि कनेक्शनों के लिए घोषणा की गयी थी कि हम दो वर्ष में सारे कनेक्शन कर देंगे, लेकिन मेरे को लगता है अभी तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। इसलिए आज मैं यह बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई है दूसरा बजट आने वाला है। यह थोथी बजट घोषणा है। आप इन चीजों को दुरुस्त करने का काम करें। इस तरह की असत्य घोषणाएं न करें तो अच्छा रहेगा।

वी.सी.आर. के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि हम नहीं कहते कि कोई बिजली चोरी हो। वी.सी.आर. के नाम पर जब एक एक इंजीनियर जाकर वहां कनेक्शन के नाम पर यह कह देता है कि आपका ओवरलोड है, एक व्यक्ति विशेष के जाकर फोटो खींचता है और फिर किसी जन प्रतिनिधि का फोन जाता है तो उनको यह कह देते हैं कि ठीक है मैं आपकी वी.सी.आर. कटवा दूंगा। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिये। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाये। जो भी चोरी करे, उसकी आप भरें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा।

एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि आजकल जो आपने ठेकेदारों को ठेके दे रखे हैं, ढीले तारों की वजह से मेरे क्षेत्र में इतना भारी नुकसान हुआ है कि एक महीने में चार मृत्यु बिजली विभाग की लापरवाही से हुई है। उसमें एक गांव चोरोड़ी, एक महकवाल वास का था, एक अगवाना का था, एक महीने में तीन-तीन घटना हुई हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इन ढीले तारों को भी बहुत जल्दी टाइट करें और जो आमजन की हानि हो रही है, उससे निजात दिलाएं और ठेकेदारों के भरोसे आप जो यह विभाग चला रहे हैं, यह ठेकेदार तो इंजीनियर्स की पोस्टिंग करवाकर ले जाते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): मैंने कल भी आपसे आग्रह किया था, एक-दो ठेकेदार हैं, उनकी आप अगर जांच करायेंगे तो मैं जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आयेगा। यह भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा।

रही ट्रांसफार्मर जलने की बात, मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर जलते हैं क्योंकि किसानों का इलाका है और पूरी सिंचाई कुओं से होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो 72 घंटे की आपकी घोषणा है, एक-एक हफ्ते तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि समय पर मिले। आपने मेरे को समय तो कम दिया लेकिन जितना भी आपने दिया है, उसके लिए मैं फिर भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। सभापति महोदय, बिजली पर चर्चा से पूर्व मैं आपके माध्यम से सीएचए के जो 15 हजार साथी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि उनसे ज्ञापन लेकर उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करें।

सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान पुत्र हैं, भले आदमी हैं। सबसे पहले तो जो एक हजार रुपये किसान को प्रति महीने सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा जो 50 यूनिट बिजली फ्री की, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सी बातें आ गईं लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, कुछ समस्याएं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस वक्त गांवों में बिजली की बहुत बुरी स्थिति है। बिजली कब आयेगी, कब जायेगी, कुछ अता-पता नहीं। अब यह व्यवस्था कोयले की कमी के

(समय: 18.00 बजे)

कारण डिस्टर्ब हो रही है या किसी दूसरे कारण से डिस्टर्ब हो रही है, वह तो मंत्री जी ही बता सकते हैं, लेकिन हमने भी जो पढ़ा या हमने जब बात की तो यह आया कि कोयले की कमी हो रही है, कोयला मिल नहीं पा रहा है तो मैं प्रधान मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि राजस्थान को जरूरत के हिसाब से

(श्री बलजीत यादव)

कोयला दिया जाये। राजस्थान वैसे भी गरीब प्रदेश है। यहां की जनता को विदेश से महंगा कोयला खरीदने से महंगी बिजली का भार सहन नहीं करना पड़े। मैं आशा रखता हूं कि हमको पूरा कोयला मिलेगा, लेकिन इन सबके साथ-साथ मैंने यह देखा कि विद्युत विभाग का मिस-मैनेजमेंट भी रहा। जो बिजली सस्ते दामों में खरीदी जा सकती थी। सीजन का टाइम आयेगा तो सबको मालूम है कि बिजली की ज्यादा आवश्यकता होगी। जो बिजली कंपनियां हैं और जो उद्योगपति बिजली की सप्लाई करते हैं, उनसे अगर पहले कांट्रेक्ट किया जाता तो चार-पांच रुपये यूनिट में बिजली मिल जाती, लेकिन क्यों नहीं किया गया, किस कारण से नहीं किया गया? फिर 20-20 रुपये की रेट पर बिजली खरीदी गयी। इससे कितना भार बिजली विभाग पर पड़ा और फिर हम उसकी पूर्ति ऐसे करें कि किसी के पांच-पांच साल पुराने, कभी का किसी का बिल निकालते हैं। कनेक्शन काटने के लिए उसने लिखकर दे दिया, किसी के पिताजी या दादा ने, वह एक्सपायर भी हो गये, लेकिन कनेक्शन नहीं काटा और उसको एक साथ बिल जोड़कर भेज दिया। वे लोग चक्कर पर चक्कर लगाते रहें।

मैंने बिजली विभाग में भारी अव्यवस्था देखी है और वर्तमान में जो स्थिति देखी है, बिजली विभाग के डिस्काम के अधिकारी बैठे हैं, मैं देखता हूं कि इससे बुरी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी है। इतने बुरे हालात हो रखे हैं। ट्रांसफार्मर को जले हुए एक-एक महीना हो गया है। ट्रांसफार्मर मिल नहीं रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आदमी को आदत हो गयी कि वह पंखे में रहता है, कूलर में रहता है या एसी में रहता है। कुएं रहे नहीं कि रस्सी से खींचकर पानी निकाल ले। मोटर है, जो कि बिजली से चलती है। ट्रांसफार्मर जलने के बाद एक महीने तक नहीं मिल रहा है। कैसे तो वह पानी पीये? कैसे वह घर में रहे? गर्मी के दिनों में हालात ये हो गये थे स्टूडेंट्स की एग्जाम चल रही थी। दिन में भी बिजली नहीं आये, रात में भी बिजली नहीं आये और अब गांव भी ऐसे कोई नहीं रहे कि कोई अकेला आदमी फार्म हाउस पर रह रहा है, कुएं पर रह रहा है। छोटा कस्बा हो, गांव हो, कंजस्टेड हो गये हैं, आबादी बढ़ गयी है। जगह नहीं है।

श्री सभापति: कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): पूरा मकान पैक रहता है। वह गर्मी में कैसे रहे? छोटे-छोटे बच्चे बिलखते रहे, लेकिन बिजली नहीं पहुंची, क्योंकि

(श्री बलजीत यादव)

कोयले की कमी है। तब भी मैंने मंत्री जी को सुझाव दिया था कि इन उद्योगों की चाहे बिजली काटें या कुछ भी काटें, लेकिन कम से कम रात में तो बिजली मिले। दिन में आदमी कैसे भी संघर्ष कर ले, रात में बच्चे सो तो जायें। मजदूर दिन में मजदूरी करके, रात में नींद न आये, सुबह फिर मजदूरी करने जाना पड़ेगा। नहीं जायेगा तो चूल्हा नहीं जलेगा। बच्चे सोने नहीं दें। पढ़ने वाले बच्चे बोलें कि मेरा कल एग्जाम है, लेकिन लाइट नहीं है, गर्मी है। कैसे पढ़ें? इतनी भयावह स्थिति मैंने मेरे जीवन में आज तक नहीं देखी, जो कि बिजली विभाग की देखने को मिली।

मैं समझता हूं कि इन चीजों से सबक लेकर जल्द से जल्द इस बिजली की व्यवस्था को ठीक करेंगे। मंत्री जी सीधे हैं, इसका फायदा मेरे ख्याल से डिस्काम के अधिकारी नहीं उठायेंगे। मैं तो मंत्री जी को भी कहूंगा कि थोड़ा टाइट करो। ज्यादा सीधे-सीधे से भी पार नहीं पड़ती। आप इनके ऊपर थोड़ी चाबुक चलाओ तो ठीक होंगे। सभापति महोदय, तार टूट जाता है तो कहते हैं कि एफआरटी को फोन करो। एफआरटी आती नहीं है, ठीक होता नहीं है। यह भारी अव्यवस्था है। कर्मचारियों की भारी कमी है, तो कर्मचारियों की भर्ती करें, लाइनमैन की भर्ती करें, ताकि व्यवस्था सुधर सके। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, झूलते तार, टूटे खंभे और जले ट्रांसफार्मर, ये कहानी कह रहे हैं कि किसान तेरे को मारकर ही दम लूंगा। जब किसान खेत में जाता है तो झूलते तारों से उसका ट्रैक्टर टकराता है तो किसान मर जाता है, पर यह किसी को ध्यान में है? कोई ध्यान नहीं देता है। अब निगमों ने एक आर्डर और निकाल दिया। आपसे दो माह की सुरक्षा राशि, जिसको सिक्योरिटी राशि कहते हैं, वह वसूलेंगे। बिल एक माह का देंगे और सिक्योरिटी राशि दो माह की लेंगे। क्यों भाई, क्यों ले रहे हैं? हम आपका नियमित रूप से बिल दे रहे हैं। फिर भी हमसे सिक्योरिटी राशि ले रहे हो। यदि हम अनियमित बिल दे रहे हों, बिल नहीं दे रहे हों तो आप हमसे सुरक्षा राशि मांग सकते हैं। आप हमसे किस बात की सुरक्षा राशि मांग रहे हो। क्या हम चोर हैं? भाग जायेंगे? किसानों को चोर समझते हो, उपभोक्ताओं को चोर समझते हो। यानी आप पांच हजार रुपये से लेकर बीस

(श्री मदन दिलावर)

हजार रुपये तक जनता से इस प्रकार की डिमांड कर रहे हैं, जो कभी नहीं दे सकता। नहीं देगा तो आप बिजली का कनेक्शन काट देंगे। यानी उसको अंधेरे में रखेंगे। यानी आप उन लोगों के साथ अंधेरे में रखने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है।

यहां पर प्रचार-प्रसार हो रहा था कि 17 लाख 80 हजार घरेलू उपभोक्ताओं का हमने जीरो बिल कर दिया, कर दिया होगा, लेकिन आप उनसे सिक्योरिटी राशि तो ले रहे हैं। क्या अब उनके पास बिल नहीं जायेगा? क्या उनसे यह राशि नहीं लेंगे? आप उनसे डिमांड कर रहे हैं। वह नहीं देगा तो उसका बिजली का कनेक्शन काटेंगे। यानी गरीब आदमी का, जिसके लिए आपने कहा कि बहुत गरीब है, इससे 50 यूनिट तक का बिजली का बिल नहीं लेंगे। ऐसा कहने के बावजूद भी आप उससे सुरक्षा राशि मांगकर उसका बिल काटेंगे, ऐसा करके उसके साथ अन्याय करेंगे।

सभापति महोदय, फ्यूल सरचार्ज। फ्यूल सरचार्ज क्या है? यह हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। हम जो एम.ओ.यू. करते हैं या तय करते हैं, सहमति जताते हैं कि इतना ईंधन इस भाव से लेंगे। जब ईंधन का भाव बढ़ जाता है तो उस बढ़े हुए को सरचार्ज कहते हैं। वह हमसे क्यों ले रहे हैं? अधिकारी तो मौज-मस्ती कर रहे हैं। मन-माफिक पैसा दे रहे है और फिर उपभोक्ताओं से वसूल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भई? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमसे बिल ले रहे हैं न। जितनी बिजली जला रहे हैं, उतना पैसा ले रहे हो न। फिर फ्यूल सरचार्ज क्यों ले रहे हैं। आपकी मौज-मस्ती करने के लिए हम गरीब उपभोक्ता ही बचे हैं। हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय करेंगे तो यह ठीक नहीं है। इसमें फिर आपने क्या किया कि उसमें छीजत भी जोड़ दी। छीजत कितनी भी हो, चोरी कितनी भी हो, वह जो ईमानदार उपभोक्ता है, उससे वसूल किया जायेगा। छीजत के नाम पर तो आप करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, फिर भी छीजत कम नहीं हो रही है तो फिर करोड़ों रुपयों का क्या हुआ? करोड़ों खर्च करने के बाद भी छीजत कम नहीं हुई तो उन अधिकारियों से वसूली क्यों नहीं हुई? उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया? उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? आपने तो कहा था कि इतने करोड़ रुपये खर्च हो जायेंगे तो हमारी इतने परसेंट छीजत कम हो जायेगी। हमारा इतना पैसा बच जायेगा।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह क्यों नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, मेरी कड़वी बात शायद आपको चुभ गयी होगी। मैं निवेदन कर रहा हूं कि छीजत का पैसा, चोरी का पैसा ईमानदार उपभोक्ताओं से वसूल नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कृषि के जितने भी उपभोक्ता हैं, सबको कनेक्शन दे देंगे। आपके पास कंडक्टर नहीं, खंभे नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं, इंसुलेटर नहीं, फिर कहां से दे देंगे? आपके पास जितना लोड होगा, उतना जीएसएस नहीं तो कहां से दे देंगे? लोगों को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? राजस्थान की जनता सब समझती है। सब निपटेगी। अघोषित बिजली के नाम से किसानों, उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। हमारे बच्चे बोर्ड की परीक्षाओं में अंधेरे में रहे। हम अंधेरे में हैं, गर्मी में अंधेरे में हैं। सांप ने खाया, बिच्छू ने खाया, गोयरा ने खाया। उपभोक्ताओं को मरवा रहे हो। आप लोड शैडिंग के नाम से दस-दस घंटे बिजली काट रहे हो और फिर हमसे कह रहे हो कि पूरा बिजली का बिल दीजिए। दस घंटे बिजली नहीं दी तो बिजली का बिल कट गया। क्यों कटा? ट्रांसफार्मर बदले नहीं, हमारा ट्रांसफार्मर एक महीने से जल गया, लेकिन बिजली का बिल क्यों आ रहा है। जब ट्रांसफार्मर जल गया तो हमने बिजली कहां से ली होगी? फिर हमें बिजली का बिल क्यों दिया गया।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में कई दर्जनों लोग मर गये हैं, घायल हो गये हैं। मकानों के ऊपर से लाइट निकल रही है। लोग चिपक-चिपक कर मर रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह सरकार बिजली के माध्यम तार लिपटाकर, ढीला करके, खंभे तुड़वाकर लोगों को मरवा रही है। यह उपभोक्ताओं की हत्यारी सरकार है। जितनी निंदा की जाये, उतनी कम है।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इस विशेष विषय पर बोलने का अवसर दिया। आज बिजली को लेकर राजस्थान के अन्दर जो समस्या आ रही है, उसको लेकर ये सदन गम्भीर है और सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी बात इस सदन में रखी।

माननीय सभापति महोदय, बिजली का असर कहीं न कही हर आम

(श्री राजकुमार रोत)

व्यक्ति, अमीर व्यक्ति हो, प्रत्येक मानव जीवन पर इसका असर पड़ रहा है और बिजली व्यक्ति की दिनचर्या से जुड़ गयी है मतलब उसके जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन का एक अमूल्य अंग हो गया है। इसका असर कहीं न कहीं जो यह कम्पीटीशन एग्जाम हो रहे हैं, कम्पीटीशन एग्जाम की ग्रामीण इलाकों में तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, इन पर भी इसका काफी असर पड़ा है। उसी से जुड़ा हुआ, मैं इस विषय पर आऊं, उससे पहले हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर अभी हाल ही में पूरे राज्य में कम्प्यूटर अनुदेशक की भर्ती हुई। इस भर्ती में हमारे अनुसूचित क्षेत्र के 888 पद थे और 888 पदों में से सिर्फ 196 पदों पर ही लड़के पात्र हुए, बाकी 700 पद खाली गये। कहीं न कहीं इसका असर यह है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं होने से बच्चे समय पर नहीं पढ़ पाते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम्प्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती हुई, उसमें अनुसूचित क्षेत्र के लिए शिथिलता प्रदान की जाए। पात्रता का जो दायरा किया गया है, उसको कम करते हुए बाद में जो मैरिट में आ रहे हैं, उन बच्चों को लिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके, दोनों इलाकों में बिजली कटौती का जो समय है, बिजली जो समय पर पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती, उसमें काफी अन्तर आता है। आज प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उधर की सरकार रही हो या इधर की सरकार रही हो, बिजली प्रत्येक घर तक पहुंचाने के लिए, प्रत्येक ढाणी तक पहुंचाने के लिए सभी सरकारों ने योजना बनायी। आज 99 परसेंट पहुंच भी गयी है लेकिन वहां खम्भा पहुंचा है, तार पहुंचा है, बिजली का करंट आज भी समय पर नहीं पहुंच पाता है। उसकी मार आज भी ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है।

अभी पिछले कुछ समय से बिजली विभाग का ऐसा रवैया हमारे डूंगरपुर जिले में, हालांकि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो मंत्री जी हैं, वे ही हमारे डूंगरपुर जिले के प्रभारी हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि वहां के अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि ग्रामीण इलाके में ध्यान ही नहीं देते हैं। एक डीपी जल जाती है। उस डीपी को बदलने में 15 से 20, मैं कम से कम दिन बता रहा हूं, 20 दिन लग जाते हैं। अधिकारी बताते हैं कि जो बिल आ रहा है, उसमें नीचे जो टोल फ्री नम्बर है, उस पर सूचना दीजिए लेकिन ग्रामीण क्षेत्र व्यक्ति इतना पढ़ा-लिखा नहीं है जो इसको समझ पायेगा। ग्रामीण इलाके में ये सिस्टम रहता है कि डीपी जल गयी है तो लाइनमैन को ढूंढते हैं।

(श्री राजकुमार रोत)

लाइनमैन दो दिन में मिलता है, उसको सूचना देते हैं, 20-25 लोग जाकर सूचना देते हैं। वह लाइनमैन 10 दिन बाद जेईएन को कहता है और जेईएन कहता है 10 दिन बाद उस एईएन को। ग्रामीण इलाके में ये ही समस्या है कि डीपी जलने के बाद कम से कम 20 से 25 दिन बाद डीपी वहां लगती है और 20 से 25 दिन तक वे लोग अंधेरे में रहते हैं।

आज विशेषकर अभी एक लोड शैडिंग का जो चल रहा है कि रात के समय, सुबह के समय गांवों से एक ही बात उठती है कि शहरों में लाइट रहती है तो हमारे गांवों में लाइट क्यों नहीं है?

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): शहरों में इंसान रहते हैं तो क्या गांवों में इंसान नहीं रहते हैं? शहरों में समय-समय पर लाइट रहती है और गांवों में लाइट नहीं रहती है। गांव में स्थिति यह बनी हुई है कि शाम का समय रहता है, खाना बनाने का समय होता है, बच्चों के कम्पीटीशन एग्जाम में पढ़ने का जो समय होता है, उसी समय के दौरान बिजली की कटौती होती है। सुबह स्थिति ये होती है कि जो परिवार है, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए पानी भरने जाता है और सुबह 6-7 बजे कटौती हो जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा डूंगरपुर पूरे जिले के अंदर बिजली कटौती का जो चल रहा है, उसमें ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके में जो भेदभाव किया जा रहा है, उसे कम किया जाए और समय पर बिजली दी जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही एफआरटी का जो कर रखा है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, ये एफआरटी का जो सिस्टम कर रखा है। एफआरटी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गयी है। गवर्नमेंट उनको ढाई लाख रुपया देती है। जो कार्मिक अस्थायी लगाने होते हैं, लगाने होते हैं 12 और वह लगाता है 7।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग कीजिए प्लीज।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मात्र एक मिनट लूंगा। एफआरटी के तहत हाल ही में एक महेश नाम का लड़का, मेरे विधान सभा में डैथ हो गयी।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र मोची। श्री जगसी राम।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्योंकि वह डीपी चढ़ाने गया। एफआरटी के नोर्म्स में ही नहीं है कि एफआरटी वाले डीपी चढ़ाएं, लेकिन उनसे सारा काम कराया जाता है। लगाने के होते हैं 12 या 13 और लगाते हैं 6 से 7, ठेकेदार को सरकार पूरा पैसा देती है और एफआरटी वाला फर्जीवाड़ा करता है। उनको डीजल भी कम देता है।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र मोची। प्लीज सहयोग कीजिए, आप विराजिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सरकार कहती है एफआरटी 24 घंटे सुविधा देगी, लेकिन एफआरटी की गाड़ी में डीजल भरने के लिए ठेकेदार पांच दिन में मुश्किल से पांच किलोमीटर घूमे इतना डीजल देता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो-तीन जो जीएसएस हैं, उनके लिए निवेदन करूंगा वे कराएं। धन्यवाद।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्रदेश की बदहाल बिजली व्यवस्था पर दिलाना चाहता हूं। प्रदेश में बिजली व्यवस्था की यह हालत है कि अघोषित बिजली कट एलडी कट के नाम से लगाये जाते हैं। जब व्यक्ति गरमी के मौसम में खेत से घर जाकर आराम से अपने बच्चों के साथ बैठना चाहता है, मजदूर, दुकानदार घर जाकर आराम करना चाहता है, खाना खाना चाहता है परंतु उसी वक्त कट लग जाता है, जिसको एलडी कट कहते हैं। सभापति महोदय, इस कट का कोई धणी-धोरी नहीं है। एईएन, एक्सईएन, एसई से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि पता नहीं कब एलडी कट जयपुर से लगा है। जब जयपुर अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हमें पता नहीं एलडी कट कहां का है? ऐसी अव्यवस्था के कारण से आमजन परेशान है। इस एलडी कट पर आप मेहरबानी कीजिए। ये एलडी कट शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगाइए ताकि बराबर लोगों की भावना मिले, नहीं तो आपकी सरकार के विरुद्ध लोगों की भावना गलत हो रही है। एलडी कट का समय नहीं है। यदि समय होता और लोगों को बता दिया जाता तो निश्चित लोग उस पर गौर करते, परंतु इसका पता नहीं है कि कब ये एलडी कट लगाते हैं।

सभापति महोदय, कृषि कनेक्शन हमारे यहां खूब पेंडिंग पड़े हैं। काश्तकार एईएन आफिस के चक्कर लगा रहे हैं परंतु उनके कनेक्शन नहीं हो

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

रहे हैं लेकिन पैसे भरवा लिए गये हैं। इसके साथ-साथ एक करंट योजना और लागू की है और इसमें इन्होंने वहां ठेकेदारों को बैठा दिया है। अधिकारी और एईएन मिलकर के मिलीभगत से उसमें भी वेटिंग लिस्ट डाल दी है। ऐसी अव्यवस्थाओं के कारण से काश्तकार आज परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आज जो लाइट मिल रही है, उसमें लोड कम है जिसके कारण से विद्युत मोटर जल रही है। अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है जिसके कारण से काश्तकारों की फसलें बरबाद हो रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो सूरतगढ़ थर्मल इकाइयां बंद हैं, उनको चालू कीजिए ताकि हमारे क्षेत्र में लाइट पूरी मिल सके।

इसके साथ-साथ जो मोहल्लों में 11 हजार वोल्टेज की लाइनें हैं, उनके नजदीक गलियां छोटी-छोटी हैं। वहां आज हर घर के अन्दर अच्छे उपकरण लगे हुए हैं जिसके कारण से 11 हजार की लाइनें उस मोहल्ले के अन्दर नहीं जा सकतीं। वहां अंडरग्राउण्ड तार डालकर उन घरों में 11 हजार वोल्टेज पावर की लाइट मिले ताकि उनके उपकरण जले नहीं।

इसके साथ-साथ आज जो बिलों की स्थिति है, वह आपसे छिपी नहीं है। कितने सरचार्ज लगाकर, किस प्रकार से गरीब आदमी मेहनत करके अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे बिजली के बिलों में पैनल्टी के नाम पर भरते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन बिलों में सुधार कीजिए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके।

मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 33 केवी जीएसएस हरदासवाली और खेदासरी में स्वीकृत हुए हैं और स्वीकृत हुए भी काफी दिन हो गये हैं। उसका काम नहीं चल रहा है। वह टीबाकृत क्षेत्र है। वहां पर मोटर इतने दबाव में है कि जलती रहती है जिसके कारण से काश्तकार परेशान भी है और आये दिन धरना-प्रदर्शन होते हैं। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि हरदासवाली और खेदासरी की जीएसएस की स्वीकृति तो हो चुकी है। उसके काम की स्वीकृति जारी करें ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके। इसके साथ-साथ नूरपुरा के अन्दर भी एक जीएसएस स्वीकृत है। उसको भी आप शुरू कराएं ताकि हमें लाभ मिल सके। इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सौभाग्य योजना व दीनदयाल उपाध्याय योजना की तरह जो ढाणियों में लाइट लगती थी वह आपने बन्द कर दी है।

श्री सभापतिः एक मिनट में समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): जो 100 मीटर की लाइन थी वह भी आपने बन्द कर दी, उसमें 50 मीटर कर दी। ढाणियों में काफी लोग बिना लाइट बैठे हैं, उनके लिए लाइट की व्यवस्था की जाये।

इसके साथ-साथ, जो सरकारी सी.एच.सी. हैं, पी.एच.ई.डी. के वाटर वर्क्स हैं उनको आप अलग से फीडर देकर 24 घंटे लाइट में जोड़ें, ताकि अस्पतालों व वाटर वर्क्स में स्थिति नहीं बिगड़े। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, बिजली पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा में तीन एईएन कार्यालय हैं। तीनों एईएन कार्यालय में गत माह 16 हजार 764 उपभोक्ता ऐसे थे जिनका जीरो बिल आया था। उससे पहले यह संख्या इससे भी अच्छी थी। सभापति महोदय, जीरो बिल आने वाली बात बजट के बाद जो घोषणा हुई, उसका बढ़िया इफेक्ट गया, लेकिन जो एलडी कट है, इसने सारी बातें धो दी। एलडी कट का पता भी नहीं चलता कि कहां से लगता है। 9.30-10.00 बजे के बाद जब बार-बार एक आदमी का फोन आता है तो यह नहीं समझते कि इसने दारू पी रखी है, यह समझते हैं कि इसके घर लाइट गयी। इसलिये मंत्री महोदय, कोयले का प्रबन्ध। कई साथियों ने अच्छा सुझाव दिया कि आप जनवरी-फरवरी का प्रबन्ध अभी कर लो, सस्ता भी मिलेगा। प्रबन्ध करो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार बनने के बाद 4800 कनेक्शन हुए थे ढाणियों में, पर लाइट की दिक्कत है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए, गंगानगर, हनुमानगढ़ ज़िले के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने 400 केवी का ट्रान्सफार्मर लगाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक अधिकारी डिसाइड नहीं कर पाये कि रावतसर लगाएं या गोलूवाला लगाएं, या कहां लगाएं। दोनों ज़िलों का समाधान हो जायेगा। इसके अलावा सारी समस्याएं साथियों ने डिस्कस कर लीं। ढाणियों में कनेक्शन देने की मांग है, मीटर ठीक करने की मांग है, उसके बाद ढीले तार को ठीक करने की मांग है। वाटर वर्क्स है, जल जीवन मिशन में काम चल रहा है, आज उनके साथ-साथ ही उनको अलग से बिजली देने का, अगर जल जीवन मिशन को बिजली विभाग पैसा भी बता दे कि इतना रुपया जमा करा दो, हम आपको 24

(श्री बलवान पूनियां)

घंटे की बिजली दे देंगे, तो गांवों में अच्छी सप्लाई हो सकती है। यह सब काम समय रहते करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों को आने वाली फसल में, देखो पीछे दिक्कत हुई है, पर वह दिक्कत बरसात अच्छी होने के बाद कम हो गयी। आने वाली फसल में किसानों से यह फोन नहीं आये कि पांच घंटे ही बिजली मिल रही है। कम से कम 7-8 घंटे बिजली मिले।

मैं अभी थोडे दिन पहले छत्तीसगढ़ जाकर आया था। सरकार वहां किसानों को 18 घंटे बिजली देती है। जो किसान खेती में हैं, हालांकि वहां अपने से कम किसान खेती में हैं, लेकिन जो किसान खेती में हैं उनके लिए बिजली की कोई समस्या नहीं है। इसलिये हम सरकार से उम्मीद करते हैं, आपने किसान के लिए एक हजार रुपये की घोषणा की है। बहुत सारे उपभोक्ताओं के बिजली के कुएं हैं उनके भी जीरो बिल आये हैं, लेकिन उनको बिजली उपलब्ध करायें, ऐसी हमारी मांग है। दूसरी बात, साथियों ने एफआरटी का जिक्र किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले बीडी कल्ला साहब ने मेरे यहां से एफआरटी हटा दी, लेकिन सदन में पूरे स्टेट का इश्यू है। एफआरटी बढ़िया फण्डा नहीं है।

आपने 20-22 साल पहले प्रयोग के लिए निगम बनाये थे। अभी पंजाब ने वापस लिया है, खुद के क्षेत्र में लिया है। मेरी सरकार से मांग है कि बिजली विभाग के खुद मंत्री हैं, आपके आई.ए.एस. अफसर लगे हुए हैं, किस बात के लिए आपने इसको निगम बना रखा है। सरकार का उपक्रम है, ऐसा उपक्रम है जो जनता की सबसे बड़ी जरूरत है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यह बातें कहकर ही तो हम सरकार में आते हैं। यह बातें कहकर ही हम जन प्रतिनिधि बनते हैं। इसलिये इस निजीकरण से पीछा छुड़ाकर सरकार इसकी मालिक बने। सरकार बढ़िया से बढ़िया बिजली दिलाये, लोगों के जीवन को रोशन करने का काम करे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री जगसी राम कोली।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, आज बिजली पर चर्चा हो रही है। माननीय सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय विराजमान हैं, किसानों के कृषि कनेक्शन हैं, डिमांड नोटिस भरने के उपरान्त, डेढ़-डेढ़ साल हो गये, आज तक केवल उनको खम्भे दिये हैं, तार दिये हैं उनको

(श्री जगसी राम)

ट्रान्सफार्मर नहीं मिल रहा है। समय को देखते हुए आप अभी मुझे बिठा देंगे, इसलिये मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि किसानों ने बड़ी मुश्किल से इसका पैसा भरा है। आने वाले सीजन के अन्दर उनकी व्यवस्था करेंगे, काश्तकारों के कनेक्शन हो जाएंगे, बिजली मिलेगी तो उनको खेती में फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, सरकार ने फीडर सुधार के नाम से ठेकेदारों के जिम्मे जो कांट्रेक्ट दिया है। वह ठेकेदार काग़ज़ों तक ही सीमित रह गये। मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर व आबू रोड में आये दिन, रेवदर ब्लाक में हर साल की 4-5 दुर्घटना ढीले तारों की वजह से होती हैं। ढीले तार हैं, फीडर सुधार के नाम से वहां हज़ारों-लाखों रुपये का अमाउण्ट उठता है, लेकिन किसानों के खेतों में जाकर देखें तो वहां की व्यवस्था नहीं के बराबर होती है, सरकार इस पर विशेष तौर पर ध्यान दे। ढीले तार होने की वजह से किसान की जान चली जाती है तो वहां क्षेत्र के लोगों की आत्मा में बहुत बड़ा दुख होता है, इसलिये मंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

किसानों के कृषि कुओं पर सरकार ने 6-7 घंटे बिजली का कहा है, लेकिन रेवदर क्षेत्र में 4-5 घंटे मिलती है, उसके बाद भी ट्रिपिंग के माध्यम से लाइट काट देते हैं। अभी सभी माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, 8 से 11 बजे के बीच लाइट काट देते हैं, वहां एफआरटी के नाम से तथा ठेकेदारों को कांट्रेक्ट पर जो जीएसएस सौंप रखे हैं, छह जगहों पर डयूटी पर है, लेकिन ठेकेदारों के माध्यम से वहां दो ही कार्यरत रहते हैं। फोन बंद कर देते हैं। वहां के जन प्रतिनिधियों की बात तो दूर रही, आम लोगों की बात दूर रही, प्रधान व सरपंचों तक का फोन नहीं उठाते, फोन बंद करके छोड़ देते हैं। तार टूटा हुआ है, अगर उसमें बिजली जल रही है तो जनहानि भी हो सकती है, इसलिये इनको पाबंद करने की आवश्यकता है।

कृषि कुओं पर सिंगल फेज वाली, पिछली सरकार के अन्दर दीनदयाल योजना के तहत कनेक्शन हो रहे थे, उस योजना को बन्द करने के बाद नई योजना लागू की है लेकिन किसानों के कुओं पर सिंगल फेज की व्यवस्था नहीं की है। उसमें गांवों में रहने वाले, आबू ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले टी.एस.पी. के छात्रों को रात्रि में पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आबू रोड ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर और रेवदर क्षेत्र के अन्दर लाइट की सिंगल फेज की सुविधा, कुओं के अन्दर जो पहले वाली

(श्री जगसी राम)

योजना थी, उसी तर्ज पर सरकार व्यवस्था करायेगी तो पूरे क्षेत्र के अन्दर अच्छी व्यवस्था देखने को मिलेगी। लाइनमैन, स्टाफ की कमी की वजह से भी वहां लाइट की व्यवस्था सही रूप से नहीं होती है।

सभापति महोदय, माटासन वाला जीएसएस स्वीकृत हो गया, ढांचा तैयार हो गया, छोटी सी बात को लेकर उसको चालू नहीं किया है। मंत्री महोदय, मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि जीएसएस बहुत अच्छी तरह से बन चुका है, लेकिन ठेकेदार, इनको जो काम दिया था इन्होंने मात्र, वह कहते हैं न इसमें ओसम्बी के नाम से उन्होंने लगाकर चालू नहीं किया है। जालौर से जो लाइट मिल रही है वहां का स्टाफ भी लाइट नहीं दे रहा है, इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिये। दातराई के अन्दर 220 का जीएसएस....

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): दातराई के अन्दर जीएसएस का काम धीमी गति से चल रहा है। आने वाले समय में अगर फुर्ती से हो जायेगा तो किसानों को फायदा मिलेगा। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि अनादरा में एईएन कार्यालय खोला जाये। 25 किलोमीटर का दायरा रेवदर तक आने में दिक्कत आ रही है। अनादरा में जेईएन कार्यालय है, एईएन में क्रमोन्नत किया जाये, मैं समझता हूं कि किसानों को इससे फायदा मिलेगा।

सरकार ने पूरा एजेंडा बना रखा है, 33 केवी के जीएसएस खोलने के लिए प्रावधान पहले से ही कार्ययोजना के अन्दर है। भैरूगढ़, जिरावल, उडवारिया, करोटी, इडरला, आबू रोड के अंदर, जामूडी के अन्दर 33 केवी का जीएसएस खोला जाये।

श्री सभापति: विराजिये। श्रीमती संतोष बावरी।

श्री जगसी राम (रेवदर): मैं समझता हूं कि पूरे क्षेत्र के अन्दर आने वाले समय में किसानों को फायदा मिलेगा। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि मैंने जो बात रखी है किसानों वाली व ढीले तारों वाली, विशेष तौर से मेरा आपसे आग्रह है, वहां लोगों को फायदा मिलेगा।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री जगसी राम (रेवदर): दो तीन दिन बाद में यह जो नवरात्रा चालू होंगे उसके अंदर आप लाइट की व्यवस्था करायें ताकि वहां जी.एस.एस. पर जो बैठे हैं, वे बंद करके नहीं सो जायें, ऐसी व्यवस्था करवायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष बावरी।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। बिजली बिलों में स्थायी शुल्क के नाम पर एक तरफ उपभोक्ताओं से वसूली की जा रही है और दूसरी तरफ सरकार अपनी वाहवाही लूटने के नाम पर सब्सिडी दे रही है और सब्सिडी के नाम पर सरकार अपने प्रचार-प्रसार में लगी हुई है। यह इस उत्तरदायी सरकार की मूल भावना हो गयी है कि एक हाथ से लूटो और दूसरे हाथ से लुटाओ।

माननीय सभापति महोदय, अधिकारियों की गलती को दबाने के नाम पर जनता से सरचार्ज वसूल किया जा रहा है। बड़ी कम्पनियों को फायदा दिया जा रहा है और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, क्षेत्र में किसानों को कृषि कनेक्शन की डिमांड राशि जमा होने के बाद भी डेढ़ वर्ष से चक्कर लगा रहे हैं। विभाग द्वारा बार-बार यही कहा जाता है कि विद्युत सामान नहीं आया है। सामान कब आयेगा इसका कोई अता-पता नहीं है। विद्युत तार आते हैं तो खम्भे नहीं आते और खम्भे मिल जाते हैं तो ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं। ब्याज पर पैसा लेकर किसान पैसा भरता है और समय पर कनेक्शन नहीं मिलने के कारण वह परेशान होकर विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। किसान इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें समय पर विद्युत कनेक्शन मिले तो उनकी जो फसल है, उनको समय पर वे पानी लगा सके और उनकी अच्छी पैदावार हो पाये।

माननीय सभापति महोदय, एक ओर कम वोल्टेज के कारण मोटरें भार नहीं उठा पाती हैं। कई बार वोल्टेज कम ज्यादा होने के कारण मोटरें जल जाती हैं। किसान को सुविधा की बजाय उलटा उन पर और ज्यादा भार पड़ जाता है। इसी प्रकार से वाटर वर्क्स के अन्दर भी बिजली सुचारु रूप से नहीं मिलने के कारण समय पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वाटर वर्क्स के अन्दर बिजली अलग से देने की व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, आज पूरे राजस्थान में बिजली की अघोषित कटौती से जनता परेशान है। लगभग छह-छह घंटे का कट लग रहा है। बिना किसी सूचना के शहरी व ग्रामीण इलाकों में अचानक हो रही बिजली कटौती से किसान, व्यापारी, आमजन परेशान है।

माननीय सभापति महोदय, मौसम के बदलाव के साथ-साथ मैंटीनेंस

(श्रीमती संतोष)

के कार्यों के लिए मंगलवार व शुक्रवार निर्धारित होने के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में मैंटीनेंस के नाम पर मनमानी की जा रही है। बिजली कटौती से प्रभावित मेरे क्षेत्र के कई गांव जहां से बार-बार शिकायतें आ रही हैं। 27A, 20AS, नाहरावाली, 22RJD, रावला, रामसिंहपुरा, 61GB, 365 हेड, 3ND, 10LM, 6MS, इस प्रकार के कई गांव और ढाणियां हैं जहां से बार-बार विद्युत कटौती की शिकायतें आ रही हैं और रात में छह-छह घंटे बिजली नहीं मिल पाती है। बीमार बुजुर्ग और छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी इससे प्रभावित हो रही है। ट्रांसफार्मर खराब हो जाने पर महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत 22 RJD आनंदगढ़ में 33 के.वी. का एक जी.एस.एस. स्वीकृत हुआ था। वित्तीय स्वीकृति होने के बावजूद भी लगभग दो-ढाई साल हो चुके हैं, अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। बार-बार ठेकेदार बदले जा रहे हैं। काम करने की नीयत शायद सरकार की नहीं लग रही है। कब काम पूरा होगा? क्षेत्र की जनता और आसपास के लोग इंतजार कर रहे हैं कि यह जी.एस.एस. बने तो उनको सुविधा मिले।

ऐसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका, ग्रामीण एरिये में कई जगह पर घरों के ऊपर से विद्युत हाईटेंशन 11 हजार के.वी. की लाइनें गुजर रही हैं, आये दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। कई हादसे क्षेत्र में ऐसे हो भी चुके हैं। घरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग की जाये जिससे क्षेत्र में अनहोनी घटना से बचा जा सके।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में आज भी कई ढाणियां ऐसी हैं जो लाइट कनेक्शन से वंचित हैं। हालात यह हैं कि मेरे द्वारा ढाणियों में घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए विधायक कोटे से अनुशंसा भी की गयी है। लगभग दो वर्ष हो गये हैं, ढाणियों में लाइट नहीं लगी है, गरीब किसान अपने घर में रोशनी का इंतजार कर रहे हैं और सर्वे के नाम पर कमियां निकालकर विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है। सरकार को ढाणियों में लाइट कनेक्शन के लिए प्रोसेस को सुगम करके विशेष छूट देनी चाहिए ताकि ढाणियों में निवास कर रही जनता को सुविधा मिल सके।

(श्रीमती संतोष)

ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन के लिए पचास मीटर का एरिया तय कर रखा है सरकार को इसमें छूट देकर जितने आवेदक अपना फार्म भरते हैं, उन्हें छूट देकर घरेलू विद्युत कनेक्शन देना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री फूल सिंह मीणा। प्लीज, आप विराजिये, सहयोग करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, इससे विद्युत चोरी के मामले भी कम होंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मेरा एक छोटा सा सुझाव और है कि इंटर डिस्काम तबादलों की पालिसी बनाई जाये जिससे जोधपुर, अजमेर, जयपुर डिस्काम में कार्यरत कर्मचारियों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपने ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मगर मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में पहले आठ बजे बाद में या दस-ग्यारह बजे लाइट, यह कोई फोन आता था तो हम यह सोचते थे कि कहीं पर दुर्घटना तो नहीं हो गयी है मगर आठ बजे बाद में फोन आना तो यही लगता है कि यह कहीं न कहीं लाइट की कटौती है और पूरी की पूरी मेरी ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में ट्राइबल एरिया है और वहां पर एक तो तार झूले हुए हैं, एक कर्मचारी कम हैं, इसलिए शाम को कोई हवा चलती है तो उस हवा के माध्यम से, उस बहाने से बरसात चाहे आये या नहीं आये, जरा सी बिजली भी कड़क गयी तो वह चार घंटे, पांच घंटे बंद हो गयी और शाम को अगर ग्यारह बजे बंद हो गयी तो सुबह तक कोई सुध नहीं लेता है। हमारा जंगली एरिया है और वहां पर जंगली जानवर चीता-शेर और अन्य जानवरों से भी डर लगता है फिर भी किसान वहां उस टापरी में रात भर जगकर वह अपनी रात को गुजारता है।

मेरे तीन जी.एस.एस. हैं। जैसे मेरे एकलिंगपुरा जी.एस.एस. फीडर है, उसमें वैसे ही 12 पंचायत हैं और 12 पंचायत के बीच में अभी मुख्यमंत्री आवास योजना यू.आई.टी. द्वारा 1000 मकान और बन रहे हैं। उस फीडर पर बहुत ज्यादा लोड हो जायेगा इसलिए वहां पर फीडर लगाकर इस लोड को विभाजित करें ताकि वह समस्या नहीं रहे।

(श्री फूल सिंह मीणा)

माननीय सभापति महोदय, 132 के.वी. लाइन जो हमारी आई.आई.एम. के वहां से जा रही है और हमारी टीड़ी के अन्दर जावर माइन्स है, वह बहुत बड़ा उद्योग है और उसी से हमारे गांवों के कनेक्शन जोड़ रखे हैं। जो कोई कनेक्शन फाल्ट हो गया तो माइन्स तो चलती रहती है, पर हमारे गांव की सब लाइटें बंद कर देते हैं इसलिए हमारी यह जो 132 के.वी. लाइन को बारापाल फीडर से जोड़कर इस लोड को भी डिवाइड करें ताकि हमारे वहां की इस समस्या का समाधान हो पाये। साथ ही, अम्बा माता फीडर और नाई फीडर जो है, वह जी.एस.एस. फीडर है, उस पर लोड ज्यादा है तो अम्बा माता फीडर को अगर जोड़ देंगे हमारे उसके अंदर बूझड़ा, कौड़ियात, दड़िचा और नयागुड़ा जुड़ जायेगा तो हमारा यह लोड कम होने से आम जनता को राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी को यह बताना चाहता हूं, यहां पर मंत्रीजी हैं या नहीं हैं, मगर मैं आपके माध्यम से यह मैसेज देना चाहता हूं कि मेरी बछार पंचायत और डोडावली पंचायत है, वह झाड़ोल से कनेक्शन आ रहा है और वहां पर तीन साल पहले ग्यारह किसानों को कनेक्शन दिया था। तीन साल तक उनसे बिजली का बिल लेते रहे मगर उनको लाइट कनेक्शन नहीं दिया। जब प्रशासन गांवों के संग जो अभियान था, तब मैंने चेतावनी दी कि आंदोलन करूंगा तो दूसरे ही दिन वहां पर उनके फीडर मतलब यह डी.पी. लगायी, जब जाकर उनको यह कनेक्शन मिला। इतनी लापरवाही अधिकारियों की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि उस झाड़ोल फीडर से हमारी यह दोनों पंचायतों का कनेक्शन नाई या अम्बामाता से जोड़ेंगे तो हमारी उन पंचायतों को राहत मिलेगी। एक डी.पी. जल जाती है तो डेढ़-डेढ़, दो-दो महीने तक कोई सुध नहीं लेता है। फिर कलेक्टर साहब और एस.ई. साहब को कहते हैं तो वहां पर कनेक्शन दिया जाता है। यह बहुत बड़ा अन्याय हमारे किसानों के साथ में हो रहा है। साथ में, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा। हमारे चालीस परसेंट कर्मचारी हैं, साठ परसेंट आज भी हमारे

(श्री फूल सिंह मीणा)

कर्मचारियों की कमी है इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से भर्ती करके हमारे को जोड़ें। साथ ही, यह जो ढीले तार लटके जा रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, हमने कई बार उन्दरी खुर्द के अन्दर ढीले तारों के बारे में शिकायत की। मगर फिर भी तार नहीं खींचने की बदौलत तीन दिन पहले एक नौजवान 21 वर्ष का बंशी पुत्र कड़वाजी की मृत्यु हो गयी। तार टूट कर नीचे गिर गया और हमारा एक जवान विकेश पुत्र लालूजी घायल हो गया। यह तो खुशकिस्मत है कि गवरी का आयोजन हो रहा था। हजारों की संख्या में वहां पर गवरी देखने वाले उसी जगह मौजूद थे। उनके निकलने के बाद में गिरा तो एक जवान लड़के की मौत हो गयी। मैं मांग करता हूं कि बंशी पुत्र कड़वा और घायल विकेश पिता लालू को उचित मुआवजा देकर उनके परिवार को राहत प्रदान करें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, उदयपुर के अन्दर 25 हजार 141 कनेक्शन वंचित हैं।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सौभाग्य योजना के माध्यम से ये खम्भे तो खड़े कर दिये, मगर आज भी वह गरीब किसान और हमारे आदिवासी परिवार लाइट का इन्तजार कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि जो खम्भे गाड़े हैं, उनको एक-एक, डेढ़-डेढ़ फुट नीचे गाड़ कर छोड़ दिया। आज वह धराशायी हो गये, इसलिए उचित कार्यवाही करके उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर ठेकेदार का पैसा काटा जाए और हमारे यहां आदिवासियों को कनेक्शन दिलवाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): सभापति महोदय, विद्युत विषय पर हो रही चर्चा में आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार। बिजली वर्तमान समय की मूलभूत आवश्यकता बन गयी है। इसकी उपलब्धता के बिना जीवन असहज व कठिन हो जाता है। वर्तमान में संभागीय व जिला मुख्यालय में अघोषित कटौती है तो फिर हम सब कल्पना कर सकते हैं कि गांवों की क्या स्थिति होगी। गांव में किसान खेत में काम करने या मजदूरी करने जाते हैं। जैसे ही शाम को घर पर आते हैं, खाना बनाने का समय आता और लाइट चली जाती है। हम वहां के जन प्रतिनिधि हैं

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

इसलिए हमारे पास फोन आते हैं। आपके कर्मचारी सभी फोन स्विच आफ कर लेते हैं।

बिजली की दरें न बढ़ाने का वादा करके सत्ता में आयी सरकार ने पिछले दरवाजे से जनता पर भार बढ़ा दिया। इस वायदाखिलाफी का जवाब तो जनता मौका आने पर देगी। जब मतदान का समय आयेगा, तब जवाब देगी। प्रदेश में विद्युतीकरण संकट में है। बिजली की उपलब्धता पूरी नहीं है। निगमों पर बढ़ता कर्जा, बिजली की छीजत और चोरी बड़ी चुनौती है। सरकार की कतिपय गलत नीतियां कोढ़ में खाज का काम रही हैं।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन, विद्युत संकट के समाधान का सार्थक उपाय हो सकता है। राज्य सरकार को इसमें प्रोत्साहन देना चाहिए लेकिन स्थिति क्या है? कोई व्यक्ति अपने निजी मकान पर अपनी पूंजी से सोलर सिस्टम लगाता है। धूप प्रदान कर भगवान सूर्यनारायण सभी के ऊपर कृपा करते हैं। उससे जो बिजली उत्पादित हो रही है परन्तु उस पर भी सरकार ने प्रति यूनिट 60 पैसा टैक्स लगा दिया है। एक ओर सरकार सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन के लिए सोलर नीति बनाती है। दूसरी ओर छत पर प्राप्त ईश्वर व प्रकृति प्रदत्त धूप पर भी टैक्स लगा रही है। यह निर्णय आत्मघाती और दुर्भाग्यपूर्ण है। सोलर से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राहत क्यों नहीं देना चाहती? यह सोचने लायक विषय है। पहले दर 3 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट देते थे परन्तु अभी सरकार ने यह दर 2 रुपये प्रति यूनिट कर दी है। अब 15 सितम्बर, 2021 से यह दर लागू करके पुरानी रिकवरी करने की तैयारी की जा रही है जबकि बाजार से 14 रुपये, 15 रुपये में बिजली खरीदती है और सौर ऊर्जा वाली लाइट को 2 रुपये में खरीदा जा रहा है। यह सरकार की कार्यशैली है।

सभापति महोदय, सरकार ने 16 हजार सोलर उपभोक्ताओं पर कुठाराघात किया है। दिसम्बर, 2019 में राज्य सरकार ने नई सोलर नीति में 7 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लेने का वादा किया था। सरकार खुद अपनी नीति से विमुख हो गयी है। प्रति यूनिट 60 पैसे वसूली से राज्य सरकार ने करीब 100 करोड़ वसूली की तैयारी कर रखी है। 10 जुलाई, 2019 को वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया था। सोलर रेट विक्टिम उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अपने भूखण्ड पर अपनी पूंजी

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

से सोलर लगाकर बिजली संकट के समाधान में सहयोगी उपभोक्ता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 10 जुलाई, 2019 को जारी वित्त विभाग का आदेश सरकारी गफलत है या सोलर उपभोक्ताओं के साथ धोखा है, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। विद्युत विभाग घाटे और कर्ज में है। इस कर्जे से निकालने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में आदेश जारी किये थे कि बिजली के पोल पर दूरसंचार व इंटरनेट केबिल डालने के आदेश किये थे। उसके अनुसार प्रति पोल एकमुश्त दो हजार रुपये अमानत राशि व दो हजार रुपये प्रति पोल, प्रतिवर्ष किराया निर्धारित किया था। उसमें 10 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी करनी थी। इनके अनुसार प्रदेश में चार करोड़ बिजली के खम्भे हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): एक मिनट। 6 वर्षों की अवधि का वार्षिक किराया व अमानत राशि अभी तक जमा नहीं करायी है। छोटे घरेलू उपभोक्ता पर तो कार्यवाही की जाती है, लेकिन सरकार ने क्या किया? जनवरी, 2022 में आदेश जारी कर 01 अप्रैल, 2022 से अमानत राशि व किराये में 72 प्रतिशत की कमी करके निजी दूरसंचार कम्पनियों पर दया दिखाई है। वार्षिक वृद्धि भी 10 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है। घरेलू सोलर उपभोक्ताओं पर सरकार भार बढ़ा रही है। निजी दूरसंचार कम्पनियों को सीमा से बाहर जाकर लाभ पहुंचा रही है। इससे सरकार व अधिकारियों की मंशा पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है। मेरा निवेदन है कि सरकार बिजली उपभोक्ता पर आर्थिक भार नहीं बढ़ाये।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): आपके अधिकारी और कर्मचारी गांवों में एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन-चुन कर वी.सी.आर. बना रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज, सहयोग करें।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गरीब परिवारों और उपभोक्ताओं के बिजली के बिल 60 से 70 हजार रुपये तक आ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं

(श्री गोपी चन्द मीणा)

निवेदन करना चाहता हूं कि उपभोक्ता द्वारा लगातार बिल भरने के बावजूद भी रीडिंग ज्यादा नहीं होने के बाद भी 60-70 हजार रुपये के बिल भेजे जा रहे हैं। संशोधन कराने जाते हैं तो वहां कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में जहाजपुर और उपखण्ड कोटड़ी में एक्स.ईएन. आफिस खोलने की मैं मांग करता हूं। उपभोक्ता की वी.सी.आर. भर दी जाती है, उसको एक्स.ईएन. के पास भीलवाड़ा जाना पड़ता है, शाहपुरा जाना पड़ता है। सौ किलोमीटर दूर किसान जाता है। उसका पूरा दिन खराब होता है, आने जाने का किराया लगता है। अत: मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि जहाजपुर और कोटड़ी उपखण्ड पर एक्स.ईएन. आफिस खोला जाए ताकि गरीब उपभोक्ताओं और किसानों के ऊपर भार नहीं पड़े।

सभापति महोदय, साथ ही मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर में किसानों के जो कृषि कनेक्शन अभी पेंडिंग हैं वह सारे कनेक्शन जारी किए जाएं। एससी केटेगरी की तर्ज पर एसटी के लोगों को भी कृषि कनेक्शन जारी किए जाएं। एनडीएस टैरिफ, फार्म हाउस की टैरिफ, दो साल होने के बाद भी उसकी टैरिफ नहीं बदली जाती है जबकि उसे दो साल की अवधि के बाद कृषि श्रेणी में किया जाना चाहिए। टैरिफ चेंज नहीं होने से उपभोक्ता से एनडीएस की पूरी राशि वसूली जाती है।

सभापति महोदय, वी.सी.आर. के नाम पर जान बूझकर द्वेषतापूर्ण गरीब परिवार पर जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उसकी एक लाख और डेढ़ लाख की वी.सी.आर. भर दी जाती है। उसकी खातेदारी जमीन दो बीघा, ढाई बीघा, तीन बीघा जमीन है। उसका कृषि और पशुपालन का मूल व्यवसाय है। वह डेढ़ दो लाख रुपये कहां से लायेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि ऐसी द्वेषतापूर्ण वी.सी.आर. नहीं भरें और सबके साथ समानपूर्ण कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर कस्बा बड़ा कस्बा है। वहां पर बिजली के तार लटके हुए हैं। जगह-जगह पोल खड़े हुए हैं। जगह की कमी है। जहाजपुर और कोटड़ी कस्बे में बिजली की लाइन को अंडरग्राउण्ड किया जाए ताकि आये दिन दुर्घटना नहीं हो। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर और कोटड़ी बड़े कस्बे

(श्री गोपी चन्द मीणा)

हैं। आप वहां पर अंडरग्राउण्ड लाइन डलवायें ताकि दुर्घटनाएं नहीं हों। ग्राम पंचायत, नगर निकाय, विधायक कोष, एमपी कोष से भी अगर आप जन सहयोग के रूप में कुछ हिस्सा लेना चाहें तो लें। मैं विधायक कोष से 10 परसेंट देने की घोषणा करता हूं, यदि आप अंडरग्राउण्ड केबल डालते हैं तो।

मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली हादसों में डैथ हो जाती है तो कई बार उपभोक्ता को राशि प्राप्त नहीं होती है। अत: मेरा निवेदन है कि उसकी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। एक माह में या दो माह में उसको मुआवजा राशि के रूप में दी जानी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि छह-छह महीने, दो-दो साल तक अधिकारी उसको चक्कर कटाते रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि एक समय सीमा तय करे ताकि उस गरीब को मुआवजा राशि मिल जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर में एक टैक्निकल हैल्पर है, लाइनमैन है, जे.ईएन. है, यह काम नहीं करते हैं। लाइन फाल्ट हो जाती है तो प्राइवेट आदमी या प्राइवेट एजेंसी से काम करवाते हैं, जो किसानों और उपभोक्ताओं से राशि वसूलते हैं। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि जो अधिक राशि वसूलते हैं उनके खिलाफ लगाम लगानी चाहिये ताकि उपभोक्ताओं पर व्यर्थ का भार नहीं पड़े। जहाजपुर में टैक्निकल लाइन के पद रिक्त पड़े हैं, जे.ईएन. के रिक्त पद हैं, उन्हें भरे जायें। इसके साथ ही जो अवैध वसूली की जा रही है, उसको रोका जाये।

माननीय सभापति महोदय, बिजली के डिमांड नोटिस जारी होने के बाद डिमांड राशि जमा कर ली जाती है, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण अगर किसान के खातेदार पड़ोस में विवाद हो जाता है और डिमांड राशि जमा होने के बाद भी विभाग मदद नहीं करता और उस किसान को चक्कर कटवाते रहते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग ने पैसा जमा किया है तो विभाग पुलिस का जाप्ता, प्रशासन का जाप्ता लेकर उस किसान के यहां कनेक्शन करना चाहिये। विभाग कहता है कि आप खातेदार से मिलकर आपस में समझौता कर लो।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री हरेन्द्र निनामा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): इस कारण एक-डेढ़ लाख जमा करने के बाद भी कनेक्शन नहीं होता है। पंडित दीनदयाल योजना में जो बचे हुए हैं उनको कनेक्शन करें। आपने बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आपने अभी बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का जो समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में आता है और बांसवाड़ा के आप प्रभारी हैं। जहां पानी है, वहां पर बिजली की कमी नहीं होनी चाहिये। माननीय मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध माही परियोजना है। उसके ऊपर बिजली उत्पादन के चार प्लांट चलते हैं। लीलवाणी में एक प्लांट चलता है, दो प्लांट जीरो पाइंट वन पर चलते हैं, जिसको हम पांच नम्बर कहते हैं, तीसरा RMC पर जीरो हैडक्वार्टर पर प्लांट चलता है और चौथा उदयपुर हाईवे के पास में लीलवाणी करके एक स्थान है पीपली वाला गांव, इन प्लांटों को जब कैनालें चलती हैं, मंत्री महोदय तब ही बिजली का उत्पादन किया जाता है तो मेरा निवेदन और सुझाव है कि ऐसा कोई सिस्टम लागू करें इन प्लांटों में कि वहां पानी वेस्ट भी नहीं जाये और कैनालें बंद होती हैं तब उस समय भी बिजली का उत्पादन होगा तो बांसवाड़ा जिले में जो गांवों में कटौती होती है, शहरों में कटौती होती है, वह नहीं होगी। शहर और गांवों के बीच में जो भेद दिखता है, वह सब मिट सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे एक आग्रह और है। दिनांक 05 जुलाई, 2022 को एक आपदा आयी थी। मेरा विधान सभा क्षेत्र दो जिलों में विभक्त है। प्रतापगढ़ की 30 पंचायतें आती हैं और बांसवाड़ा जिले की 68 पंचायतें आती हैं। प्रतापगढ़ की घंटाली-डूंगलावाड़ी एक गांव है, वहां पर एक आपदा आने से जुलाई में सारी की सारी लाइनें गिर गयीं, पेड़-पौधे गिर गये, मकान गिर गये और किसानों की जो मोटरें लगी हुई थीं, वह उस तूफान में उड़ गयीं। तूफान में पता नहीं लाइनें कहां गयीं, पता नहीं और करोड़ों रुपयों का वहां तीन-चार पंचायतों में नुकसान हुआ। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने वहां पर पटवारी, गिरदावरी की सारी रिपोर्ट करके सरकार के पास भिजवायी है और वहां पर उन लोगों को मुआवजा दिया जाये।

माननीय मंत्रीजी, कल की एक घटना और है। 21.09.2022 को कल 5.00 बजे जब जुलाई के अंदर लाइन टूटी हुई खेतों में पड़ी थी, उस लाइन को कल लाइनमैन ने अचानक चालू कर दिया तो वहां पर खेत में धूली पत्नी बेमा निनामा की मृत्यु मौके पर ही हो गयी। जुलाई के अंदर लाइन के तार नीचे गिरे हुए थे तो विभाग के अधिकारियों ने क्यों सुध नहीं ली और लाइन को

(श्री हरेन्द्र निनामा)

खड़ा क्यों नहीं किया गया? वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गयी। इसलिए मंत्री महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि जो मृतक धूली पत्नी बेमा निनामा है, उसको विभाग की लापरवाही से करंट लगने से मौत हुई है, तो उन्हें 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग करता हूं ताकि उसका परिवार ठीक ढंग से चल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे वहां पर स्टॉफ की कमी है, लाइनमैन की कमी है, जे.ईएन., ए.ईएन. की कमी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दो सहायक अभियन्ता कार्यालय पीपलखूंट और घाटोल हैं, जबकि पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक लाख घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन आज की तारीख में हैं और इन उपभोक्ताओं को देखने के लिए 20 हजार पर सिर्फ 70 कार्मिक ही विभाग ने तय कर रखे हैं। आज की तारीख में पूरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 70 कार्मिक ही काम कर रहे हैं, जबकि 300 कार्मिकों की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे एक अन्य साथी माननीय सदस्य ने भी आपको याद दिलाया और मैं भी याद दिला रहा हूं कि टीएस.पी. एरिये में जो अभी कम्प्यूटर आपरेटरों की भर्ती निकली थी, उसमें पूरे उदयपुर संभाग के अंदर, पूरे आदिवासी इलाके के अंदर जिस तरह की भर्ती करनी थी, उसमें कटौती की गयी। उसकी तत्काल पुन: वापस भर्ती करें ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले। मेरा इसमें सुझाव है कि हमारे आदिवासी परिवार के लड़कों ने इसमें आई.टी.आई. कर रखी है, उन बेरोजगार लड़कों को इस विभाग के अंदर लगाकर काम कराया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि डूंगलावाड़ी के अंदर लम्बे समय से मैं मांग कर रहा हूं, मैंने तो पैरवी की है। वहां पर जी.एस.एस. लगाने की मांग विभाग की भी है, जनता की भी है और मेरी भी है तो तत्काल डूंगलावाड़ी, जो प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर आता है, वहां पर जी.एस.एस. की स्थापना की जाये, ऐसा मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री बलबीर सिंह लूथरा।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाकर 7.30 बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

श्री बलबीर सिंह लूथरा।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आयी थी तो उन्होंने जनता से वादा किया था कि हमारे सत्ता में आते ही आपसे वादा करते हैं कि पांच सालों तक एक बार भी बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करेंगे। उसके विपरीत सरकार ने बिजली की दरों में कई बार वृद्धि करके आम आदमी पर एक अतिरिक्त भार डाला, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। चाहे वह फ्यूल चार्जेज के नाम से हो, चाहे सिक्योरिटी चार्जेज के नाम से या और किसी नाम से बिजली की दरों में वृद्धि की गयी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सामान्य कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखे हैं, वह कृषि कनेक्शन 2015 से लम्बित पड़े हैं और जो कनेक्शन की डिमांड राशि किसानों द्वारा भरी गयी है लगभग दो सालों से, वह कनेक्शन लम्बित पड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जिन-जिन किसानों ने पिछले दो वर्षों से दो-दो, ढाई-ढाई लाख रुपये डिमांड राशि के रूप में जमा कराये हुए हैं, उन किसानों के तुरंत बिजली के कनेक्शन दिये जायें और हमारा जो पूरा विधान सभा क्षेत्र है, हमारा पूरा जिला ही इर्रिगेटेड जिला है और प्राय: सभी किसानों के यहां ट्यूबवैल लगे

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

हुए हैं। सरकार ने 6 घंटे की पावर लाइट देने की घोषणा कर रखी है, मगर हमारे क्षेत्र में मात्र 5 घंटे पावर लाइट की सप्लाई होती है और उसमें भी बीच-बीच में कट लग जाते हैं। कट लगने की वजह से किसान जब ट्यूबवैल चलाते हैं तो पानी लगभग खालों में रह जाता है, वह पानी खेत तक पहुंचता ही नहीं है। इससे पानी की भी बरबादी होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जब विभाग के पास सामान ही नहीं है तो डिमांड राशि जमा क्यों करवायी गयी? किसानों को आधा-अधूरा सामान दे दिया जाता है। कभी खम्भे दे दिये, कभी तार दे दिये तो ट्रांसफार्मर नहीं दिये जाते, कनेक्शन नहीं दिया जाता और वह किसान बिजली विभाग के ही चक्कर लगाता रहता है।

(समय: 19:00 बजे)

मैं मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो अघोषित कट आपका विभाग लगा रहा है, वो अघोषित कट आप नहीं लगायें। मीटरों की भारी कमी है। नये कनेक्शन के लिए न मीटर मिल रहे हैं, पुराने मीटर खराब हो चुके हैं, उनको भी नये मीटर नहीं मिल रहे हैं, इससे उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन जीएसएस हैं। अभी जो नये लगे हैं उनमें काम पूरा हो चुका है, मगर वो चालू नहीं किये गये हैं। खोखरावार जीएसएस, खोखरावाली, जीएसएस करड़वाली, कंवरपुरा जीएसएस अभी ट्रायल पर चल रहा है, उसे भी विधिवत रूप से चालू नहीं किया गया है, इससे मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र के उपभोक्ता परेशान हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक कोटे से जो एक कंडीशन लगा रखी है कि कम से कम पांच ढाणियों का समूह हो, इस पांच ढाणियों के समूह को कम किया जाये और कम से कम दो या तीन ढाणियों के समूह को किया जाये, ताकि विधायक कोटे से वहां पर विद्युत का कनेक्शन दिया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो तकनीकी सहायक हैं उनको अपने-अपने क्षेत्र में लगाया जाये, ताकि वे अपने कार्य में ज्यादा आउटपुट दे सकें। वे अपने गृह क्षेत्र से 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर कार्य कर रहे हैं वे उतनी परफोर्मेंस नहीं दे पाते, जितनी वे अपने गृह क्षेत्र में दे सकते हैं।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 650 गांव और 200 ढाणियों के समूह हैं। करीब 850 गांव और ढाणियों के समूह हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में जो अघोषित कट लगा रहे हैं, बिना घोषणा के बिजली सप्लाई नहीं कर रहे हैं और जिससे गांव के भोले-भाले लोग परेशान होते हैं और उनकी अप्रोच नहीं होती है अधिकारियों तक, तो वे परेशान होते हैं, इसलिए गांवों में बिजली के कट नहीं लगाये जायें। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह (अनुपस्थित)। श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं विद्युत व्यवस्था पर, आज के समय इस विद्युत पर कम से कम 50-60 विधायकों ने चर्चा की है, इसका मतलब बहुत गम्भीर विषय है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्रीजी, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, वाकई में बहुत सज्जन हैं, कम बोलते हैं, अगली बार आपको अवार्ड मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, गुजरात से चलकर यहां आ गये और वहां पीछे की सीटों पर बैठकर मीटिंग करके मंत्रिमंडल बना रहे हैं। आप देखिये माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: उन्होंने पर्ची भिजवायी है कि आप भी वहां पर पहुंचो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप इनको मना करो, आप देखो। सारा मंत्रिमंडल बांट रहे हैं। गुजरात से चलकर यहां आये हैं और पहले दिन ही यहां अव्यवस्था कर डाली इन्होंने। अपनी सीट पर बैठने को इनको कहो।

श्री सभापति: उस सभा में सिर्फ आपकी ही कमी है। (व्यवधान)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में 132 केवी जीएसएस तुरंत प्रभाव से 2017-18 में स्वीकृत हुआ था, उसकी बाउंड्री वाल बनने के अतिरिक्त कोई काम नहीं हुआ। उसको चालू किया जाये। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में घींघला फीडर, घिरपुरा फीडर, सिमारी, बोराई फीडर, करोड़ी फीडर, ढींगरी, बड़गाम फीडर, बरोड़ा फीडर, दगार फीडर, उत्तरदा फीडर, फोदरा फीडर, सराड़ा फीडर और जावद फीडर, परसाद फीडर की जितनी लाइन लम्बी है, इसकी वजह से आये दिन

(श्री अमृतलाल मीणा)

लाइट बन्द रहती है। नये फीडर की जरूरत है, लालपुरा सेमारी, बड़ावली, सेलिया, बसी, 33 केवी के जीएसएस बनाये जायें। मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय, जो एजेंसी ट्रांसफार्मर रिपेयर कर रही है, वे ट्रांसफार्मर पुनः कुछ ही दिनों में खराब हो जाते हैं। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इनसे जो जानमाल की हानि होती है, उनको एक महीने में मुआवजा देना चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है कि सलूम्बर नगरपालिका क्षेत्र में बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड किया जाये। सराड़ा में अधिशासी अभियंता का कार्यालय खोला जाये। सेमारी में सहायक अभियंता का कार्यालय खोला जाये। मेरा आपसे निवेदन है कि जो वी.सी.आर., लोड शैडिंग, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उनको 72 घण्टे में देना, वे दो-दो महीनों में मिलते हैं, पोल नहीं हैं, बिजली के तार भी नहीं हैं।

इंटर डिस्काम ट्रांसफर की काफी समय से चर्चा चल रही है, जो कर्मचारी कोई जोधपुर में है कोई यहां है उनको इंटर डिस्काम के माध्यम से आपको कोई नीति लाकर फैसला करके ट्रांसफर करना चाहिए। मेरा सराड़ा उप खण्ड है, उसका एक्स.ईएन. आफिस खेरवाड़ा में है, जो 70 किलोमीटर दूर है, उसको या तो सराड़ा खोला जाये या सलूम्बर किया जाये, यह मेरा निवेदन है। इसके अलावा स्थायी शुल्क, फ्यूल चार्ज, विद्युत शुल्क और नगरीय शुल्क, विद्युत उपभोक्ता कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, उनके बिलों में नगरीय कर लगा हुआ होता है। विभाग की जो टर्नकी टेंडर प्रक्रिया है, वार्षिक दरों से कई गुना, 40 से 60 प्रतिशत अधिक दरों पर देकर सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, जो पूर्ण रूप से गलत है।

मेरा यह भी निवेदन है कि वर्तमान में आपके द्वारा उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इनमें किसानों के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु 133.36 करोड़ रुपये का टेंडर निकाला, जिसको छह बार आपने निरस्त करवाया है। विभाग ने छह बार निरस्त किया टेंडर, बार-बार शर्तें बदली जा रही हैं, जिसकी वजह से 615 करोड़ 63 लाख रुपये का भार बढ़ा है। मेरा 2022 में कृषि कनेक्शन जारी करने की, टर्नकी प्रोजेक्ट के तहत 2,500 कनेक्शन नये कराये पाये गये, लेकिन बिजली विभाग द्वारा 6 हजार कनेक्शनों का टेंडर निकालने की कार्यवाही की है, जिसमें विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से हेरफेर हुई है। मैं यही कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजना डी.डी.यू.जी.जे.वाई. और अन्य योजनाओं में राजस्थान सरकार को आबंटित राशि को योजनाबद्ध तरीके से जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्काम द्वारा मनमाने तरीके से करने में भ्रष्टाचार जो पनप रहा है, उसकी जांच करने की जरूरत है।

(श्री अमृतलाल मीणा)

मेरा यह भी कहना है कि माननीय माननीय मंत्री महोदय, एक कोई एके गुप्ताजी हैं, एके गुप्ता बहुत डाउन आदमी हैं, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान में बिजली डूब रही है, एके गुप्ता 2018 में आपको परिवाद के तहत 155/14 में विरुद्ध तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्काम में इनके ऊपर केस लगा हुआ है, भ्रष्टाचार के केस इनके खिलाफ पड़े हुए हैं। दूसरा केस 98/2020 में विरुद्ध तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्काम में वो पदाधिकारी थे और 99 में।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मेरा आपसे निवेदन है इसकी जांच की जाये और आज की तारीख में मुख्य मंत्रीजी के बिजली के सलाहकार हैं, यही कहना है, धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिजली, जो आम आदमी की आवश्यकता बन गयी है, उस पर चर्चा हो रही है। आज एक साल से बिजली की पूरे राजस्थान में त्राहिमाम-त्राहिमाम मची हुई है। सरकार का बिलकुल ही इसकी ओर ध्यान नहीं था। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब लोग यह कहते थे कि बिजली कब जायेगी और आज आम आदमी की यह धारणा बन गयी है कि बिजली कब आयेगी तो यह पूरे सदन को चिंता करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है, हमारे मुख्य सचेतक महोदय विराजे हैं। राजस्थान का इतना गम्भीर मुद्दा है और सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के समय में रात को तीन बजे तक चर्चा हुई थी, पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा नहीं कराना चाहती है। बिजली विभाग के मंत्री महोदय विराजे हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो पंचवर्षीय पूंजीगत व्यय है उस पर आप नजर डालें तो फीडर सुधार कार्यक्रम में 2020-21 और 2021-22 में इस सरकार ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। मुझे लगता है कि राजस्थान में सारे फीडर ठीक हैं, आज बिजली नहीं आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि झाड़ी कटिंग नहीं हुई, बार-बार ट्रिपिंग और फाल्ट आते हैं। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना पर अगर

(श्री नारायण सिंह देवल)

हम नजर डालें तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017-18 में थी, तब 622 करोड़ रुपये खर्च किये थे। अगर इस सरकार के 2021-22 पर नजर डालें तो 622 करोड़ रुपये की जगह मात्र 55 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में सारे लोगों के घर कनेक्शंस हो चुके हैं, इसी कारण से आप कम खर्चा कर रहे हैं। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सौभाग्य योजना में जब 2019-20 में 918 करोड़ खर्च किये, 2020-21 में 195 करोड़ खर्च किये, तब आपने 2021-22 में मात्र 18 करोड़ ही खर्च क्यों किये? सब-स्टेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पर जब से यह कांग्रेस की सरकार आयी है, 2019, 2020 और 2021 में एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। मुझे लगता है कि सारे सब-स्टेशंस खर्च हो रहे हैं। आज सदन में पक्ष और विपक्ष चर्चा कर रहे हैं। पक्ष थोड़ा हकीकत कहने में डर रहा है और फिर लास्ट में कहता है कि बिजली नहीं आ रही है।

सभापति महोदय, आज राजस्थान में चार घण्टे किसानों को बिजली मिल रही है और चार घण्टे में भी जो बिजली मिल रही है, उसमें बार-बार ट्रिपिंग आ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में 6 से 7 घण्टे अघोषित कटौती हो रही है। शहरों में तीन से चार घण्टे अघोषित कटौती हो रही है। जब शाम को 6 से 10 बजे खाने का काम होता है, तब एलडी मैसेज के माध्यम से पूरे राजस्थान में बिजली कट रही है। ट्रांसफार्मर जल जाये तो 20 से 25 दिन लग जाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, पिछली सरकार के समय हमारे दांतेवाड़ा में 2017 की अतिवृष्टि में एक पूरा सब-स्टेशन बह गया। हमने उसे एक महीने में खड़ा कर दिया, परन्तु आज किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर एक-एक महीने में चेंज नहीं हो रहे हैं।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जालौर जिले की भी जिला परिषद् की मीटिंग हुई, हमारे मंत्री जी भी थे सुखराम जी। मैंने पूछा 63 के ट्रांसफार्मर्स कितने टाइम से जले हुए हैं तो पता चला कि एक महीने से जले हुए हैं। 40 के ट्रांसफार्मर्स 22 दिन से जले हुए हैं और 25 के ट्रांसफार्मर्स 12 दिन से जले हुए हैं। यह स्थिति आज सरकार की हो गयी। बून्द-बून्द के एक साल में कनेक्शन हो नहीं रहे हैं। जनरल कैटेगरी के कनेक्शनों के लिए डिमांड भरे लोगों को साल-साल भर हो गया, एक भी कनेक्शन नहीं हो रहा है।

डिविजन आफिस में न तो पोल है, न तार है, न इंसुलेटर है और न

(श्री नारायण सिंह देवल)

केबल है। 6 सितम्बर, 2022 को भास्कर, जयपुर के मेन पृष्ठ पर यह छपा था कि राजस्थान में 2,750 ढाणियां ऐसी हैं, जो बीस दिन से अन्धेरे में हैं। हर जिले में ब्लैकआउट चल रहा है। मंत्री जी जब जवाब दें तो कृपा करके बता दें कि किसानों के लिए बिजली दिन में देने की जो उन्होंने बात कही थी, वह आप कब देंगे? सिक्योरिटी डिपोजिट के नाम से आज 500 से लेकर 20 हजार तक के नोटिस आ रहे हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): सभापति महोदय, राजस्थान में गांव-ढाणी से लगाकर बिजली की महती आवश्यकता है। आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वास्तव में इस बार लाइट में जितनी दुविधा आयी है, इतनी कभी नहीं देखी। किसानों द्वारा बून्द-बून्द में डिमांड भरने के बावजूद भी पिछले सीजन के कनेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं। खम्भे दे दिये तो तार नहीं हैं। तार दे दिये तो ट्रांसफार्मर नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, बाड़मेर में जले हुए ट्रांसफार्मर्स की तो यह स्थिति है, दो-दो माह तक घर वाले ट्रांसफार्मर्स और एग्रीकल्चर के ट्रांसफार्मर्स नहीं मिलते। पांच दिन में अगर ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा तो फसल जलकर नष्ट हो जायेगी। उन किसानों की हालत बुरी हो गयी है। ट्रांसफार्मर्स बदलने का जो समय है, वह 72 घण्टे का है, उसमें चाहे 2 दिन लग जाएं, परन्तु इसमें थोड़ा सुधार करने की कोशिश करें। यह अति आवश्यक है। एलडी मैसेज, इस पर जो चार महीने की स्थिति थी, कोई अधिकारी आपका टेलीफोन उठाने के लिए तैयार नहीं। चाहे जयपुर बात करें, चाहे एसई से करें, चाहे डिविजन से करें। यह स्थिति बनी हुई है। वे खुद खुलकर कह रहे हैं कि हमारे पास मैटेरियल नहीं है, तार नहीं है, सामान नहीं है तो हम कनेक्शन करेंगे कैसे।

ट्रांसफार्मर्स जले हुए आ नहीं रहे। और कौनसी कम्पनी को ठीक करने का ठेका दे रखा है आपने? ईमानदारी की बात है कि ट्रांसफार्मर्स ले जाकर किसान अपने खेत में लगाते हैं और टेस्ट करने पर पता चलता है कि जला हुआ है। यह स्थिति है। इसे सुधारने की आप पूरी कोशिश करें। अभी जो टेंडर आपने ठीक करने के लिए दिया, अपने पास में स्टाफ नहीं है। जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार ए.ईएन. आफिसेज हैं, उनमें से तीन खाली पड़े हैं।

(श्री हमीर सिंह भायल)

जे.ईएन. सारे खाली पड़े हैं। बहुत नाम मात्र के लगे हुए हैं। अब कम्प्लेंट कंज्यूमर की जो आती है, लाइन फाल्ट हो जाती है तो टेलीफोन एफआरटी नम्बर पर देते हैं। वह टेलीफोन नहीं उठाता। जीएसएस में जो कम्पनी हरियाणा की है, उसने पूरे राजस्थान का या जोधपुर सब-डिविजन का ठेका ले रखा है। उसका कोई पता नहीं। उन कर्मचारियों को छह-छह महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है चार हजार पेमेंट होने के बाद में भी।

यह स्थिति हो रही है कि कोई सम्भालने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि विभाग में कोई धणी-धोरी नहीं है। यह स्थिति किसान और गांव वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं आपसे कहूंगा, सीजन आ रहा है। पिछले साल के बून्द-बून्द कनेक्शन भी अगर समय पर नहीं मिले तो किसान बरबाद हो जाएंगे। एक ट्यूबवैल करवाने में दस लाख खर्चा आता है, डिमांड भरता है और उसके बाद में कनेक्शन नहीं होता है तो उसके परिवार के लिए तो इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। घरेलू कनेक्शन में भी यह स्थिति बनी। भारत सरकार द्वारा आये हुए 1,200 करोड़ रुपये हम समय पर टेंडर नहीं कर पाये।

मैंने सीएमडी महोदय से भी दो बार निवेदन किया था। उन्होंने कहा, हमने दिल्ली लैटर भी लिखा है, पर समय पर टेंडर नहीं होने के कारण बाड़मेर में कई ढाणियां घरेलू कनेक्शंस से आज भी वंचित पड़ी हैं। अगर बजट आये तो उन्हें भी शीघ्र कराने की कोशिश करें।

आज जो मेरा प्रश्न लगा हुआ था, उसमें आवेदन और वर्षवार जो कनेक्शन वाली थी, उसमें भी इस ढंग से जवाब दिया गया, जैसे सिवाना में लम्बित आवेदन 65 हैं, जारी कनेक्शंस 20 हैं, मांग पत्र जमा करवाये 45, 25 आदमियों के कनेक्शंस कहां गये? समदड़ी में आवेदन 100 हैं, कनेक्शन जारी 75 हैं, निरस्त हो गये हैं 11, मांग पत्र जमा कराये हैं 14, तो 11 आवेदन निरस्त किये, 61 कनेक्शंस कहां हैं? अधिकारी इस तरह से जो प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, वह भी सही ढंग से नहीं दे रहे हैं। आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। आगे किसानों के लिए सीजन आ रहा है। आप लाइट के लिए पूरा प्रबन्ध करें, क्योंकि अभी बरसात के समय में थोड़े दिन चल गया। अब अगर फसल बोई हुई है और दो दिन भी अगर लाइट नहीं मिली तो उनकी फसल जलकर नष्ट हो जायेगी। सीजन ऊपर है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मंत्री जी का वक्तव्य पूरा होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय मंत्री जी का वक्तव्य पूरा होने तक बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय मंत्री का वक्तव्य पूरा होने तक बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, पंद्रहवीं विधान सभा का यह दिन इसलिये याद किया जायेगा कि इस सत्र का यह पहला दिन है, जब एक जन समस्या से रूबरू होकर लगभग तीन दर्जन माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां व्यक्त किये। यह सही है कि बिजली एक ऐसी व्यवस्था है, जो आम अवाम से जुड़ी है। आज मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को सुन रहा था। तर्क चाहें कुछ भी दें, अन्त में एक स्वर निकला कि राजस्थान में बिजली और बिजली विभाग की व्यवस्था ठीक नहीं है।

मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले, मंत्री महोदय, मुझे आपसे एक शिकायत है। सभापति महोदय, मैं आपकी इस अदालत में, इस विधान सभा में कई बार साक्षी रहा हूं। बिजली और पानी की बहस में मैंने सदन को बैठे भी देखा है, विचार व्यक्त करते हुए भी देखा है और अफसर गैलेरी को भरी हुई भी देखा है। बिजली की समस्या पर चर्चा हो और आपके एमडी तक नहीं आएं, मैं समझता हूं माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये, उनकी वर्बेटिम पढ़कर उन पर आपको निश्चित तौर पर विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान महामहिम राज्यपाल के चौथे अभिभाषण के पैरा 160 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, और इस आशा के साथ करना चाहूंगा कि संसदीय परम्पराओं में, संसदीय लोकतंत्र

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई बात इन्द्राज होती है, दर्ज होती है तो वह सरकार की भीष्म प्रतिज्ञा की तरह एक कमिटमेंट है। उन तथ्यों के बारे में, वे इतने सैक्रोसेंक्ट होते हैं कि उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता। आपने पैरा 160 में यह कहलवाया कि राज्य की कुल विद्युत क्षमता 23 हजार 309 मेगावाट हो गयी और विद्युत की दृष्टि से राजस्थान सरप्लस हो गया। बधाई हो आपको। उसके बाद 2022-23 के बजट में पेज 73 में मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि किसान साथियों को रात में सिंचाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए मैंने 16 जिलों में दो बारी में दिन में बिजली उपलब्ध करायी है। शेष 17 जिलों में आगामी एक वर्ष में बिजली उपलब्ध कराऊंगा और आपने कृषि विद्युत वितरण कम्पनी बनाकर गुणवत्तापूर्वक सस्ती सुलभ बिजली उपलब्ध कराने का दावा भी उस बजट में किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह 23 हजार 309 मेगावाट है, सभापति महोदय, यहां चर्चा हुई, इस सदन में चर्चा हुई और कोयले के बहाने से यह कहा गया कि कोयला दिल्ली की सरकार नहीं दे रही, कोयले की कमी है।

मैं सदन के सम्मुख यह बात रखना चाहता हूं कि 23 हजार 309 मेगावाट में हमारे जो थर्मल पावर हाउस हैं, मंत्री महोदय, उनकी कुल क्षमता 8,597 मेगावाट। मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है कि पिछले 9 महीने के मैं आंकड़े लेकर आया हूं, 4,245 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट आपके तकनीकी कारण से, रख-रखाव के कारण से और कोयले की कमी से बन्द रहे। बन्द का अन्तराल भी, सभापति महोदय, मुझे समझ थोड़ी दी, पर मैं बताऊं तो आपको अचरज होगा कि उसमें हमारे कितने पैसे लगे। आज 125 मेगावाट की गिरल यूनिट बनी है। मैं समझता हूं कि 2017 से लगातार बन्द है। 330 मेगावाट की धौलपुर गैस तो तीन वर्षों से बन्द है। यह जो आपकी सूरतगढ़ थर्मल पावर की 1,500 यूनिट की है, उसमें एक से लेकर छह यूनिट, मंत्री महोदय, मुझे एक बात बता देना कि आपकी सारी यूनिट कब-कब चलीं। मैं आपसे इतनी ही बात कर रहा हूं कि यह बात सही है कि आपके डिस्पैच और आपकी एलडी के आंकड़े यह कह रहे हैं कि 1 अगस्त, 2021, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं सभापति महोदय, 14 महीने से लगातार पूरे राज्य के अन्दर जो बात माननीय सदस्यों ने कही, चार घंटे से लेकर आठ घंटे तक विद्युत की कटौती हुई। यह एलडी चार्ट जारी करता है, मैक्सिमम पीक ऑवर्स पर जो हमारा लोड रहा, यहां आफिसर्स गैलरी में बैठे अधिकारी लोगों को मालूम होगा, वह 06 सितम्बर,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2022 को 14 हजार 858 मेगावाट था। मेरा सवाल इतना सा है कि आपके पास 23 हजार 309 मेगावाट बिजली है और आपको पीक ऑवर्स में बिजली की जरूरत 14 हजार 858 मेगावाट। अगर मैं आपके 20 परसेंट टी एण्ड डी लोस और एग्जिलरी कंजम्पशन की बात निकाल दूं तो भी मंत्री महोदय, यह जो आंकड़ा बैठता है यह 18 हजार 627 मेगावाट बैठता है। मुझे आप कारण बताओ, अगर मैं यह भी मान लूं कि आपके थर्मल पावर हाउस आधे क्षमता से चले तो भी मुझे कारण बताओ कि आपने राजस्थान को अंधेरे में क्यों डुबो रखा है? सभापति महोदय, मैं बचपन में सुना करता था- 'अंधेर नगरी और चौपट राजा', मैं राजा के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि राजा का शासन जब बदलता नजर आता है तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य, पर नगरी अंधेरी रही। सीकर अंधेरे में डूबा रहा, मैं समझता हूं कि चूरू अंधेरे में डूबा रहा यह सारा दंश हमने झेला।

मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सूरतगढ़ थर्मल पावर की यूनिट नम्बर सात 660 मेगावाट, सूरतगढ़ यूनिट नम्बर एक 250 मेगावाट, कोटा की 210 मेगावाट, छबड़ा की यूनिट चार 250 मेगावाट, बरसिंगसर की 125 मेगावाट और अडानी पावर प्लांट 1,200 मेगावाट में 700 मेगावाट। मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी समाचार पत्रों में समाचार आया कि कालीसिन्ध में जो हमारी 1,200 मेगावाट की यूनिट है, मैं आगे बताऊंगा कि उसमें घटिया कोयला आया है और उसका उत्पादन घटकर 1,200 मेगावाट का 600 मेगावाट रह गया। आपके ऊर्जा विकास निगम के पी.एस. सक्सेना जी, भास्कर सावंत जी, इन सब लोगों ने अलग-अलग समय पर स्वीकार किया है, मंत्री महोदय, कि हां, राजस्थान के अन्दर विद्युत कटौती रही। मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को लेकर जब मैं बात करता हूं सभापति महोदय, ये जो टी एण्ड डी लोस और सबको मिलाकर जब मैं देखता हूं, मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि एनर्जी एक्सचेंज से राजस्थान से बाहर आपने 2019-20 में हर सरप्लस स्टेट हैं तो भी 12 हजार 470 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी। 2020-21 में 13 हजार 793 करोड़ की बिजली खरीदी। सभापति महोदय, यह भ्रष्टाचार का जो तांडव बिजली और कोयला खरीदने में है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। 4 रुपये 83 पैसे प्रति यूनिट से बिजली खरीदना आप चालू करते हो और 17 रुपये तक रुकते हो। यह तो इस बार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने कैप लगा दी कि 12 रुपये प्रति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यूनिट से ज्यादा में बिजली नहीं खरीदोगे, इसलिए आपकी थोड़ी रही। मैं समझता हूं कि यह जो आपका सारा प्रबन्धन है और बिजली की दरों में जब-जब अन्तर आया, मुझसे पहले एक वक्ता सही कह रहा था कि कोयले की दरों में अन्तर आया है, वैरियेबल कोस्ट में जाता है, बिजली खरीद के अन्दर आता है, वैरियेबल कोस्ट में आता है। यह वैरियेबल कोस्ट के नाम पर सारा पैसा राजस्थान के उपभोक्ताओं को देना पड़ता है।

मंत्री महोदय, मैं एक बात की ओर जरूर आपको कहूंगा। मुझे आपकी निष्ठा पर शक नहीं, पर अडानी जी, यह तो ट्रेडमार्क हमारा लगा रखा है, भारतीय जनता पार्टी और अडानी की बात करते हो, फिर अडानी जी पर इतनी मेहरबानी क्यों? अभी इंडोनेशिया से कोयला खरीदने की बात आयी। आपके पास दो फर्म थीं, एक फर्म को आपने टेक्निकल आधार पर आउट कर दिया और 1,042 करोड़ का सिंगल टेंडर, राजस्थान में अब तक सबसे महंगा कोयला 18 हजार मैट्रिक टन से खरीदा गया, आरटीपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ा दीं और 5 लाख 79 मैट्रिक टन कोयला आपने अडानी जी को आर्डर कर दिया। मैं समझता हूं कि यह जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में बना, वैरियेबल कॉस्ट जो मैंने कहा कि महंगा कोयला, मंत्री महोदय, एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2021 के जुलाई, अगस्त, सितम्बर के कंजम्पशन के आधार पर उपभोक्ताओं को 24 पैसे प्रति यूनिट और बढ़ा हुआ फ्यूल चार्ज का पैसा देना पड़ेगा और इसका बिल सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर में आयेगा। अभी मुझसे पहले कई लोगों ने एडिशनल सिक्योरिटी की बात की। मैं चुनौती से कहता हूं कि मंत्री महोदय, यह पाप खा जायेगा जब सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर के बिल आयेंगे। आप बता दें कि औसत तौर पर भारतीय जनता पार्टी में फ्यूल चार्ज जो था वह 16 पैसे प्रति यूनिट था और यह मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। आपका मैं औसत निकालता हूं तो 48 पैसे प्रति यूनिट आपने फ्यूल चार्ज अपने कार्यकाल में लिया है। मैं समझता हूं कि यह दोष किसका है? जिस तरह मैंने कहा कि आपने मुफ्त में 50 यूनिट बिजली देने का बड़ा वादा किया, 300 यूनिट तक आपने रियायत देने की बात कही। न रहा बांस न बजी बांसुरी, तार में करंट ही नहीं, बिजली नहीं तो बिजली का बिल आयेगा किसके पास और किसकी माफी करोगे? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के अन्दर घरेलू और इण्डस्ट्रियल पावर सबसे महंगी है। आप फ्यूल चार्ज के नाम पर ले रहे हो, एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर ले रहे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो, फिक्स चार्ज के नाम पर ले रहे हो। यह शहरी सैस 15 पैसे प्रति यूनिट है या नहीं? यह विद्युत शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 40 पैसे प्रति यूनिट है या नहीं? यह जल संरक्षण उप कर 10 पैसे प्रति यूनिट है या नहीं? फ्यूल चार्ज जो मैंने बताया, औसतन 42 पैसे है या नहीं और आपको टी एण्ड डी लोस 20 परसेंट से ज्यादा है या नहीं? इसलिए मैं निवेदन करूं, मंत्री महोदय, अभी आपने क्या किया कि तीनों डिस्काम विद्युत विनियामक आयोग के पास गये और उन्होंने कहा कि हमें जो अडानी जी का 7,438 करोड़ रुपये कोयले के डिफरेंस का देना है उसमें 1320 मेगावाट है। उसमें कोयला हमने इंडोनेशिया से मंगा लिया। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया, हां गया, लचर कार्यवाही के कारण, आपने रिव्यू पिटीशन नहीं डाली। यह मैं सदन में इसलिए कह रहा हूं कि 7 पैसे प्रति यूनिट आपके डिस्काम आपकी इजाजत से गये और राजस्थान के हर उपभोक्ता को 50 यूनिट का हो, चाहे कोई भी हो, 1 करोड़ 39 लाख उपभोक्ताओं को 60 महीने के लिए 7 पैसा जजिया कर अडानी का पैसा आपको चुकाना है। आप उपभोक्ता पर डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो तो आप मेरी बात का खण्डन कर देना।

36 महीने पहले आपने 5,200 करोड़ के लिए 5 पैसा प्रति यूनिट वसूला। मैं समझता हूं, ये अडानी जी से इतना प्रेम। अगर आपके अधिकारियों ने गलती की, हो सकता है हमारे टाइम में भी यह बात हुई हो तो आपने जांच क्यों नहीं की? आपने इसमें किसी को टांगा क्यों नहीं? जो-जो लोग एमओयू बनाने में गलती करें, उपभोक्ता का क्या कसूर, पैसा आप सरकारी खजाने से दें।

अभी मुझसे पहले माननीय सदस्य कह रहे थे। 2022-23 के बजट पैरा 135 में मुख्य मंत्री जी से कहलवाया, 22 फरवरी, 2022 तक के 9 वर्ष के लम्बित 3 लाख 38 हजार कृषि कनेक्शन हम जारी करेंगे, कट आफ डेट दे दी। यह कह दिया इसके लिए 6,700 करोड़ का प्रावधान करेंगे। मंत्री महोदय, 19 महीने हो गये हैं। आप मेरे प्रभारी मंत्री भी रहे हो और मैं आपकी बड़ी इज्जत भी करता हूं। जिन्होंने बून्द-बून्द से डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिया, अनुसूचित जाति के लोगों का डिमाण्ड नोटिस आपने ले लिया, लाखों रुपया ले लिया, 19-19 महीने से डिमाण्ड नोटिस जारी होने के बाद आपने कनेक्शन नहीं किया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस टर्न-की योजना के अन्दर क्या, 1 लाख 4 हजार कृषि कनेक्शन देने के लिए तीनों डिस्काम जयपुर, जोधपुर, अजमेर ने टर्न-की आधार पर 29 अप्रैल को 2,300 करोड़ की एस्टीमेटेड कॉस्ट करके टेण्डर निकाले। किसने कहा आपको? चलते टेण्डर के अन्दर सिर्फ एक टेलर मेड टेंडर बनाने के लिए अधिकारियों के कहने पर आपने शर्तें बदल दीं। ज्वाइंट वेंचर में एक के पास 50 परसेंट अनुभव, उसको आपने पात्र माना। फिर, किसने आपको कहा कि उसके अन्दर 40 परसेंट एक के पास और 25 परसेंट एक के पास, मतलब किसी को उपकृत करने के लिए आप राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो। उसका परिणाम क्या रहा 6 मई को निविदा बढ़ायी, तारीख बढ़ायी, 24 को बढ़ायी, 31 को बढ़ायी, 9 को बढ़ायी।

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा 2,300 करोड़ का टेण्डर 3,900 करोड़ पर चला गया। मैं समझता हूं 82 परसेंट अधिक, ये 1,600 करोड़ का फटका, जो लग रहा है, इस पर कौन दोषी है? मैं सही होना चाहता हूं, सब्जेक्ट टू करेक्शन। सभापति महोदय, अगर मैं जो बात कह रहा हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं पर मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इसके बारे में बात करें।

सिक्योरिटी राशि और आडिट के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? आपको ध्यान है, विद्युत सप्लाई कोड बना हुआ है। विद्युत सप्लाई कोड यह कहता है कि दो महीने के लिए विद्युत कम्पनी दो महीने के बिल के बराबर सिक्योरिटी ले सकती है, पर उसको ब्याज देना पड़ेगा। एक उपभोक्ता को राजस्थान के अन्दर ब्याज दिया हो तो मुझे बता दें।

अब आपने कब तो आडिट करा ली, एडिशनल सिक्योरिटी के नाम एक तीतरी आ रही है। सभापति महोदय, एक पतला-सा कागज उसके साथ लगा हुआ। मेरी चुनौती है यहां पर बैठे सभी लोगों को घर पर जायेंगे, तब देखेंगे। 5 हजार से लेकर 20 हजार तक एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर, ये आपकी वैरिएबल कॉस्ट, फ्यूल चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फिक्स चार्ज, मैं समझता हूं इस तरह की बात कब तक चलेगी।

मंत्री महोदय, मुझे मेरे समय का मालूम है। इसलिए समय की सीमा के अन्दर मेरी बात को कहना चाहूंगा। ये कोयले की धुलाई के नाम पर जो नया भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोको। आप मुझे बताओ कि यह जो महानदी सिंध पावर है, कोयले की कम्पनी है। इससे 1,200 मेगावाट का कालीसिंध में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोयला गया और बाद में कहा कि 1,200 मेगावाट में कोयला खराब था, इसलिए 600 मेगावाट उत्पादित कर रहा है। फिर कहा कोयले की धुलाई जरूरी है। मंत्री महोदय, छतीसगढ़ कोयला ब्लाक आपके पास है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड आपके पास है। जिसके कोल लिंक नार्थ कोल्ड फील्ड से है। आज छत्तीसगढ़ के अन्दर आप कह रहे हैं कि कोयला नहीं है। आपके मुख्य मंत्री नहीं लगे, वरना आप सही-सही बात बता देते। ये छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री जी के साथ, वह मुस्कुराती हुई फोटो और उसके बाद वह वक्तव्य कि उसके अन्दर सरकार ने एनओसी दे दी थी। छत्तीसगढ़ के अन्दर रोकी हुई एनओसी, आज अशोक जी गहलोत ने प्राप्त कर ली, क्योंकि मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ ने इस पर हां भर ली, क्या हुआ उसका?

राजस्थान के लोगों को भ्रमित करने की बात आप छोड़िए। अब मैं कहना चाहूंगा कि अब आपने क्या किया। मैं नेता, प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा 100 लाख टन कोयला मौजूदा डर से 40 परसेंट अधिक खरीद लिया और उसके बाद दो निजी वाशर कम्पनियां हैं, उनको धोने का ठेका दे दिया। भारत सरकार की गाइडलाइन, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पहले यह था कि 34 परसेंट धुला हुआ कोयला होना चाहिए, यह गाइडलाइन है। वन मंत्रालय ने अधिसूचना 1561, 21 मई, 2020 में यह कहा कि अब बिजली संयंत्रों को पूर्व के 34 परसेंट धुले हुए कोयले की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि कोयला धुलाई में जहां एक ओर पर्यावरण को नुकसान होता है, भूजल का दोहन होता है, कोल कण उड़ते हैं। इसके साथ ही 35 परसेंट कोयले का क्षरण होता है, मना कर दिया, पर आप कोयला धुलवायेंगे, मैं समझता हूं ये कुछ ऐसे अनुत्तीर्ण सवाल हैं। सभापति महोदय, कोयला धुलाई के नाम पर पैसा भी वाशरी कम्पनी के पास जायेगा, परिवहन के नाम पर कोयला पहले वाशरी कम्पनी के पास जायेगा फिर वापस थर्मल पावर में जायेगा। यह ठेका भी बाला-बाला और 35 परसेंट कोयला जो धुलाई के बाद बचता है, वह भी पिछले दरवाजे से वापस किसी न किसी कोल कम्पनी के बिल से वापस आयेगा।

यहां मैं अन्तिम बात सोलर एनर्जी की कहता हूं। सभापति महादेय, हम उन भाग्यशाली प्रदेशों में हैं, जहां सनी डेज 325 है। हमारा क्षेत्रफल विशाल है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्षमता 142 गीगावाट है। यानी 1 लाख 42 हजार मेगावाट। इन्होंने कहा देश के अन्दर सोलर क्षमता 748

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गीगावाट और 142 हमारी। अब 13 हजार 74 मेगावाट के सोलर प्लांट राजस्थान में लगे हैं। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे। 2 लाख हैक्टेयर जमीन फलौदी इलाके के अन्दर निजी सोलर उत्पादन कम्पनी को सरकार ने अलग-अलग समय पर दी। यह 21 जून, 2022 को रिजर्व प्राइस पर मैसर्स अडानी रिनुअल एनर्जी पावर लिमिटेड को मोहनगढ़ (प्रथम व द्वितीय) में 26 हजार 342 हैक्टेयर दे दी। अब यह 13 हजार 74 मेगावाट सोलर प्लांट हैं। इसमें विद्युत उत्पादन होता है, 2 रुपये से लेकर 2 रुपये 70 पैसे तक। राजस्थान उपयोग कर रहा है 3 हजार 326 मेगावाट। धरती हमारी, सूर्य की कृपा हमारे ऊपर, 2 रुपये से लेकर 2 रुपये 70 पैसे तक की बिजली दूसरे उद्योगपतियों को और दूसरे राज्यों में जाये और हम 17 रुपये में खरीदें। मान्यवर, यह खेल क्या है? यह माजरा क्या है? बताओ तो सही।

मैं निवेदन करना चाहूंगा और इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि सोलर पालिसी 2019 है। इसको संशोधित किया जाये। सोलर प्लांट राजस्थान में जो लगे या लगा हुआ हो, उसमें 50 परसेंट कंजम्पशन राजस्थान में करने के लिए उन पर शर्त लगायी जाये। सभापति महोदय, आपको मालूम है, कोल ट्रेडिंग आजकल दूसरी बात हो गयी। सभापति महोदय, अब तो कार्बन ट्रेडिंग हो रही है, देश में कम कार्बन पैदा करने की बात हो रही है।

मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, आपने किस कारण से जुलाई, 2022 में मंत्रिमण्डल की बैठक में 2120 मेगावाट की छबड़ा, 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल और कालीसिंध में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, 2120 मेगावाट 15,660 करोड़ की अनुमति दे दी। पूरी दुनिया वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जा रही है। आपने बजट में जो घोषणा की थी, 2019-20 में 6 हजार मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वे अधर में हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और 2 रुपये से 2 रुपये 70 पैसे तक में बिजली हमें मिल सकती है, पर नहीं हमें तो थर्मल में जाना है, कोयला तो वहीं से मिलेगा, खरीदना पड़ेगा और महंगी बिजली वहीं से खरीदनी पड़ेगी।

एक बात को कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मंत्री महोदय, एक एनर्जी असेसमेंट कमेटी है, उसके चेयरमैन आपके सीएमडी हैं। आपकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक मीटिंग हुई थी, 7 जनवरी, 2022 को और डिस्काम के ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में हुई। एनर्जी असेसमेंट कमेटी के मिनट्स मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा 2022-23 में प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कोई कमी नहीं रहेगी। 8 हजार 972 मिलियन यूनिट बिजली सरप्लस रहेगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये 7 जनवरी, 2022 को आपकी ईएसी की मीटिंग कह रही है। विद्युत नियामक आयोग में याचिका संख्या 1948/21 में आप कहते हैं 8,023 मिलियन यूनिट तथा 2021-22 में 8,320 मिलियन यूनिट राज्य में सरप्लस रहेगी। आपकी कमेटी कह रही है। विद्युत नियामक आयोग के सामने जब आप 226 मेगावाट के पीपीए करने के प्रस्ताव लेकर के गये थे तो उनको जब नियामक आयोग ने निरस्त किया तो इस आधार पर किया कि विद्युत की उपलब्धता की आवश्यकता नहीं है अब आपको। आप खुद कह रहे हो और उसमें मैंने नहीं कहा, नियामक आयोग लिखता है कि 3 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली उपलब्ध है। यह सारी बातें इस बात को कह रही है कि कहीं न कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली हो गयी और सभापति महोदय, आपके घर में रूफटोप, मैं देख रहा था, रूफटोप लगा है, मैंने भी लगा रखा है। 28 हजार उपभोक्ता हैं राजस्थान में रूफटोप से 7,777 मेगावाट बिजली लेते हैं आपने पालिसी बनायी। 2019 की पालिसी में कहा कि रूफटोप उपभोक्ता पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं रहेगी सात वर्ष तक। आपने 60 पैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लेना प्रारम्भ कर दिया। नियामक आयोग ने कहा कि 3.14 रुपये के हिसाब से रूफटोप से जो बिजली पैदा होगी, उसका भुगतान करेगा सम्बन्धित डिस्काम। आपने उसको कम करके 2 रुपये कर दिया। मैं समझता हूं कि आप वो ही हो जिन्होंने पांच सौ वर्गमीटर से ज्यादा के क्षेत्रफल में नियामक आयोग के कहने पर रूफटोप अनिवार्य किया था। हास्पिटल हो, होटल हो, धर्मशाला हो और नहीं करने पर पचास से सौ रुपये वर्गमीटर की पैनल्टी की बात कही थी। आज क्या हो गया? ये सब चीजें आपके सामने हैं।

इसलिए सभापति महोदय, कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर अन्धेर नगरी चौपट राजा और इसके साथ ही यहां के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं आप मंत्री महोदय, 2004 से पहले और पश्चात् के नियोजित पेन्शन से वंचित सभी कर्मी हैं जो कर्मियों ने काम किया है उनको ओल्ड पेन्शन से क्यों नहीं जोड़ते आप? क्या कसूर किया इन्होंने? इस पर भी आपको बात करनी चाहिये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपको थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। भाटी साहब, मैं आपको मूंछ लाकर दूंगा, होगी तो नकली पर यों ऊंची करके मूंछ और भाटी बन कर बैठो सामने फिर देखो काम होता कि नहीं होता। जरा दम दिखाओ राजस्थान अन्धेरे में डूबा है, राजस्थान को बचाओ। इतना ही मुझे कहना था, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, आज राज्य में बिजली की स्थिति पर साढ़े चार घंटे की विस्तृत चर्चा के दौरान 37 माननीय सदस्यों ने विद्युत विभाग से सम्बन्धित अलग-अलग मुद्दे, समस्याएं और सुझाव दिये हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके द्वारा उठाये गये विषयों पर उचित कार्यवाही विभाग के द्वारा करवायी जायेगी। इस क्रम में मैं सबसे पहले हमारी सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए किये गये कार्यों की जानकारी देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट 2021-22 में सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह एक हजार और प्रति माह अधिकतम 12 हजार रुपये तक की राशि विद्युत बिलों में समायोजन के माध्यम से दिये जाने की घोषणा की गयी। उक्त अनुदान कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिये जा रहे टैरिफ अनुदान के अतिरिक्त है।

सभापति महोदय, विद्युत वितरण निगमों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के बिलिंग माह अगस्त, 2022 तक कुल लगभग 12 लाख 76 हजार किसानों को 1,324 करोड़ 46 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है जिससे राजस्थान के सात लाख उनचास हजार किसानों का बिजली का बिल शून्य हुआ है। राजस्थान के पचास प्रतिशत किसानों को बिजली फ्री देने का काम मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के माध्यम से किया गया है।

सभापति महोदय, घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान की जो योजना है जिसके बारे में काफी चर्चा हुई। घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में विद्युत उपभोग के अनुसार अनुदान दिये जाने की घोषणा की गयी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं

(श्री भंवर सिंह भाटी)

को बिलिंग माह अप्रैल, 2022 से अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। माह अगस्त, 2022 तक कुल लगभग 1 करोड़ 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 2,174 करोड़ 39 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। उक्त घरेलू उपभोक्ताओं में से 37 लाख 97 हजार घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य हुआ है। सभापति महोदय, बहुत बड़ी राहत घरेलू उपभोक्ताओं को भी इस माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गयी बजट घोषणा से मिली है तथा इसके अतिरिक्त भी प्रदेश के तमाम घरेलू उपभोक्ताओं को 600 रुपये से लेकर 750 रुपये तक का अधिकतम अनुदान लगातार दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की 660 मेगावाट की जो छठी इकाई है एवं सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल परियोजना की 660 मेगावाट की इकाई-7 से व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल परियोजना 660 मेगावाट की इकाई-8 से दिनांक 07-10-2021 से वाणिज्यिक उत्पादन भी प्रारम्भ कर दिया गया है। 765 केवी ग्रिड सब स्टेशन जोधपुर में किये जाने की जो घोषणा की गयी उसमें 2,741 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत कर दी गयी है, उसमें भी अतिशीघ्र कार्य शुभारम्भ होने जा रहा है। विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 400 केवी का एक ग्रिड सब स्टेशन, 220 केवी के 5 ग्रिड सब स्टेशन व 132 केवी के 23 ग्रिड सब स्टेशन तथा 33 केवी के 555 सब स्टेशन स्थापित किये गये हैं। हमारी सरकार के कार्यकाल में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए 10,463 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र एवं 27 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये गये हैं। प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान कुसुम योजना के तहत अब तक 42 मेगावाट के 32 संयंत्र स्थापित किये गये हैं। कुसुम योजना में पूरे देश भर में राजस्थान में सबसे ज्यादा इसमें संयंत्र लगाये गये हैं और उसमें भी सभापति महोदय, किसानों ने बड़ी संख्या में आवेदन किया लेकिन चूंकि केन्द्र सरकार की योजना है और राज्य सरकार इसमें पूरा सपोर्ट भी कर रही है लेकिन बैंकों के द्वारा किसानों को जो लोन मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पा रहा है। इस सम्बन्ध में हमने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी से भी लगातार दो बार मुलाकात की है। उनसे भी आग्रह किया है कि केन्द्र सरकार के द्वारा बैंकों को ऋण देने के लिए निर्देश दिया जाये जिससे इस योजना का लाभ राजस्थान के किसान पूरा उठा सकें।

सभापति महोदय, गोशालाओं को राहत देने का एक बहुत बड़ा निर्णय

(श्री भंवर सिंह भाटी)

राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने किया है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 06.02.2020 को जारी टैरिफ के आदेश के अनुसार पंजीकृत गोशालाओं को घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत एवं अपंजीकृत गोशालाओं को अघरेलू श्रेणी के अन्तर्गत शामिल किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के द्वारा पंजीकृत गोशालाओं के लिए घरेलू श्रेणी हेतु निर्धारित ऊर्जा प्रभार का 50 प्रतिशत उपभोक्ता द्वारा एवं 50 प्रतिशत विद्युत शुल्क राशि सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा। यह गोशालाओं को संवर्द्धन देने के लिए गोशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंजीकृत गोशालाओं को राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान दिया गया है, उसमें 3 करोड़ 51 लाख रुपये का अनुदान अभी तक दिया गया है।

उसके साथ-साथ कृषि कनेक्शन के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि सभापति महोदय, चर्चा काफी लम्बी चली कृषि कनेक्शनों के बारे में, कितने कनेक्शन किस सरकार ने दिये। आपने इतनी घोषणाएं की हैं आप किस प्रकार से कृषि के कनेक्शन दोगे। इस सम्बन्ध में मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार जब भी रही है किसानों को हमेशा ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देने का प्रयास किया गया है। दिसम्बर, 2008 से नवम्बर, 2013 तक प्रदेश में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 3,12,222 कनेक्शन दिये गये। दिसम्बर, 2013 से नवम्बर, 2018 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय 2,68,522 किसानों को कनेक्शन दिये गये। सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि दिसम्बर, 2018 से सितम्बर, 2022 तक राजस्थान में 2,92,471 किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पांच साल में जितने कनेक्शन दिये गये, उससे ज्यादा कनेक्शन तीन सालों में हमने दिये हैं। मैं पूरे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

इसके अलावा 2022 के बजट में कुल 4,88,625 कृषि कनेक्शन जारी करने की, मुख्य मंत्री जी ने 22 फरवरी, 2022 को जब बजट पेश किया था, उन्होंने एक कट आफ डेट दी थी कि पिछले 9-10 सालों के जितने भी लम्बित कृषि कनेक्शन हैं, हम दो सालों में राजस्थान की पूरी पेंडेंसी लिस्ट को खत्म करेंगे और राजस्थान के तमाम किसानों को लम्बित कनेक्शन देंगे। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को और पूरे सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि

(श्री भंवर सिंह भाटी)

किसी भी कार्य को करने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत चूंकि बड़ी संख्या में कनेक्शन हैं, हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता कह रहे थे कि इसमें सी.एल.आर.सी. से हमेशा टेंडर होते रहे हैं। निश्चित रूप से सी.एल.आर.सी. से टेंडर होते हैं जब साल में 50 हजार कनेक्शन दिये जाते हैं। सभापति महोदय, इस बार प्रत्येक साल में ढाई लाख कनेक्शन का हमारा लक्ष्य है। ऐसी स्थिति में सी.एल.आर.सी. के ठेकेदार जो साल में 50 हजार का काम कर रहे थे, उसको हमने बढ़ाया और उसके दुगुने से भी ज्यादा काम 50 प्रतिशत सी.एल.आर.सी. के जो हमारे स्थानीय स्तर पर ठेकेदार होते हैं, वह करेंगे और 50 प्रतिशत टर्नकी के माध्यम से करेंगे। पूरे जिले का या पूरे डिविजन वाइज टेंडर के पैकेज बनाकर टेंडर निकाले गये और पूरी प्रक्रिया के अनुसार टेंडर किये गये। इससे पहले इनकी सरकार के समय की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उस समय पूरे के पूरे जिले के टेंडर टर्नकी के आधार पर दिये गये थे, हमने ऐसा नहीं किया है। हमने हमारे राजस्थान के छोटे ठेकेदारों का भी पूरा ध्यान रखा है। 50 प्रतिशत वह लोग काम करेंगे और चूंकि काम जल्दी कराना है, लक्ष्य बड़ा है, समय हमारे पास कम है, ऐसी स्थिति में टर्नकी में भी दिये गये और सी.एल.आर.सी. पर भी दिये गये। टेंडर लगभग फाइनल हो गये हैं, उनके वर्क आर्डर दिये जा रहे हैं और उनको 3-4 महीने का हम समय दे रहे हैं। हमने इस साल का जितने भी कनेक्शन का लक्ष्य रखा है, ढाई-तीन लाख का, वह इस साल हम पूरा करेंगे क्योंकि 2015 तक के हमने डिमांड नोटिस निकाले हैं। किसानों ने भर दिये हैं। 01 अप्रैल के बाद डिमांड नोटिस निकाले हैं और जल्दी से जल्दी उनको कनेक्शन देने का लक्ष्य है। अगले वित्तीय वर्ष में 2016 से लेकर 2022 तक के जितने भी लम्बित कनेक्शन हैं, उनके भी डिमांड नोटिस निकाले जायेंगे। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरा बजटीय प्रावधान किया है। हमारी पूरी टीम की तैयारी है और हम पूरी तरह से आपको आश्वस्त करेंगे कि बजट में जो राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, उसको हम हर हालत में पूरा करेंगे और राजस्थान के किसानों की जो लम्बे समय से लम्बित मांग है, उसको हम पूरा करेंगे।

सभापति महोदय, किसानों को रात्रि में कृषि की सिंचाई में होने वाली परेशानियों के मद्देनजर 2020-21 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि कृषि कार्यों हेतु किसानों को दिन में ही दो ब्लाक में विद्युत आपूर्ति की जायेगी। इसके लिए विद्युत तंत्र का

(श्री भंवर सिंह भाटी)

सुदृढ़ीकरण कर चरणबद्ध तरीके से आगामी तीन वर्षों में उक्त घोषणा को पूरा किये जाने की हमने कार्ययोजना बनाई है। बीच में कोविड की वजह से परिस्थितियां काफी प्रतिकूल रहीं। डीजल के भाव बढ़ना, स्टील के भाव बढ़ना, इन सारे कारणों की वजह से ठेकेदारों ने भी काम करना बंद कर दिया या वह बैक हो गये क्योंकि 50 परसेंट तक रेट बढ़ गये थे। ऐसी स्थिति में हम थोड़ा डिले हुए हैं।

मैं बताना चाहूंगा कि प्रथम चरण में माह अप्रैल, 2021 से 16 जिलों में, कोटा, झालावाड़, बूंदी, धौलपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, जालौर एवं जैसलमेर आंशिक में दिन में विद्युत की आपूर्ति हम कर रहे थे। परंतु आपूर्ति की स्थिति बीच में जो बिजली की क्राइसेस हुई, कोल की क्राइसेस हुई, उसकी वजह से माह अप्रैल से तीन ब्लाक में हम आपूर्ति कर पा रहे हैं, दो ब्लाक में नहीं दे पा रहे हैं। द्वितीय चरण में भी माह अप्रैल, 2022 से चार जिलों यथा जयपुर, भरतपुर, सीकर एवं झुंझुनूं में दिन में विद्युत आपूर्ति हेतु तंत्र विकसित किया है, परंतु वर्तमान में बिजली की उपलब्धता को देखते हुए तीन ब्लाक में सप्लाई दी जा रही है। शेष जिलों में विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। इन जिलों में 01.04.2023 से दिन में विद्युत आपूर्ति किया जाना हमारा लक्षित है। उल्लेखनीय है कि तंत्र सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2022-23 में आरडीएसएस योजना में 150 और बजट घोषणा में 31 नये 33 केवी के जीएसएस स्वीकृत किये गये हैं, जिससे हमारा जो दो ब्लाक में बिजली देने का लक्ष्य है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकें।

सभापति महोदय, एक फ्यूल चार्ज की भी बात उठी है तो मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले फ्यूल सरचार्ज के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि, करों की दरों में बदलाव एवं रेल के माल भाड़े में वृद्धि के कारण विद्युत उत्पादन की दरों में बदलाव होता है। विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशानुसार विद्युत खरीद की वास्तविक राशि एवं आयोग द्वारा निर्धारित दरों का जो अंतर होता है, वह फ्यूल सरचार्ज के रूप में त्रैमासिक आधार पर उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में आयोग द्वारा निर्धारित औसत विद्युत खरीद दर का अधिकतम 15 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज के मद में लिए जाने का प्रावधान है। वसूलनीय फ्यूल सरचार्ज की गणना को स्वतंत्र आडिट

(श्री भंवर सिंह भाटी)

करने के पश्चात् ही लागू किया जाता है। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 50 यूनिट तक विद्युत उपभोग किये जाने पर नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही है एवं ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज भी वसूलनीय नहीं है।

अमानत राशि के बारे में भी चर्चा हुई। सभापति महोदय, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग आरई.आर.सी. द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा किये गये विद्युत उपभोग की राशि के भुगतान को सुरक्षित करने हेतु विद्युत वितरण निगमों को अमानत राशि वसूलने हेतु अधिकृत किया गया है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के नियमानुसार उपभोक्ताओं को बकाया अमानत राशि के पेटे प्रतिवर्ष नोटिस दिये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान वर्ष 2004 से प्रभावी है। उक्त प्रावधानों के अनुसार निगम द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पिछले वित्तीय वर्ष के वास्तविक उपभोग के दो माह के औसत उपभोग के आधार पर अमानत राशि की गणना की जाती है। यदि वार्षिक समीक्षा के आधार पर किसी उपभोक्ता द्वारा दी गयी अमानत राशि अपर्याप्त पाई जाती है तो निगम 30 दिवस की अवधि में अंतर की राशि जमा कराने का नोटिस दे सकता है। उपभोक्ताओं द्वारा जमा कराई गयी अमानत राशि पर वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल की प्रचलित बैंक दर से विद्युत वितरण निगमों द्वारा ब्याज भी दिया जाता है। यहां मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी वर्ष 2015 एवं 2016 में अतिरिक्त अमानत राशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किये गये थे। अमानत राशि जमा कराने के नोटिस जारी करने की एक सतत प्रक्रिया है। मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि 2015-16 में भी इस प्रकार के नोटिस दिये गये थे और विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

(समय: 20.00 बजे)

रूफ टाप बिजली की दरों के बारे में भी चर्चा की गयी। पूर्व में घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अतिरिक्त बिजली ग्रिड में डालने पर विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर 3 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाना था। विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 2021 में जारी रेगुलेशन के अनुसार 5 मेगावाट से अधिक के सोलर प्लांटों द्वारा कम्पीटेटिव बिडिंग के माध्यम से प्राप्त दरों पर अतिरिक्त उत्पादित बिजली का भुगतान किया जाना

(श्री भंवर सिंह भाटी)

है। यह दर दो रुपये प्रति यूनिट प्राप्त हुई है। अत: सितम्बर, 2021 के पश्चात् घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड में डाली गयी अतिरिक्त उत्पादित बिजली पर दो रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान देय होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादित बिजली का लगभग 82 प्रतिशत स्वयं ही उपयोग कर लिया जाता है और केवल 18 प्रतिशत बिजली ग्रिड में डाली जाती है।

सभापति महोदय, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगे हुए ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से ओवरलोडिंग, छेड़छाड़ या आकाशीय बिजली गिरने से या अन्य कारणों से जल जाते हैं। सामान्यत: विद्युत वितरण निगमों द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जले हुए वितरण ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समयावधि में बदल दिया जाता है। कृषि कार्य से संबंधित थ्री-फेज के जो ट्रांसफार्मर हैं, उनको 72 घंटे में बदलने का प्रावधान है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी पूरे सदन को बताया कि पिछले तीन-चार महीने के समय में स्टील के महंगे हो जाने की वजह से और स्थानीय बाजार में डीजल आदि के भाव बढ़ने की वजह से ठेकेदारों के टेण्डर्स बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। जो रेगुलर बर्न ट्रांसफार्मर बदलने वाले या सप्लाई वाले कांट्रेक्टर्स हैं, उन्होंने एकदम से सप्लाई देना बन्द कर दिया। अब हमने धीरे-धीरे उनके टेण्डर्स निरस्त किये हैं या उनको नोटिस दिया है और नये टेण्डर्स भी कर दिये हैं। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि बर्न ट्रांसफार्मर और जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने की जो शिकायत है, उसको बहुत जल्दी ही सुधार लिया जायेगा और उसमें जो भी गैप आ रहा है, समय रहते उस गैप को दुरुस्त भी कर लिया जायेगा और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर इस मेजर प्रोब्लम को ठीक किया जायेगा।

सभापति महोदय, वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना मुख्य कार्य है। इस क्रम में तीनों विद्युत वितरण निगमों के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चार नये अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय खोले गये और 21 नये सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले गये। इन सभी खण्ड एवं उप खण्डों में सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता पद स्थापित कर दिये गये हैं तथा संचालन के लिए वर्तमान खण्ड एवं उप खण्ड से स्टाफ भी लगा दिये गये हैं तथा इनके सुचारु रूप से संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में स्टाफ भी लगा दिया गया है।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता और मांग के संदर्भ में, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि माह अप्रैल से जून 2020 में गत वर्ष की तुलना में विद्युत की खपत अप्रैल में 21.3 प्रतिशत, मई में 33 प्रतिशत की और जून में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। विद्युत की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने और राष्ट्रव्यापी कोयले की समस्या के चलते विद्युत की उपलब्धता में कमी रही। मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज से अधिकतम दर पर विद्युत खरीदने का भी प्रयास किया गया, परन्तु पावर एक्सचेंज भी विद्युत की उपलब्धता जितनी हमारी मांग थी, जैसा कि अभी सदन के माननीय उप नेता बता रहे थे। मैं पांच मिनट का समय और लूंगा।

सभापति महोदय, अधिकतम रेट पर बिजली खरीदी गयी। कोयले की उपलब्धता नहीं होना और ऐसी स्थिति में बिजली की एकदम से डिमांड बढ़ जाना, पिछले साल जितनी डिमांड थी, उससे 20 से लेकर 35 प्रतिशत तक की डिमांड बढ़ी थी और उस वजह से हमें अधिकतम 12 रुपये में भी बिजली खरीदनी पड़ी तो भी हमने एक्सचेंज में बोली लगायी, लेकिन जितनी हमारी जरूरत थी उसकी 10 से 15 परसेंट बिजली ही हमें एक्सचेंज के माध्यम से मिल पायी। जो विद्युत की मांग-पूर्ति है, उसके लिए हमने अल्पकालीन विद्युत खरीदने के लिए 3 बार निविदा भी आमंत्रित की। लगायी गयी निविदा के सापेक्ष बहुत ही उच्च दर पर विद्युत प्राप्त होने के कारण खरीद सम्भव नहीं हो सकी।

राष्ट्रव्यापी कोयले के संकट के चलते विद्युत उपलब्धता में कमी को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयातित कोल आधारित विद्युत संयंत्रों को अपनी पूर्ण क्षमता में संचालित कर विद्युत उपलब्धता बढ़ाने हेतु 05 मई, 2022 को आदेश जारी किये एवं कोयले की कमी की भरपाई हेतु 18 मई, 2022 को घरेलू कोल आधारित संयंत्रों को, सभापति महोदय, भारत सरकार के द्वारा देश के पूरे राज्यों को यह स्पष्ट आदेशित किया गया कि सभी राज्य 10 प्रतिशत इम्पोर्टेड कोल खरीदें। यह मेंडेटरी कर दिया, एक आदेश दे दिया। जो राज्य समय पर नहीं खरीद पा रहे थे तो उनको यह कहा कि यदि इम्पोर्टेड कोल की 10 प्रतिशत खरीद नहीं की जाती है तो उनका 10 प्रतिशत और कम कर दिया जायेगा, जो रेगुलर मिलता है उसका। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में 10 प्रतिशत इम्पोर्ट कोल खरीदा

(श्री भंवर सिंह भाटी)

गया। भारत में जो कोयले की रेगुलर रेट है, उसके चार गुना भाव में हमें इम्पोर्टेड कोल भारत सरकार के निर्देशों पर खरीदना पड़ा। निश्चित रूप से उसका असर भी आम उपभोक्ता पर आयेगा।

माह अगस्त के अन्तिम दिनों एवं सितम्बर के प्रथम सप्ताह में बारिश की कमी होने से तापमान में वृद्धि के चलते असामयिक मांग में वृद्धि होने एवं कुछ इकाइयों के तकनीकी कारणों से बन्द होने के कारण एवं पावर एक्सचेंज में भी उपलब्धता कम होने के चलते एवं विद्युत तंत्र की सुरक्षा एवं सुचारु परिचालन के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें इस अवधि में कटौती करनी पड़ी।

यहां यह बताना आवश्यक है कि आगामी समय में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने हेतु एवं सुचारु विद्युत आपूर्ति हेतु सी.जी.पी.एल. आयातित कोल आधारित संयंत्र से 380 मेगावाट विद्युत लिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के साथ 1,000 से 1,500 मेगावाट की बैंकिंग की व्यवस्था की गयी है। अल्पकालीन विद्युत व्यवस्था हेतु अल्पकालीन निविदा के अतिरिक्त पावर एक्सचेंज के नये प्रोडेक्ट टर्म हैड के विद्युत क्रय किये जाने का भी प्रावधान किया गया है। मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य क्षेत्र में वर्तमान में निगम की कोयला आधारित जो विद्युत गृह परियोजना है, उनकी 7,580 मेगावाट की 23 इकाइयों में से 6,210 मेगावाट क्षमता की 19 इकाइयों से विद्युत का उत्पादन राज्य भार सम्प्रेषण केन्द्र के निर्देशानुसार किया जा रहा है। छबड़ा इकाई 4 ईएसपी प्रणाली खराब होने के कारण दिनांक 09.09.2021 से बन्द है, जो कि दिनांक 15.10.2022 तक शुरू किया जाना संभावित है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल इकाई-7 दिनांक 15.03.2022 से जनरेटर ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी के कारण बन्द है, जो कि दिनांक 10.10.2022 से शुरू किया जाना संभावित है। उक्त इकाइयों से शीघ्र ही विद्युत उत्पादन शुरू करने हेतु निगम और प्रशासन लगातार प्रयासरत है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य क्षेत्र में विद्युत उत्पादन निगम द्वारा कुल 1,980 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों, यथा छबड़ा सुपर क्रिटिकल इकाई-6 एवं सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल इकाई-7 एवं 8 से वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। यहां यह भी बताना हर्ष का विषय है कि छबड़ा सुपर क्रिटिकल विद्युत परियोजना की 2x660

(श्री भंवर सिंह भाटी)

क्षमता की इकाई 5 व 6 को एवं 660 मेगावाट क्षमता की सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल इकाई-7 को राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है।

साथ ही, यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की भावी ऊर्जा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट वर्ष 2022-23 के दौरान छबड़ा एवं कालीसिंध विद्युत परियोजनाओं के विस्तार में छबड़ा में 660 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित इकाई-7 एवं 8 तथा कालीसिंध में 800 मेगावाट क्षमता की इकाई 3 की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही, बीकानेर के गुढ़ा में 125 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना इकाई प्रथम की स्थापना हेतु भी घोषणा की गयी है। इस परियोजना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 13.04.2022 को प्राप्त हो चुकी है। भूमि चिह्नित कर अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त पूगल में 2,000 मेगावाट का सोलर पार्क और 810 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी विकसित किया जा रहा है। जैसा कि हम सबको विदित है कि गत वर्ष 2021 के मानसूनी महीनों के उ

परान्त न केवल राज्य के विद्युत घरों, बल्कि देश के अन्य बिजली घरों को भी देश व्यापी कोयला संकट का सामना करना पड़ा, जिसका मुख्य कारण देश में 2021 में अतिरिक्त वर्षा के कारण कोयला खदानों में पानी भरने एवं रेलवे लाइनों में व्यवधान के कारण कोल आपूर्ति में लगातार कमी होती चली गयी। कोविड उपरांत बिजली की मांग में करीब 35 प्रतिशत बढ़ोतरी होने के कारण यह समस्या और विकट हो गयी। साथ ही आयातित कोयले की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण आयातित कोयला आधारित विद्युत गृहों से विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ जिससे विद्युत की मांग एवं उत्पादन में अत्यधिक अन्तर आया। अगस्त, 2021 में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों में कोल स्टाक निम्नतम स्तर करीब दो दिन की मात्रा की उपलब्धता पर पहुंच गया। यह स्थिति न केवल राजस्थान में बल्कि कमोबेश देशव्यापी थी।

निगम को आबंटित पीईकेबी प्रथम चरण कोयला खदान से निगम को 9 से 10 रैक्स प्रतिदिन की आपूर्ति हो रही थी, लेकिन प्रथम चरण वन क्षेत्र में वैधानिक और सुरक्षा मानदंडों को बनाये रखने के कारण शेष कोल की मात्रा का खनन सम्भव नहीं है।

सभापति महोदय, इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं

(श्री भंवर सिंह भाटी)

छत्तीसगढ़ गये और गंभीरता से उन्होंने पूरा प्रयास किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोयले पर पूरी तरह से नियंत्रण भारत सरकार का है। हमारे राजस्थान में कोयले का उत्पादन नहीं के बराबर है। देश के सभी राज्यों को जो कोयला आबंटित किया जाता है, वह कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। हमें जो कोल माइंस दी गयी थी, जो चल रही थी रनिंग में, उसमें कोयला समाप्त हो गया। जहां से 10 रैक प्रतिदिन आती थी और जो सैकण्ड और थर्ड कोल माइंस हमें दी गयी थी राजस्थान में कोयला लाने के लिए छत्तीसगढ़ से, वहां स्थानीय आदिवासियों का एक आंदोलन चल रहा है और वहां हम खनन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लगातार प्रयास करने के बावजूद हमारे सामने 10 रैक प्रतिदिन कोल का संकट आ गया। इस संबंध में हम केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी से भी दो दिन पहले मिले। केन्द्रीय कोयला मंत्री जी से भी, मैं स्वयं भी गया और हमारे विभाग के जो प्रमुख अधिकारीगण हैं, वे साथ में गये और पूरी वार्ता की। उन्होंने हमें जो कोयला आबंटन किया है, जो महानदी कोल्स की आप चर्चा कर रहे थे, राजस्थान के लिए महानदी कोल से कोयला लाना बड़ा असुविधापूर्ण है। पहले माइंस से वहां से सी-पोर्ट पर लेकर आओ, फिर समुद्र के रास्ते उसको राजस्थान की सीमा तक या जहां भी नजदीकी जो हमारा पोर्ट है गुजरात में, वहां तक लेकर आओ। उसके बाद दोबारा ट्रेन से लाना, वह महंगा भी पड़ेगा और लाने के लिए हमें रेलवे रैक्स की भी पूरी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में 3 रैक्स की केन्द्रीय कोयला मंत्री जी ने हमें हां की है लेकिन हमारी जो आवश्यकता है, वह काफी ज्यादा है।

सभापति महोदय, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो कोल संकट आया है उसके लिए, मैं सामने प्रतिपक्ष के विराजे हुए सभी सदस्य, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता जी, आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र में आपकी पार्टी की सरकार है, आप भी बात करें। राजस्थान का जो कोयला संकट है, वह अभी काफी गम्भीर है। हमारे पास में काफी कम मात्रा में कोयला बचा है। इसमें आप कमियां निकालने की बजाय, आपने सुझाव दिये, निश्चित रूप से हम उन सुझावों पर अमल भी करेंगे। हमारी कोई कमी है तो हम उसमें सुधार भी करेंगे लेकिन कोयले पर पूरा का पूरा नियंत्रण केन्द्र सरकार का है, तो इसमें आप भी मदद करें।

राजस्थान की जितनी आवश्यकता है, आगे आने वाली रबी की फसल है, उस समय हमें बिजली की आवश्यकता रहेगी। सोलर से बिजली हमें सिर्फ

(श्री भंवर सिंह भाटी)

दिन में मिलती है। हमें चौबीस घंटे बिजली की जो आवश्यकता होती है, शाम का जो समय है 6 बजे से 10 बजे तक का वह पीक टाइम है, उस समय हमें सोलर से बिजली नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में पीक टाइम में घरेलू बिजली भी हमें चाहिये। किसानों को भी बिजली हमें देनी है, तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उसके लिए मुख्य मंत्री जी भी प्रयासरत हैं कि छत्तीसगढ़ की जो समस्या है, उसका समाधान भी जल्दी से हो। जब तक वह नहीं होता है तो राजस्थान को जो कोयले की कमी है, उसको दिलवाने में पूरा सदन इसमें मदद करे, विशेषकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण हैं, उनसे निवेदन है कि वे पूरी मदद करें।

इसके अलावा काफी डिटेल से सत्ता पक्ष व विपक्ष, माननीय पूरे सदन के 37 सदस्यों ने...

श्री सभापति: ये सभी आश्वस्त हैं इस वक्त।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप सबने जो सुझाव दिये हैं, आप सबने जो बातें रखी हैं, ..(व्यवधान) काफी महत्वपूर्ण सुझाव हैं, लेकिन मैं पूरे सदन को इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि राजस्थान के लोगों से..

श्री सभापति: आप विराजिए। माननीय सदस्य।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप विराजिए। आपको सुना है मैंने साढ़े चार घंटे। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा कृषि कनेक्शनों के लिए की है, उस घोषणा को हम समय रहते पूरा करेंगे और उसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण निर्णय, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां के लोगों को इतनी सस्ती बिजली, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आम आदमी हो, सबको 750 रुपये प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को बिजली में अनुदान देना प्रत्येक बिल में और राजस्थान के 50 प्रतिशत किसानों का जो बिजली का बिल है वह शून्य हुआ है। साढ़े तीन सालों में काफी ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं।

सभापति महोदय, कोयले का संकट देशव्यापी है। इस कोल क्राइसिस की वजह से हमारी बिजली की जो आपूर्ति प्रभावित हो रही है, कोई भी सरकार नहीं चाहती, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि उनको बिजली की कमी हो, उनके डिपार्टमेंट में किसी तरह की दिक्कत हो लेकिन वर्तमान में जो

(श्री भंवर सिंह भाटी)

परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए हमें थोड़ी कटौती भी करनी पड़ रही है लेकिन हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो। आप सब लोगों ने जो सुझाव दिये हैं, उन सुझावों पर सब्जैक्टवाइज चर्चा भी हम करेंगे और उस पर जो अति आवश्यक कार्यवाही हो सकती है, वह हम करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने विषय तो छूने का प्रयास किया, जो कुछ भी खड़ा हुआ, लेकिन परिणाम जीरो। जीरो इसलिये कह रहा हूं कि आपने सस्ती बिजली उपलब्ध हो रही थी तो महंगी बिजली क्यों खरीदी? और सोलर से जब आपको 2 रुपया और 2 रुपया 70 पैसे में बिजली पैदा हो रही है तो फिर आपने उसका उपयोग अधिक से अधिक करने का प्रयास क्यों नहीं किया? 72 घंटे में जब आपको ट्रांसफार्मर देने की बात है तो तीन-तीन महीने तक नहीं दिया, उसके लिए कोई जिम्मेदार है या नहीं है? अगर आपके पास पर्याप्त बिजली है तो फिर बिजली मिल क्यों नहीं रही है? कट क्यों हो रहा है? कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपने कह दिया कि हमारी यह भी मजबूरी, यह भी मजबूरी। आपने हमसे एक्स्ट्रा पैसा 5 हजार से लेकर 20 हजार भी वसूल कर लिया और वह भी उनसे वसूल किया जिन्होंने हर समय राइट टाइम पर पैसे जमा कराये, तो क्या वह भाग रहे थे इसलिये वसूल किया? कोई ऐसा डिफाल्टर हो उससे तो आप एडवांस में जमा कीजिए ताकि आपको घाटा नहीं हो।

इन आल मिलाकर के जो विषय खड़े किये थे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, इस अडाणी को सिंगल टेंडर होने के बाद भी उसको देने की आपकी क्या मजबूरी थी? ये जो कुछ विषय हैं जिनके ऊपर आपको हिट किया था, उनको आपने इधर-उधर घुमाकर के एंड कर दिया। सामान्य जनता शहर की और गांव की पूछना चाहती है कि हमको जिस प्रकार का बिलिंग 2018 में मिलता था और जो आज 2022 में मिलता है, हम यह नहीं जानते कि इसमें टेक्निकल कहां उलझन है और कहां उलझन नहीं है, परंतु दोनों कागज को जब साथ लेकर के वह हमारे सामने आकर खड़ा होता है तो दुगुने से भी अधिक बिल आता है। कॉमन आदमी समझता नहीं है कि कौन-कौन सी आपकी मजबूरी हो गयी, कहां आपको घाटा हो गया, कहां आपको महंगा हो गया, कहां आपको सरचार्ज लगाना पड़ा, कहां आपको फ्यूल चार्ज लगाना पड़ा, कहां आपको तकलीफ हुई, यह नहीं समझता है। (व्यवधान)

हमें तो दो-तीन चीजें आप बता दीजिए कि ये जो आपके ट्रांसफार्मर हमको समय पर मिलने चाहिये थे, अगर आप कह रहे हैं कि 72 घंटे में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिलते हैं तो जहां 72 घंटे में नहीं मिले, उस ट्रांसफार्मर के लिए जो जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहते हैं या नहीं? आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की तो फिर जनता चिल्ला क्यों रही हैं? (व्यवधान) हम यह समझ नहीं पा रहे हैं और जो सवाल हमने खड़े किये, उसका उत्तर नहीं है।

श्री सभापति: प्लीज शांत रहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आखिर हमने दिन भर यह चर्चा क्यों की? इतने लोगों ने, 36 लोगों ने अपना विषय क्यों रखा? (व्यवधान) रखने के बाद अगर उसका परिणाम नहीं आये...

श्री सभापति: शांत रहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): और केवल ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है तो फिर हमारे यहां बैठे रहने से कोई लाभ है क्या? हमने जो सवाल खड़े किये, उन सवालों का जवाब तो आयेगा या नहीं आयेगा?

श्री सभापति: आप विराजिए।

बहिर्गमन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर उन सवालों का जवाब नहीं आये तो हमारा यहां बैठने से फायदा क्या है? मैं सोचता हूं अगर यही तरीका है दिन भर का डिस्कशन करने का, इतना समय लगना, 36 लोगों का बोलना और सुझाव देना और (व्यवधान) उसके बाद राजस्थान की जनता को रिलीफ नहीं मिले तो फिर उसका अर्थ क्या है यहां बैठे रहने से? मैं सोचता हूं कि इससे अच्छा हम बाहर जाते हैं। हम बाहर जाते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष आप सिर्फ कमियां निकालने के लिए आये हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहूंगा, मैं इनको कहना चाहूंगा कि जो इम्पोर्ट कोल खरीदने के लिए...

श्री सभापति: प्लीज शांत रहें।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, इम्पोर्ट कोल खरीदने के लिए जो आदेश दिये गये, वह केन्द्र की सरकार के द्वारा दिये गये। केन्द्र में नेता प्रतिपक्ष की पार्टी की सरकार है। चार गुना महंगा कोयला खरीदने के लिए हमें बाध्य किया। राज्य सरकार को बाध्य किया गया

(श्री भंवर सिंह भाटी)

कि इम्पोर्ट कोल खरीदा जाये। चार गुना महंगा कोल हमें केन्द्र सरकार के आदेश से खरीदना पड़ा। केन्द्र सरकार चाहती तो हमें लोकल, हमारे देश में जो कोयला उपलब्ध है, वह उपलब्ध कराया जा सकता था लेकिन हमें बाध्य किया गया कि 10 परसेंट कोयला इम्पोर्ट खरीदा जाये। वह हमें खरीदना पड़ा।

सभापति महोदय, उसके अलावा सोलर से हमें जो बिजली मिल रही थी, जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सोलर से जितनी बिजली हमें मिल रही थी, हमारे उत्पादन निगम के पास हमारे ससांधन थे, हमारे थर्मल प्लांट्स थे, वहां जो बिजली मिल रही थी वह सारी मिलाकर 10 हजार मेगावाट के करीब हो रही थी, लेकिन हमारी मांग एकदम से बढ़ी, वह करीब 13 हजार मेगावाट से ज्यादा हो गयी। उसकी वजह से हमें ओपन एक्सचेंज से, बाजार से बिजली खरीदनी पड़ी, जिसकी अधिकतम रेट, क्योंकि राजस्थान के लोगों को, राजस्थान की जनता को बिजली उपलब्ध कराना हमारी सरकार का एजेंडा था, हमारा उद्देश्य था, हमारी ड्यूटी थी, तो अधिकतम जो 12 रुपये रेट है प्रति यूनिट, उस पर भी हमने बोली लगाई, क्योंकि यह जो बिजली का क्राइसिस है, वह पूरा देशव्यापी है। इस वजह से 12 रुपये में भी 10 से 15 परसेंट ही बिजली मिल पाई। उसकी वजह से बिजली की क्राइसिस हुई। यह क्राइसिस सिर्फ राजस्थान में ही नहीं था, पूरे देश भर में क्राइसिस था। बिजली चाहे अधिकतम रेट में भी खरीदनी पड़े लेकिन लोगों को लाइट उपलब्ध करवाना हमारा उद्देश्य था। प्रतिपक्ष के नेता ने जो मुद्दे उठाये हैं, जो बात इन्होंने इम्पोर्ट कोल वाली कही है, तो इम्पोर्ट कोल के लिए हमें केन्द्र सरकार के द्वारा बाध्य किया गया।

उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि देशव्यापी कोल संकट के मद्देनजर विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने हमें दोबारा पत्र भी लिखा। दिनांक 28.04.2022 के द्वारा देश के विभिन्न विद्युत निगमों, आईपीपी, एनटीपीसी को आयातित कोल की अतिरिक्त मात्रा आबंटित की एवं 10 प्रतिशत सम्मिश्रण हेतु क्रय की अनिवार्यता के निर्देश दिये। इन बाध्यकारी निर्देशों के तहत राजस्थान उत्पादन निगम को 9.66 लाख मैट्रिक टन आयातित कोल खरीदने को कहा गया। यह भी निर्देशित किया गया कि 31.05.2022 के पहले आयातित कोल के क्रयादेश को जारी करें एवं 50 प्रतिशत कोयले की खेप 30.06.2022 तक 40 प्रतिशत कोयला 31.08.2022 तक और शेष 10 प्रतिशत जो मात्रा है वह दिनांक 31...2022 के पहले सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों की, उन्होंने यह भी कहा कि अनुपालना में, पारदर्शी निविदा के माध्यम

(श्री भंवर सिंह भाटी)

से उत्पादन निगम ने यह आदेश जारी किये तो उन्होंने यहां तक चेतावनी दी कि यदि 10 परसेंट नहीं उठाया जाता है तो 5 या 10 परसेंट जो और कम कर दिया जाएगा, हमें जो रेगुलर मिलता है।

सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले साढ़े तीन सालों में विद्युत के क्षेत्र में बहुत सारे निर्णय किये हैं। आम आदमी को, किसानों को, सभी को लाभान्वित करने के लिए, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए गये हैं।

पांच लाख बिजली के कनेक्शन देने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, उसकी हमने पूरी रूपरेखा बना ली है। हम निर्धारित समय में सारे के सारे कनेक्शन देंगे। बिजली की जो समस्या है उसके समाधान के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। होना यह चाहिये था, इनको यह आश्वस्त करना चाहिये था कि केन्द्र में हमारी बीजेपी की सरकार है। कोयले पर नियंत्रण केन्द्र सरकार का है, केन्द्र में इनकी सरकार है, यह मदद करते। हम रोजाना दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन इनके एक भी सांसद, इनके एक भी मंत्री, इनके राजस्थान में बैठे हुए नेता, किसी ने भी केन्द्र सरकार को जाकर यह नहीं कहा कि राजस्थान के लोगों को जितना कोयला चाहिये उतना कोयला उपलब्ध करवाया जाये। उलटा यह मदद करने की बजाय आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान विधान सभा के यह सब लोग सदस्य हैं। माननीय विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य भी। सबका ही दायित्व बनता है कि हम राजस्थान के लोगों को बिजली उपलब्ध करायें, पूरी मात्रा में बिजली उपलब्ध करवायें, लेकिन बहिर्गमन करके इन्होंने राजस्थान के लोगों का जो अपमान किया है, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.24 बजे शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

परवन वृहद् सिंचाई परियोजना में प्राप्त शिकायतें

509. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार को परवन वृहद् सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत हो रहे कार्यों में अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के सर्वे में बांध में तीन डिफाल्ट जोन घोषित किये जा चुके हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी?

(3) परवन वृहद् सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत होने वाले कार्यों में विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। परवन वृहद् सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रगतिरत कमाण्ड क्षेत्र विकसित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में वित्तीय एवं तकनीकी अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

इन शिकायतों में वर्णित बिन्दुओं में से वित्तीय अनियमितताओं की जांच हेतु निदेशालय निरीक्षण विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 01.10.2021 के द्वारा 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया, आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है तथा शिकायतों में तकनीकी अनियमितताओं से सम्बन्धित बिन्दुओं के संदर्भ में अनुबंध के प्रावधानों एवं तकनीकी आधार पर अध्ययन करने हेतु 4 मुख्य अभियंताओं सहित 7 सदस्यों की समिति का गठन आदेश दिनांक 03.02.2022 द्वारा किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

शिकायतों में तकनीकी अनियमितताओं से सम्बन्धित बिन्दुओं के संदर्भ में अनुबन्ध के प्रावधानों एवं तकनीकी आधार पर जांच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर समिति की अनुशंषा अनुसार कार्य निष्पादित किया जा रहा है। वित्तीय अनियमितताओं के जांच हेतु गठित विशेष जांच दल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसका सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) जी हां। जियोलोजिकल सर्वे आफ इन्डिया द्वारा परवन बांध की नींव के पांच ब्लाक की चट्टानों में फाल्ट जोन होना अवगत कराया गया। नींव की चट्टानों में दरार होना एक प्राकृतिक अवस्था है। नींव की चट्टानों में दरार की समस्या के निवारण/उपचार हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन सम्भाग कोटा द्वारा केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली, आई.आई.टी. रुडकी के विशेषज्ञ, जल संसाधन विभाग, जियोलोजिकल सर्वे आफ इन्डिया के सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञों की टीम गठित की गयी। (प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न) गठित टीम द्वारा नीव की चट्टानों में दरार के उपचार प्रस्तावित किये गये, जिसे केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन उपरान्त क्रियान्वित किया जा रहा है।

(3) परवन वृहद् सिंचाई परियोजना में नींव की चट्टानों में फाल्ट जोन की उपस्थिति, सक्षम स्तर से उपचार की स्वीकृति में लगने वाला समय, वैश्विक महामारी कोरोना का प्रभाव आदि निर्माण कार्यों में विलम्ब के मुख्य कारण हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसलों पर अनुदान

511. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अकाल अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में सरकार द्वारा आदान अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है? यदि हां, तो किसको एवं कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2021 में अनावृष्टि की स्थिति में जिला जालौर में कितने कृषकों को आदान अनुदान उपलब्ध करवाया गया था? तहसीलवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2021 में आदान अनुदान की पात्रता रखते हुए भी कुछ किसान उससे वंचित रह गये थे? यदि हां, तो कितने एवं किस कारण से? उक्त वंचित कृषकों का आदान अनुदान का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने पर प्रभावित किसानों को राज्य आपदा

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

मोचन निधि के नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान-अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिला जालौर में वर्ष 2021 में अनावृष्टि (सूखा) के कारण फसल खराबे से प्रभावित किसानों में से कृषि आदान-अनुदान से लाभान्वित किसानों की संख्या का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	तहसील का नाम	कृषि आदान-अनुदान भुगतान किये गये किसानों की संख्या
01	आहोर	41166
02	बागोड़ा	24961
03	भीनमाल	12833
04	चितलवाना	33136
05	जालौर	19215
06	जसवंतपुरा	20081
07	रानीवाड़ा	14145
08	सांचौर	41256
09	सायला	20024
	कुल योग	**226817**

(3) वर्ष 2021 में सूखे से प्रभावित 71,634 किसानों को कृषि आदान -अनुदान दिया जाना शेष है। प्रभावित किसानों के बैंक खाता संख्या सही नहीं होने, किसानों के डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं होने के कारण किसान लाभान्वित होने से शेष रहे हैं।

कृषि आदान-अनुदान से वंचित किसानों के बैंक खाता विवरण अपडेट करने तथा बैंक खाता नम्बर को जन आधार से लिंक करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेन्ट इन्फोर्मेशन सिस्टम (डी.एम.आई.एस.) पोर्टल पर शेष किसानों के डेटा अपलोड करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रभावित कृषकों से वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर पात्र किसानों को राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान-अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

ऋण माफी में हुए घोटालों की जांच

521. श्री अमित चाचाण (नोहर) व **श्री संयम लोढा** (सिरोही): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ऋण माफी-2017 में हुए घोटाले की जांच करवाई गयी है? यदि हां, तो किन-किन सहकारी समितियों की किन-किनके द्वारा जांच की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घोटालों की जांच रिपोर्ट का अध्ययन किस-किस जिले में किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया व क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जिन समितियों में ऋण माफी में गबन हुआ है, वहां दर्ज करवाए पुलिस थानों में प्रकरणों की एफआईआर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में ऋण माफी 2017 (राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018) से सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 161 घोटालों/अनियमितताओं की जांच करवाई गयी। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त घोटालों/अनियमितता संबंधी जांच रिपोर्ट का अध्ययन व की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 में गबन/अनियमितता बाबत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सम्बन्धित पुलिस थानों में 8 FIR दर्ज करवायी गयीं। एफ.आई.आर. की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

खानपुर में अतिवृष्टि से फसल खराबा

522. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में दिनांक 22 व 23 अगस्त, 2022 को हुई अतिवृष्टि से कितने गांवों में फसल खराबा हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नरेन्द्र नागर)

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में फसलों के खराबे की गिरदावरी करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों की खरीफ फसलों में हुए नुकसान के आंकलन हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 25.08.2022 को विशेष गिरदावरी के आदेश जारी कर दिये गये हैं। गिरदावरी का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही खानपुर विधान सभा क्षेत्र में फसल खराबे की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

(2) खरीफ फसल 2022 (संवत् 2079) में अत्यधिक बारिश से बोई गयी फसलों में हुए नुकसान के आंकलन हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 25.08.2022 को विशेष गिरदावरी के आदेश जारी कर दिये गये हैं। विशेष गिरदावरी के आदेश की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

डेगाना में परिवहन सेवा

523. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में कितने और कौन-कौनसी ग्राम पंचायत मुख्यालय परिवहन सेवा से वंचित हैं? विगत दो वर्षों में अजमेर संभाग में कितनी बसें नई चलाई गईं तथा कितने रूटों पर बसों का संचालन बन्द कर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में विगत तीन वर्षों में कितनी नई रोडवेज बसों का संचालन किया गया या उक्त क्षेत्र के कितने गांवों को परिवहन सेवा से जोड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में चालक व परिचालकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? चालक व परिचालक के रिक्त पदों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में 499 ग्राम पंचायत परिवहन सेवा से जुड़ी हुई हैं, एक ग्राम पंचायत उगरपुरा परिवहन सेवा से वंचित है।

विगत 2 वर्षों में निगम की अजमेर संभाग में नई चलाई गयी बसों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

विगत 2 वर्षों में निगम की अजमेर संभाग में बन्द की गयी बसों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

विगत 2 वर्षों में (दिनांक 01.04.2020 से 31.08.2022 तक) अजमेर संभाग में 604 परमिट जारी किये गये जिनकी सूचना परिशिष्ट "3" पर संलग्न है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 6 परमिट की सूची परिशिष्ट "4" पर संलग्न है तथा इसी अवधि में निजी बसों के 744 परमिट सरेण्डर किये गये है। सूची परिशिष्ट "5" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पिछले 3 वर्षो में नई संचालित की गई निगम बसों तथा उक्त बसों से जोड़े गए गांवों का विवरण परिशिष्ट "6" पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में एक नया मार्ग खोला गया है जिसका विवरण परिशिष्ट "7" पर संलग्न है।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में दिनांक 01.09.2022 की स्थिति में चालकों/परिचालकों के जिलेवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "8" पर संलग्न है। उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु निगम स्तर पर वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना

524. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि "हुनर का हर हाथ रहे रोजगार के साथ" की सोच मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना लागू है? यदि हां, तो उक्त योजनान्तर्गत जिला भीलवाड़ा में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में आदिनांक तक किस-किस युवा को कौन-कौनसा हुनर प्रदर्शित करने के लिए अब तक कितना-कितना ऋण उपलब्ध कराया गया? युवाओं के नाम व हुनर सहित विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(2) क्या उक्त योजनान्तर्गत सभी पात्र इच्छुक युवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना का उक्त जिले में मूल्यांकन भी कराया गया है? यदि हां, तो कब-कब व उसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजनान्तर्गत जिला भीलवाड़ा में लक्ष्यानुसार पात्र व्यक्तियों को वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के अंतर्गत लाभान्वितों को उपलब्ध कराया गया ऋण, हुनर की सूचना नामवार परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सभी पात्र इच्छुक युवाओं को लाभान्वित नहीं किया गया है। योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य अनुसार पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। भीलवाड़ा एवं प्रदेश में लाभान्वित किये गये आशार्थियों का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	**भीलवाड़ा जिले के लाभांवित की संख्या**	**राजस्थान प्रदेश के लाभांवित की संख्या**
2019-20	385	36153
2020-21	604	38303
2021-22	585	33801
योग	**1574**	**108257**

(3) जी नहीं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार भीलवाड़ा जिले में योजनाओं का मूल्यांकन नहीं कराया गया है।

(सूचना की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर में कृषि कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोटिस

525. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा किसानों को कृषि कनेक्शन देने हेतु हर वर्ष नई नीति बनाई जाती है? जिला बाड़मेर में वर्ष 2020-21 में नये कृषि

(श्री हमीर सिंह भायल)

कनेक्शन जारी करने हेतु कितने डिमाण्ड नोटिस जारी किये, उनमें से कितने कनेक्शन दिये जा चुके हैं एवं कितने शेष रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सहायक अभियंता कार्यालय सिवाना, समदड़ी एवं सिणधरी में डिमाण्ड नोटिस की राशि विभाग में जमा करवाने के उपरान्त भी किसानों को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कनेक्शन के समय पर नहीं होने के मुख्य कारण क्या रहे? उक्त विधान सभा क्षेत्र के सहायक अभियन्ता कार्यालय में वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं एवं क्यों? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। किसानों को कृषि कनेक्शन हेतु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जारी कृषि कनेक्शन नीति-2017 में वर्णित प्रावधानानुसार कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। तथापि सामान्यतया प्रति वर्ष सामान्य श्रेणी के लम्बित आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु पूरे प्रदेश के लिए कट आफ डेट का निर्धारण किया जाता है।

बाड़मेर जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 5,359 कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु मांग पत्र जारी किये गये थे जिनके सापेक्ष माह अप्रैल, 2020 से माह अगस्त, 2022 तक कुल 5,335 कृषि कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं तथा माह अगस्त, 2022 के अंत तक कुल 24 कृषि कनेक्शन जारी किया जाना लम्बित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सहायक अभियंता कार्यालय सिवाना, समदड़ी, पादरू एवं सिणधरी में बिन्दु संख्या 1 में वर्णित प्रावधानों अनुसार कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सहायक अभियंता कार्यालय सिवाना, समदड़ी, पादरू एवं सिणधरी में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 (अगस्त 2022 तक) कृषि कनेक्शन हेतु जमा हुए मांग पत्रों वाले आवेदनों की संख्या व उनके सापेक्ष जारी किये गये कृषि कनेक्शनों की संख्या व लम्बित मांग पत्र जमा वाले कृषि कनेक्शन हेतु आवेदनों की संख्या का उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

(3) सिवाना के सहायक अभियंता कार्यालय सिवाना, समदड़ी, पादरू एवं सिणधरी में प्रावधानों अनुसार कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। यद्यपि यदा कदा रूट विवाद के कारण, खेतों में फसल खड़ी होने के कारण इत्यादि कारणों से विद्युत कनेक्शन करने में विलम्ब उत्पन्न होता है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अधीन कार्यरत उपखण्ड कार्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। उक्त पद कार्मिकों की आकस्मिक मृत्यु, निगम में सेवा अवधि पूर्ण होने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, पदोन्नति इत्यादि कारणों से रिक्त होते रहते हैं जो कि समय-समय पर नवीन भर्तियों, स्थानान्तरण, पदोन्नति इत्यादि माध्यमों से भरे जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अलवर के राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य महाविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पद

526. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य महाविद्यालय, अलवर में प्रोफेसर, रीडर, प्राध्यापक, शैक्षणिक व अशैक्षणिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से? वर्गवार व पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय में उक्त रिक्त पदों के चलते शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य महाविद्यालय, अलवर नाम से वर्तमान में कोई महाविद्यालय संचालित नहीं है।

(2) उपर्युक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

एन.पी.एस. के अंतर्गत आहरण राशि की कर्मचारियों से वसूली

550. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: प.12 (3)वित्त/नियम/2022 दिनांक 28 अगस्त, 2022 के पश्चात् यदि दिनांक 01 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारी द्वारा एनपीएस के अन्तर्गत आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा?

(2) उक्त परिपत्र जारी करने से पूर्व दिनांक 27 अगस्त, 2022 तक एनपीएस के अन्तर्गत आहरण के लिए आवेदन कर राशि प्राप्त कर चुके उक्त कर्मचारियों को क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना का लाभ देते हुए उनसे पुन: राशि प्राप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(3)वित्त/नियम/2022 दिनांक 28 अगस्त, 2022 के क्रम में समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06-09-2022 में इसका उल्लेख है (प्रति संलग्न)।

(2) जी हां। दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 28.08.2022 तक आहरण की गयी राशि को दिनांक 31.12.2022 तक अधिकतम 4 किश्तों में जमा करवाया जा सकता है (प्रति संलग्न)।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पी.ए.ओ. व्यवस्था लागू करने की कार्ययोजना

551. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार कोषालय, उप कोषालय व्यवस्था को बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार केन्द्र सरकार में लागू PAO व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके फ्रेमवर्क, मुख्य बिन्दु, विशेषताओं व उल्लेखित शक्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

(3) क्या यह सही है कि उक्त के सम्बन्ध में सरकार विभाग में नवाचार लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के समस्त वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता तथा कार्यदक्षता लाने के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार की भांति प्रत्येक विभाग में भुगतान एवं लेखा पद्धति (PAO) सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर लागू की जा रही है। इस हेतु AG से सहमति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त कार्यवाही के अन्तर्गत भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में राज्य लेखा सेवा के अधिकारी एवं अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी/कार्मिकों को नियोजित किया जायेगा। वहीं कोष एवं उपकोष कार्यालयों का उपयोग Rajasthan Social & Performance Audit Authority के अन्तर्गत वित्तीय प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु किया जायेगा (परिशिष्ट-क)।

(2) जी हां। PAO व्यवस्था हेतु प्रारूप, नियम परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी हां। विस्तृत विवरण उपरोक्तानुसार परिशिष्ट-क पर एवं ख पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पेट्रोल व डीजल पर वैट से प्राप्त आय

552. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में प्रतिदिन कितने पेट्रोल व डीजल की खपत होती है? इस पर राज्य को वैट से कितनी औसत आय प्राप्त होती है?

(2) क्या सरकार को पेट्रोल व डीजल में मिलावट व कम नाप की शिकायतें मिलती हैं? यदि हां, तो वर्ष 2020-21 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में कितनी सैम्पलिंग की गयी एवं उसकी जांच के क्या परिणाम रहे?

उत्तर

(1) आयल मार्केटिंग कम्पनियों के द्वारा प्रतिदिन खपत का ब्यौरा पेश नहीं किया जाता है तथापि आयल मार्केटिंग कम्पनियों से वर्ष 2021-

(वित्त मंत्री)

22 में प्राप्त राजस्व की सूचना के आधार पर औसत प्रतिदिन खपत एवं वैट +सेस से आय इस प्रकार हैः-

Year	Diesel				Petrol			
	Revenue (Rs. In Cr.)			Quantity in KL	Revenue (Rs. In Cr.)			Quantity in KL
	VAT	Cess	Total		VAT	Cess	Total	
2021-22	23.97	02.51	26.48	15615.60	16.65	0.92	17.57	7146.29

(2) जी हां। वर्ष 2020-21 में पेट्रोल व डीजल में मिलावट की बाड़मेर-06, भरतपुर-01, चूरू-02, श्रीगंगानगर-03, जैसलमेर-02, जालौर-02, राजसमंद-01 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

पेट्रोल व डीजल के कम नाप तौल की बाड़मेर-07, जयपुर-05, जालौर-02 शिकायत प्राप्त हुई हैं।

(3) विगत 03 वर्षो में पेट्रोल के 04 व डीजल के 19 कुल 23 सैंपल लिए गये, जिनमें से 08 सैंपल परीक्षण में सही पाये गये एवं 01 में पानी की मिलावट पायी गयी है। शेष 14 सैंपल में रिपोर्ट अप्राप्त है।

छात्राओं को गार्गी पुरस्कारों का वितरण

553. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में 10वीं व 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2020-21 व 2021-22 में गार्गी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पात्र छात्राओं की संख्या कितनी है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में बसंत पंचमी पर गार्गी पुरस्कारों का वितरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2020-21 में गार्गी पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्राओं का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

वर्ष 2021-22 के दोनों ही पुरस्कारों के लिए पात्र बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सत्र 2020-21 में गार्गी पुरस्कार के प्रमाण पत्र बसन्त

(शिक्षा मंत्री)

पंचमी को वितरित कर दिये गये एवं प्रोत्साहन राशि पात्र छात्राओं के बैंक खाते में आनलाइन हस्तान्तरित की जा चुकी है।

सत्र 2021-22 में कोविड 19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाकर मूल्यांकन की पद्धति के फार्मूले के आधार पर विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किया गया है, जिसके आधार पर पात्र छात्राओं से आनलाइन आवेदन पत्र भरवाये जा रहे हैं, जिसकी अन्तिम तिथि 30.09.2022 है। तदुपरांत प्रमाण पत्र वितरण एवं राशि हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी। आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय आदेश परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मसूदा में अध्यापकों के रिक्त पद

554. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मसूदा में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों की स्थिति निम्नानुसार है-

पदनाम	**राप्रावि**		
	स्वीकृत	**कार्यरत**	**रिक्त**
अध्यापक लेवल-2 एवं समकक्ष	0	0	0
अध्यापक लेवल-1 एवं समकक्ष	262	233	29
योग	**262**	**233**	**29**

उक्त सूचना का विद्यालयवार एवं लेवलवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक लेवल-प्रथम व द्वितीय के रिक्त पदों को भरने के हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम, 277 (क) में उल्लेखित प्रावधानानुसार अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-

(शिक्षा मंत्री)

22 अन्तर्गत लेवल प्रथम के 15,500 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गयी जिसमें से 14,695 अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 25.08.2022 तक कार्यग्रहण कर लिया गया है। अध्यापक के 46,500 रिक्त पदों हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन माह जनवरी, 2023 में प्रस्तावित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती

555. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सृजित नहीं होने से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अध्यापकों के स्थानांतरण पर रोक

556. श्री अमीन खां (शिव): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश के जिन क्षेत्रों में अध्यापकों के पचास प्रतिशत से अधिक पद रिक्त रहते हैं, उक्त क्षेत्रों में अध्यापकों के स्थानांतरण पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। रिक्त पदों को भरने हेतु कार्ययोजना बनाई जाकर कार्यवाही की जा रही है।

विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

557. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2022-23 के स्पील ओवर में राज्य में संचालित 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में 15 KW के सोलर हाईब्रिड सिस्टम स्थापित करने के लिए 2403.27 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। इस कार्य हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जबकि प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षान्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोटा नगर निगम में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

558. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार कोटा नगर निगम की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कौन-कौनसी सड़कों का तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगर निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की नवीन सड़कों के निर्माण व खराब सड़कों की मरम्मत हेतु वर्तमान में कितना बजट स्वीकृत किया गया? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत कोटा नगर निगम क्षेत्र में 5 सड़कों के सुधार हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 10.06.2021 को राशि रुपये 1,000.00 लाख तथा दिनांक 18.10.2021 एवं दिनांक 24.08.2022 (संशोधित स्वीकृति) को 60 सड़कों के सुधार के लिए राशि रुपये 4,579.65 लाख की स्वीकृति जारी हुई है। इस प्रकार वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 65 सड़कों के लिए राशि रुपये 5,579.65 लाख की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें 33 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं, 24 कार्य प्रगति पर हैं, 2 कार्य अप्रारम्भ हैं व 4 कार्य की निविदा आमंत्रित की जानी है। 2 कार्य नगर विकास न्यास कोटा की स्वीकृतियों के तहत प्रगतिरत होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन 2 कार्यों को नहीं करवाया जा रहा है। कार्यों की सूची प्रपत्र "अ-1" व "अ" पर संलग्न है। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अंतर्गत कोटा नगर निगम क्षेत्र में कुल 32 कार्यों हेतु राशि रुपये

(स्वायत्त शासन मंत्री)

2994.00 लाख की स्वीकृति विभाग द्वारा दिनांक 16.09.2022 को जारी की गयी है। सूची प्रपत्र "ब" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की नगर निगम क्षेत्र की नई व खराब सड़कों के निर्माण हेतु बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में 05 सड़कों हेतु राशि रुपये 347.75 लाख स्वीकृत हुए हैं जिन्हें दिनांक 01.11.2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अंतर्गत कोटा नगर निगम क्षेत्र (लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र) में कुल 5 कार्य राशि रुपये 805.70 लाख के स्वीकृत हैं, जिनकी निविदाएं शीघ्र ही आमंत्रित की जा रही हैं। सूची प्रपत्र "स" पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान में पट्टे

559. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान में दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक जिन लोगों ने नगरपालिका भूमि या कृषि भूमि पर बिना अनुमति के मकानों का निर्माण कर लिया है, उनको पट्टा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में नगरपालिका भूमि (राजकीय भूमि) पर बिना अनुमति के निर्माण किये जाने वाले व्यक्तियों को पट्टा जारी करने के संबंध में आदेश दिनांक 01.07.2022 के द्वारा दिनांक 31.12.2013 तक आंशिक/पूर्ण सृजित/विकसित हो चुके निर्माणों में रहवास कर रहे लोगों को पट्टा दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं।

इसी प्रकार कृषि भूमि पर बिना अनुमति के निर्मित मकानों का पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 06.04.2022 के द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए (8) एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा व आबंटन) नियम, 2012 में संशोधन कर कट-आफ-डेट दिनांक 17.06.1999 से बढाकर दिनांक 31.12.2021 की गयी है। इसके अतिरिक्त आदेश दिनांक 01.07.2022, 14.07.2022 एवं 28.07.2022 से उक्त भूमि (कृषि) पर पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिनके प्रक्रिया के तहत नियमानुसार पट्टे संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जावेगा।

प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में आवासीय पट्टे

560. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 के तहत कुल कितने पट्टे जारी किये गये? शहरों में पट्टे जारी करने के क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान में जिला अजमेर में कुल कितने पट्टे जारी किये गये? क्या ब्यावर में भी पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, ब्यावर में स्थायी आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने के कारण पट्टे जारी नहीं किये गये? यदि हां, तो सरकार नगर परिषद्, ब्यावर में स्थायी आयुक्त की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 के तहत कुल 4,66,888 पट्टे जारी किये गये हैं। शहरों में पट्टे जारी करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त अभियान के तहत जिला अजमेर में कुल 19,643 पट्टे जारी किये गये हैं। नगर परिषद् ब्यावर में भी 1,567 पट्टे जारी किये गये हैं।

(3) जी नहीं। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.04.2022 के द्वारा श्री रणजीत सिंह, (आर.ए.एस.) को आयुक्त नगर परिषद् ब्यावर के पद पर पदस्थापित किया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बिलाड़ा नगरपालिका द्वारा प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान में जारी आवासीय पट्टे

561. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगरपालिका बिलाड़ा द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 के तहत अब तक कितने आवासीय पट्टे जारी किये गये व किस-किस आवेदक को पट्टे जारी नहीं किये गये? जारी नहीं किये गये पट्टों का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीराराम)

(2) क्या सरकार उक्त शेष रहे पट्टों को जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत बिलाड़ा नगरपालिका द्वारा अब तक 773 आवासीय पट्टे जारी किये गये हैं। जिस-जिस आवेदक को आवासीय पट्टे जारी नहीं किये गये हैं, उनका कारण सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। शेष रहे आवेदकों को आवेदन में रही कमियों की पूर्ति किये जाने पर, नियमानुसार आवासीय पट्टों का निस्तारण किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनकपुरी कालोनी, धावास का नियमन

562. कुमारी रीटा चौधरी (मण्डावा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत एक वर्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 7 स्थित जनकपुरी कालोनी, धावास, अजमेर रोड, जयपुर का नियमन कैम्प लगाया गया था? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आपत्ति के पश्चात् उक्त कालोनी के कतिपय विवादित भूखण्डों का नियमन रोक दिया गया है? यदि हां, तो आपत्ति की प्रति सहित रोके गये भूखण्डों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कालोनी की सोसायटी द्वारा नियम विरुद्ध सरकारी भूमि एवं जयपुर विकास प्राधिकरण से आबंटित विधान सभा नगर की आरक्षित भूमि, रास्ते की जमीन पर भूखण्ड दर्शाकर नियमन कराने पर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनकपुरी कालोनी, धावास, अजमेर रोड, जयपुर का नियमन कैम्प दिनांक 03.06.2022 को लगाया गया था। उक्त योजना में मानचित्र अनुसार अनुमोदित आवासीय भूखण्डों की संख्या 118 है जिसमें से

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

66 भूखण्डधारियों का नियमन कर पट्टा जारी किया जा चुका है। शेष भूखण्डों की संख्या 52 है जिनका नियमन निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् किया जा सकेगा।

(2) जी हां। जनकपुरी योजना के नियमन कैम्प के दौरान योजना से लगती हुई विधान सभा सचिवालय समूह आवासीय योजना के भूखण्डधारियों द्वारा यह कहते हुए मौखिक आपत्ति की, कि विधान सभा सचिवालय समूह आवासीय योजना की आरक्षित भूमि, रास्ते की भूमि पर जनकपुरी योजना के भूखण्डधारियों को पट्टे जारी किये जा रहे हैं। आरोपों का सम्बन्ध भूखण्ड संख्या जी 01 से जी-05 तक होने के कारण उक्त भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं किये गये। शेष अन्य भूखण्डधारियों के पट्टे नियमानुसार जारी किये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा विकसित आवासीय योजना जनकपुरी का नियमन कैम्प मौका एवं रिकार्ड का परीक्षण कर आयोजित किया गया है। भूखण्ड संख्या जी 01 से जी-05 के संबंध में आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए सम्यक परीक्षण किये जाने तक पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है। जनकपुरी आवासीय योजना के शेष भूखण्डों को पट्टा जारी किये जाने योग्य होने के कारण पट्टा नियमानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में आशुलिपिक के रिक्त पद

563. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में दिनांक 01 जुलाई, 2022 तक आशुलिपिक के कितने-कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड-III के 57 पद रिक्त हैं तथा राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापन्न में दिनांक 01.07.2022 तक कनिष्ठ निजी सहायक के 43 पद रिक्त थे।

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

(2) जी हां। अधीनस्थ न्यायालयों हेतु आशुलिपिक भर्ती परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम दिनांक 15.12.2021 के क्रम में 425 आशुलिपिक ग्रेड-III का आबंटन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सम्बन्धित जिला एवं सेशन न्यायालयों को किया गया। वर्तमान रिक्तियों को भरने के संबंध में नियमानुसार प्रक्रिया निर्देशों की पालना में अपनाई जा सकेगी।

राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ निजी सहायक के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अभयारण्यों में पैंथरों के लिए पर्याप्त भोजन प्रे-बेस की व्यवस्था

564. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पैंथर की कुल संख्या कितनी है तथा इनके संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में कहां-कहां पैंथर के फंदे में फंसने की घटनाएं सामने आईं तथा कुल कितने शिकारी पकड़े गये? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश में पैंथरों के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रे-बेस नहीं होने के कारण भोजन की तलाश में अभयारण्यों से बाहर निकलना पड़ता है जिससे उक्त की मौत या शिकार होने की घटनाएं होती हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त अभयारण्यों में कब तक पर्याप्त प्रे-बेस उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) प्रदेश में पैंथर की संख्या का विवरण परिशिष्ट-ए पर संलग्न है। पैंथर के संरक्षण के लिए विभाग द्वारा हैबीटाट सुधार, पिंच पीरियड में पानी की व्यवस्था, नियमित गश्त, ट्रैकिंग/मानिटरिंग, वन क्षेत्र के चारों ओर दीवार का निर्माण, सर्विलांस कैमरे, ग्रास लैण्ड विकास, वाटर पाइन्ट निर्माण आदि कार्य करवाये जाते हैं।

(2) विगत तीन वर्षों में पैंथर के फंदे से फंसने व पकड़े जाने वाले शिकारियों का विवरण परिशिष्ट-बी पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। अभयारण्यों से पैंथरों के बाहर निकलने का एकमात्र कारण भोजन की पर्याप्त व्यवस्था न होना नहीं है। इसके अन्य कारण भी होते हैं। पैंथरों की मौत होना या फंदे में पकड़ा जाना आम घटना नहीं है।

(वन मंत्री)

प्रदेश के सभी अभयारण्य क्षेत्रों में पैंथर की आबादी के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में प्रे-बेस उपलब्ध है। पैंथरों द्वारा अभयारण्य क्षेत्रों से बाहर निकलने के कई प्राकृतिक कारण होते हैं जैसे संख्या का दबाव, वयस्क हो रहे शावकों द्वारा टेरीटरी की खोज, बूढ़े पैंथरों का टेरीटरी से विस्थापन, प्रजनन हेतु साथी की तलाश, भोजन-पानी की कमी इत्यादि।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सहकारी समितियों द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता

565. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में प्रदेश की किन-किन सहकारी समितियों में कहां-कहां पर ऋण अनियमितता के प्रकरण दर्ज किये गये? उक्त अनियमितताओं की जांच कब-कब करवाई गयी तथा किन-किन अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट सरकार को कब-कब प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनियमितताओं में कौन-कौन दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षो में जिन सहकारी समितियों में ऋण अनियमितताओं के प्रकरण दर्ज किये गये उनसे सम्बन्धित वांछित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अनियमितताओं में पाये गये दोषी कार्मिकों एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द में लोक परिवहन एवं ग्रामीण बस सेवा की सुविधा

566. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला राजसमन्द के विधान सभा क्षेत्रों में कितने गांव बस परिवहन सुविधा से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के कितने गांवों को विगत तीन वर्षों में लोक परिवहन एवं ग्रामीण बस सेवा से जोड़ा गया है? उक्त सेवा में कुल कितने मार्गों पर कितनी बसें संचालित हो रही हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

(3) उक्त क्षेत्र में विगत तीन वर्षो में लोक परिवहन एवं ग्रामीण बस सेवा संचालकों को सरकार ने कितना अनुदान दिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में परिवहन सुविधा से वंचित गांवों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	बस परिवहन सुविधा से वंचित गांव	गांव का नाम
1	भीम	12	राजवा, बिल्लीयावास, लसाडिया, मियालाखेत, बडों की रेल, बडिका देह, पेरटो का चोरटा, उपला करकला, कुकडा, राजारेल, बरला चोडा, मोरिया
2	राजसमन्द	0	-
3	नाथद्वारा	0	-
4	कुम्भलगढ	0	-

(2) राजसमंद जिले में विगत 3 वर्षों में लोक परिवहन एवं ग्रामीण बस सेवा से जोड़े गए गांवों की विवरण निम्नानुसार है:-

बस सेवा का प्रकार	गत 3 वर्षों में जारी	बस सेवा से जुडे गांव की
लोक परिवहन बस सेवा	1	8
ग्रामीण बस सेवा	0	0

	कुल मार्ग	बसों की संख्या
उक्त सेवा में कुल कितने मार्गों पर कितनी बस चल रही है	1	1

राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में ग्रामीण परिवहन सेवा संचालन हेतु घोषणा की गयी है।

उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं इस बाबत निगम द्वारा RITES Ltd. को विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त कर MoU सम्पादित कर लिया गया है तथा RITES Ltd. द्वारा Inception Report प्रस्तुत कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

(3) सरकार लोक परिवहन सेवाओं के लिए कोई सहायता अथवा अनुदान नहीं देती है।

ग्रामीण परिवहन सेवा हेतु 31 मार्च, 2017 के पश्चात् का पुनर्भरण बाधित कर दिये जाने के पश्चात् निगम द्वारा ग्रामीण परिवहन सेवा के समस्त संचालकों के अनुबन्ध समाप्त कर दिए जाने के कारण निगम द्वारा विगत 3 वर्षों में किसी भी संचालक को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

पिण्डवाड़ा नगर एवं सरूपगंज बस स्टैण्ड पर बसों का ठहराव

567. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पिण्डवाड़ा नगर एवं सरूपगंज में बसें बस स्टैण्ड पर नहीं आती हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त रूट की सभी बसों को बस स्टैण्ड पर आकर सवारियों को लेने के लिए आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जिन बसों के स्टैण्ड पिण्डवाड़ा नगर एवं सरूपगंज निर्धारित हैं। उक्त सभी बसें अपने निर्धारित स्टैण्ड होकर संचालित की जा रही हैं।

राजस्थान राज्य पथ निगम द्वारा उक्त बस स्टैण्डों पर निर्धारित ठहराव वाली बसों को बस स्टैण्ड होकर संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जारी आदेश परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

पिण्डवाड़ा नगर सरूपगंज मार्ग पर स्टेज कैरिज निजी बसों द्वारा पिण्डवाड़ा नगर एवं सरूपगंज में निर्धारित स्थल से सवारियों को लिया जाता है।

(पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली की परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायतें

568. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में कितने एवं कौन-कौनसी ग्राम पंचायत मुख्यालय परिवहन सेवा से वंचित है? विगत दो वर्षों में जोधपुर संभाग में कितनी बसें नई चलाई गईं व कौन-कौनसे नये रूटों पर संचालन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों को परिवहन सेवा से

(श्रीमती शोभा चौहान)

जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सोजत व रायपुर बस स्टैण्ड का जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में 8 ग्राम पंचायतें परिवहन सेवा से वंचित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. बासोर 2. गुड़ाजाटान 3. माण्डीगढ़ 4. फूलमाल 5. रातडियां 6. प्रतापगढ़ 7. सुमेल 8. बामनेरा

विगत दो वर्षों में जोधपुर संभाग में कोई भी नया रूट नहीं खोला गया है।

पाली जिले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवाओं से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

विगत दो वर्षों में जोधपुर संभाग में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित की गयी नवीन बसों का मार्गवार विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों को निगम की बस सेवा से जोड़े जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है, किन्तु राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में ग्रामीण परिवहन सेवा संचालन हेतु घोषणा की गयी है।

दूर-दराज के ग्रामीण इलाके जो परिवहन सेवा से वंचित हैं, ऐसे इलाकों में रूट सर्वे कर नये मार्ग खोले जा सकते हैं तथा आवेदन अनुसार निजी बसों के परमिट जारी किये जाकर भी परिवहन सेवा से जोड़ा जा सकता है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं इस बाबत निगम द्वारा RITES Ltd. को विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त कर MoU सम्पादित कर लिया गया है तथा RITES Ltd. द्वारा Inception Report प्रस्तुत कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में निम्न घोषणा की गयी है:- "...साथ ही, Roadways (RSRTC) एवं निजी बसों

(राज्य मंत्री, परिवहन)

के stands के उन्नयन व Repair संबंधी कार्य लगभग 125 करोड़ रु. की राशि से कराये जाने प्रस्तावित हैं।" इस बजट घोषणा के तहत संसाधनों की उपलब्धता/आवश्यकता की वरीयता के तहत कार्य करवाये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खेलों को बढ़ावा देने हेतु बजट का आबंटन

569. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विगत तीन वित्त वर्ष में अब तक क्या-क्या कदम उठाये गए तथा कितनी-कितनी राशि किस-किस खेल के लिए जारी की गयी है? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्ष में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किस-किस खेल में हुआ है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में खेलों की बेहतरी के लिए पिछले तीन वित्त वर्ष में उठाये गये कदमों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

खिलाड़ियों/खेल संस्थाओं को वर्षवार/खेलवार जारी की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

खेलों में खिलाड़ियों को टीए डीए की वर्षवार एवं जिलेवार जारी की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(2) पिछले तीन वर्ष में प्रदेश के नेशनल लेवल पर चयनित खिलाड़ियों का जिलेवार/खेलवार विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रतापगढ़ में वंचित परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन

570. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला प्रतापगढ़ में किस-किस पंचायत के कितने परिवारों को वर्तमान में घरेलू विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं? विद्युत कनेक्शन से वंचित परिवारों को सरकार कब तक घरेलू विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रतापगढ़ जिले सहित राज्य के सभी क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदक, आवेदन कर विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें-2021 (टीसीओएस-2021) में निहित प्रावधानों के अनुसार कनेक्शन ले सकता है।

प्रतापगढ़ जिले में भी उक्तानुसार आवेदन किये जाने पर सतत प्रक्रिया के तहत घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

घरेलू कनेक्शन हेतु वर्तमान में केन्द्र/राज्य सरकार की कोई अन्य अनुदानित योजना क्रियाशील नहीं है।

उदयपुर में दीनदयाल विद्युत योजना के तहत लाभान्वित ग्राम

571. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला उदयपुर में विगत तीन वर्ष में दीनदयाल विद्युत योजना के अंतर्गत कितने गांव, ढाणियों व बस्तियों के परिवारों को विद्युत सुविधा से जोड़ा गया? तहसीलवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त योजना के तहत दिसम्बर, 2018 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक कितना धन व्यय किया गया इसमें केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई एवं राज्य सरकार ने कितनी धनराशि व्यय की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में विगत तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21 तक) में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 1,476 गांवों मय ढाणियों एवं बस्तियों के परिवारों को विद्युत सुविधा से जोड़ा गया। तहसील अनुसार विवरण निम्नानुसार है:-

तहसील	गांवों की संख्या	तहसील	गांवों की संख्या
बड़गांव	65	कोटड़ा	132
भिण्डर	139	लसाड़िया	110
गिर्वा	74	मावली	185
गोगुन्दा	132	रिषभदेव	40
झाड़ोल	112	सलूम्बर	211
खेरवाड़ा	47	सराड़ा	229

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

(2) उदयपुर जिले में इस योजना के तहत दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक कुल 230.60 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी है जिसमें से 60 प्रतिशत राशि (138.36 करोड़) केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जानी है। अगस्त, 2022 तक कुल 88.05 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है। कुल व्यय की शेष 40 प्रतिशत राशि (रुपये 92.24 करोड़) अजमेर विद्युत वितरण निगम के द्वारा व्यय की गयी है।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय का विलय

572. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा निम्बाहेड़ा (चित्तौड़ग़ढ़) स्थित श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय का विलय कर लिया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वैदिक विश्वविद्यालय को विलय करने से सम्बधित विश्वविद्यालय एक्ट में संशोधन किया गया है? यदि हां, तो अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, निम्बाहेडा, चित्तोड़गढ़ की प्रायोजक निकाय के प्रस्ताव पर इस विश्वविद्यालय को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में विलय की कार्यवाही प्रारम्भ हुई थी परंतु विलय नहीं किया गया था। वर्तमान में संस्था ने अपने विलय संबंधी प्रस्ताव को वापस ले लिया है। अत: अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(2) जी नहीं।